



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest

## विनियोग लेखे

2024-25



हरियाणा सरकार



विनियोग लेखे

2024-25

हरियाणा सरकार



प्रस्तावना	i
विनियोग लेखे का सारांश	ii-ix
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	xi-xiii

## अनुदान/ विनियोग की संख्या और नाम

1. विधान सभा	1-3
2. राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद्	4-7
3. सामान्य प्रशासन/ निर्वाचन	8-31
4. राजस्व और आपदा प्रबन्धन/आग्निशमन कार्यालय (आग्निशमन सेवाएं) / आबकारी एवं कराधान	32-64
5. गृह (गृह रक्षी एवं नागरिक सुरक्षा/जेल (कारागार)/न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय)/ अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)	65-85
6. वित्त तथा संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं निपटान/आयोजना तथा सांचिकी	86-107
7. राज्य सरकार द्वारा कर्जे तथा पेशेगियां	108-113
8. लोक ऋण	114-116
9. आकस्मिकता निधि	117
10. कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/पशुपालन और डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव	118-154
11. सहकारिता/खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले	155-168
12. शिक्षा (माध्यमिक/प्राथमिक)/उच्च शिक्षा (उच्च/तकनीकी/विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी)/ महिला एवं बाल विकास	169-203
13. खेल/विरासत तथा पर्यटन (पुरातत्व/संग्रहालय/पर्यटन)	204-218
14. स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान/आयुष/खाद्य एवं औषधि प्रशासन	219-239
15. श्रम/युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण/ रोजगार/युवा मामले)	240-249
16. सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण/अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं अन्तोदय (सेवा)/ भूतपूर्व सेनिकों का कल्याण	250-266
17. लोक निर्माण (भवन व सड़कें)/ परिवहन/नागर विमानन	267-294
18. सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति/मुद्रण तथा लेखन सामग्री	295-301
19. ऊर्जा विभाग (विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/ सिंचाई एवं जल संसाधन	302-346
20. नगर तथा ग्राम आयोजना/शहरी सम्पदा (शहरी विकास)/शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार)/विकास और पंचायत (ग्रामीण विकास)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी परिशिष्ट	347-378
अनुमानों और वसूलियों के वास्तविक आंकड़ों के अनुदानवार ब्यौरे, जिन्हें व्यय में कमी के रूप में लेखाओं में समायोजित किया गया है ।	379



हरियाणा सरकार के वर्ष 2024-25 के विनियोग लेखे के इस संकलन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अधीन पारित किये गये विनियोग अधिनियमों से संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखे प्रस्तुत किये गये हैं।

इन लेखाओं में -

‘मूल’ शब्द का आशय मूल अनुदान या विनियोग से है।

‘पूरक’ शब्द का आशय पूरक अनुदान या विनियोग से है।

‘पुनर्वि.’ शब्द का आशय समर्थ प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोगों, वापसियों या अभ्यर्पणों से है।

प्रभारित विनियोग और व्यय मोटे अक्षरों में दिखाए गये हैं।

हरियाणा विधान सभा की लोक लेखा समिति ने अपने पत्र संख्या पी.ए.सी.-10-89/12245 दिनांक 19 जुलाई 1989 द्वारा निम्नलिखित मापदण्ड अनुमोदित किये हैं, जो विनियोग लेखे में टिप्पणी के लिए अपनाये गये हैं :-

#### बचत

क - जहाँ पर अनुदान/विनियोजन में कुल बचत है -

- (1) यदि अनुदान/विनियोजन में उसके अन्तर्गत किए गये कुल प्रावधान (मूल जमा पूरक) में 2 प्रतिशत से कम कुल बचत है तो व्यक्तिगत उपशीर्ष के अन्तर्गत कोई भी टिप्पणी अथवा टीकाएं आवश्यक नहीं है फिर भी बचत/आधिक्य के महत्वपूर्ण मामले जहाँ उपशीर्ष के अन्तर्गत कुल प्रावधान में बचत 10 प्रतिशत तथा ₹20 लाख से अधिक है, पर टिप्पणी देना आवश्यक है। इस उद्देश्य हेतु राजस्व एवं पूंजीगत (दत्तमत अथवा प्रभारित) अलग अनुदान/विनियोजन मान्य होंगे।
- (2) ऐसे मामलों में भी जहाँ अनुदान/विनियोजन के अन्तर्गत कुल बचत 2 प्रतिशत या अधिक हो।
- (अ) उपशीर्ष के अन्तर्गत जहाँ बचत कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से कम हो, बचत हेतु टिप्पणी शामिल नहीं की जायेगी।
- (आ) यदि एक उपशीर्ष के अन्तर्गत कुल बचत कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक है तब विनियोग लेखा में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया जायेगा:-
- (i) यदि राजस्व/पूंजीगत (दत्तमत अथवा प्रभारित) अनुदान/विनियोजन के अन्तर्गत कुल प्रावधान ₹30 करोड़ से अधिक हो तथा उपशीर्ष के अन्तर्गत बचत ₹20 लाख से कम हो।
- (ii) यदि एक अनुदान/विनियोजन के अन्तर्गत कुल प्रावधान ₹30 करोड़ से कम हो तथा उपशीर्ष के अन्तर्गत बचत ₹10 लाख से कम हो।

#### आधिक्य

ख - जहाँ कहीं अनुदान/विनियोजन के अन्तर्गत कुल आधिक्य है:-

- (अ) यदि एक अनुदान/विनियोजन के अन्तर्गत कुल आधिक्य है तो आधिक्य के नियमन की आवश्यकता है। फिर भी विनियोजन लेखा में आधिक्य का स्पष्टीकरण केवल अगर एक उपशीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत तथा ₹5 लाख से अधिक है देना आवश्यक है। फिर भी निम्नलिखित मामलों में जहाँ आधिक्य कुल प्रावधान का 10 प्रतिशत से कम हो विनियोग लेखा में स्पष्टीकरण देना होता है:-
- (आ) यदि एक अनुदान/विनियोजन के अन्तर्गत कुल प्रावधान:-
- (i) ₹30 करोड़ से अधिक तथा एक उपशीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य ₹20 लाख से अधिक हो।
- (ii) ₹10 से ₹30 करोड़ के बीच में तथा एक उपशीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य ₹10 लाख से अधिक हो।
- (iii) ₹10 करोड़ से कम तथा एक उपशीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य ₹5 लाख से अधिक हो।

यद्यपि ये सीमाएँ बिना किसी पूर्वाग्रह के इन महत्वपूर्ण विषयों पर प्रधान महालेखाकार द्वारा टिप्पणी करने के अधिकार क्षेत्र में होगी।

## विनियोग

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि		व्यय
	राजस्व	पूंजीगत	
1	2	3	4
(₹ हजार में)			
01 विधान सभा			
दत्तमत	97,56,31	50,00,00	81,11,35
प्रभारित	<b>1,33,20</b>	<b>0</b>	<b>54,32</b>
02 राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद्			
दत्तमत	2,01,14,75	0	1,81,32,42
प्रभारित	<b>23,65,52</b>	<b>0</b>	<b>19,31,86</b>
03 सामान्य प्रशासन/ निर्वाचन			
दत्तमत	13,42,18,53	80,11,00	8,58,18,91
प्रभारित	<b>43,16,10</b>	<b>0</b>	<b>25,95,74</b>
04 राजस्व और आपदा प्रबन्धन/अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं)/ आबकारी एवं कराधान			
दत्तमत	31,54,21,83	4,50,00,00	26,14,48,16
05 गृह (गृह रक्षी एवं नागरिक सुरक्षा/जेल (कारागार)/ न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय /अभियोजन/ एजीओटी/ कानूनी सेवा प्राधिकरण)			
दत्तमत	82,88,79,84	5,40,01,00	77,13,08,80
प्रभारित	<b>2,76,85,52</b>	<b>0</b>	<b>2,48,53,04</b>
06 वित्त तथा संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं निपटान/आयोजना तथा सांचियकी			
दत्तमत	1,65,04,08,31	4,94,23,00	1,59,29,52,39
प्रभारित	<b>2,51,41,71,30</b>	<b>0</b>	<b>2,42,19,24,46</b>
07 राज्य सरकार द्वारा कर्जे तथा पेशगियां			
दत्तमत	0	11,89,11,60	0
08 लोक ऋण			
प्रभारित	<b>0</b>	<b>6,40,44,19,88</b>	<b>0</b>
09 आकस्मिकता निधि			
दत्तमत	0	0	0
10 कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/पशुपालन और डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव			
दत्तमत	71,15,44,76	20,59,45,00	48,04,88,26
प्रभारित	<b>1,55,00</b>	<b>0</b>	<b>43,34</b>

## लेखे का सारांश

व्यय	बचत			अधिकता (वास्तविक अधिकता)	
	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत		
	5	6	7		8
₹ हजार में)					
0	16,44,96	50,00,00	0	0	0
<b>0</b>	<b>78,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	19,82,33	0	0	0	0
<b>0</b>	<b>4,33,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6,17,66	4,83,99,62	73,93,34	0	0	0
<b>0</b>	<b>17,20,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1,75,82,67	5,39,73,67	2,74,17,33	0	0	0
3,86,65,52	5,75,71,04	1,53,35,48	0	0	0
<b>0</b>	<b>28,32,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2,89,54,57	5,74,55,92	2,04,68,43	0	0	0
<b>0</b>	<b>9,22,46,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3,97,87,90	0	7,91,23,70	0	0	0
<b>5,75,40,24,91</b>	<b>0</b>	<b>65,03,94,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0
10,72,36,23	23,10,56,50	9,87,08,77	0	0	0
<b>0</b>	<b>1,11,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## विनियोग

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि राजस्व	पूँजीगत राजस्व	व्यय
			1
2	3	4	1
(₹ हजार में)			
11 सहकारिता/खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले			
दत्तमत	23,83,90,91	1,53,13,44,60	15,68,18,60
प्रभारित	<b>16,00</b>	<b>0</b>	<b>12,34</b>
12 शिक्षा (माध्यमिक/प्राथमिक)/उच्च शिक्षा(उच्च/ तकनीकी/विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी)/ महिला एवं बाल विकास			
दत्तमत	2,17,37,30,42	17,83,70,00	1,98,15,56,59
13 खेलकूद/विरासत तथा पर्यटन (पुरातत्त्व/संग्रहालय/ पर्यटन)			
दत्तमत	6,25,42,95	5,39,64,00	4,18,67,76
14 स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान/आयुष/खाद्य एवं औषधि प्रशासन			
दत्तमत	87,45,32,54	27,79,73,00	72,68,38,14
प्रभारित	<b>25,00</b>	<b>0</b>	<b>11,25</b>
15 श्रम/युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण/रोजगार/युवा मामले)			
दत्तमत	12,08,74,36	2,65,78,00	9,42,97,14
16 सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण/ अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं अन्तोदय (सेवा)/भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण			
दत्तमत	1,31,83,65,59	49,51,20	1,27,02,28,66
17 लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें)/परिवहन/नागर विमानन			
दत्तमत	61,23,87,12	52,14,16,20	57,50,68,56
प्रभारित	<b>5,00</b>	<b>80,00,00</b>	<b>0</b>
18 सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति/मुद्रण तथा लेखन सामग्री			
दत्तमत	4,58,51,52	1,52,00,00	4,04,29,37
प्रभारित	<b>87,46</b>	<b>0</b>	<b>56,06</b>

## लेखे का सारांश - जारी

व्यय	बचत	अधिकता (वास्तविक अधिकता)		
		पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
5	6	7	8	9
(₹ हजार में)				
1,35,17,96,88	8,15,72,31	17,95,47,72	0	0
<b>0</b>	<b>3,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11,62,29,49	19,21,73,83	6,21,40,51	0	0
2,55,95,01	2,06,75,19	2,83,68,99	0	0
21,58,18,78	14,76,94,40	6,21,54,22	0	0
<b>0</b>	<b>13,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
81,27,56	2,65,77,22	1,84,50,44	0	0
7,90,20	4,81,36,93	41,61,00	0	0
32,87,61,05	3,73,18,56	19,26,55,15	0	0
<b>72,87,80</b>	<b>5,00</b>	<b>7,12,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90,00,00	54,22,15	62,00,00	0	0
<b>0</b>	<b>31,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि राजस्व	विनियोग व्यय	
		पूँजीगत	राजस्व
1	2	3	4
(₹ हजार में)			
19 ऊर्जा विभाग (विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा) उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/सिंचाई एवं जल संसाधन			
दत्तमत	1,20,64,59,10	35,49,52,00	1,18,14,22,54
प्रभारित	0	<b>20,00,00</b>	0
20 नगर तथा ग्राम आयोजना/शहरी सम्पदा(शहरी विकास)/शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार)/ विकास और पंचायत (ग्रामीण विकास)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी			
दत्तमत	1,47,08,76,58	45,68,10,00	1,01,71,21,47
प्रभारित	<b>50,00</b>	0	<b>49,39</b>
<hr/>			
<b>जोड़</b>			
दत्तमत	11,79,43,55,42	3,90,78,50,60	10,30,39,09,12
प्रभारित	<b>2,54,90,10,10</b>	<b>6,41,44,19,88</b>	<b>2,45,15,31,80</b>
<hr/> <b>कुल योग</b>	<b>14,34,33,65,52</b>	<b>10,32,22,70,48</b>	<b>12,75,54,40,92</b>
<hr/>			

## लेखे का सारांश - जारी

व्यय पूंजीगत	बचत राजस्व	पूंजीगत	अधिकता (वास्तविक अधिकता)	
			राजस्व	पूंजीगत
5	6	7	8	9
(₹ हजार में)				
30,61,43,80	2,50,36,56	4,88,08,20	0	0
<b>10,99,70</b>	<b>0</b>	<b>9,00,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<hr/>				
35,95,14,72	45,37,55,11	9,72,95,28	0	0
<b>0</b>	<b>61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<hr/>				
2,95,46,22,04	1,49,04,46,30	95,32,28,56	0	0
<b>5,76,24,12,41</b>	<b>9,74,78,30</b>	<b>65,20,07,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8,71,70,34,45</b>	<b>1,58,79,24,60</b>	<b>1,60,52,36,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<hr/>				

## विनियोग लेखे का सारांश-जारी

---

हरियाणा राज्य की आकस्मिकता निधि में ₹1,000 करोड़ का कोष है। वर्ष 2023-24 के दौरान, राज्य सरकार ने आकस्मिकता निधि से ₹545.95 करोड़ की राशि निकाली थी। यह पूरी राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 में वापिस कर दी गई है।

विनियोग लेखे के सारांश में दर्शाए गए व्यय में वर्ष 2024-25 के दौरान आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में प्राप्त ₹148.93 करोड़ की राशि शामिल नहीं है, जो वर्ष की समाप्ति से पहले निधि में वापिस नहीं की गई थी।

अनुदान संख्या	मुख्य शीर्ष	राशि (₹करोड़ में)
17	5054-सङ्कोच तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	148.93

31 मार्च 2025 को आकस्मिकता निधि में ₹851.07 करोड़ शेष है।

## विनियोग लेखे का सारांश-समाप्त

---

चूंकि अनुदान और विनियोग, व्यय के लिए आवश्यक सकल राशियों के लिए हैं, उनके सामने दिखाए गये व्यय के आंकड़ों में वे वसूलियां सम्मिलित नहीं हैं जिन्हें लेखाओं में व्यय की कटौती के रूप में समायोजित किया जाता है। निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दिखाए जाते हैं।

2024-25 के विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और इस वर्ष के वित्त लेखे में दिखाए गये व्यय के बीच मिलान नीचे दर्शाया गया है:-

प्रभारित		दत्तमत	
राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ हजार में)			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	<b>2,45,15,31,80</b>	<b>5,76,24,12,41</b>	10,30,39,09,12      2,95,46,22,04
घटाएं-			
कुल वसूलियां	0	0	17,05,11,92      1,39,88,58,33
वित्त लेखे की विवरणी संख्या 11 में दिखाया गया कुल निवल व्यय	<b>2,45,15,31,80</b>	<b>5,76,24,12,41</b>	10,13,33,97,20      1,55,57,63,71

उपरोक्त संदर्भित वसूलियों का विवरण परिशिष्ट में दर्शाया गया है।



## भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

### हरियाणा सरकार के विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा

#### **अभिमत**

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए हरियाणा सरकार के विनियोग लेखे, वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं को संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में प्रस्तुत करते हैं। वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरण के लेखों के साथ वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, विनियोग लेखे इस संकलन में टिप्पणियों के साथ पठित, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखों को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

इन खातों के लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही हरियाणा सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

#### **अभिमत के लिए आधार**

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्क संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

#### **प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व**

राज्य सरकार राज्य विधानमंडल से बजट का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे हरियाणा सरकार के कोषागार, कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी खातों की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों एवं विनियमों के अनुसार लेनदेन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा, वे विनियोग लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए हरियाणा के प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।



### वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत हरियाणा के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों के संकलन एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार है।

वार्षिक लेखा वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और हरियाणा सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं से संकलित किया गया है।

### वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी) के कार्यालय अलग-अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन हैं।

दिनांक: 28 नवम्बर 2025

स्थान: नई दिल्ली

(के. संजय मूर्ति)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक



## अनुदान संख्या 1-विधान सभा

(मुख्य शीर्ष-2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व  
दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	97,56,31	97,56,31	81,11,35	(-) 16,44,96
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि

(मार्च 2025)

17,28,54

प्रभारित

मूल	1,33,20	1,33,20	54,32	(-) 78,88
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि

(मार्च 2025)

78,88

पूँजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	50,00,00	50,00,00	0	(-) 50,00,00
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि

(मार्च 2025)

50,00,00

टिप्पणियां एवं टीकाएं:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

(1) ₹1,644.96 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2025 को ₹1,728.54 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।

(2) बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2011-02-101-98- राष्ट्रीय ई-विधान सभा आवेदन (एनडब्ल्यूए)	मूल	341.41	144.41	144.41	..	कम्प्यूटरों/उपकरणों की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-197.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2011-02-792- अशोध्य कर्ज बट्टे खाते डालना (51-एन.ए.)	मूल पुनर्वि.	25.00 -24.10	0.90	0.90	..	₹24.10 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अ. सं.01/2025-26/ पुनर्वि./ 153-54 दिनांक 14.05.2025)।

(3) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले में वास्तविक बचत से अधिक राशि अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2011-02-103- 99- स्थापना (98-स्थापना व्यय)	मूल पुनर्वि.	6,979.90 -1,375.56	5,604.34	5,687.91	(+)83.57	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम भ्रमण करने, अवकाश यात्रा रियायत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, यात्रा व्यय और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कम संचालन और नए वाहनों की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो विधान सभा के सदस्यों के लिए बढ़े हुए महंगाई भत्ते और लैपटॉप की खरीद पर अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हुआ। ₹83.57 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

## प्रभारित विनियोग

(4) बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2011-02-101- 99- स्थापना	मूल	133.20	54.32	54.32	..	अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम दौरा करने तथा माननीय उपाध्यक्ष की नियुक्ति में देशी के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

## पूंजीगत

## दत्तमत अनुदान

(5) बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-01-051- 57-हरियाणा विधानसभा के लिए भूमि की खरीद/भवन का निर्माण	मूल	5,000.00	..	..	..	निर्माण कार्य न होने तथा भूमि को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण संपूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।

## अनुदान संख्या-2-राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद्

(मुख्य शीर्ष- 2012-राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, 2013- मंत्रीपरिषद्)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹ हजार में )	वास्तविक व्यय (₹ हजार में )	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में )
मूल	1,86,14,75	2,01,14,75	1,81,32,42	(-) 19,82,33
पूरक	15,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2025)

20,77,12

प्रभारित

मूल	23,65,52	23,65,52	19,31,86	(-) 4,33,66
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2025)

4,47,73

टिप्पणियां एवं टीकाएँ:-

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹1,982.33 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2025 को ₹2,077.12 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ ।
- (2) ₹1,982.33 लाख की कुल बचत के दृष्टिगत, दिसम्बर 2024 में प्राप्त किया गया ₹1,500 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में )	वास्तविक व्यय (₹ लाख में )	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में )	टिप्पणी
2013-51-101- मन्त्रियों और उपमन्त्रियों का वेतन (51-एन. ए.)	मूल	262.50	156.19	156.19	..	कम संख्या बल तथा परिचारकों/बिजली/पानी के बिलों पर कम व्यय तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2013-51-108- दौरा खर्च (51-एन.ए.)	मूल	110.00	30.71	30.71	..	अधिकारियों/कर्मचारियों को कम दौरे की अनुमति मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

- (4) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले में वास्तविक बचत से अधिक राशि अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2013-51-800- 98- मंत्री कार सैक्षण को चलाने तथा वाहनों का रख- रखाव	मूल	2,199.25	1,538.49	1,569.06	(+)30.57	मुख्यतः अधिकारियों द्वारा कम दौरा करने, वाहनों की कम खरीद/मरम्मत करने, रिक्त पदों को न भरने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति तथा अनुग्रह राशि, अवकाश यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹30.57 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

- (5) एक मामले में, जहां अत्यधिक अनुदान प्राप्त किया गया और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से वापस कर दिया गया, जो वास्तविक बचत से अधिक था, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जो दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे, इसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2013-51-800-99-मंत्रियों के आवास भवनों तथा कार्यालयों का रख रखाव	मूल पूरक पुनर्वि.	3,128.00 1,500.00 -517.34	4,110.66	4,111.88	(+)1.22	मुख्यतः मंत्रियों के आवास के कम रखरखाव कार्य और बिजली की कम खपत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹1.22 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

#### प्रभारित विनियोग

(6) ₹433.66 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹447.73 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।

(7) बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2012-03-103-99-सैनिक सचिव तथा उनका अमला	मूल पुनर्वि.	407.50 -119.39	288.11	288.11	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, कार्यालय मदों/सहायक उपकरणों की कम आवश्यकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2012-03-105-99-राज्यपाल तथा उनके परिवार तथा अमले को चिकित्सा सुविधायें	मूल पुनर्वि.	106.00 -25.88	80.12	80.12	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा वस्तुओं की कम खरीद और अधिकारियों/कर्मचारियों को कम दौरे की अनुमति देने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

- (8) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले में, वास्तविक बचत से अधिक राशि अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ।

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2012-03-090-99- राज्यपाल का सचिवालय अमला (98- स्थापना व्यय)	मूल पुनर्वि.	1,154.02 -300.82	853.20	867.27	(+)14.07	मुख्यतः कम्प्यूटर/सहायक उपकरणों की कम खरीद/वाहनों की मरम्मत, रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, पानी के बिलों का कम भुगतान, कार्यालय वस्तुओं/सहायक उपकरणों की कम आवश्यकता और अधिकारियों/कर्मचारियों को कम दौरा अनुमति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹14.07 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

## अनुदान संख्या-3-सामान्य प्रशासन/निर्वाचन

(मुख्य शीर्ष-2015-निर्वाचन, 2051-लोक सेवा आयोग, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2062-चौकसी, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2251-सचिवालय सामाजिक सेवाएं, 2852-उद्योग, 3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं, 4047-अन्य वित्तीय सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	12,77,52,52	13,42,18,53	8,58,18,91	(-) 4,83,99,62
पूरक	64,66,01			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि

(मार्च 2025)

4,91,00,83

प्रभारित

मूल	43,16,10	43,16,10	25,95,74	(-) 17,20,36
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि

(मार्च 2025)

17,81,42

पूँजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	80,11,00	80,11,00	6,17,66	(-) 73,93,34
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2025)

73,89,57

टिप्पणियां एवं टीकाएं-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹48,399.62 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹49,100.83 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹48,399.62 लाख की कुल बचत के दृष्टिगत, दिसम्बर 2024 प्राप्त किया गया ₹6,466.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।

(3) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2015-51-102- 98-जिला अमला	मूल	1,797.00	1,550.50	1,550.50	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत तथा विकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, कार्यालय व्यय और पेट्रोल, तेल और स्नेहक पर कम व्यय तथा मजदूरी बिल की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो संविदा कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति/एचकेआरएन नीति के कारण और बढ़े हुए महंगाई भत्ते और बकाया के भुगतान के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया।
2015-51-103- 98- मतदाता सूचियों का मुद्रण	मूल	500.00	291.15	291.15	..	योजना के अंतर्गत जिलों से बजट की कम मांग प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2015-51-105- 98- उप-चुनाव	मूल	450.00	114.44	114.44	..	मुख्यतः जिलों से बजट की कम मांग प्राप्त होने तथा अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम दौरा किये जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2015-51-106- 98- उप-चुनाव	मूल	27.00	2.57	2.57	..	मुख्यतः जिलों से बजट की कम मांग प्राप्त होने तथा अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम दौरा किये जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-24.43				
2015-51-111- 99-इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का रखरखाव	मूल	100.00	70.86	70.86	..	जिलों से कम मांग प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-29.14				
2052-51-090- 86-मानव संसाधन विभाग स्थापना खर्च	मूल	366.30	4.49	4.49	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कार्यालय मदों/सहायक उपकरणों की आवश्यकता न होने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, संविदा और पेशेवर कर्मचारियों की नियुक्ति न होने तथा विविध मदों पर व्यय न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-361.81				
2052-51-090- 97-गृह विभाग	मूल	660.00	577.07	577.07	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत, यात्रा एवं विकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा कम्प्यूटर/सहायक उपकरणों की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो मुख्य रूप से पेशेवर कर्मचारियों की नियुक्ति के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-82.93				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2052-51-090-98- वित्त विभाग	मूल	1,051.00	872.90	872.90	..	मुख्यतः रिक्त स्वीकृत पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत एवं यात्रा व्यय दावों की कम प्राप्ति तथा कार्यालय मदों/ सहायक उपकरणों की कम आवश्यकता के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
2062-51-104-98-जाँच अधिकारी, चौकसी	मूल	404.32	270.28	270.28	..	मुख्यतः संविदात्मक एवं व्यावसायिक कर्मचारियों की कम नियुक्ति, रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा कम दौरे के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो मुख्य रूप से वाहनों की अधिक खरीद/मरम्मत तथा बढ़ी हुई महंगाई भत्ते की दरों के भुगतान पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए आधिकार्य द्वारा समायोजित किया गया ।
2062-51-797-99-राज्य सतर्कता परिकार्मी निधि	मूल	100.00	31.30	31.30	..	परिक्रामी निधियों के कम योगदान के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
2070-51-003-98- हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (98-स्थापना खर्च)	मूल	4,500.00	2,200.00	2,200.00	..	₹2,300 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/ अनु. सं. 03/ पुनर्वि. 2025-26/157-58 दिनांक 14.05.2025) ।
	पुनर्वि.	-178.10				
	पुनर्वि.	-134.04				
	पुनर्वि.	-68.70				
	पुनर्वि.	-2,300.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2070-51-105- 93- हरियाणा राज्य प्रशासनिक अधिकरण	मूल	33.75	..	..	..	आयोग के बंद होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-33.75				
2070-51-115- 79-पीडब्ल्यूडी (वीएंडआर) विश्राम गृह पंचकूला	मूल	409.50	186.71	186.71	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कम समारोह आयोजित करने, कार्यालय वस्तुओं/ सहायक उपकरणों की कम आवश्यकता, अवकाश यात्रा रियायत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति तथा मानदंडों के अनुसार कम पात्र व्यक्तियों की पहचान के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-222.79				
2070-51-115- 82- नई सचिवालय कैटीन सेक्टर-17, चण्डीगढ़	मूल	351.00	275.22	275.22	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कम समारोहों के आयोजन, अवकाश यात्रा रियायत दावों की प्राप्ति न होने तथा संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो मुख्य रूप से अनुग्रह राशि दावों की अधिक प्राप्ति के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-75.78				
2070-51-115- 88-शक्ति भवन कैटीन पंचकुला चलाने पर व्यय	मूल	192.00	93.43	93.43	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कम समारोहों के आयोजन तथा अवकाश यात्रा रियायत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-98.57				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2070-51-115-92-विधान सभा कैन्टीन चलाने का खर्च	मूल	197.60	116.73	116.73	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कम समारोह आयोजित करने, अवकाश यात्रा रियायत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति तथा मानदंडों के अनुसार कम पात्र व्यक्तियों की पहचान के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2070-51-115-93-सिविल सचिवालय कैन्टीन चलाने का खर्च	मूल	454.50	357.63	357.63	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति तथा मानदंडों के अनुसार कम पात्र व्यक्तियों की पहचान के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2070-51-115-94-आतिथ्य संगठन (98-स्थापना खर्च)	मूल	1,167.00	679.74	679.74	..	मुख्यतः संविदात्मक एवं पेशेवर कर्मचारियों की कम नियुक्ति, रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, कार्यालय मदों/सहायकों की कम आवश्यकता, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने तथा बिजली की कम खपत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2070-51-115-95-विभिन्न समिति की बैठकों पर व्यय	मूल	100.00	0.12	012	..	कम बैठकें आयोजित होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2070-51-115-96- हरियाणा भवन, दिल्ली में कैफेटेरिया के संचालन पर व्यय	मूल	577.00	434.66	434.66	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, वाहनों की कम खरीद/सरम्मत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो संविदा कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति/एचकेआरएन नीति के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया।
2070-51-115-97-एम.एल.ए. छात्रावास में कैंटीन	मूल	345.00	306.65	306.65	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, प्रशिक्षकों की नियुक्ति न होने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो अवकाश यात्रा रियायत दावों की अधिक प्राप्ति और महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2070-51-190-99-दूसरा हरियाणा राज्य विधि आयोग	मूल	440.00	344.00	344.00	..	₹96.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेख/अनु. सं. 03/ पुनर्वि. 2025-26/157-58 दिनांक 14.05.2025) ।
2251-51-090-99-सिविल सचिवालय	मूल	1,030.00	762.17	762.17	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा अधिकारियों/कर्मचारियों से अवकाश यात्रा रियायत एवं यात्रा व्यय दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
2852-07-190-98-विभिन्न ई-गवर्नेंस सेवा के लिए कॉल सेंटर की स्थापना	पुनर्वि.	-267.83				
2852-07-202-91-हरियाणा के लिए आई.टी. योजना	मूल	1,080.00	756.00	756.00	..	गवर्नेंस मॉड्यूल के कम कार्यान्वयन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-324.00				
	मूल	20,000.00	5,000.00	5,000.00	..	हरियाणा में आईटी योजना के कम कार्यान्वयन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-15,000.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2852-07-202-93-राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय स्तर पर सैमिनार कार्यशाला प्रदर्शनी का आयोजन	मूल	50.00	22.50	22.50	..	सैमिनारों/प्रदर्शनियों के कम आयोजनों के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2852-07-202-95-इलैक्ट्रोनिक्स विभाग का संगठन एवं प्रशासन (98-स्थापना खर्च)	मूल	970.00	759.37	759.37	..	मुख्यतः वाहनों की कम खरीद/मरम्मत, रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत, अनुग्रह राशि और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम/प्राप्ति न होने, प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन न करने, कम्प्यूटर/उपकरणों की खरीद न करने और प्रशिक्षुओं की नियुक्ति न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2852-07-202-96-कम्प्यूटर नेटवर्क	मूल	10,000.00	5,000.00	5,000.00	..	राज्य में लैन/वान के कम कार्यान्वयन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
3451-51-090-99-सिविल सचिवालय	मूल	481.00	398.30	398.30	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम दौरा करने तथा कार्यालय मदों/मूल्यांकन सामग्री की आवश्यकता न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

- (4) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामलों में वास्तविक बचत से अधिक राशि अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2015-51-101-99-पंचायत चुनाव कराने हेतु मुख्यालय अमला	मूल	2,032.00	787.01	809.90	(+)22.89	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, संविदात्मक और पेशेवर कर्मचारियों की कम नियुक्ति, बिजली की कम खपत, न्यायालय शुल्क पर कम व्यय, कार्यालय मदों/सहायक उपकरणों की कम आवश्यकता, अधिकारियों/कर्मचारियों को कम दौरा अनुमति और प्रशिक्षुओं की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया था, जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया। ₹22.89 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2051-51-103- 99- स्थापना	मूल	16,526.50	3,728.93	3,751.75	(+) <b>22.82</b>	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, संविदा एवं व्यावसायिक कर्मचारियों की कम नियुक्ति, कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद, अवकाश यात्रा रियायत एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ती दावों की कम प्राप्ति तथा अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम दैरे के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। कुल अभ्यर्पित राशि में से ₹12,415.08 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अनु. सं. 03/ पुनर्वि. 2025-26/157-58 दिनांक 14.05.2025)। ₹22.82 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2052-51-090-88-नागरिक संसाधन सूचना विभाग (नागरिक संसाधन सूचना विभाग)	मूल पुनर्वि.	4,700.30 -1,121.18	3,579.12	3,581.60	(+).2.48	मुख्यतः प्रशिक्षुओं की नियुक्ति न होने, पेशेवर कर्मचारियों की कम नियुक्ति, रिक्त पदों को न भरने, कार्यालय वस्तुओं/सहायकों की कम आवश्यकता, कम्प्यूटर/सहायकों की कम खरीद/वाहनों की मरम्मत, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम दौरा तथा बिजली की कम खपत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो मुख्य रूप से संविदा कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति/एचकेआरएन नीति तथा अधिकारियों/कर्मचारियों से अधिक यात्रा व्यय दावों की प्राप्ति के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया। ₹2.48 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2052-51-090-95-विधि विभाग (98-स्थापना खर्च)	मूल	1,099.00	952.42	953.40	(+0.98	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत, अनुग्रह राशि और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, कार्यालय वस्तुओं, नए कम्प्यूटरों, स्कैनर, प्रिंटर आदि की कम खरीद, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम प्रशिक्षण और कम दौरे के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो मुख्य रूप से महंगाई भत्ते के बकाया पर व्यय, डीसी दर में वृद्धि, अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति और अधिक मोटर वाहन दावों की प्राप्ति के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.98 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2052-51-090-96-वी.आई.पी.वायुयान का संधारण	मूल	1,657.00	1,325.36	1,336.92	(+) 11.56	मुख्यतः संविदात्मक और पेशेवर कर्मचारियों की कम नियुक्ति, कार्यालय मर्दों/उपकरणों की कम आवश्यकता, अवकाश यात्रा रियायत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, स्टोर मर्दों की कम खरीद, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम दौरा तथा किराया विलेख के अनुसार किराए का भुगतान न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो मुख्य रूप से दौरा दावों की अधिक प्राप्ति और रिक्त पदों को भरने पर व्यय के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया। ₹11.56 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2062-51-104-99-योजना मशीनरी को सुदृढ़ करना (98-स्थापना खर्च)	मूल	9,230.00	6,729.91	6,731.50	(+)1.59	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, वाहनों और कम्प्यूटर/उपकरणों की कम खरीद/मरम्मत, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम दौरा, प्रशिक्षणों की नियुक्ति न होने, बिजली की कम खपत, किराया विलेख के अनुसार किराए का कम भुगतान और कम निर्माण कार्य के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹1.59 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2070-51-115- 80-पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) विश्राम गृह गुरुग्राम	मूल	546.30	192.99	193.45	(+)0.46	मुख्यतः संविदात्मक और पेशेवर कर्मचारियों की कम नियुक्ति, रिक्त पदों को न भरने, कम समारोहों के आयोजन, कार्यालय मदों/ सहायक उपकरणों की कम आवश्यकता तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह राशि दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.46 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2070-51-800- 96- राज्य सूचना आयोग हरियाणा (98-स्थापना खर्च)	मूल	1,222.00	958.97	959.33	(+)0.36	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, संविदात्मक एवं व्यावसायिक कर्मचारियों की कम नियुक्ति, अवकाश यात्रा रियायत एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, वाहनों की कम खरीद/मरम्मत, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम दौरा तथा कार्यालय मदों/सहायक उपकरणों की कम आवश्यकता के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो मुख्य रूप से कम्प्यूटरों/सहायक उपकरणों की अधिक खरीद तथा बिजली की अधिक खपत के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.36 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

- (5) एक मामला, जहां अनुपूरक अनुदान अत्यधिक मात्रा में प्राप्त किया गया था और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से कम कर दिया गया था, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2015-51-108- मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना (51-एन.ए.)	मूल	301.00	351.86	351.86	..	₹149.14 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अनु. सं. 03/ पुनर्वि. 2025- 26/157-58 दिनांक 14.05.2025)।
	पूरक	200.00				
	पुनर्वि.	-149.14				

- (6) निम्नलिखित मामले में, अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया। इस मामले में वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम होने के कारण अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तत्पश्चात्, अनुपूरक अनुदान और मूल बजट के एक भाग को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया, जो दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2052-51-090- 87-राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण	मूल	299.50	239.06	239.06	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा कम दौरा, कार्यालय मदों/सहायकों की कम आवश्यकता, वाहनों की कम खरीद/मरम्मत और कम आधिकारिक कार्यक्रमों के संचालन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो मुख्य रूप से बिजली की अधिक खपत के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया।
	पूरक	26.01				
	पुनर्वि.	-86.45				

- (7) निम्नलिखित मामले में, अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दया गया इस मामले में वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम रहने के कारण अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तत्पश्चात्, पुनर्विनियोजन के माध्यम से अनुपूरक अनुदान और मूल बजट का एक भाग वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जो दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2052-51-090-99-मुख्य सचिव (98-स्थापना व्यय)	मूल पूरक पुनर्वि.	16,824.00 100.00 -2,707.07	14,216.93	14,290.82	(+)73.89	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, संविदात्मक एवं पेशेवर कर्मचारियों की कम नियुक्ति, मानदंडों के अनुसार पहचान किए गए पात्र व्यक्तियों की कम संख्या, अवकाश यात्रा रियायत, अनुग्रह राशि एवं यात्रा व्यय दावों की कम प्राप्ति, कार्यालय वस्तुओं/सहायक उपकरणों एवं फर्नीचर की कम आवश्यकता, स्टोर, वस्तुओं एवं कम्प्यूटर/सहायक उपकरणों की कम खरीद, किराया विलेख के अनुसार किराए का कम भुगतान तथा बिजली की कम खपत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो नए वाहनों की खरीद, लंबित महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान और अधिवक्ताओं को अधिक भुगतान के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया। ₹73.89 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

- (8) निम्नलिखित प्रकरणों में अनुपूरक अनुदान प्राप्त कर लिया गया तथा बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अनुपूरक अनुदान को वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जो यह दर्शाता है कि बजट अनुमान समुचित रूप से तैयार नहीं किये गये थे:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में )	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2070-51-003-96-हरियाणा राज्य में वरिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण	मूल पूरक पुनर्वि.	22.00 40.00 -24.08	37.92	37.96	(+)0.04	मुख्यतः कम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, फर्नीचर की खरीद न करने, दैनिक मजदूरों की नियुक्ति न करने तथा कम्प्यूटर/सहायक उपकरणों की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2070-51-105-98- हरियाणा राज्य में लोकायुक्त (98-स्थापना व्यय)	मूल पूरक पुनर्वि.	564.05 100.00 -73.48	590.57	590.65	(+)0.08	मुख्यतः संविदात्मक एवं पेशेवर कर्मचारियों की कम नियुक्ति, वाहनों की कम खरीद/मरम्मत, रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत, अनुग्रह राशि एवं विकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, कार्यालय मदों/सहायक उपकरणों की कम आवश्यकता तथा कम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो मुख्य रूप से बकाया भुगतान के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2070-51-115- 99- हरियाणा निवास सैकटर-3, चंडीगढ़	मूल	1,036.00	1,581.64	1,583.57	(+)1.93	मुख्यतः कार्यालय सामग्री/उपकरणों की कम आवश्यकता, कम समारोहों का आयोजन, रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत, अनुग्रह राशि एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा बिजली की कम खपत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया। कुल अभ्यर्पित राशि में से ₹208.68 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/ अनु. सं. 03/ पुनर्वि. 2025-26/157-58 दिनांक 14.05.2025)।
	पूरक	1,000.00				
	पुनर्वि.	-454.36				₹1.93 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

- (9) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला, जिसमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से बढ़ाई गई राशि वास्तविक व्यय से कम थी जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2070-51-800-93- हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग	मूल पुनर्वि.	219.72 25.71	245.43	246.49	(+)1.06	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान का आवर्धन मुख्य रूप से कम्प्यूटर/उपकरणों की अधिक खरीद, पेशेवर कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति और वेतन बकाया के भुगतान के कारण किया गया था, जो मुख्य रूप से संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, अवकाश यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, कार्यालय वस्तुओं और नए वाहनों की कम खरीद, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम दौरा, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और बिजली की कम खपत के कारण बचत द्वारा समायोजित किया गया। ₹1.06 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

## प्रभारित विनियोग

- (10) ₹1,720.36 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2025 को ₹1,781.42 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ ।
- (11) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित प्रकरण में वास्तविक बचत से अधिक राशि अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ ।

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2051-51-102- 99-स्थापना (98-स्थापना खर्च)	मूल	4,316.10	2,534.68	2,595.74	(+)61.06	मुख्यतः व्यावसायिक एवं संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, रिक्त पदों को न भरने, कार्यालय वस्तुओं एवं नए वाहनों की कम खरीद, अवकाश यात्रा रियायत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने तथा बिजली की कम खपत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था । ₹61.06 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।

पूंजीगत

दत्तमत अनुदान

- (12) ₹7,393.34 लाख की अंतिम बचत में से ₹3.77 लाख की राशि अनाभ्यर्पित रह गई ।

(13) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4047-51-190-99-झोन इमेजिंग एंड इफॉर्मेशन सर्विसेज हरियाणा लिमिटेड की हिस्सा पूँजी (दृश्या)	मूल	110.00	..	..	..	दृश्या में इक्विटी पूँजी में निवेश न करने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
4059-01-051-59-सेवा का अधिकार आयोग के लिए भूमि की खरीद	मूल	1,200.00	600.00	600.00	..	कार्यालय भवन के लिए भूमि को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
4059-01-051-61-चुनाव विभाग हरियाणा के लिए भवन का निर्माण	मूल	500.00	..	..	..	विभाग के प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
4059-01-051-62-भूमि की खरीद और लोकायुक्त के लिए भवन का निर्माण	मूल	1,000.00	12.31	12.31	..	वित्तीय वर्ष में भवन निर्माण न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
4059-01-051-69-राज्य चौकसी व्यूरो हेतु कार्यालय भवन का निर्माण	मूल	1,000.00	..	..	..	वित्तीय वर्ष में भवन निर्माण न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।

- (14) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश का निम्नलिखित मामला, जिसमें बजट प्रावधान वास्तविक बचत से कम अभ्यर्पित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप राशि अनाभ्यर्पित रह गई।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-01-051-72-राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु योजना (98-कार्यालय भवन का निर्माण)	मूल	4,200.00	8.31	4.54	(-)3.77	ईवीएम को अंतिम रूप न दिए जाने तथा निर्माण कार्य कम होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹3.77 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

अनुदान संख्या-4-राजस्व और आपदा प्रबन्धन/अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं)/ आवकारी एवं कराधान

मुख्य शीर्ष-2029-भू-राजस्व, 2030-स्टाम्प तथा पंजीकरण, 2039-राज्य उत्पाद शुल्क, 2040-विक्री, व्यापार आदि पर कर, 2043-राज्य माल और सेवा कर पृष्ठ के तहत संग्रह शुल्क, 2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, 2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं, 2053-जिला प्रशासन, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 2217-शहरी विकास, 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 2506-भूमि सुधार, 2705-कमाण्ड क्षेत्र विकास, 3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं, 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	28,74,96,83	31,54,21,83	<b>26,14,48,16</b>	(-) 5,39,73,67
पूरक	2,79,25,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2025)

9,52,69,51

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	4,50,00,00	4,50,00,00	<b>1,75,82,67</b>	(-) 2,74,17,33
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2025)

2,89,51,24

टिप्पणियाँ एवं टीकाएँ:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹53,973.67 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹95,269.51 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹53,973.67 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, दिसम्बर 2024 में प्राप्त ₹27,925 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।

(3) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2029-51-103-97-लघु सिंचाई सांचिकी का सुधार मुख्यालय अमला (98-स्थापना खर्च)	मूल	146.00	19.39	19.39	..	रिक्त पदों को न भरने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2029-51-800-97- नए पटवार खानों का निर्माण	मूल	2,300.00	1,653.14	1,653.14	..	योजना के अंतर्गत भवन के रखरखाव/मरम्मत में कमी के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2039-51-001-98-संग्रह प्रभार	मूल	7,324.00	5,567.44	5,567.44	..	मुख्यतः रिक्त पदों का न भरने, नए वाहनों और कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, संविदात्मक और पेशेवर कर्मचारियों की कम नियुक्ति, किराया विलेख के अनुसार किराए का कम भुगतान और अधिकारियों द्वारा कम दौरे के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो मुख्य रूप से चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2043-51-001-99-मेरा बिल मेरा अधिकार	मूल	400.00	21.10	21.10	..	कम पुरस्कार और पुरस्कार दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2043-51-102-एसजीएसटी के विलंबित रिफंड पर ब्याज का भुगतान (51-एन.ए.)	मूल	20.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अनु.सं.04/ पुनर्वि. 2025-26/163-64 दिनांक 15.05.2025)।
2045-51-104-99- कर तथा शुल्क	मूल	244.20	118.77	118.77	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह दावों की कम/प्राप्ति न होने, कार्यालय वस्तुओं और नए वाहनों की कम खरीद और अधिकारियों द्वारा कम दौरे के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2052-51-099-98-पुनर्वास	मूल	118.82	80.51	80.51	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो अधिक अनुग्रह राशि दावों की प्राप्ति के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2217-80-192-98-अग्निशमन सेवाओं का सुदृढ़ीकरण	मूल	25,000.00	..	..	..	वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ई-निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
2235-01-202-96-भूमि का स्थायी आबंटन स्कीम	मूल	45.50	22.04	22.04	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, ब्याज, न्यायालय शुल्क और अनुग्रह दावों की प्राप्ति न होने तथा कम प्रशिक्षुओं की तैनाती के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2235-01-202-98-भूमि अभिलेख अमला तथा आबंटन निर्देशिका	मूल	69.40	33.69	33.69	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा अवकाश यात्रा रियायत एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2235-01-202-99-स्थापना प्रभार तथा पुनर्वास स्कीमें जिला तथा राजस्व अमला	मूल	227.10	140.96	140.96	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, कार्यालय मदों की कम खरीद और कम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-25,000.00				
	पुनर्वि.	-23.46				
	पुनर्वि.	-35.71				
	पुनर्वि.	-86.14				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2245-01-101- 98-बीजों, खादों तथा कृषि उपकरणों की आपूर्ति	मूल	300.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/ अनु.सं.04/ पुनर्वि. 2025-26/163-64 दिनांक 15.05.2025)।
2245-01-102- पेयजल पूर्ति (51- एन. ए.)	मूल	50.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/ अनु.सं.04/ पुनर्वि. 2025-26/163-64 दिनांक 15.05.2025)।
2245-01-104- चारे की पूर्ति (51- एन. ए.)	मूल	50.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/ अनु.सं.04/ पुनर्वि. 2025-26/163-64 दिनांक 15.05.2025)।
2245-01-105- पशु चिकित्सा (51- एन. ए.)	मूल	50.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/ अनु.सं.04/ पुनर्वि. 2025-26/163-64 दिनांक 15.05.2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2245-01-282- जन स्वास्थ्य (51- एन. ए.)	मूल	50.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अनु.सं.04/ पुनर्वि. 2025-26/163-64 दिनांक 15.05.2025)।
2245-02-102- पेयजल आपूर्ति (51- एन. ए.)	मूल	100.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अनु.सं.04/ पुनर्वि. 2025-26/163-64 दिनांक 15.05.2025)।
2245-02-106- क्षतिग्रस्त सड़कों पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना (51- एन. ए.)	मूल	30.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अनु.सं.04/ पुनर्वि. 2025-26/163-64 दिनांक 15.05.2025)।
2245-02-110- क्षतिग्रस्त जल आपूर्ति, ड्रेनेज और सीवेज कार्यों की मरम्मत और बहाली के लिए सहायता (51- एन. ए.)	मूल	50.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अनु.सं.04/ पुनर्वि. 2025-26/163-64 दिनांक 15.05.2025)।
	पुनर्वि.	-50.00				
	पुनर्वि.	-100.00				
	पुनर्वि.	-30.00				
	पुनर्वि.	-50.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2245-02-114- कृषि लागतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता (51- एन. ए.)	मूल	50.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/ अनु.सं.04/ पुनर्वि. 2025-26/163-64 दिनांक 15.05.2025) ।
2245-02-116- खराब ट्यूवलों पंप सेटों की मरम्मत के लिए किसानों को सहायता (51- एन. ए.)	मूल	50.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/ अनु.सं.04/ पुनर्वि. 2025-26/163-64 दिनांक 15.05.2025) ।
2245-02-122- खराब सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण संबंधी निर्माण कार्यों की मरम्मत (51- एन. ए.)	मूल	50.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/ अनु.सं.04/ पुनर्वि. 2025-26/163-64 दिनांक 15.05.2025) ।
2245-06-101- 99- भूकम्प योजना के लिए नकद सहायता	मूल	100.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/ अनु.सं.04/ पुनर्वि. 2025-26/163-64 दिनांक 15.05.2025) ।
	पुनर्वि.	-100.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2245-80-102-93-आपातकालीन संचालन केन्द्र (ईओसी) के लिए क्षमता निर्माण	मूल	21.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अनु.सं.04/ पुनर्वि. 2025-26/163-64 दिनांक 15.05.2025)।
2245-80-102-94-खतरा संभावित जिले मेवात के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का सुदृढ़ीकरण	मूल	20.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अनु.सं.04/ पुनर्वि. 2025-26/163-64 दिनांक 15.05.2025)।
2506-51-103-99- राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (97-कंप्यूटरीकरण पंजीकरण)	मूल	67.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अनु.सं.04/ पुनर्वि. 2025-26/163-64 दिनांक 15.05.2025)।
2506-51-103-99- राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (98-सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण आधुनिक अभिलेख कक्ष)	मूल	200.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अनु.सं.04/ पुनर्वि. 2025-26/163-64 दिनांक 15.05.2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2705-51-101-99-मेवात क्षेत्र के समेकित विकास के लिए योजना	मूल	1,770.00	1,275.00	1,275.00	..	अनुदान सहायता दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2705-51-102-99- शिवालिक क्षेत्र के विकास हेतु सहायतानुदान	मूल	1,200.00	840.00	840.00	..	अनुदान सहायता दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2705-51-789-98- शिवालिक क्षेत्र के अनुसूचित जाति वर्ग के विकास हेतु योजना	मूल	400.00	280.00	280.00	..	अनुदान सहायता दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2705-51-789-99- मेवात क्षेत्र में अनुसूचित जाति वर्ग के समेकित विकास हेतु अनुदान	मूल	180.00	126.00	126.00	..	अनुदान सहायता दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-495.00				
	पुनर्वि.	-360.00				
	पुनर्वि.	-120.00				
	पुनर्वि.	-54.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3454-02-110-99-गजेटियर	मूल	380.40	212.59	212.59	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न करने, कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद और अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम दौरा करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

(4) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामलों में, जिसमें वास्तविक बचत से अधिक राशि अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2029-51-103-96-मुख्यालय अमला (भू-अभिलेख) कृषि संगणना	मूल	132.00	45.92	46.32	(+)0.40	रिक्त पदों का न भरे जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.40 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2029-51-103- 99- मुख्यालय अमला	मूल	255.50	137.42	137.84	(+).042	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, प्रशिक्षकों की कम तैनाती, कार्यालय वस्तुओं और नए वाहनों की कम खरीद, अवकाश यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, संविदात्मक और पेशेवर कर्मचारियों की कम नियुक्ति और बिजली की कम खपत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.42 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2030-02-001- 99-जांच करने वाला अमला	मूल	338.90	243.27	249.03	(+).576	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो मुख्य रूप से अवकाश यात्रा रियायत दावों की अधिक प्राप्ति के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया। ₹5.76 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2040-51-001-98-जिला अमला	मूल	11,555.00	10,352.90	10,369.88	(+) 16.98	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कार्यालय वस्तुओं और नए वाहनों की कम खरीद, संविदा, प्रशिक्षणों और पेशेवर कर्मचारियों की कम नियुक्ति, अवकाश यात्रा रियायत, अनुग्रह राशि और मानदेय दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया। ₹16.98 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2040-51-101-99-क्षेत्रिय अमला	मूल	11,527.00	9,783.55	9,783.95	(+0.40)	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, किराये का कम भुगतान, संविदात्मक, पेशेवर कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं की कम नियुक्ति, कार्यालय वस्तुओं और नए वाहनों की कम खरीद, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति और अधिकारियों द्वारा कम दौरे के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो मुख्य रूप से चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति, महंगाई भत्ते के बकाया का भुगतान और ऊर्जा शुल्क के लंबित बिलों के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.40 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2052-51-099-99-राजस्व विभाग (98-स्थापना खर्च)	मूल	4,655.50	4,109.15	4,109.33	(+0.18	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, किराया विलेख, मानदेय के लिए पात्र कर्मचारियों और कम्प्यूटरों की खरीद को अंतिम रूप न देने, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद और अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा कम दौरे के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो संविदा कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति/एचकेआरएन नीति के कारण अधिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति, महंगाई भत्ते की किस्त/बकाया का भुगतान और नए वाहनों की अधिक खरीद के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.18 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2053-51-093-99-स्थापना	मूल	31,538.00	22,091.63	26,444.57	(+)4,352.94	<p>मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, किराया विलेख तथा कम्प्यूटरीकरण के तहत खरीद को अंतिम रूप न देने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो महंगाई भत्ते की किस्त/बकाया के भुगतान के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया। कुल अभ्यर्पित राशि में से ₹6,378 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/अनु.सं. सं. 04/ पुनर्वि. 2025-26/163-64 दिनांक 15.05.2025)। ₹4,352.94 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।</p>

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2053-51-094- 98-नकल अभिकरण स्थापना	मूल	223.50	127.81	129.22	(+)1.41	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। कुल अभ्यर्पित राशि में से ₹29.50 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/अनु.सं. सं. 04/ पुनर्वि. 2025-26/163-64 दिनांक 15.05.2025)। ₹1.41 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2070-51-108- 99-निदेशन तथा प्रशासन (99-मुख्यालय अमला स्थापना)	मूल	313.55	253.39	254.69	(+)1.30	मुख्यतः पेशेवर कर्मचारियों की नियुक्ति न करने, रिक्त पदों को न भरने, कम्प्यूटर और फर्नीचर की कम खरीद तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो संविदा कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया। ₹1.30 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2070-51-800-99-फालतू ग्रामीण निष्कान्त संपत्तियों पर व्यय (98-स्थापना व्यय)	मूल	452.00	321.68	323.08	(+)1.40	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अनुग्रह राशि और अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, किराया विलेख को अंतिम रूप न देने तथा अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम दौरा करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया। ₹1.40 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2245-02-101-97- बीजों, खादों तथा कृषि औजारों की आपूर्ति	मूल	16,000.00	632.30	4,708.00	(+)4,075.70	मुख्यतः सामग्री एवं आपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹12,000 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/अनु.सं. 04/ पुनर्वि. 2025-26/163-64 दिनांक 15.05.2025)। ₹4,075.70 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2245-02-800- अन्य व्यय (51-एन.ए.)	मूल	200.00	0.03	18.30	(+) 18.27	अन्य प्रभारों के अंतर्गत कम दावे प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹18.27 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2245-05-101- 98-राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एस.डी.आर. एफ) के तहत क्षमता निर्माण की योजना	मूल	180.00	0.46	28.28	(+) 27.82	अन्य प्रभारों के अंतर्गत प्रशिक्षण दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹27.82 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2245-05-101- 99- राज्य और केन्द्र का योगदान	मूल	75,800.00	35,375.62	60,640.00	(+) 25,264.38	भारत सरकार से कम अनुदान प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹25,264.38 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पुनर्वि.	-199.97				
	पुनर्वि.	-179.54				
	पुनर्वि.	-40,424.38				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2245-80-001-98-जिला अमला	मूल	162.00	71.34	130.92	(+)59.58	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। कुल अभ्यर्पित राशि में से ₹74 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/अनु.सं. सं. 04/ पुनर्वि. 2025-26/ 163-64 दिनांक 15.05.2025)। ₹59.58 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2506-51-102-98- चकबन्दी	मूल	2,337.60	1,416.42	1,416.46	(+)0.04	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह राशि के दावों की कम प्राप्ति, दैनिक वेतनभोगी मजदूरों की कम तैनाती, कार्यालय वस्तुओं और नए वाहनों की कम खरीद और मानदेय के लिए पात्र कर्मचारियों को अंतिम रूप न देने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो संविदा कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति/ एचकेआरएन नीति और अधिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-921.18				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3475-51-201-99- भूमि सुधार राजस्व	मूल	359.50	285.65	299.65	(+) 14.00	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत, विक्रित्सा प्रतिपूर्ति और अनुग्रह राशि के दावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹14.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

(5) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश का निम्नलिखित मामला, जिसमें बजट प्रावधान वास्तविक बचत से कम अभ्यर्पित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप राशि अनाभ्यर्पित रह गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2245-02-282-98-लोक स्वास्थ्य	मूल	80.00	31.99	31.87	(-) 0.12	अन्य प्रभारों के अंतर्गत कम दावे प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.12 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

- (6) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले, जिनमें सम्पूर्ण मूल बजट प्रावधान अभ्यर्पित कर दिया गया तथा पर्याप्त बजट प्रावधान के बिना व्यय कर दिया गया ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2030-01-101- स्टाम्पों की लागत (51-एन.ए.)	मूल	1.00	..	299.37	(+)299.37	₹299.37 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।
2030-01-102- स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय (51- एन.ए.)	मूल	0.50	..	134.12	(+)134.12	₹134.12 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।
2030-02-102- 99-जांच करने वाला अमला	मूल	8.00	..	5,146.94	(+)5,146.94	₹5,146.94 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2053-51-093-98- राज्य में उपायुक्तों के लिए कानून व्यवस्था के लिए प्रावधान	मूल	100.00	..	43.52	(+)43.52	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अनु.सं.04/ पुनर्वि. 2025-26/163-64 दिनांक 15.05.2025)। ₹43.52 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2075-51-101-पुनः गृहीत जागीरों, भूमि क्षेत्र आदि के स्थान पर पैशन (51-एनए)	मूल	49.70	..	34.82	(+)34.82	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अनु.सं.04/ पुनर्वि. 2025-26/163-64 दिनांक 15.05.2025)। ₹34.82 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2235-01-200-99- ग्रामीण क्षेत्रों में मानव निर्मित/प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों हेतु वित्तीय सहायता/अनुग्रह/मुआवजा	मूल	100.00	..	13.95	(+)13.95	क्षतिपूर्ति दावे प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया। ₹13.95 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2245-02-101- 98-दवाओं की आपूर्ति	मूल	5,000.00	..	96.82	(+)96.82	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/ अनु.सं.04/ पुनर्वि. 2025-26/163-64 दिनांक 15.05.2025)। ₹96.82 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2245-02-104- चारे की पूर्ति (51- एन. ए.)	मूल	50.00	..	0.10	(+)0.10	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/ अनु.सं.04/ पुनर्वि. 2025-26/163-64 दिनांक 15.05.2025)।
2245-02-111- शोकार्ट परिवारों को अनुग्रहपूर्वक अदायगी (51- एन. ए.)	मूल	200.00	..	12.00	(+)12.00	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/ अनु.सं.04/ पुनर्वि. 2025-26/163-64 दिनांक 15.05.2025)। ₹12.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2245-02-113- घरों की मरम्मत/ पुनः निर्माण के लिए सहायता (51-एन.ए.)	मूल पुनर्वि.	200.00 -200.00	..	2.61	(+).2.61	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/ अनु.सं.04/ पुनर्वि. 2025-26/163-64 दिनांक 15.05.2025) । ₹2.61 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।
2245-02-117- पशुधन की खरीद के लिए किसानों को सहायता (51- एन. ए.)	मूल पुनर्वि.	100.00 -100.00	..	1.03	(+).1.03	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/ अनु.सं.04/ पुनर्वि. 2025-26/163-64 दिनांक 15.05.2025) । ₹1.03 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।
2245-02-282- 99- जल निकास ऑपरेशन	मूल पुनर्वि.	300.00 -300.00	..	12.40	(+).12.40	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/ अनु.सं.04/ पुनर्वि. 2025-26/163-64 दिनांक 15.05.2025) । ₹12.40 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2245-80-800-96- कीट हमला/भू-स्खलन/बादल फटने आदि के लिए नकद सहायता	मूल	7,000.00	..	2,997.99	(+)2,997.99	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अनु.सं.04/ पुनर्वि. 2025-26/163-64 दिनांक 15.05.2025)। ₹2,997.99 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2245-80-800-97- सिरकी तथा टैंट की खरीद	मूल	50.00	..	47.16	(+)47.16	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अनु.सं.04/ पुनर्वि. 2025-26/163-64 दिनांक 15.05.2025)। ₹47.16 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2245-80-800-98- अग्नि पीड़ितों को सहायता	मूल	120.00	..	42.98	(+)42.98	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अनु.सं.04/ पुनर्वि. 2025-26/163-64 दिनांक 15.05.2025)। ₹42.98 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

- (7) निम्नलिखित मामले में अत्याधिक अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया है तथा बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अनुपूरक अनुदान का एक भाग वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जो यह दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किये गये थे, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2053-51-101- 99-स्थापना	मूल	2,191.50	21,441.77	21,776.98	(+)335.21	मुख्यतः दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों की कम तैनाती तथा रिक्त पदों को न भरने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो महंगाई भत्ते की किस्त/बकाया के भुगतान के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया। कुल अभ्यर्पित राशि में से ₹405.50 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/ अनु.सं.04/ पुनर्वि. 2025-26/163-64 दिनांक 15.05.2025)। ₹335.21 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पूरक	23,000.00				
	पुनर्वि.	-3,749.73				

- (8) निम्नलिखित मामले में, जहां अनुपूरक अनुदान अत्यधिक प्राप्त किया गया था और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से कम कर दिया गया था, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2506-51-103- 98- हरियाणा भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (99-सर्वेक्षण/ पुर्नसर्वेक्षण और सर्वेक्षण तथा निपटान अभिलेखों का अद्यतनीकरण)	मूल	1,568.00	3,827.96	3,827.96	..	मुख्यतः कार्यालय वस्तुओं और नए वाहनों की कम खरीद और संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पूरक	3,300.00				
	पुनर्वि.	-1,040.04				

- (9) वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला जिसमें अविवेकपूर्ण तरीके से पुनर्विनियोजन के माध्यम से राशि में वृद्धि की गई, जो अप्रयुक्त रह गई, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2043-51-101- संग्रह शुल्क (51-एन.ए.)	मूल	70.00	3,114.35	..	(-)3,114.35	स्फिंड दावों की अधिक प्राप्ति के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया। ₹3,114.35 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पुनर्वि.	3,044.35				

(10) अधिकता मुख्यतः निम्नलिखित के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2040-51-001-99- मुख्यालय अमला (96- कर अनुसंधान इकाई (टी आर यू)	मूल पुनर्वि.	120.00 28.87	148.87	148.87	..	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन का मुख्य कारण अनुसंधान एवं विकास दावों की अधिक प्राप्ति था।
2052-51-099-94-राजस्व आयोग की स्थापना	मूल पुनर्वि.	30.50 20.60	51.10	51.10	..	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन संविदा कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति/एचकेआरएल नीति के कारण किया गया था, जो मुख्य रूप से रिक्त पदों को न भरने, कार्यालय वस्तुओं और नए वाहनों की कम खरीद, किराया विलेख और कम्प्यूटरों की खरीद को अंतिम रूप न देने के कारण हुई बचत द्वारा समायोजित किया गया।
2052-51-099-96- हरियाणा कर न्यायाधिकरण की स्थापना	मूल पुनर्वि.	247.50 57.29	304.79	304.79	..	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन मुख्य रूप से चिकित्सा प्रतिपूर्ति और पेट्रोल, तेल और स्नेहक दावों की अधिक प्राप्ति, कार्यालय वस्तुओं और नए वाहनों की अधिक खरीद के कारण किया गया था, जो मुख्य रूप से रिक्त पदों को न भरने और बिजली की कम खपत के कारण हुई बचत द्वारा समायोजित किया गया।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2245-08-797- 99-राज्य और केन्द्र का योगदान	मूल	15,160.00	34,080.00	34,080.00	..	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अनु.सं.04/पुनर्वि. 2025-26/163-64 दिनांक 15.05.2025)।
2245-80-800- 99- ओलावृष्टि/ कोहरा/पाला/ शीत लहर में राहत	मूल	5,000.00	12,749.64	12,749.64	..	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अनु.सं.04/ पुनर्वि. 2025-26/163-64 दिनांक 15.05.2025)।
	पुनर्वि.	7,749.64				

- (11) 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला, जिसमें वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से अधिक होने के बाद भी पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से राशि असावधानी से अभ्यर्पित कर दी गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जो यह दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश समुचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2053-51-094- 99-उपमंडल स्थापना	मूल	3,659.00	2,367.01	3,687.44	(+) 1,320.43	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा किराया विलेख को अंतिम स्तर न दिए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो महंगाई भत्ते की किस्त/बकाया के भुगतान के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया। कुल अभ्यर्पित राशि में से ₹984 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अनु.सं.04/ पुनर्वि. 2025-26/163-64 दिनांक 15.05.2025)। ₹1,320.43 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पुनर्वि.	-1,291.99				

पूँजीगत

(12) ₹27,417.33 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹28,951.24 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।

(13) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-01-051-64-निदेशालय अनि शमक सेवाएं हरियाणा पंचकूला के कार्यालय हेतु जमीन की खरीद व निर्माण कार्य	मूल	3,000.00	..	..	..	भवन एवं सड़क विभाग से अनुमानित लागत को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-3,000.00				

(14) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामलों में वास्तविक बचत से अधिक राशि अभ्यर्पित किये जाने के फलस्वरूप अधिक व्यय हुआ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-01-051-99-जिला प्रशासन	मूल	17,000.00	7,891.62	8,105.20	(+213.58	मुआवजे और प्रमुख कार्यों के दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹213.58 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पुनर्वि.	-9,108.38				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-60-051-97-आबकारी एवं कराधान	मूल	20,000.00	4,186.16	5,195.66	(+)1,009.50	₹15,813.84 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अनु.सं.04/ पुनर्वि. 2025-26/163-64 दिनांक 15.05.2025) । ₹1,009.50 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।
4216-01-106-98- जिला प्रशासन	मूल	5,000.00	3,970.97	4,281.81	(+)310.84	प्रमुख कार्यों के दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था । ₹310.84 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।
	पुनर्वि.	-1,029.03				

## (15) राज्य आपदा राहत निधि:-

राज्य आपदा राहत निधि का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग आदि से राहत प्रदान करना है । यह आपदा राहत निधि योजना वर्ष 1990-91 से लागू है । राज्य आपदा राहत निधि में भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 75:25 के अनुपात में योगदान किया जाता है ।

निधि से व्यय को शुरू में अनुदान संख्या 04- "राजस्व और आपदा प्रबन्धन/अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं)/ आबकारी एवं कराधान" में मुख्य शीर्ष- "2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत" के तहत रखा जाता है और बाद में वार्षिक खातों के बंद होने से पहले इसे राज्य आपदा राहत निधि में स्थानांतरित किया जाता है ।

1 अप्रैल 2024 की स्थिति के अनुसार ₹5,73,722.44 लाख प्रारंभिक शेष राशि तथा ₹1,07,265.08 लाख के ऋण (भारत सरकार तथा राज्य की हिस्सेदारी : ₹60,640 लाख, : ₹6,050.08 लाख के अव्ययित शेष की जमा राशि एवं निवेश पर उपार्जित व्याज ₹53,675 लाख) को ध्यान में रखते हुए राज्य आपदा राहत निधि से ₹7,188.41 लाख व्यय किया गया और ₹13,100 लाख की राशि राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) में स्थानांतरित कर दी गई, 31 मार्च 2025 को निधि में ₹6,73,799.11 लाख राशि शेष है ।

एसडीआरएफ गार्ड लाईन के पैरा 23 के अनुसार, निधि के निवेश पर अर्जित आय के साथ निधि में वृद्धि, भारत सरकार द्वारा इसके लिए जब तक कोई निर्देश जारी नहीं किए जाने तक, निम्नलिखित पैटर्न के अनुसार निवेश किया जाएगा:-

- (i) केन्द्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियाँ
  - (ii) नीलामी किए गए राजकोषीय बिल,
  - (iii) निर्धारित वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज अर्जित जमा और जमा प्रमाण पत्र,  
निधि के लेन-देन का लेखा-जोखा वित्त लेखा वर्ष 2024-25 के विवरण संख्या 21 और 22 में शामिल है।
-

अनुदान संख्या-5-गृह (गृह रक्षी एवं नागरिक सुरक्षा/जेल (कारागार)/ न्याय प्रशासन  
(उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)

(मुख्य शीर्ष-2014-न्याय प्रशासन, 2055-पुलिस, 2056-जेल, 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं, 4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय,  
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनयोग (₹ हजार में )	वार्तविक व्यय (₹ हजार में )	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में )
मूल	77,51,54,84	82,88,79,84	77,13,08,80	(-) 5,75,71,04
पूरक	5,37,25,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2025)

5,82,84,20

प्रभारित

मूल	2,76,85,52	2,76,85,52	2,48,53,04	(-) 28,32,48
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2025)

28,32,49

पूँजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में )	वार्तविक व्यय (₹ हजार में )	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में )
मूल	4,10,01,00	5,40,01,00	3,86,65,52	(-) 1,53,35,48
पूरक	1,30,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2025)

1,69,96,75

टिप्पणियाँ एवं टीकाएँ:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹57,571.04 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2025 को ₹58,284.20 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹57,571.04 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, दिसम्बर 2024 में प्राप्त ₹53,725.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।

(3) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-51-105-92-केन्द्रीय वित्त आयोग आदि जघन्य अपराधों के मामले में त्वरित न्याय वितरण	मूल	6,000.00	..	..	..	योजना के कार्यान्वयन न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
2014-51-105-95-जिला एवं सत्र न्यायालय तीव्र ट्रैक न्यायालय	मूल	1,400.00	..	..	..	योजना के कार्यान्वयन न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
2014-51-110-99-महाप्रशासक और शासकीय न्यासी (98-स्थापना खर्च)	मूल	102.85	75.22	75.22	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, किराया विलेख के अनुसार किराए का कम भुगतान और कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2014-51-114-95-मेडिएशन और कौंसिलेशन प्रोग्राम	मूल	150.00	105.77	105.77	..	अनुदान सहायता दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-51-114-96-हरियाणा राज्य विधि सेवा अधिकरण (805) जेल नियम, 1996 (96-एडीआर केन्द्र)	मूल	1,570.00	190.76	190.76	..	अन्य शुल्क दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2014-51-114-98- अभियोजन निदेशक (97-लोक अभियोजकों का प्रशिक्षण)	मूल	84.00	12.54	12.54	..	मुख्यतः अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा कम प्रशिक्षण दिए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2055-51-003-95-महिला पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र	मूल	644.00	..	..	..	योजना के अंतर्गत महिला प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना न किए जाने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
2055-51-003-97- भर्ती प्रशिक्षण केन्द्र सुनारिया (रोहतक)	मूल	1,287.00	1,037.53	1,037.53	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, संपत्ति कर की प्राप्ति न होने, बिजली और ईंधन की कम खपत, अवकाश यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा कम दौरा तथा कार्यालय मदों की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो मुख्य रूप से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और आउटसोर्सिंग नीति के तहत संविदा कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2055-51-003-98-पुलिस अनुसंधान तथा प्रशिक्षण	मूल	1,357.60	1,177.31	1,177.31	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह राशि के दावों की कम प्राप्ति, भवन की सरम्मत का कम कार्य और कार्यालय मदों की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो मुख्य रूप से आउटसोर्सिंग नीति के तहत संविदा कर्मचारियों और दैनिक वेतनभोगी मजदूरों की अधिक नियुक्ति और ऊर्जा प्रभारों के लंबित बिलों के भुगतान के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया ।
2055-51-003-99-भर्ती अग्रिम प्रशिक्षण केन्द्र	मूल	3,462.70	3,053.73	3,053.73	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, भंडार वस्तुओं और नए वाहनों की कम खरीद, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कम संचालन और अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम दौरे के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो मुख्य रूप से अनुग्रह राशि के दावों की अधिक प्राप्ति, आउटसोर्सिंग नीति के तहत संविदा कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति, ऊर्जा प्रभारों के अधिक बिलों की प्राप्ति और सरकारी वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2055-51-115-99- उपकरणों की खरीद नाम बदलकर सीसीटीएनएस	मूल	2,000.00	..	..	..	भारत सरकार से निधियां प्राप्त न होने के कारण समर्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
2055-51-116-98-क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला स्टाफ	मूल	340.00	300.55	300.55	..	मुख्यतः आउटसोर्सिंग नीति के तहत संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, बिजली की कम खपत और नए वाहनों की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो स्टोर मदों की अधिक खरीद, पेट्रोल, तेल और रनेहक के लंबित बिलों के भुगतान और महंगाई भर्ते के बकाया भुगतान के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया।
2055-51-800-98-एचपीएचसी को ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए सहायता अनुदान	मूल	12,140.00	10,796.01	10,796.01	..	योजना के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2056-51-102-99-केन्द्रीय जेलें	मूल	122.20	95.01	95.01	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, किराया विलेख को अंतिम रूप न देने तथा अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

- (4) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामलों में वास्तविक बचत से अधिक राशि अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2056-51-800-99-जेलों का आधुनिकीकरण	मूल	3,005.10	890.39	927.40	(+)37.01	योजना के अंतर्गत कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹37.01 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2070-51-106-99-निदेशन और प्रशासन	मूल	314.08	180.78	182.52	(+)1.74	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने, पात्र कर्मचारियों की सूची को अंतिम रूप न देने, नए वाहनों की कम खरीद और बिजली की कम खपत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹1.74 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2070-51-107- 99- निदेशन और प्रशासन	मूल	4,791.00	3,512.57	3,513.53	(+0.96	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों और प्रशिक्षकों की कम तैनाती, अनुग्रह राशि, अवकाश यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, प्रशिक्षण कार्यक्रम का कम संचालन, नए वाहनों और स्टोर वस्तुओं की कम खरीद, आउटसोर्सिंग नीति के तहत पेशेवर कर्मचारियों की कम नियुक्ति और बिजली की कम खपत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.96 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-51-114-96-हरियाणा राज्य विधि सेवा अधिकरण (805) जेल नियम, 1996 (98-स्थापना व्यय)	मूल पुनर्वि.	4,059.70 -1,142.94	2,916.76	2,917.05	(+)0.29	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, नए कम्प्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर आदि और नए वाहनों की कम खरीद, कम प्रशिक्षण आयोजित करने और किराए का कम भुगतान के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो मुख्य रूप से महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अधिक दौरा और नए पेशेवर कर्मचारियों की नियुक्ति के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.29 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-51-114-98- अभियोजन निदेशक (98-स्थापना व्यय)	मूल	12,561.50	10,926.77	10,930.19	(+).3.42	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, रखरखाव, अवकाश यात्रा रियायत, कानूनी शुल्क और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, नए कम्प्यूटर, स्कैनर, प्रिंटर आदि की कम खरीद तथा संविदा कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो मुख्य रूप से महंगाई भर्ते के बकाया भुगतान, कार्यालय व्यय के लंबित बिलों और पेशेवर कर्मचारियों की नियुक्ति के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया। ₹3.42 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-51-114-99-महाधिवक्ता (98-स्थापना व्यय)	मूल	7,270.49	5,517.40	5,892.98	(+)375.58	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, संविदात्मक एवं पेशेवर कर्मचारियों की कम नियुक्ति, अवकाश यात्रा रियायत, अनुग्रह राशि एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, प्रशिक्षण का आयोजन न होने तथा नए कम्प्यूटर, स्कैनर एवं प्रिंटर आदि, कार्यालय सामग्री एवं नए वाहनों की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹375.58 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2055-51-101-92-हरियाणा राज्य प्रवर्तन व्यूरो	मूल	9,535.00	98.20	98.73	(+)0.53	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, एचएसईबी की स्थापना न करने तथा नगर निगम से संपत्ति कर और जल सीवरेज शुल्क प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.53 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2055-51-101-96-साइबर अपराध पुलिस स्टेशन/प्रकोष्ठ	मूल	614.15	503.73	504.33	(+).0.60	मुख्यतः आउटसोर्सिंग नीति के तहत संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, अन्य प्रभारों के तहत खरीद को अंतिम रूप न देने तथा बिजली की कम खपत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो वेतन के लंबित बकाया के भुगतान के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.60 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2055-51-101-99-खूफिया एवं एस.सी.आर.बी.	मूल	22,815.40	21,532.04	21,569.54	(+)37.50	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत, अनुग्रह राशि और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा स्टोर वस्तुओं और कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो मुख्य रूप से सीआईडी भत्ते में वृद्धि, नए वाहनों की अधिक खरीद और अधिक मरम्मत कार्यों तथा आउटसोर्सिंग नीति के तहत संविदा कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया। ₹37.50 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2055-51-111-99-रेलवे तथा कमान्डो बल	मूल	18,937.10	16,800.15	16,808.59	(+)8.44	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत, यात्रा व्यय और प्रशिक्षण दावों की कम प्राप्ति, बिजली की कम खपत, भवन की कम मरम्मत कार्य और एचकेआरएनएल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो अधिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति और वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण अधिक इधन की आवश्यकता के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया। ₹8.44 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2055-51-792-99-अशोध्य कर्ज बट्टे खाते डालना	मूल	59.00	35.10	37.66	(+)2.56	ऋण माफी के कम मामले प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹2.56 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पुनर्वि.	-23.90				

- (5) निम्नलिखित मामलों में अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया तथा बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अनुपूरक अनुदान को वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ जो यह दर्शाता है कि बजट अनुमान समुचित रूप से तैयार नहीं किये गये थे:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2055-51-109- 99-जिला पुलिस बल	मूल	4,46,067.00	4,82,528.16	4,82,744.79	(+216.63	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, संपत्ति कर और जल एवं सीवरेज शुल्क बिल की कम प्राप्ति, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम दौरा और आउटसोर्सिंग नीति के तहत संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो मुख्य रूप से अधिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति, नए वाहनों और स्टोर वस्तुओं की अधिक खरीद और भवन के अधिक मरम्मत कार्यों के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया। ₹216.63 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2055-51-114- 95-आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) हरियाणा 112	मूल	4,533.00	5,613.37	5,613.62	(+)0.25	मुख्यतः खरीद को अंतिम रूप न दिए जाने, ईंधन की कम आवश्यकता, आउटसोर्सिंग नीति के तहत संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति तथा भवन की मरम्मत कार्य में कमी के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो आपातकालीन प्रतिक्रिया वाहनों की मरम्मत तथा लंबित ऊर्जा शुल्क बिलों के भुगतान के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.25 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पूरक	2,500.00				
	पुनर्विं.	-1,419.63				

- (6) निम्नलिखित मामले में, अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया। इस मामले में वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम रहने के कारण अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तत्पश्चात, पुनर्विनियोजन के माध्यम से अनुपूरक अनुदान और मूल बजट के एक भाग को वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जो दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2055-51-114-99- बेतार तथा कम्प्युटर (98-स्थापना खर्च)	मूल	14,440.00	11,626.09	11,628.45	(+).2.36	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, आउटसोर्सिंग नीति के तहत संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, अनुग्रह राशि और अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, कम्प्यूटरीकरण के तहत खरीद को अंतिम रूप न देने, बिजली की कम खपत और नए वाहनों की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹2.36 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

(7) अधिकता मुख्यतः निम्नलिखित के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2055-51-104- 97-एचएपी दुर्गा-1	मूल	3,655.30	4,210.06	4,210.06	..	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में आवर्धन मुख्य रूप से महिला कांस्टेबलों की भर्ती, अधिक चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति और बिजली की अधिक खपत के कारण किया गया था, जो मुख्य रूप से अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने, संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति न किए जाने और अनुग्रह राशि दावों की प्राप्ति न होने के कारण बचत द्वारा समायोजित किया गया ।
2056-51-102- 98-जिला जेलें	मूल	244.80	410.81	410.81	..	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में आवर्धन मुख्य रूप से स्टोर मदों की अधिक खरीद के कारण किया गया था, जो मुख्य रूप से रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा कार्यालय मदों की कम खरीद के कारण हुई बचत द्वारा समायोजित किया गया ।

- (8) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला, जिसमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से बढ़ाई गई राशि वास्तविक व्यय से कम थी, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2055-51-101-95-विशेष कार्य बल	मूल	2,564.40	3,042.69	3,043.05	(+)0.36	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में आवर्धन मुख्य रूप से एसटीएफ में अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति, स्टोर आइटम और नए वाहनों की अधिक खरीद, अधिक विकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति, अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और भवन के अधिक मरम्मत कार्य के कारण किया गया था, जो मुख्य रूप से अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, अन्य शुल्क बिलों की कम प्राप्ति और आउटसोर्सिंग नीति के तहत संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण हुई बचत द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.36 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

## प्रभारित विनियोग

(9) बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2014-51-102- 99-न्यायाधीश	मूल	23,496.24	20,527.42	20,527.42	..	<b>₹2,968.82</b> लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अनु. सं. 05/ पुनर्वि. 2025-26/165-66 दिनांक 15.05.2025)।
	पुनर्वि.	-2,968.82				

पूंजीगत  
दत्तमत अनुदान

- (10) ₹15,335.48 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹16,996.75 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (11) ₹15,335.48 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, दिसम्बर 2024 में प्राप्त ₹13,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं आया।
- (12) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4055-51-207- 97-पुलिस स्टेशन	मूल	10,000.00	5,999.21	5,999.21	..	योजना के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-4,000.79				
4059-01-201- 99-कार्यालय भवन (होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा) के निर्माण हेतु भूमि का क्रय	मूल	7,500.00	..	..	..	योजना के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-7,500.00				

- (13) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामलों में वास्तविक बचत से अधिक राशि अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4055-51-207- 99- कार्यालय भवन	मूल	5,500.00	4,470.86	4,477.23	(+)6.37	मुख्यतः वित्त विभाग द्वारा लगाए गए प्रतीबंधों, अनुमोदन की प्रतीक्षा तथा योजना के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो आधुनिकीकरण के लिए वाहनों की खरीद के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया। ₹6.37 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पुनर्वि.	-1,029.14				
4216-01-106- 97-जेल	मूल	3,000.00	2,518.66	2,597.21	(+)78.55	योजना के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹78.55 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पुनर्वि.	-481.34				

- (14) निम्नलिखित मामले में अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया तथा बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अनुपूरक अनुदान को वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ जो यह दर्शाता है कि बजट अनुमान समुचित रूप से तैयार नहीं किये गये थे:-

शीष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-60-051-96-जेलें	मूल	15,000.00	24,015.51	25,591.87	(+)1,576.36	योजना के अंतर्गत वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹1,576.36 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पूरक	13,000.00				
	पुनर्वि.	-3,984.49				

अनुदान संख्या-6-वित्त तथा संरक्षण वित्त और ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं निपटान/आयोजना तथा सांख्यिकी

(मुख्य शीर्ष-2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं, 2048-ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन, 2049- ब्याज अदायगियाँ, 2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन, 2057-पूर्ति तथा निपटान, 2071-ईशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, 2075-विविध सामान्य सेवाएं, 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएं, 3454-जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4059- लोक निर्माण कार्यों पर पूँजीगत परिव्यय, 4885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूँजीगत परिव्यय, 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,64,96,52,31	1,65,04,08,31	1,59,29,52,39	(-)5,74,55,92
पूरक	7,56,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2025) 1,51,35,12,56

प्रभारित

मूल	2,51,41,70,30	2,51,41,71,30	2,42,19,24,46	(-)9,22,46,84
पूरक	1,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2025) 29,82,01,89

पूँजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	4,92,23,00	4,94,23,00	2,89,54,57	(-)2,04,68,43
पूरक	2,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2025) 2,04,68,43

टिप्पणियाँ एवं टीकाएँ

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹57,455.92 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2025 को ₹15,13,512.56 लाख का अर्थपूर्ण अवास्तविक सिद्ध हुआ ।
- (2) ₹57,455.92 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, दिसम्बर 2024 में प्राप्त ₹756.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा था ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2054-51-001-99-राज्य लेखापरीक्षा निदेशालय	मूल	1,002.00	88.99	88.99	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कार्यालय मदों की कम आवश्यकता, अवकाश यात्रा रियायत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और यात्रा व्यय दावों की कम प्राप्ति, किराये का भुगतान न करने, कम्प्यूटर/उपकरणों की कम खरीद, संविदात्मक और प्रवीणता एवं विशेष सेवा कर्मचारियों की नियुक्ति न करने, मजदूरी के तहत कर्मचारियों की कम नियुक्ति और अधिकारियों द्वारा कम दौरे करने के कारण निधियों का अर्थपूर्ण किया गया था ।
2054-51-003-99-लेखा प्रशिक्षण संस्थान	मूल	122.60	86.91	86.91	..	मुख्यतः कुछ रिक्त पदों, अन्य प्रभारों एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, अवकाश यात्रा रियायत एवं यात्रा व्यय दावों की प्राप्ति न होना तथा पेशेवर कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अर्थपूर्ण किया गया था ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में )	वास्तविक व्यय (₹ लाख में )	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में )	टिप्पणी
2054-51-095-98-सीआरए सेवा शुल्क	मूल	320.00	259.50	259.50	..	सेवा या प्रतिबद्धता प्रभार शीर्ष के अंतर्गत कम भुगतान किए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
2054-51-800-99-राज्य के बजट बनाने तथा नियंत्रीकरण हेतु व्यवस्था (98-स्थापना व्यय)	मूल	56.00	13.55	13.55	..	मानदेय दावे की प्राप्ति न होने तथा वस्तु शीर्ष 'खरीद' के अंतर्गत कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो वस्तु शीर्ष 'अन्य प्रभार' के अंतर्गत कार्यालय मदों की अधिक खरीद के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया ।
2075-51-800-88- मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएस वाई)	मूल	35,063.50	25,941.92	25,941.92	..	मुख्यतः वस्तु शीर्ष 'विविध' के अंतर्गत मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) में परिवर्तन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
3451-51-101-98-क्षेत्रीय अमला	मूल	1,779.50	1,576.81	1,576.81	..	मुख्यतः कुछ पदों को रिक्त रखने, अनुग्रह राशि, अवकाश यात्रा रियायत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, कार्यालय व्यय और यात्रा व्यय दावों की कम प्राप्ति, मानदेय दावों की प्राप्ति न होने, संविदा कर्मचारियों और मजदूरों की कम नियुक्ति, फर्नीचर की कम खरीद और बिजली की कम खपत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया ।
	पुनर्वि.	-60.50				
	पुनर्वि.	-42.45				
	पुनर्वि.	-9,121.58				
	पुनर्वि.	-202.69				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में )	वास्तविक व्यय (₹ लाख में )	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में )	टिप्पणी
3451-51-101- 99-मुख्यालय अमला	मूल पुनर्वि.	263.00 -57.99	205.01	205.01	..	मुख्यतः कुछ पदों के रिक्त रहने, अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, कार्यालय वस्तुओं/सहायक उपकरणों की कम आवश्यकता तथा अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम दौरों के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
3451-51-102- 93-वित्त और योजना विभाग में युवा प्रोफेशनल की नियुक्ति	मूल पुनर्वि.	100.00 -21.65	78.35	78.35	..	पेशेवर कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
3451-51-102- 94-स्वर्ण जयंती वित्तीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा	मूल पुनर्वि.	500.00 -107.00	393.00	393.00	..	₹107.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अनु. सं. 06/ पुनर्वि. 2025-26/159-60 दिनांक 14.05.2025)।
3451-51-102- 98-जिलों का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	90.00 -41.49	48.51	48.51	..	मुख्यतः कुछ पदों के रिक्त रहने, अवकाश यात्रा रियायत दावों की प्राप्ति न होने, कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद तथा अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम दौरों के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में )	वास्तविक व्यय (₹ लाख में )	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में )	टिप्पणी
3454-02-001-80-राजीव आवास योजना क्षमता भवनों/प्रारंभिक गतिविधियों/आइस क्रियाएँ	मूल पुनर्वि.	40.00 -40.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण नहीं दिए गए हैं। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अनु. सं.06/ 2025-26/ पुनर्वि./ 159-60 दिनांक 14.05.2025)।
3454-02-001-90-ग्यारवे वित्त आयोग के अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण हेतु सहायता (98-स्थापना व्यय)	मूल पुनर्वि.	600.00 -600.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण नहीं दिए गए हैं। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अनु.सं.06/ 2025-26/पुनर्वि./ 159-60 दिनांक 14.05.2025)।
3454-02-001-92-हरियाणा में सातवीं आर्थिक जनगणना	मूल पुनर्वि.	30.00 -30.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण नहीं दिए गए हैं। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अनु.सं.06/ 2025-26/पुनर्वि./ 159-60 दिनांक 14.05.2025)।
3454-02-001-95-राज्य सांस्थिकीय प्रणाली का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण	मूल पुनर्वि.	128.00 -113.89	14.11	14.11	..	मोटर वाहन मामले की प्राप्ति न होने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम दौरा तथा कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में )	वास्तविक व्यय (₹ लाख में )	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में )	टिप्पणी
3454-02-001-99-आर्थिक तथा सांख्यिकीय संगठन (98-स्थापना व्यय)	मूल पुनर्वि.	2,501.00 -488.32	2,012.68	2,012.68	..	मुख्यतः कुछ पदों के रिक्त रखने, अवकाश यात्रा रियायत, अनुग्रह राशि, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और मजदूरी दावों की कम प्राप्ति, मानदेय के लिए कम पात्र व्यक्ति, प्रशिक्षुओं की कम नियुक्ति, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा कम दौरा और प्रशिक्षण, कार्यक्रम आयोजित न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
3475-51-800-99-संस्थागत वित्त एवं साख निदेशालय मुख्यालय अमला	मूल पुनर्वि.	115.40 -69.74	45.66	45.66	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अनुग्रह राशि और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, वाहन की कम खरीद/मरम्मत, मानदेय के लिए अपात्र व्यक्ति, कम्प्यूटर/सहायक उपकरणों की खरीद न होने और कार्यालय वस्तुओं की कम आवश्यकता के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

- (4) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामलों में वास्तविक बचत से अधिक राशि अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2047-51-103-99-लघु बचत और लॉटरी के मुख्यालय कर्मचारी (98-स्थापना व्यय छोटे बचत और लॉटरी)	मूल पुनर्वि.	193.40 -42.10	151.30	151.59	(+)0.29	मुख्यतः रिक्त पदों, अवकाश यात्रा रियायत और मानदेय दावों की प्राप्ति न होने, अनुग्रह राशि और मोटर वाहन दावों की कम प्राप्ति, वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.29 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में )	वास्तविक व्यय (₹ लाख में )	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में )	टिप्पणी
2054-51-097- 99-खजाना अमला (98-स्थापना खर्च)	मूल पुनर्वि.	5,225.01 -528.45	4,696.56	4,696.75	(+)0.19	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अनुग्रह राशि के दावों की कम प्राप्ति, दैनिक वेतनभोगियों की कम नियुक्ति, बिजली की कम खपत, वाहनों और कम्प्यूटर/उपकरणों की कम खरीद/मरम्मत, कार्यालय मदों की कम आवश्यकता और प्रशिक्षुओं की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान पर अधिक व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश यात्रा और पेशेवर कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति पर व्यय को कवर करने के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.19 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में )	वास्तविक व्यय (₹ लाख में )	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में )	टिप्पणी
2057-51-101-99-खरीद संगठन	मूल पुनर्वि.	550.71 -129.73	420.98	425.01	(+).4.03	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत, अनुग्रह राशि, कार्यालय व्यय, छात्रवृत्ति और वजीफा तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, संविदात्मक और पेशेवर कर्मचारियों की कम नियुक्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹4.03 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
3451-51-102-97-राज्य स्तर पर योजना मशीनरी का सुदृढ़ीकरण (98-रथापना खर्च)	मूल पुनर्वि.	230.00 -107.26	122.74	122.82	(+).0.08	मुख्यतः कम्प्यूटर और कार्यालय वस्तुओं/सहायकों की कम आवश्यकता, पेशेवर कर्मचारियों की कम नियुक्ति और वाहनों की कम खरीद/मरम्मत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.08 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

- (5) निम्नलिखित मामले में अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया तथा बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अनुपूरक अनुदान को वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जो यह दर्शाता है कि बजट अनुमान समुचित रूप से तैयार नहीं किये गये थे:-

शीष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2054-51-098- 99-मुख्यालय अमला (98-स्थापना व्यय)	मूल पूरक पुनर्वि.	4,241.50 756.00 -592.31	4,405.19	4,405.70	(+)0.51	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अनुग्रह राशि, यात्रा व्यय, अवकाश यात्रा रियायत, छात्रवृत्ति और वजीफा तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, वाहनों और कम्प्यूटर/उपकरणों की कम खरीद/मरम्मत, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, कम प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन और कार्यालय मदों की कम आवश्यकता के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो व्यावसायिक कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति के कारण आधिक्य द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.51 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

- (6) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामलों में, जिनमें सम्पूर्ण मूल बजट प्रावधान अभ्यर्पित कर दिया गया तथा पर्याप्त बजट प्रावधान के बिना व्यय कर दिया गया ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2071-01-101- अधिवर्षिता तथा सेवा निवृति भत्ते (51-एनए)	मूल पुनर्वि.	8,70,001.00 -8,70,001.00	..	8,44,135.06	(+)8,44,135.06	योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के नामांकन न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था । ₹8,44,135.06 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।
2071-01-102- पेशन का संराशिकृत मूल्य (51-एनए)	मूल पुनर्वि.	1,15,000.00 -1,15,000.00	..	1,03,191.30	(+)1,03,191.30	योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के नामांकन न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था । ₹1,03,191.30 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।
2071-01-104- उपदान (51-एनए)	मूल पुनर्वि.	1,50,000.00 -1,50,000.00	..	1,37,493.23	(+)1,37,493.23	ग्रेचुटी दावों की प्राप्ति न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था । ₹1,37,493.23 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2071-01-105- पारिवार पेंशन (51-एनए)	मूल	1,80,000.00	..	1,77,364.87	(+)1,77,364.87	योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के नामांकन न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था। ₹1,77,364.87 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2071-01-106- उच्च न्यायालय के न्यायधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार (51-एनए)	मूल	2,400.00	..	1,562.29	(+)1,562.29	योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के नामांकन न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था। ₹1,562.29 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2071-01-111- 99-राज्य विधान सभा के सदस्य	मूल	2,600.00	..	5,763.47	(+)5,763.47	योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के नामांकन न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था। ₹5,763.47 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2071-01-117-99-हरियाणा विधान मण्डल की निर्धारित अंशदायी पेशन योजना (99-निर्धारित अंशदायी पेशन योजना हेतु सरकार का अंशदान)	मूल पुनर्वि.	1,80,000.00 -1,80,000.00	..	1,86,541.36	(+) 1,86,541.36	वर्तु शीर्ष 'योगदान' के अंतर्गत मामले की प्राप्ति न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था। ₹1,86,541.36 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

(7) अधिकता मुख्यतः निम्नलिखित के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2054-51-095-96- एकीकृत वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन सूचना प्रणाली	मूल पुनर्वि.	300.00 39.19	339.19	339.19	..	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में आवर्धन पेशेवर कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति के कारण किया गया था, जो यात्रा व्यय दावों की प्राप्ति न होने तथा कम्प्यूटर/सहायक उपकरणों की कम खरीद के कारण हुई बचत द्वारा समायोजित किया गया।

#### प्रभारित विनियोग

(8) ₹92,246.84 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹2,98,201.89 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।

(9) ₹92,246.84 लाख की समस्त बचत के वृद्धिगत, दिसम्बर 2024 में प्राप्त ₹1.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुंचा था।

(10) बचत मुख्यतः निम्नलिखित के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2049-01-200- 85-राष्ट्रीय आवास बैंक से शहरी बुनियादी ढांचा विकास निधि (यूआईडीएफ) के तहत आंतरिक ऋण पर ब्याज	मूल पुनर्वि.	100.00 -68.42	31.58	31.58	..	एनएचबी के अंतर्गत यूआईडीएफ से ब्याज भुगतान चालान प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2049-01-200- 89-वित्तीय पुनर्गठन/उदय योजना के कारण ब्याज का भुगतान	मूल पुनर्वि.	92,139.20 -28,406.60	63,732.60	63,732.60	..	कम ऋण लेने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2049-01-200- 96-नाबाड़ की राष्ट्रीय ग्रामीण उधार निधि से कर्ज	मूल पुनर्वि.	35,000.00 -7,487.18	27,512.82	27,512.82	..	नाबाड़ से कम ऋण प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2049-01-200- 97-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज	मूल पुनर्वि.	56,500.00 -19,711.68	36,788.32	36,788.32	..	एनसीडीसी से ब्याज भुगतान चालान की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2049-04-109- 99- 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों की शर्तों के अनुसार समेकित राज्य आयोजना ऋण पर ब्याज	मूल पुनर्वि.	2,700.00 -2,700.00	..	..	..	योजना के अंतर्गत मांग प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2049-60-701-96-पेंशनरी लाभ इत्यादि के देशी भुगतान पर ब्याज	मूल पुनर्वि.	1,500.00 -332.40	1,167.60	1,167.60	..	योजना के अंतर्गत कम मांग प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2049-60-701-98-सरकारी कर्मचारियों के लिए ब्याज की छूट के अन्य दायित्व पर ब्याज	मूल पुनर्वि.	850.00 -519.44	330.56	330.56	..	पीएनबी से कम मांग प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

(11) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले में वास्तविक बचत से अधिक राशि अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ।

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2049-04-101-99-ब्लाक कर्ज	मूल पुनर्वि.	3,800.00 -3,794.60	5.40	9,506.01	(+)9,500.61	योजना के तहत कम ऋण प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹9,500.61 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

(12) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामलों में, जिनमें समस्त मूल बजट प्रावधान अभ्यर्पित कर दिया गया तथा पर्याप्त बजट प्रावधान के बिना व्यय कर दिया गया ।

शीष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2049-01-115- 99-भारतीय रिजर्व बैंक से अग्रिम अर्थोपाय	मूल पुनर्वि.	1,200.00 -1,200.00	..	974.89	(+)974.89	ऋण न लेने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था । ₹974.89 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।
2049-01-305- 99-नये कर्जे आदि पर खर्च	मूल पुनर्वि.	5,000.00 -5,000.00	..	7,181.73	(+)7,181.73	नये ऋण न मिलने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था । ₹7,181.73 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।
2049-03-104- 98- ए आई एस पर ब्याज	मूल पुनर्वि.	400.00 -400.00	..	283.56	(+)283.56	योजना के अंतर्गत मांग प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था । ₹283.56 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में )	वास्तविक व्यय (₹ लाख में )	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में )	टिप्पणी
2049-03-104-99-राज्य भविष्य निधि पर ब्याज	मूल पुनर्वि.	1,49,000.00 -1,49,000.00	..	1,33,655.43	(+) 1,33,655.43	योजना के अंतर्गत मांग प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था   ₹1,33,655.43 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)
2049-03-108-99-जी.आई.एस. पर ब्याज	मूल पुनर्वि.	3,000.00 -3,000.00	..	3,000.00	(+) 3,000.00	योजना के अंतर्गत मांग प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था   ₹3,000.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)
2049-04-104-95-पुलिस-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	मूल पुनर्वि.	75.00 -75.00	..	52.69	(+) 52.69	योजना के अंतर्गत मांग प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था   ₹52.69 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2049-05-101- 97-मूल्य हास आरक्षित निधि (राजकीय प्रैस)	मूल पुनर्वि.	205.00 -205.00	..	152.72	(+)152.72	योजना के अंतर्गत मांग प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था। ₹152.72 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2049-05-101- 98- मूल्य हास आरक्षित निधि (मोटर परिवहन)	मूल पुनर्वि.	6,500.00 -6,500.00	..	6,397.47	(+)6,397.47	योजना के अंतर्गत मांग प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था। ₹6,397.47 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2049-05-101- 99-मोटर परिवहन आरक्षित निधि	मूल पुनर्वि.	50.00 -50.00	..	62.94	(+)62.94	योजना के अंतर्गत मांग प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था। ₹62.94 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में )	वास्तविक व्यय (₹ लाख में )	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में )	टिप्पणी
2049-60-101-97-एनएचएआई द्वारा अधिग्रहित भूमि की ओर जमा पर ब्याज	मूल	<b>100.00</b>	..	<b>86.14</b>	<b>(+)86.14</b>	एनएचएआई से मांग प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था। ₹86.14 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2049-60-101-98-रेल मंत्रालय द्वारा अधिग्रहित भूमि की ओर जमा पर ब्याज	मूल	<b>1,650.00</b>	..	<b>1,751.05</b>	<b>(+)1,751.05</b>	योजना के अंतर्गत मांग प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था। ₹1,751.05 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

(13) अधिकता मुख्यतः निम्नलिखित के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में )	वास्तविक व्यय (₹ लाख में )	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में )	टिप्पणी
2049-01-200-86-भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से ऋण (एस.आई.डी.बी.आई.)	मूल	<b>100.00</b>	<b>189.79</b>	<b>189.79</b>	..	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में आवर्धन एस.सी.डी.एफ के अंतर्गत एस.आई.डी.बी.आई. से ब्याज भुगतान चालान की अधिक प्राप्ति के कारण किया गया था।
2049-05-105-99-राज्य आपदा राहत निधि पर ब्याज	मूल	<b>45,500.00</b>	<b>53,675.00</b>	<b>53,675.00</b>	..	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में आवर्धन भारत सरकार को अधिक राशि जारी किये जाने के कारण किया गया था।

पूँजीगत  
दत्तमत अनुदान

(14) ₹20,468.43 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, दिसम्बर 2024 में प्राप्त ₹200.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुंचा था।

(15) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-80-001-97-निर्माण/खरीद हेतु योजना राज्य लेखापरीक्षा निदेशालय के लिए पूँजीगत संपत्ति	मूल	..	22.58	22.58	..	वस्तु शीर्ष 'फर्नीचर' और मोटर वाहन के अंतर्गत कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
5475-51-115-98-वित्तीय प्रबन्धन के लिए स्वर्ण जयंती हरियाणा संस्थान	मूल	4,012.00	2,000.00	2,000.00	..	वस्तु शीर्ष 'वृहत निर्माण कार्य' के अंतर्गत कम दावे प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
5475-51-115-99-जिला योजना का सुदृढ़ीकरण	मूल	24,200.00	14,430.80	14,430.80	..	ऑब्जेक्ट शीर्ष 'वृहत निर्माण कार्य' के अंतर्गत कम दावों की प्राप्ति तथा वाहनों की कम खरीद/मरम्मत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
5475-51-789-99-जिला योजना स्कीम के तहत अनुसूचित जाति के कल्याण	मूल	16,000.00	9,501.20	9,501.20	..	ऑब्जेक्ट शीर्ष 'वृहत निर्माण कार्य' के अंतर्गत कम दावों की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

- (16) निम्नलिखित मामले में, अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया। इस मामले में वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम होने के कारण अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की काई आवश्यकता नहीं थी। तत्पश्चात्, अनुपूरक अनुदान और मूल बजट के एक भाग को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया, जो दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-01-051- 60-वित्त भवन का निर्माण	मूल	5,000.00	3,000.00	3,000.00	..	वस्तु शीर्ष 'वृहत निर्माण कार्य' के अंतर्गत कम दावे प्राप्त होने तथा योजना के अंतर्गत भूमि की खरीद न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पूरक	100.00				
	पुनर्वि.	-2,100.00				

(17) समेकित ऋणशोधन निधि:-

इस निधि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2023-24 से सरकार की बकाया देनदारियों के मोचन के लिए परिशोधन निधि के रूप में किया जाएगा। हरियाणा राज्य सरकार ने आंतरिक ऋण और लोक खाते की बकाया देनदारियों के मोचन के लिए 08 जून, 2020 और 06 मार्च, 2024 को इस योजना को प्रतिस्थापित किया। दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकार को पांच वर्षों के भीतर समेकित निक्षेप निधि कोष को बकाया देनदारियों के पांच प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए सचेत प्रयास करना चाहिए। एक वर्ष में योगदान की संख्या के संदर्भ में कोष में ऐसे योगदान की कोई सीमा नहीं है। निधि का कोष, जिसमें आवधिक अंशदान तथा निधि को प्राप्त होने वाली आय शामिल है, को सरकार के सामान्य राजस्व से बाहर रखा जाएगा।

सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/अनुदेशों के अधीन इस निधि को भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय लेखा अनुभाग द्वारा प्रशासित किया जाएगा। 1 अप्रैल 2024 को निधि के खाते में प्रारंभिक शेष के रूप में ₹2,12,441.40 लाख का शेष था। वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार ने कोष में केवल ₹30,000.00 लाख का योगदान दिया। निधि में निवेश पर अर्जित ब्याज के लिए ₹16,197.83 लाख की राशि निधि में जोड़ी गई। वर्ष के दौरान निधि से कोई व्यय नहीं किया गया। वर्ष के अंत में, निधि में ₹2,58,639.23 लाख की शेष राशि थी।

योजना के पैरा 8 के अनुसार, निधि में वृद्धि को भारत सरकार (जीओआई) की दिनांकित प्रतिभूतियों, भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिलों और अन्य राज्यों की राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाएगा, जिनकी परिपक्वता अवधि बैंक सरकार से परामर्श से समय-समय पर निर्धारित करेगा।

रिजर्व बैंक के माध्यम से ₹2,58,426.27 लाख की राशि का निवेश किया गया है। विवरणी संख्या 22 के अनुसार निवेश का अंकित मूल्य ₹2,65,065.48 लाख है।

निधि के लेन-देन का लेखा-जोखा वित्त लेखे 2024-25 के विवरणी संख्या 21 और 22 में शामिल है।

## (18) गारंटी मोचन निधि:-

इस निधि का उपयोग राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों या अन्य निकायों द्वारा जारी बांडों और अन्य उधारों के संबंध में सरकार द्वारा जारी गारंटियों से उत्पन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जाएगा और 'लाभार्थियों' द्वारा इसका आह्वान किया जाएगा तथा उस संस्था द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा जिसकी ओर से गारंटी जारी की गई थी।

यह निधि राज्य सरकार द्वारा 2002-03 के दौरान गठित की गई थी और 08 जून 2020 और 06 मार्च, 2024 को इसे प्रतिस्थापित किया गया। निधि के प्रावधानों के अनुसार, सरकार को निधि के गठन की तिथि से पांच वर्षों की अवधि के भीतर गारंटी मोचन निधि की राशि को बकाया गारंटियों के पांच प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए सचेत प्रयास करने चाहिए। सरकार अपने विवेकानुसार और गारंटियों के संभावित आह्वान के आकलन के आधार पर निधि में अंशदान बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है। निधि में शेष राशि को वार्षिक रूप से या कम अंतराल पर किए गए आवधिक अंशदान में बढ़ाया जाएगा। इस प्रकार एकत्रित गारंटी शुल्क मुख्य शीर्ष 0075-विविध सामान्य सेवाएं 108- गारंटी शुल्क के अंतर्गत जमा किया जाता है। निधि में योगदान समय-समय पर शीर्ष 2075-विविध सामान्य सेवाएं-51-एनए-797-आरक्षित निधि/ जमा खातों में स्थानांतरण, 99-गारंटी मोचन निधि आरक्षित निधि और जमा खातों में स्थानांतरण (मुख्य शीर्ष 8235) को डेबिट करके किया जाना है। इस निधि का प्रशासन भारतीय रिजर्व बैंक के केन्द्रीय लेखा अनुभाग द्वारा किया जाएगा, जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों/अनुदेशों के अधीन होगा।

वर्ष 2024-25 के आरंभ में सरकार की बकाया गारंटी ₹24,21,481.32 लाख थी। 1 अप्रैल 2024 को निधि के खाते में प्रारंभिक शेष के रूप में ₹1,66,280.17 लाख का शेष था। राज्य सरकार ने इस कोष में कोई अंशदान नहीं दिया है। कोष में निवेश पर ₹12,462.70 लाख की ब्याज राशि को कोष में जोड़ा गया। वर्ष के दौरान इस निधि से कोई व्यय नहीं किया गया। वर्ष के अंत में निधि में ₹1,78,742.87 लाख का शेष पड़ा था।

31 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से ₹1,78,742.87 लाख का संपूर्ण शेष निवेश किया गया है। निवेश (प्रतिभूतियों) का अंकित मूल्य ₹1,73,088.51 लाख है।

योजना के पैरा 8 के अनुसार, निधि में निवेश पर अर्जित आय के साथ-साथ निधि में वृद्धि को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार की प्रतिभूतियों/राज्य सरकार की प्रतिभूतियों/नीलामी कृत राजकोषीय बिलों में ऐसी परिपक्वता अवधि के रूप में निवेश किया जाना है, जिसे राज्य सरकार समय-समय पर बैंक के परामर्श से निर्धारित करती है।

लाभार्थियों द्वारा आह्वान किए जाने पर भुगतान किए जाने वाले दावों के कारण देयता को पूरा करने के लिए, निवेश उपकरणों को निम्नलिखित क्रम में परिसमाप्त की जाने वाली राशि के लिए बेचा जाना है:-

1. नीलाम किए गए ट्रेजरी बिल
2. केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियाँ
3. राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ

निधि के लेन-देन का लेखा-जोखा वित्त लेखे 2024-25 के विवरण संख्या 21 और 22 में शामिल है।

---

(मुख्य शीर्ष- 6225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए कर्ज, 6401-फसल कृषि-कर्म के लिये कर्ज, 6408-खाद्य भण्डारण तथा भंडारग्रह के लिए कर्ज, 6425-सहकारिता के लिये कर्ज, 6501-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों के लिए ऋण, 6515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों के लिए कर्ज, 6801-विद्युत परियोजनाओं के लिये कर्ज, 6851-ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिये कर्ज, 6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज, 7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि)

## पूँजीगत

## दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	10,69,11,60	11,89,11,60	3,97,87,90	(-) 7,91,23,70
पूरक	1,20,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि

(मार्च 2025)

7,91,42,06

टिप्पणियाँ एवं टीकाएं

## पूँजीगत

## दत्तमत अनुदान

- (1) ₹79,123.70 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2025 को ₹79,142.06 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹79,123.70 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, दिसम्बर 2024 में प्राप्त ₹12,000 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।
- (3) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6401-51-190-96-हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) पंचकूला को पिंजौर में सेब फल और सब्जी बाजार की स्थापना के लिए ऋण प्रदान करने की योजना	मूल	969.00	..	..	..	योजना के कार्यान्वयन न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-969.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6401-51-190-97-एचआईएचएमसी पंचकूला को भारत अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार की स्थापना के लिए ऋण प्रदान करने की योजना, गन्धौर, सोनीपत्त	मूल	14,000.00	..	..	..	योजना के कार्यान्वयन न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
6401-51-190-99-हरियाणा कृषि उद्योग नियम को ऋण के लिए योजना	मूल	3,500.00	..	..	..	योजना के कार्यान्वयन न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
6408-02-190-99-वैयरहाउसिंग और कॉल्ड स्टोरेज के लिए ऋण	मूल	700.00	..	..	..	नाबांड द्वारा राशि जारी न किये जाने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया।
6425-51-108-86-किसानों के लिए हरियाणा राज्य सहयोग कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के लिए सरकार के ऋण के लिए योजना	मूल	4,000.00	1,000.00	1,000.00	..	योजना के अंतर्गत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
6501-51-190-99-हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड को ऋण (एच एस ए एम बी)	मूल	4,111.00	..	..	..	योजना के कार्यान्वयन न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
6515-51-102-99-राजस्व अर्जित करने हेतु ग्राम पंचायत को ऋण	मूल	100.00	..	..	..	योजना के कार्यान्वयन न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6851-51-102- 90-अस्थगित बिक्री कर/ वैट के एवज में ब्याज मुक्त ऋण	मूल	500.00	334.00	334.00	..	आईएफएल की मंजूरी/जारी न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
6860-04-101- 95-बिजली सह उत्पादन और सहकारी चीनी मिलों में इथोनॉल संयंत्र की स्थापना करना	मूल	20,000.00	..	..	..	योजना के अंतर्गत दावे प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
6860-04-101- 99-सभी सरकारी चीनी मिलों को ऋण	मूल	39,000.00	29,000.00	29,000.00	..	योजना के अंतर्गत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
7610-51-201- 95-न्यायिक अधिकारियों को गृह ऋण अग्रिम	मूल	..	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अनु. सं. 07/ पुनर्वि. 2025- 26/221-22 दिनांक 05.06.2025)।
7610-51-202- 96- न्यायिक अधिकारियों को सोफ्ट कार लोन एडवांस	मूल	..	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अनु. सं. 07/ पुनर्वि. 2025- 26/221-22 दिनांक 05.06.2025)।
7610-51-202- 97-अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारियों को कर्ज वाहन सुविधा	मूल	200.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अनु. सं. 07/ पुनर्वि. 2025- 26/221-22 दिनांक 05.06.2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
7610-51-202-98- मंत्रियों उप मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, पीठासीन अधिकारियों और राज्य विद्यायकों को मोटर वाहन की खरीद के लिए अग्रिम	मूल	500.00	291.40	291.40	..	राज्य विधानमंडल के सदस्यों से कार खरीदने के लिए कम मांग प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
7610-51-800-96-डिफॉल्ट राशि के लिए भुगतान/रिकवरी	मूल	4,800.00	2,912.86	2,912.86	..	ऋणियों से नियमित एवं समय पर वसूली के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

(4) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले, जिनमें वास्तविक बचत से अधिक राशि अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
7610-51-201-98-गृह निर्माण के लिए मन्त्रियों, उपमन्त्रियों, राज्य मंत्रियों अधिष्ठाता अधिकारियों व राज्य विद्यायकों को भवन कर्जे	मूल	1,000.00	130.00	131.50	(+)1.50	राज्य विधानमंडल के सदस्यों से गृह निर्माण अग्रिम के लिए कम मांग प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹1.50 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
7610-51-800-98-उत्सव पेशगियाँ	मूल	2,000.00	1,611.13	1,611.39	(+)0.26	सरकारी कर्मचारियों से त्यौहार अग्रिम की मांग की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.26 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
7610-51-800-99-खाद्यान की खरीद हेतु पेशगियाँ	मूल	8,000.00	4,488.56	4,494.80	(+)6.24	कर्मचारियों द्वारा गेहूं अग्रिम राशि कम लेने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹6.24 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पुनर्वि.	-3,511.44				

(5) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले, जिनमें समस्त मूल बजट प्रावधान अभ्यर्पित कर दिया गया तथा पर्याप्त बजट प्रावधान के बिना व्यय कर दिया गया।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
7610-51-201-99-अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के अलावा अन्य सहकारी कर्मचारियों को भवन कर्जे (98-विवेकाधीन कोटे के तहत अग्रिम)	मूल	2,000.00	..	4.23	(+)4.23	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अनु. सं. 07/पुनर्वि. 2025-26/221-22 दिनांक 05.06.2025)। ₹4.23 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पुनर्वि.	-2,000.00				
7610-51-201-99-अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के अलावा अन्य सहकारी कर्मचारियों को भवन कर्जे (99-विवेकाधीन कोटे के अलावा अन्य अग्रिम)	मूल	500.00	..	3.15	(+)3.15	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अनु. सं. 07/पुनर्वि. 2025-26/221-22 दिनांक 05.06.2025)। ₹3.15 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पुनर्वि.	-500.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
7610-51-202- 99-मोटर वाहन की खरीद के लिए पेशगियां (मन्त्रियों तथा राज्य विधायकों को छोड़कर) (99-विवेकाधीन कोटे के अलावा अन्य अग्रिम)	मूल	400.00	..	1.84	(+)1.84	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अनु. सं. 07/पुनर्वि. 2025- 26/221-22 दिनांक 05.06.2025)। ₹1.84 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
7610-51-800- 97-विवाहोत्सव के लिए पेशगियां	मूल	600.00	..	1.00	(+)1.00	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अनु. सं. 07/पुनर्वि. 2025- 26/221-22 दिनांक 05.06.2025)। ₹1.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

(मुख्य शीर्ष-6003-राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण, 6004-केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम)

पूँजीगत

प्रभारित

		कुल विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	6,40,44,19,88	6,40,44,19,88	5,75,40,24,91	(-) 65,03,94,97
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2025)

शून्य

टिप्पणियां एवं टीकाएँ:-

पूँजीगत

प्रभारित विनियोग

(1) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6003-51-108-99-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज	मूल	14,31,800.00	14,31,800.00	14,26,348.85	(-) 5,451.15	₹5,451.15 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
6003-51-110-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम (51-एनए)	मूल	30,00,000.00	30,00,000.00	23,23,003.00	(-) 6,76,997.00	₹6,76,997.00 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6004-01-203-99-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	मूल	214.43	214.43	155.71	(-)58.72	₹58.72 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
6004-02-105-99-12वें वित्त आयोग की सिफारिशों की शर्तों के अनुसार समेकित राज्य आयोजना कर्जे	मूल	9,661.71	9,661.71	..	(-)9,661.71	₹9,661.71 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

(2) अधिकता मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6003-51-105-99- राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक से कर्जे	मूल	58,100.00	58,100.00	90,416.96	(+)32,316.96	₹32,316.96 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
6003-51-109-96-एनसीआरपीबी से कर्जे (लोक स्वास्थ्य)	मूल	952.59	952.59	3,021.40	(+)2,068.81	₹2,068.81 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6003-51-109-97-सड़कों के उत्थान हेतु एनसीआरपीबी से कर्ज (बीएण्डआर)	मूल	<b>8,934.41</b>	<b>8,934.41</b>	<b>10,768.11</b>	<b>(+)1,833.70</b>	₹1,833.70 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
6004-02-101-एक मुश्त कर्ज (51-एन.ए.)	मूल	<b>15,318.04</b>	<b>15,318.04</b>	<b>20,872.18</b>	<b>(+)5,554.14</b>	₹5,554.14 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

(मुख्य शीर्ष-7999 आकस्मिकता निधि का विनियोग)

पूँजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में )	वास्तविक व्यय (₹ हजार में )	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में )
मूल	..	..	..	..
पूरक	..	..	..	..

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित की गई राशि

(मार्च 2025)

शून्य

अनुदान संख्या-10- कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/पशुपालन और डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव

(मुख्यतः शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, 2402-मृदा तथा जल संरक्षण, 2403-पशुपालन, 2404-डेरी विकास, 2405-मछली पालन, 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 2435-अन्य कृषि कार्यक्रम, 2702-लघु सिचाई, 2853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग, 3435-परिस्थिति विज्ञान तथा पर्यावरण, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय, 4403-पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4405-मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय, 4406-वानिकी एवं वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय, 4853-अलौह खनन और धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय, 5425-अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय, 6401-फसल कृषि-कर्म के लिये कर्ज, 6403-पशुपालन के लिये कर्ज, 6416-कृषि वित्तीय संस्थाओं को ऋण)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹ हजार में )	वास्तविक व्यय (₹ हजार में )	अधिकता (+) वचत (-) (₹ हजार में )
मूल	61,15,42,76	71,15,44,76	48,04,88,26	(-)23,10,56,50
पूरक	10,00,02,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2025)

23,01,97,45

प्रभारित

मूल	1,55,00	1,55,00	43,34	(-)1,11,66
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2025)

1,22,19

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में )	वास्तविक व्यय (₹ हजार में )	अधिकता (+) वचत (-) (₹ हजार में )
मूल	20,59,43,00	20,59,45,00	10,72,36,23	(-)9,87,08,77
पूरक	2,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2025)

9,90,57,79

**टिप्पणियाँ एवं टीकाएं**

राजस्व

**दत्तमत अनुदान**

- (1) ₹2,31,056.50 लाख की अंतिम बचत में से ₹859.05 लाख की राशि अनाभ्यर्पित रह गई।
- (2) ₹2,31,056.50 लाख की समस्त बचत को देखते हुए, दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹1,00,002.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।
- (3) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-51-001-96-कृषि (एनइजीपीए) के लिए राष्ट्रीय ई- शासन योजना	मूल	490.00	..	..	..	भारत सरकार द्वारा जारी धनराशि प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2401-51-001-99- मुख्यालय अमला	मूल	1,182.00	926.87	926.87	..	दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2401-51-105-84- मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता के राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन पर योजना	मूल	3,000.00	2,272.31	2,272.31	..	रिक्त पदों को न भरने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कम संचालन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2401-51-105-96- कृषि सामग्री की गुणवत्ता नियंत्रण योजना	मूल	300.00	163.86	163.86	..	अन्य शुल्कों के दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-136.14				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-51-107-99-पौधा संरक्षण प्रक्रिया	मूल	2,066.00	1,806.20	1,806.20	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, संविदात्मक एवं पेशेवर कर्मचारियों की कम नियुक्ति तथा पेट्रोल, तेल एवं स्नेहक दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो चिकित्सा एवं अनुग्रह राशि दावों की अधिक प्राप्ति के द्वारा समायोजित किया गया ।
	पुनर्वि.	-259.80				
2401-51-108-79-हेफेट को मूल्य समर्थन प्रणाली के तहत मार्किट फीस प्लस जीएसटी की प्रतिपूर्ति	मूल	30,000.00	7,500.00	7,500.00	..	दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-22,500.00				
2401-51-108-80- हरियाणा में कपास की खेती के विकास हेतु योजना	मूल	5,000.00	699.96	699.96	..	कपास सब्सिडी के विरुद्ध दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-4,300.04				
2401-51-108-81-गन्ना पर प्रौद्योगिकी मिशन के लिए योजना	मूल	20,000.00	3,915.50	3,915.50	..	सब्सिडी दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-16,084.50				
2401-51-108-83-फसलों के विविधीकरण और जल संरक्षण को बढ़ावा देने की योजना	मूल	20,000.00	3,819.36	3,819.36	..	₹16,180.64 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 10/167-68 दिनांक 15.05.2025) ।
	पुनर्वि.	-16,180.64				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-51-109-73-परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) (60:40)	मूल	400.00	..	..	..	₹400 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 10/167-68 दिनांक 15.05.2025) ।
2401-51-109-74-फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) घटक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल	30,000.00	12,495.00	12,495.00	..	भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
2401-51-109-75-मूल हरित क्रांति (ओजीआर) राज्य में फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) (60:40)	मूल	3,850.00	2,764.65	2,764.65	..	भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
2401-51-109-76- हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण के सुदृढ़ीकरण की योजना	मूल	200.00	89.80	89.80	..	सहायतानुदान दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
2401-51-109-77-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नाम बदलकर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (एफएनएस)	मूल	3,960.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 10/167-68 दिनांक 15.05.2025) ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-51-109-77-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नाम बदलकर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (एफएनएस) (98-तिलहन और तेल पाम)	मूल	1,080.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 10/167-68 दिनांक 15.05.2025) ।
2401-51-109-78- कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन	मूल	10,000.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 10/167-68 दिनांक 15.05.2025) ।
2401-51-109-80- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मूल	12,000.00	97.55	97.55	..	₹11,902.45 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 10/167-68 दिनांक 15.05.2025) ।
2401-51-109-81-निस्तर रूपि सामरीक महत्व को बढ़ावा देने हेतु पहला कदम तथा किसान कल्याण कोष	मूल	7,500.00	4,484.20	4,484.20	..	मुख्यतः सब्सिडी दावों की कम प्राप्ति, प्रकाशन की कम प्राप्ति और बिलों की कम राशि प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
2401-51-109-85-एक्सटेंशन सुधार कार्यक्रम के विस्तार हेतु केन्द्रीय समर्थन के लिए योजना	मूल	4,000.00	1,810.99	1,810.99	..	₹2,189.01 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 10/167-68 दिनांक 15.05.2025) ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-51-111-90-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	मूल	70,000.00	51,049.36	51,049.36	..	सब्सिडी दावों की कम प्राप्ति, कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद और आउटसोर्सिंग नीति के तहत कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2401-51-111-96-फसल सांख्यिकी विकास योजना	मूल	95.00	57.24	57.24	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दौरा न करने, विकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति न होने तथा कार्यालय वस्तुओं की खरीद न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2401-51-111-97-हरियाणा में मुख्य फसलों के उत्पादन क्षेत्र की समय पर रिपोर्ट	मूल	80.00	42.18	42.18	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दौरा न करने, विकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति होने तथा कार्यालय वस्तुओं की खरीद न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2401-51-111-99- सांख्यिकीय सेल	मूल	3,953.00	2,381.33	2,381.33	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, आउटसोर्सिंग नीति के तहत कर्मचारियों की कम नियुक्ति तथा अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-51-113- 82- फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए योजना	मूल	9,600.00	6,764.65	6,764.65	..	सब्सिडी दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2401-51-113- 96-कृषि इंजीनियरिंग सेवा योजना	मूल	400.00	29.00	29.00	..	सब्सिडी दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2401-51-119- 50-“सिल्क समग्र”- सिल्क उद्योग के विकास हेतु एकीकृत योजना (आईएसडीएस आई)	मूल	50.00	..	..	..	योजना के क्रियान्वयन न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2401-51-119- 54-बागवानी किसानों के लिए खेत पर मदद व विषणन प्रोत्साहन	मूल	9,000.00	1,635.29	1,635.29	..	सब्सिडी और सहायतानुदान दावों की कम प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2401-51-119- 71- बागवानी में प्राकृतिक खेती और सतत पहल	मूल	500.00	106.23	106.23	..	सब्सिडी दावों की कम प्राप्ति तथा आउटसोर्सिंग नीति के तहत कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-51-190-98-कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएईटी) के तहत बीज और रोपण सामग्री (एसएमएसपी) पी उप-मिशन	मूल	484.74	..	..	..	योजना के क्रियान्वयन न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2401-51-789-84-''सिल्क समग्रा''- सिल्क उद्योग के विकास हेतु एकीकृत योजना (आईएसडीएसआई) अनुसूचित जाति के किसान हेतु	मूल	60.00	..	..	..	समर्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 10/167-68 दिनांक 15.05.2025)।
2401-51-789-85- अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	मूल	1,100.00	..	..	..	समर्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 10/167-68 दिनांक 15.05.2025)।
2401-51-789-85- अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (98-तिलहन और तेल पाम)	मूल	270.00	..	..	..	समर्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 10/167-68 दिनांक 15.05.2025)।
2401-51-789-89- किसानों तथा अनुसूचित जाति के किसानों को सबसिडी पर औजार तथा मशीनरी प्रदान करने हेतु रकीम	मूल	2,005.00	..	..	..	दावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-51-789-90-अनुसूचित जाति के किसानों के लिए राज्य के विकास कार्यों हेतु सुधार कार्यों में विकास के लिए समर्थन	मूल	1,000.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 10/167-68 दिनांक 15.05.2025)।
2401-51-789-97-अनुसूचित जातियों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सहायता	मूल	2,000.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 10/167-68 दिनांक 15.05.2025)।
2401-51-789-98-अनुसूचित जाति वर्ग के लिए समेकित बागवानी विकास हेतु योजना	मूल	2,000.00	1,400.42	1,400.42	..	सब्सिडी दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2402-51-001-99- परिमण्डल/मण्डल अमला	मूल	2,540.15	2,157.14	2,157.14	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कम संचालन, अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति तथा संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की अधिक तैनाती के द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-383.01				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2402-51-101-95- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना	मूल	791.28	2.15	2.15	..	₹789.13 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 10/167-68 दिनांक 15.05.2025) ।
2402-51-101-97- समेकित जल-विभाजकों के विकास तथा परियोजना प्रबंधन हेतु प्लान स्कीम	मूल	5,800.00	4,331.92	4,331.92	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, सब्सिडी की कम प्राप्ति और छोटे कार्यों के भुगतान दावों के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
2402-51-102-77-स्थायी कृषि पर राष्ट्रीय मिशन	मूल	80.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 10/167-68 दिनांक 15.05.2025) ।
2402-51-102-91-विशेष स्थानों पर मरुस्थल नियंत्रण हेतु वन रोपण	मूल	231.52	189.00	189.00	..	छोटे कार्यों और रखरखाव कार्यों के दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
2402-51-789-98-अनुसूचित जाति के किसानों के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना	मूल	150.72	..	..	..	भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-789.13				
	पुनर्वि.	-1,468.08				
	पुनर्वि.	-80.00				
	पुनर्वि.	-42.52				
	पुनर्वि.	-150.72				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2403-51-001- 95-मानव संसाधन और आधार भूत संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए योजना (98-स्थापना खर्च)	मूल	1,700.00	1,242.77	1,242.77	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत और कम्प्यूटर दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2403-51-101- 58-पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण के तहत प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम आदि के लिए योजना (100 प्रतिशत)	मूल	200.00	6.44	6.44	..	भारत सरकार से कम धनराशि प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2403-51-101- 59-पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण के तहत मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए योजना (60:40)	मूल	1,500.00	1,074.75	1,074.75	..	भारत सरकार से कम धनराशि प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2403-51-101- 60-अधिसूचित रोगों से पशुओं के मारे जाने पर पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण के तहत मुआवजे के भुगतान हेतु योजना (50:50)	मूल	200.00	25.02	25.02	..	भारत सरकार से कम धनराशि प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2403-51-101- 61- क्रूरता निवारण के लिए समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना	मूल	400.00	..	..	..	सहायतानुदान दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2403-51-101- 63- पशुधन स्वास्थ्य एवं पशुरोग नियंत्रण नाम बदलकर पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण के तहत पशुओं के टीकारण हेतु अनुदान	मूल	1,000.00	579.62	579.62	..	अन्य शुल्क दावों की कम प्राप्ति तथा विभाग द्वारा दौरा न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2403-51-102- 66- संरक्षण और स्वदेशी पशुओं ओर मुर्च के विकास के लिए योजना	मूल	700.00	249.95	249.95	..	अन्य शुल्क दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2403-51-102- 67-राष्ट्रीय पशुधन मिशन के कार्यान्वयन के लिए योजना	मूल	1,000.00	583.34	583.34	..	भारत सरकार से कम धनराशि प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2403-51-102- 69- गौ सेवा आयोग की स्थापना हेतु योजना	मूल	42,500.00	68.28	68.28	..	सहायतानुदान दावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2403-51-102- 70-हाईटेक डेयरी यूनिट्स की स्थापना की योजना	मूल	2,000.00	1,099.81	1,099.81	..	सब्सिडी दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2403-51-102- 81-राष्ट्रीय पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना	मूल	300.00	210.00	210.00	..	अन्य शुल्क दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2403-51-103- 95-प्रांगन में मुर्गी इकाईयों के स्थापना हेतु योजना	मूल	70.00	49.76	49.76	..	अन्य शुल्क दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2403-51-104- 86-भेड़/बकरी (भेड़/बकरी) पालक उत्थान योजना	मूल	401.00	29.93	29.93	..	अन्य शुल्क दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2403-51-104- 87- बकरी और भेड़ इकाईयों की स्थापना हेतु योजना	मूल	50.00	19.23	19.23	..	अन्य शुल्क दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2403-51-105- 97- सुअर प्रजनन की स्थापना	मूल	250.00	145.78	145.78	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह राशि दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2403-51-113- 94-दूध, ज्ञ, अंडे और मांस, चारा और घास के उत्पादन का नमूना सर्वेक्षण अनुमान/विकास परियोजना का आकलन (100 प्रतिशत सीएसएस) के लिए योजना	मूल	50.00	..	..	..	कंप्यूटर वस्तुओं की खरीद न करने, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न करने तथा अधिकारियों के दौरे न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2403-51-113-97- हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान के प्रबंधन के लिए योजना	मूल	283.00	220.61	220.61	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरना, अनुग्रह राशि और ऊर्जा प्रभार दावों की कम प्राप्ति, प्रशिक्षण कार्यक्रम का कम संचालन, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति और पात्र उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण निधियों का अभ्यर्ण किया गया था, जो महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के द्वारा समायोजित किया गया ।
2403-51-789-87-श्वेत क्रांति (99-पशुधन की जनगणना के लिए सहायता के लिए योजना) (100 प्रतिशत सीएसएस)	मूल	100.00	..	..	..	भारत सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्ण किया गया था ।
2403-51-789-92- पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण	मूल	400.00	156.85	156.85	..	भारत सरकार से कम धनराशि प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्ण किया गया था ।
2403-51-789-94- अनुसूचित जाति के लाभ प्राप्तकर्ताओं को पशुधन ईकाईयों की स्थापना से रोजगार के अवसर प्रदान करने की स्कीम	मूल	4,000.00	2,849.20	2,849.20	..	दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्ण किया गया था ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2403-51-789-96-अनुसूचित जाति को विशेष पशुधन बीमा कार्यक्रम	मूल	300.00	210.00	210.00	..	दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2403-51-792-51-अप्रतिलिप्य कर्ज को बट्टे खाते में डालना	मूल	20.00	..	..	..	ऋण/हानि दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2405-51-001-99-मुख्यालय अमला नाम बदलकर स्थापना व्यय	मूल	1,251.50	959.34	959.34	..	रिक्त पदों को न भरने तथा अवकाश यात्रा रियायत, अनुग्रह राशि और किराया दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो पेट्रोल, तेल और स्नेहक तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति और विजली बिलों के अधिक भुगतान के द्वारा समायोजित किया गया।
2405-51-101-72- ताजे पानी में एक्वाकल्वर का विकास नाम बदल कर प्रधान मंत्री मत्स्य, सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई)	मूल	16,606.00	3,308.14	3,308.14	..	भारत सरकार से कम राशि प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-13,297.86				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2404-51-102- 99- दूध एवं दूध से बने पदार्थों की जांच करने के लिए सरकारी प्रयोगशाला स्थापित करना	मूल	63.80	37.42	37.42	..	रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2405-51-101- 73-सजावटी मछलियों की योजना	मूल	400.00	194.52	194.52	..	उपकरणों की कम खरीद, रखरखाव दावों की कम प्राप्ति तथा कार्यालय वस्तुओं/ सहायक उपकरणों की कम आवश्यकता के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2405-51-101- 81-मतस्य पालन क्षेत्र के लिए डाटाबेस और सूचना नेटवर्किंग को मजबूत करना (98-स्थापना खर्च)	मूल	50.00	..	..	..	योजना के कार्यान्वयन न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2405-51-101- 91-राष्ट्रीय मछली बीज कार्यक्रम की योजना	मूल	1,584.50	1,101.11	1,101.11	..	रिक्त पदों को न भरने, लघु कार्यों, अवकाश यात्रा रियायत और किराया दावों की कम प्राप्ति, के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2405-51-109- 99- कृषि मानव स्रोत के विकास हेतु योजना (98-स्थापना खर्च)	मूल	607.00	429.71	429.71	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत और कम्प्यूटर दावों की कम प्राप्ति तथा दैनिक वेतनभोगी मजदूरों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-26.38				
	पुनर्वि.	-205.48				
	पुनर्वि.	-50.00				
	पुनर्वि.	-483.39				
	पुनर्वि.	-177.29				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-51-789-88-अनुसूचित जाति के किसानों के लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन	मूल	2,400.00	863.79	863.79	..	₹1,536.21 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 10/167-68 दिनांक 15.05.2025)।
2405-51-789-99- मछली पालन के तहत अनुसूचित जाति परिवार हेतु योजना	मूल	566.05	399.95	399.95	..	दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2405-51-792-99-अप्रतिलिप्य कर्ज को बट्टे खाते में डालना	मूल	10.00	..	..	..	ऋण/हानि दावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2406-01-003-97-वन प्रचार, लोक सम्पर्क एवं विस्तार	मूल	200.00	111.93	111.93	..	प्रकाशन के लिए दावों की कम प्राप्ति तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण के कम आयोजन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2406-01-005-98- जैव विविधता और परिस्थितिकीय उत्थान की स्थापना	मूल	700.00	210.00	210.00	..	सहायतानुदान दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2406-01-101-96- स्थाई कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत कृषि वानिकी (एन एम एस ए)	मूल पुनर्वि.	100.00 -100.00	..	..	..	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति/निधि प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2406-01-101-97-वनों की सुरक्षा	मूल पुनर्वि.	100.00 -11.75	88.25	88.25		लघु कार्य भुगतान के लिए दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2406-01-102-68-अरावली पहाड़ियों पर संस्थाओं का पुनर्उत्थान	मूल पुनर्वि.	700.00 -201.13	498.87	498.87	..	लघु कार्य भुगतान और रखरखाव कार्य के लिए दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2406-01-102-71-जड़ी-बूटी प्राकृतिक पार्क	मूल पुनर्वि.	1,000.00 -500.28	499.72	499.72	..	लघु कार्य भुगतान और रखरखाव के लिए दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2406-01-102-74-वन प्रबन्धन की एकीकरण	मूल पुनर्वि.	300.00 -300.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 10/167-68 दिनांक 15.05.2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2406-01-102-78-कृषि वानिकी का भूटक/गैर कूटक विकास	मूल	11,000.00	8,818.13	8,818.13	..	लघु कार्य भुगतान और रखरखाव कार्य के लिए दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2406-01-102-90-शहरी क्षेत्र में हरी पट्टी	मूल	800.00	549.81	549.81	..	लघु कार्य और रखरखाव कार्य के लिए दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2406-01-102-97- किनारा वन विस्तार (नहरों, सड़कों तथा रेलवे पथ के साथ -साथ खाली भूमि पर पौधा रोपण)	मूल	1,173.92	838.27	838.27	..	रिक्त पदों को न भरने तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षण न दिए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2406-02-110-87-एक्वाटिक इको-सिस्टम संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना के तहत हरियाणा में वेटलैंड का संरक्षण और प्रबंधन	मूल	500.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 10/167-68 दिनांक 15.05.2025)।
2406-02-110-88-वन्य जीवन के लिए समेकित विकास	मूल	800.00	388.29	388.29	..	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा केवल 50 प्रतिशत अनुदान जारी किए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2406-02-110-91-वन्य प्राणी विहारों का सुधार विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण	मूल	80.00	52.00	52.00	..	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा केवल 50 प्रतिशत अनुदान जारी किए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2406-02-110-95- बहुउद्देशीय क्षेत्रों में वन्य प्राणियों का संरक्षण	मूल	149.35	104.38	104.38	..	रिक्त पदों को न भरने, विकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो मुआवजे के दावों की अधिक प्राप्ति के द्वारा समायोजित किया गया।
2406-04-103-92- ब्याज से भुगतान प्रतिपूरक वनीकरण कोष पर उपार्जित किया गया	मूल	1,700.00	21.38	21.38	..	मुख्यतः लघु कार्यों के लिए निविद प्रतिया को अंतिम रूप न देने, पदों का सृजन न करने, महंगाई भत्ते के दावों की प्राप्ति न होने, कम्प्यूटर मदों की कम खरीद,, संविदा कर्मचारियों की कम तैनाती और मोटर वाहनों की खरीद न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2435-01-101-99-कृषि उत्पाद का वर्गीकरण तथा विकास (98-स्थापना खर्च)	मूल	238.00	170.22	170.22	..	रिक्त पदों पर नियुक्ति न होने तथा अवकाश यात्रा रियायत, विकित्सा प्रतिपूर्ति और संविदात्मक सेवा दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2853-02-001-98-राज्य में खनिज अन्वेषण और खनिजों के रियायत के लिए खानों और खनिजों का विकास	मूल	1,422.93	814.31	814.31	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान की कम प्राप्ति चिकित्सा प्रतिपूर्ति, किराया, दर और करों, पेट्रोल, तेल और स्नेहक दावों की कम प्राप्ति और पेशेवर कर्मचारियों की कम तैनाती के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2853-02-102-99- खनन के पश्चात बहाली के काम के लिए व्यय	मूल	10,481.00	6.17	6.17	..	खनन अनुबंध की समाप्ति/पूर्णता के चरण पर पहुंचने के बाद ही पुनर्स्थापन कार्य किया जाता है तथा पुनर्स्थापन कार्य नहीं हुआ जिसके कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2853-02-797-98-जिला खनिज फाउंडेशन निधि में स्थानांतरण (2.5 प्रतिशत राज्य अंशदान)	मूल	1,925.00	1,500.26	1,500.26	..	₹424.74 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 10/167-68 दिनांक 15.05.2025)।
2853-02-797-99-पुनर्स्थापना और पुनर्वास निधि में स्थानांतरण	मूल	7,700.00	5,556.67	5,556.67	..	₹2,143.33 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 10/167-68 दिनांक 15.05.2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3435-03-001-95-राज्य आर्ट्रभूमि प्राधिकरण	मूल	209.00	68.16	68.16	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अनुग्रह राशि के दावों की प्राप्ति न होने, प्रशिक्षण आयोजित न करने, तकनीकी अधिकारियों की कमी और प्रयोगशाला की अनुपलब्धता, अनुसंधान कार्य और आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से किराए पर ली गई निजी टैक्सी के भुगतान की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
3435-03-001-99-संदर्भित प्रयोगशाला समेत निदेशन तथा प्रशासन (98-स्थापना खर्च)	मूल	401.00	182.24	182.24	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, पर्यटन विभाग, हरियाणा के साथ किराया समझौते को अंतिम रूप न देने, सरकारी वाहन की खरीद न करने और वाहनों के सहायक उपकरणों की कम खरीद, अनुग्रह राशि के दावों की कम प्राप्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
3435-03-003-99-गुरुग्राम में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	मूल	800.00	188.23	188.23	..	पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) शाखा, चंडीगढ़ से मार्च 2025 में प्राप्त संशोधित अनुमान के कारण तथा पिछले वित्तीय वर्षों के लिए इको क्लब स्कूलों और कॉलेजों को निधि प्राप्त नहीं होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3435-03-102-98-ईको क्लब की स्थापना	मूल	250.00	..	..	..	पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान इको क्लब स्कूलों और कॉलेजों को वितरित की गई निधियों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
3435-03-102-99-विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना (99-स्थापना व्यय)	मूल	960.88	179.50	179.50	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत, बिजली बिल, किराया, दर एवं कर दावों की कम प्राप्ति तथा संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
3435-03-190-99-राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण हरियाणा	मूल	850.00	399.80	399.80	..	₹450.20 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 10/528-29 दिनांक 24.07.2025)।

(4) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले जिनमें वास्तविक बचत से कम राशि अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप राशि अनाभ्यर्पित रह गई।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-51-119-65-हरियाणा राज्य में उद्यान विकास समेकित योजना लागू करने वारे	मूल	9,200.00	6,496.60	6,496.34	(-)0.26	सब्सिडी दावों की कम प्राप्ति और कम्प्यूटर वस्तुओं की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.26 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

## अनुदान संख्या 10-जारी

- (5) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के दो मामलों जिनमें, निधियों में अनावश्यक वृद्धि की गई क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जिसके परिणामस्वरूप राशि अनाभ्यर्पित रह गई।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2403-51-113-96-दूध/अंडे/ज्ञा/मांस/चारा/घास के उत्पाद के अनुमान हेतु सर्वेक्षण के लिए योजना	मूल	200.00	288.00	144.63	(-)143.37	रिक्त पदों को भरने और महंगाई भत्ते में वृद्धि के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था। ₹143.37 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2406-01-102-64-राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (हरित भारत के लिये राष्ट्रीय योजना)	मूल	10,000.00	10,194.43	5,097.22	(-)5,097.21	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दो किस्तें प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹5,097.21 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

- (6) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले जिनमें वास्तविक बचत से अधिक राशि अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-51-109-93-कृषि का सुदृढ़ीकरण तथा संरचना विस्तार योजना	मूल	1,956.00	1,196.46	1,196.96	(+)0.50	कार्यालय वस्तुओं/उपकरणों की कम खरीद, रखरखाव दावों की कम प्राप्ति, आउटसोर्सिंग नीति के तहत कर्मचारियों की कम नियुक्ति, फर्नीचर की कम खरीद और अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम दौरे के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.50 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-51-119-58-बागवानी क्षेत्र में आधुनिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय तकनीकों के प्रोत्साहन हेतु योजना	मूल	5,000.00	2,184.98	2,185.14	(+0.16	मुख्यतः निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप न दिए जाने, कार्य पूरा न होने तथा सब्सिडी दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.16 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2401-51-119-69-राष्ट्रीय बागवानी मिशन	मूल	11,000.00	2,428.88	2,429.40	(+0.52	₹8,571.12 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 10/167-68 दिनांक 15.05.2025)। ₹0.52 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2401-51-119-97-हरियाणा में विभिन्न बागवानी गतिविधियों की स्कीम	मूल	7,814.00	6,640.27	6,647.70	(+7.43	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, नवीनीकरण/छोटे कार्यों के न होने, बिलों की कम राशि, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कम संचालन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो आउटसोर्सिंग नीति के तहत कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति और लंबित बिलों के भुगतान की अधिक प्राप्ति के द्वारा समायोजित किया गया। ₹7.43 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2403-51-102- 76- पशुधन गणना हेतु राज्यों को सहायता स्कीम	मूल	400.00	..	11.01	(+)11.01	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 10/167-68 दिनांक 15.05.2025)   ₹11.01 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)
2403-51-104- 94- भेड़, बकरी प्रजनन फार्म और ज्ञ ग्रेडिंग केंद्र की स्थापना	मूल	661.30	542.51	542.53	(+)0.02	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत, अन्य शुल्कों और अनुग्रह राशि दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.02 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)
2403-51-106- 95- जिला/ राज्य/अखिल भारतीय स्तर पर पशुधन तथा मुर्ग फार्म की स्कीम	मूल	300.00	180.25	259.63	(+)79.38	अन्य शुल्क दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹79.38 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)
2405-51-101- 92-सघन मत्स्य पालन विकास कार्यक्रम	मूल	2,444.00	1,961.10	1,962.29	(+)1.19	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, सब्सिडी, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति तथा दैनिक वेतनभोगी मजदूरों की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹1.19 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2406-01-001- 99-मुख्यालय अमला (98-स्थापना खर्च)	मूल	2,574.73	2,029.22	2,029.71	(+)0.49	रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत की कम प्राप्ति, कानूनी शुल्क दावों, प्रशिक्षण का आयोजन न करने तथा सूचना प्रौद्योगिकी/ कम्प्यूटर वस्तुओं की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.49 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पुनर्वि.	-545.51				
2406-01-070- 97- भवन	मूल	1,100.00	546.42	746.21	(+)199.79	लघु कार्य के भुगतान के लिए दावों की कम प्राप्ति तथा रखरखाव कार्य न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹199.79 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पुनर्वि.	-553.58				
2406-01-102- 94-वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण हदवन्दी एवं निपटारा	मूल	700.00	1.95	188.57	(+)186.62	लघु कार्यों के लिए दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹186.62 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पुनर्वि.	-698.05				
2406-01-105- 99-सरकारी एजेंसी द्वारा वनों से लकड़ी तथा अन्य पदार्थ ले जाना	मूल	45.00	10.07	10.60	(+)0.53	लघु कार्यों के लिए दावों की कम प्राप्ति तथा सरकारी वाहनों की खरीद/मरम्मत न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.53 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पुनर्वि.	-34.93				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2406-02-110-93-बहुउद्देशीय क्षेत्रों में वन्य प्राणियों का संरक्षण	मूल	1,100.00	448.00	677.18	(+)229.18	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, लघु कार्यों के लिए दावों की कम प्राप्ति, अन्य शुल्क, अनुग्रह राशि की प्राप्ति न होने तथा दैनिक मजदूरों के कम विकास के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के द्वारा समायोजित किया गया। ₹229.18 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2406-02-110-99-मुख्यालय अमला	मूल	2,164.83	1,253.32	1,269.49	(+)16.17	रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत की कम प्राप्ति, लघु कार्य, किराया, दर एवं कर दावों, प्रशिक्षण का आयोजन न करने तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं कम्प्यूटर वस्तुओं की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹16.17 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पुनर्वि.	-911.51				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2406-02-800-98-चिड़िया घरों और हिरण पार्कों का विस्तार	मूल	800.00	348.78	729.00	(+)380.22	मुख्यतः लघु कार्य भुगतान, रखरखाव और पेट्रोल, तेल एवं स्नेहक दावों की कम प्राप्ति तथा पेशेवर कर्मचारियों की तैनाती न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो संविदा कर्मचारियों की अधिक तैनाती और बिजली बिल दावों की अधिक प्राप्ति के द्वारा समायोजित किया गया। ₹380.22 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2406-04-103-96-वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य	मूल	10,800.00	878.01	3,835.01	(+)2,957.00	₹9,921.99 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 10/167-68 दिनांक 15.05.2025)। ₹2,957.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2406-04-103-99-मुआवजा वनीकरण	मूल	10,000.00	4,043.69	4,043.71	(+).02	₹5,956.31 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 10/167-68 दिनांक 15.05.2025)। ₹0.02 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2853-02-001-99-क्षेत्रीय अमला खानों तथा खनिजों का विकास (98-स्थापना खर्च)	मूल	2,372.88	1,136.44	1,136.68	(+).24	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान की कम प्राप्ति, अवकाश यात्रा रियायत, पेट्रोल, तेल एवं स्नेहक दावों की प्राप्ति, मोटर वाहन दावों की प्राप्ति न होने तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, ₹0.24 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
3435-03-104-99-जलवायु परिवर्तन प्रभाग	मूल	50.00	2.31	2.35	(+).04	संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, कार्यालय सामग्री की कम खरीद तथा अधिकारियों/कर्मचारियों के भ्रमण न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.04 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

(7) आधिकता मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2401-51-111- 88-हरियाणा फसल सुरक्षा योजना	मूल	1.00	1,36,508.18	1,36,508.18	..	सब्सिडी दावों की अधिक प्राप्ति के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था।
	पूरक	1,00,000.00				
	पुनर्विं.	36,507.18				
2401-51-190- 99-हरियाणा राज्य में भावंतर भरपाई योजना	मूल	3,000.00	7,000.00	7,000.00	..	पात्र किसानों के लिए जारी धनराशि की अधिक प्राप्ति के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था।
	पुनर्विं.	4,000.00				
2403-51-102- 91- गौशालाओं और गौसदनों का विकास	मूल	8,550.80	15,056.62	15,056.62	..	मुख्यतः अवकाश यात्रा रियायत, अनुग्रह राशि, ऊर्जा प्रभार और अन्य प्रभार दावों की कम प्राप्ति तथा कार्यालय मदों की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो सहायतानुदान दावों की अधिक प्राप्ति और नियमित कर्मचारियों के अधिक संख्या में शामिल होने के द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्विं.	6,505.82				
2403-51-103- 97- पोल्ट्री कुक्कुट हैचरी और फीड विश्लेषणात्मक प्रयोगशाला की स्थापना के लिए योजना	मूल	180.10	207.02	207.02	..	मुख्यतः विकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह राशि दावों की कम प्राप्ति तथा संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो नियमित कर्मचारियों के अधिक संख्या में शामिल होने के द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्विं.	26.92				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2403-51-789-89-राष्ट्रीय पशुधन मिशन के कार्यान्वयन के लिए योजना	मूल	400.00	1,041.68	1,041.68	..	भारत सरकार से अधिक दावे प्राप्त होने के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था।
	पुनर्वि.	641.68				

- (8) वित्त विभाग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले जिनमें वास्तविक व्यय से कम राशि आवर्धित की गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जो यह दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2403-51-101-62-पशु चिकित्सा संस्थाएँ खोलने अपग्रेड व सुदृढ़ करना	मूल	11,400.00	12,459.65	12,629.65	(+)170.00	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, लघु कार्य दावों की प्राप्ति न होने, अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि तथा सामग्री एवं आपूर्ति मदों की अधिक खरीद के द्वारा समायोजित किया गया। ₹170 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पुनर्वि.	1,059.65				

#### प्रभारित विनियोग

- (9) ₹111.66 लाख की बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2025 को ₹122.19 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।  
(10) बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2403-51-101-88-हरियाणा पशु चिकित्सा टीका संस्थान की स्थापना के लिए योजना	मूल	25.00	..	..	..	दावों की प्राप्ति न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-25.00				

(11) वित्त विभाग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले जिनमें वास्तविक बचत से अधिक राशि अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ।

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2406-01-800-99- नहरी पानी के लिए सिंचाई विभाग को जल प्रभार की अदायगी	मूल पुनर्वि.	120.00 -88.70	31.30	41.83	(+)10.53	दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹10.53 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (दिसम्बर 2025)।

पूँजीगत  
दत्तमत अनुदान

- (12) ₹98,70,877.00 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2025 को ₹99,05,779.00 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (13) ₹98,70,877.00 लाख की समस्त बचत को देखते हुए दिसम्बर 2024 में प्राप्त ₹2.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट तक भी नहीं पहुंचा।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-01-051-58-खान एवं भूविज्ञान के लिए भूमि क्रय एवं भवन निर्माण निदेशालय	मूल पुनर्वि.	500.00 -500.00	..	..	..	कार्यालय भवन के निर्माण के लिए अनुमानित लागत को अंतिम स्पष्ट न दिए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
4401-51-113-95-बुनियादी सुविधायों और कृषि विकास संबंधित गतिविधियों के लिए केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार	मूल पुनर्वि.	42,400.00 -42,400.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 10/167-68 दिनांक 15.05.2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4401-51-113-97-पूंजीगत आस्तियों के सृजन/खरीद की योजना (98-उद्यानिकी विभाग के लिए पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन/खरीद की योजना)	मूल	3,397.00	23.28	23.28	..	प्रमुख कार्य दावों की प्राप्ति न होने, वाहनों की खरीद/रखरखाव न होने तथा उपकरणों की खरीद न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
4401-51-113-97-पूंजीगत आस्तियों के सृजन/खरीद की योजना (99-कृषि विभाग के लिए पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन/खरीद की योजना)	मूल	6,380.00	1,247.93	1,247.93	..	प्रमुख कार्य दावों की कम प्राप्ति, वाहनों की खरीद/रखरखाव न होने तथा मशीनरी एवं फर्नीचर की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
4401-51-190-97-इक्विटी कैपिटल टू इंडिया इंटरनेशनल हॉटिकल्चर मार्केट (आईआईएचएम) गनौर सोनीपत	मूल	40,000.00	18,000.00	18,000.00	..	निवेश के अंतर्गत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
4403-51-101-99- राज्य में पशु चिकित्सा अवसंरचना का निर्माण (98-नाबाड़ सहायता)	मूल	2,000.00	721.64	721.64	..	प्रमुख कार्य के अंतर्गत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
4406-01-101-99-वन विंग के लिए पूंजीगत संपत्ति के सृजन/खरीद की योजना	मूल	50.00	33.46	33.46	..	₹16.54 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 10/167-68 दिनांक 15.05.2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4853-01-004-99-खान एवं भू-विज्ञान विभाग के लिए पूँजीगत संपत्ति के सृजन/खरीद की योजना	मूल	20.00	1.49	1.49	..	मशीनरी और सोटर वाहन की खरीद न होने तथा फर्नीचर की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
6401-51-800-90-बागवानी विश्वविद्यालय को ऋण	मूल	10,000.00	4,122.60	4,122.60	..	अव्यायित शेष के समायोजन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
6403-51-190-98- लाला लाजपतराय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार को ऋण (नाबाड़)	मूल	8,000.00	4,015.98	4,015.98	..	नाबाड़ के अंतर्गत लुवास, हिसार की परियोजना को अंतिम रूप ने दिए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
6403-51-190-99-लाला लाजपतराय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार को ऋण (राज्य)	मूल	17,000.00	10,990.00	10,990.00	..	ऋण दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

(14) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले जिनमें वास्तविक बचत से अधिक राशि अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4403-51-101-99- राज्य में पशु चिकित्सा अवसंरचना का निर्माण (99-राज्य सहायता)	मूल	8,600.00	2,805.95	3,115.75	(+)309.80	प्रमुख कार्य दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹309.80 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

(15) आधिकता मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुइः-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4401-51-113-97-पूंजीगत आस्तियों के सृजन/खरीद की योजना	मूल	..	..	39.22	(+)39.22	₹39.22 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4403-51-101-97-पशुपालन विभाग के लिए पूंजीगत संपत्ति के सृजन/खरीद की योजना	मूल	142.00	1,014.35	1,014.35	..	प्रमुख कार्य दावों की प्राप्ति न होने, मोटर वाहनों की कम खरीद तथा मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद न होने के कारण निवियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	872.35				

(16) राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष:-

भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, राज्य सरकारों को क्षतिपूरक वनीकरण के लिए उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त राशि के लिए राज्य के सार्वजनिक खाते में ब्याज वाले अनुभाग के तहत राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष की स्थापना करना आवश्यक है।

क्षतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम 2016 (2016 का 38) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हरियाणा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक विशेष कोष स्थापित करने में प्रशन्न हैं, जिसे राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष हरियाणा (एससीएफ) कहा जाएगा (इसके बाद इसे राज्य कोष के रूप में संदर्भित किया गया है) जो मुख्य शीर्ष : 8121-सामान्य और अन्य आरक्षित निधि के नीचे एक विशिष्ट लघु शीर्ष-129-हरियाणा क्षतिपूरक वनीकरण कोष (एससीएफ) के तहत हरियाणा राज्य के सार्वजनिक खाते के ब्याज वाले अनुभाग के तहत, आधिकारिक राज पत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी है।

राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष हरियाणा राज्य सरकार के नियंत्रण में होगी और राज्य प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित की जाएगी। वित्तीय नियम और प्रक्रियाएँ, विशेष रूप से राज्य प्राधिकरण के बजट को तैयार करने और लागू करने की प्रक्रिया, सामान्य वित्तीय नियम, 2017 और इस संबंध में समय-समय पर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार होगी।

वर्ष 2024-25 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा अलग लेखांकन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्रधिकरण (राष्ट्रीय प्रधिकरण, नई दिल्ली समय-समय पर क्षतिपूरक वनीकरण कोष का 90 प्रतिशत राज्य हिस्सा राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि के तहत जमा) राज्य सरकार को हस्तांतरित करता है, राज्य सरकार को वर्ष 2024-25 के दौरान राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनरोपण जमा से ₹157.50 करोड़ प्राप्त हुए। निधि में ₹52.48 करोड़ का ब्याज प्राप्त हुआ।

सरकार ने इस कोष से ₹79.00 करोड़ का व्यय किया, हालांकि वर्ष के दौरान कोई राशि निवेश नहीं की गई। 31 मार्च 2025 तक राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष में कुल शेष ₹1,690.82 करोड़ था।

## (17) खान और खनिज विकास, पुनर्स्थापन और पुनर्वास निधि (एमएमडीआरआरएफ):-

इस कोष की स्थापना हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 10 जुलाई 2015 के तहत खनन क्षेत्र के पर्यावरणीय रूप से स्थाई विकास, राज्य में खनन स्थलों की सुरक्षा, संरक्षण, पुनर्वास और बहाली और संरक्षण के समग्र हित में अन्य संबंधित कार्य करने और क्षेत्र की परिस्थितिकी और पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के समग्र हित में अन्य संबंधित कार्य करने के लिए की गई थी। इस फंड को रिजर्व फंड के तहत खोला गया है, जिसमें ब्याज नहीं है, हालांकि इस पर सालाना 6 प्रतिशत की दर से ब्याज लग रहा है।

निधि के संविधान के अनुसार, राज्य को भुगतान किए गए डेड रेट/रॉयल्टी/कॉन्ट्रैक्ट मनी के 10 प्रतिशत के बराबर राशि खनिज रियायत धारकों से बहाली और पुनर्वास के लिए अन्य शुल्क के रूप में लिया जाता है और निधि में जमा किया जाता है। इसके अलावा, एक वित्तीय वर्ष में डेड रेट/रॉयल्टी/कॉन्ट्रैक्ट मनी के मद में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त राशि के 5 प्रतिशत के बराबर राशि को फंड में सरकारी योगदान के रूप में जमा/स्थानांतरित किया जाना है। दिनांक 03.05.2021 की अधिसूचना के माध्यम से 03.05.2021 से रियायत धारकों द्वारा योगदान की राशि को 10 प्रतिशत से घटाकर 7.5 प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

1 अप्रैल 2024 को निधि में ₹53,982.46 लाख की शेष राशि थी। राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 के दौरान निधि में ₹5,556.67 लाख (रियायत धारक का योगदान ₹4,241.13 लाख और ₹1,315.54 लाख राज्य का योगदान) की राशि जमा की। निधि में शेष राशि पर ब्याज ₹2,781.00 लाख है।

31.03.2025 को निधि में से ₹6.17 लाख का व्यय (₹0 लाख जिला खनिज निधि में स्थानांतरित किया गया और ₹6.17 लाख प्रशासनिक व्यय थे) ₹62,313.96 लाख शेष छोड़कर निधि से पूरा किया गया।

वर्ष 2024-25 के लिए खान एवं खनिज निधि का लेन-देन इस प्रकार है:-

(₹ लाख में)

01.04.2024 को प्रारंभिक शेष राशि	वर्ष के दौरान आरक्षित निधि में हस्तांतरण	ब्याज	वर्ष के दौरान निधि से किया गया व्यय	31.03.2025 को अंतिम शेष
53,982.46	5,556.67 (4,241.13+1,315.54)	2,781.00	6.17	62,313.96

निधि में लेनदेन का विवरण वर्ष 2024-25 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या 21 और 22 में दिया गया है।

## अनुदान संख्या-11-सहकारिता/खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले

(मुख्य शीर्ष-2408-खाद्य, भंडारण तथा भांडागार, 2425-सहकारिता, 3456-सिविल पूर्ति, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4408-खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय, 4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय, 4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	19,94,06,41	23,83,90,91	15,68,18,60	(-)8,15,72,31
पूरक	3,89,84,50			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2025)

8,15,14,65

प्रभारित

मूल	16,00	16,00	12,34	(-)3,66
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2025)

3,66

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,53,13,44,60	1,53,13,44,60	1,35,17,96,88	(-)17,95,47,72
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2025)

23,00,57,36

टिप्पणियां एवं टीकाएँ:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

(1) ₹81,572.31 लाख की अन्तिम बचत में से ₹57.66 लाख की राशि अनाभ्यर्पित रह गई।

(2) ₹81,572.31 लाख की समस्त बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2024 में प्राप्त ₹38,984.50 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।

(3) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2408-01-001-86-हर घर गृहणी योजना	मूल	..	4,046.87	4,046.87	..	लाभार्थियों से सब्सिडी दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पूरक	35,000.00				
	पुनर्वि.	-30,953.13				
2408-01-001-87-स्मार्ट पीडीएस	मूल	..	51.70	51.70	..	भारत सरकार द्वारा राशि जारी न किए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पूरक	393.50				
	पुनर्वि.	-341.80				
2408-01-001-93-अंत्योदय आहार योजना	मूल	70,000.00	58,204.15	58,204.15	..	संबंधित एजेंसी से सब्सिडी दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-11,795.85				
2408-01-001-94-पब्लिक डिस्ट्रियूशन स्कीम (99-सूचना और प्रोद्योगिकी)	मूल	1,200.00	8.59	8.59	..	कम्प्यूटर और सहायक उपकरणों की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,191.41				
2408-01-001-97-राज्य आयोग	मूल	678.00	401.13	401.13	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कार्यालय व्यय, अनुग्रह एवं अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति तथा संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-276.87				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2408-01-001-99-निदेशालय अमला (98-स्थापना खर्च)	मूल पुनर्वि.	2,881.36 -308.86	2,572.50	2,572.50	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, छात्रवृत्ति, वजीफा और मानेदय दावों की कम प्राप्ति, पेशेवर और संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो अनुग्रह राशि दावों की अधिक प्राप्ति के द्वारा समायोजित किया गया।
2425-51-003-99- प्रशिक्षण	मूल पुनर्वि.	152.50 -48.32	104.18	104.18	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों की कम नियुक्ति तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2425-51-004-98-जिला अमला	मूल पुनर्वि.	87.25 -15.01	72.24	72.24	..	रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2425-51-004-99-आर.सी.एस. आफिस में मोनिटरिंग सेल का सुदृढीकरण	मूल पुनर्वि.	50.00 -22.34	27.66	27.66	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतनभोगी मजदूरों की तैनाती न करने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और कर्मचारी द्वारा कम दौरा करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2425-51-101-98-रजिस्ट्रार सहकारी समीति में ऑडिट स्टाफ का सुदृढ़ीकरण	मूल पुनर्वि.	2,637.00 -475.45	2,161.55	2,161.55	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि के द्वारा समायोजित किया गया ।
2425-51-101-99-क्षेत्रीय अमला मुख्य लेखा परीक्षण मुख्यालय को सुदृढ़ करना	मूल पुनर्वि.	402.00 -176.65	225.35	225.35	..	रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत की कम प्राप्ति, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और बिजली बिलों के भुगतान के दावों के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
2425-51-105-99-पुस्ताकालयों की दुबारा सम्पूर्ति	मूल पुनर्वि.	32.50 -24.17	8.33	8.33	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
2425-51-107-76-हरियाणा में मुख्यमंत्री दुर्घ उद्योग प्रोत्साहन योजना	मूल पुनर्वि.	10,000.00 -7,916.22	2,083.78	2,083.78	..	सब्सिडी दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2425-51-107-78-हरियाणा राज्य समितियां कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को सहायता प्रदान करना	मूल पुनर्वि.	100.00 -100.00	..	..	..	सहायतानुदान दावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2425-51-107-89-सरकारी बैंकों की अल्पविधि कर्जे फसल पर व्याज दर में छूट हेतु का नाम बदलकर अनुसूचित बैंकों की अल्पविधि कर्जे फसल पर व्याज दर में छूट हेतु	मूल पुनर्वि.	21,500.00 -11,092.74	10,407.26	10,407.26	..	सहायतानुदान दावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2425-51-108-93-डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) योजना के तहत दुग्ध संयंत्रों के नवीनीकरण के लिए व्याज उपबंध	मूल पुनर्वि.	50.00 -50.00	..	..	..	सहायतानुदान दावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2425-51-108-94-डबवाली में मिल्क चिलिंग सेंटर की स्थापना का नाम बदलकर मिल्क चिलिंग सेंटर का सुदृढ़ीकरण करना	मूल पुनर्वि.	500.00 -500.00	..	..	..	पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के दावों के लिए अनुदान प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2425-51-108-95-दुध सहकारी समितियाँ (98-प्राथमिक दुध सहकारी समितियाँ)	मूल पुनर्वि.	1,200.00 -360.00	840.00	840.00	..	सहायतानुदान दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2425-51-108-96-हरियाणा में दुध सहकारी समितियों में खरीद और विपणन बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना	मूल पुनर्वि.	1,000.00 -300.00	700.00	700.00	..	सब्सिडी दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2425-51-277-98-सदस्य, शिक्षा तथा नेतृत्व	मूल पुनर्वि.	300.00 -90.00	210.00	210.00	..	सब्सिडी दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2425-51-277-99-शिक्षा	मूल पुनर्वि.	47.00 -11.69	35.31	35.31	..	रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2425-51-789-99-प्राथमिक उधार व औद्योगिक सहकारिताओं के अनुसूचित जाति के सदस्यों के दिये गए कर्ज पर ब्याज उपदान	मूल पुनर्वि.	20.00 -14.08	5.92	5.92	..	₹14.08 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/पुनर्वि./ 2025-26 /अनु सं. 11/125-27 दिनांक 01.05.2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2425-51-792-99-अप्रतिलिप्य कर्ज को बट्टे खाते में डालना	मूल पुनर्वि.	20.00 -20.00	..	..	..	ऋण/हानि दावों की प्राप्ति न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
3475-51-106-98-स्थापना खर्च	मूल पुनर्वि.	633.00 -95.62	537.38	537.38	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, किराया दरों और करों, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति तथा दैनिक वेतन वेतनभोगी कर्मचारियों की कम नियक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

- (4) वित्त विभाग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित दो मामले, जिनमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से अभ्यर्पित राशि वास्तविक बचत से कम होने के परिणामस्वरूप राशि अनाभ्यर्पित रह गई, जो दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2408-01-001-92-राज्य खाद्य आयोग	मूल पुनर्वि.	394.00 -230.04	163.96	102.16	(-)61.80	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, वाहनों की कम मरम्मत, किराया, दर एवं कर तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और संविदा सेवा दावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹61.80 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2408-01-001-96-जिला फोरम	मूल	4,236.00	3,178.31	3,151.60	(-)26.71	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति, कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद और संविदा पदों पर नियुक्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹26.71 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

- (5) वित्त विभाग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले, जिसमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से अभ्यर्पित राशि वास्तविक बचत से अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जो यह दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2425-51-001-98-जिला स्तर पर आर.सी.एस आफिस का सुदृढ़ीकरण	मूल	8,466.00	6,433.23	6,433.26	(+)0.03	रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अनुग्रह राशि, बिजली बिल और कम्प्यूटर दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.03 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

- (6) निम्नलिखित मामले में, जिनमें अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया। अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इन मामलों में वास्तविक व्यय मूल बजट का एक भाग वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जो यह दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2408-01-001- 98-क्षेत्रीय अमला	मूल	45,992.00	28,488.24	28,518.91	(+)30.67	रिक्त पदों को न भरने, सब्सिडी दावों, अनुग्रह राशि और बिजली बिल के दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति, संविदा कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति और क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए पांच नए वाहनों की खरीद के द्वारा समायोजित किया गया। ₹30.67 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पूरक	3,100.00				
	पुनर्वि.	-20,603.76				

(7) अधिकता मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2408-01-001- 91-टीपीडीएस ऑपरेशन के एंड- टू-एंड कम्प्यूटरीकरण का पुनर्निर्धारण	मूल	2,500.00	12,436.32	12,436.33	(+)0.01	डिपो धारक मार्जिन/ अतिरिक्त मार्जिन की भरपाई के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था, जो भारत सरकार द्वारा धनराशि जारी न किए जाने के कारण हुई बचत के द्वारा समायोजित किया गया।
	पूरक	486.00				
	पुनर्वि.	9,450.32				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2425-51-106-99-पीएसीएस के कम्प्यूटरीकरण की योजना (60:40)	मूल	172.00	406.94	406.94	..	भारत सरकार द्वारा अधिक धनराशि जारी किये जाने के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था ।
	पुनर्वि.	234.94				

**पूंजीगत  
दत्तमत अनुदान**

(8) ₹1,79,547.72 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2025 को ₹2,30,057.36 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ ।

(9) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4408-01-101-89-बाजरा की खरीद	मूल	5,000.00	3,264.39	3,264.39	..	बाजरे की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-1,735.61				
4408-02-101-99-गोदामों का निर्माण	मूल	100.00	2.94	2.94	..	हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन से गोदामों के निर्माण के लिए अनुमान प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-97.06				
4408-02-101-99-गोदामों का निर्माण (98-राज्य अंशदान)	मूल	100.00	..	..	..	गोदामों के निर्माण के लिए हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन से अनुमान प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-100.00				
4408-02-101-99-गोदामों का निर्माण (99-नाबाड़ अंशदान)	मूल	1,900.00	..	..	..	गोदामों के निर्माण के लिए नाबाड़ से अनुमान प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-1,900.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4425-51-001-99-सहकारी विभाग के लिए पूंजीगत संपत्ति के सृजन/खरीद की योजना	मूल	205.00	147.09	147.09	..	मोटर वाहन और फर्नीचर दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
4425-51-107-85-शहरी सहकारी बैंक हिस्सा पूंजी	मूल	100.00	..	..	..	पात्र शहरी सहकारी बैंक की अनुपलब्धता के कारण समर्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था ।
4425-51-107-86-आवासीय फेडरेशन के लिए हिस्सा पूंजी	मूल	300.00	210.00	210.00	..	निवेश दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
4425-51-107-93-हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक चण्डीगढ़	मूल	100.00	..	..	..	भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की अयोग्यता के कारण समर्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था ।
4425-51-107-96-हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	मूल	100.00	..	..	..	भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला प्राथमिक सहकारिता एवं कृषि ग्रामीण विकास बैंक की अयोग्यता के कारण समर्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4425-51-107-97-हरको बैंक को शेयर पूँजी के लिए योगदान	मूल	5,000.00	..	..	..	भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार हार्को बैंक की अयोग्यता के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
4425-51-107-99-केन्द्रीय सहकारी बैंक में पूँजी लागाना	मूल	5,000.00	..	..	..	भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार सहकारी बैंकों की अयोग्यता के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
4425-51-108-74-प्राथमिक कृषि समितियों में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा हिस्सा पूँजी का अंशदान	मूल	200.00	..	..	..	भारत सरकार से निवेश की प्राप्ति न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
4425-51-108-88-विपणन सहकारिताओं की हिस्सा पूँजी में सरकारी अंशदान	मूल	50.00	..	..	..	निवेश दावों की प्राप्ति न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।

(10) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश का निम्नलिखित मामले, जिसमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से अभ्यर्पित राशि वास्तविक बचत से कम थी, जिसके परिणामस्वरूप राशि अनाभ्यर्पित रह गई, जो यह दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4250-51-201-98-सहकारी श्रम एवं निर्माण प्रसंघ को हिस्सा पूँजी	मूल	50.00	36.60	35.00	(-)1.60	निवेश दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹1.60 लाख की अंतिम बचत के कारण सुचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

- (11) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेशों के निम्नलिखित मामले, जिसमें वास्तविक बचत से अधिक धनराशि अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4408-01-101-99-खाद्य वितरण योजना	मूल	14,00,000.00	12,97,506.22	12,97,972.53	(+)466.31	चालू वित्त वर्ष के दौरान गेहूं और धान की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹466.31 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पुनर्वि.	-1,02,493.78				

- (12) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के दो मामले, जिनमें सम्पूर्ण मूल बजट प्रावधान को अभ्यर्पित कर दिया गया तथा पर्याप्त बजट प्रावधान के बिना व्यय किया गया, की चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4408-01-101-97-पूँजी पर ब्याज	मूल	60,000.00	..	37,532.41	(+)37,532.41	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 11/125-27 दिनांक 01.05.2025)। ₹37,532.41 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पुनर्वि.	-60,000.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4408-01-101-98-स्थापना खर्च का प्रभार	मूल	53,000.00	..	12,510.91	(+) 12,510.91	समर्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/ अनु. सं. 11/125-27 दिनांक 01.05.2025)। ₹12,510.91 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

**अनुदान संख्या 12-शिक्षा (माध्यमिक/प्राथमिक)/उच्च शिक्षा (उच्च/तकनीकी/विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी)/ महिला एवं बाल विकास**

(मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, 2203-तकनीकी शिक्षा, 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 2236-पोषण, 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय, 5425-अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूँजीगत परिव्यय, 6202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,12,77,08,26	2,17,37,30,42	1,98,15,56,59	(-) 19,21,73,83
पूरक	4,60,22,16			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2025)

19,82,61,29

पूँजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	17,80,70,00	17,83,70,00	11,62,29,49	(-) 6,21,40,51
पूरक	3,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2025)

6,95,89,60

टिप्पणियाँ एवं टीकाएं

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹1,92,173.83 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2025 को ₹1,98,261.29 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹1,92,173.83 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध दिसंबर 2024 और मार्च 2025 में प्राप्त ₹46,022.16 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।

(3) बचत मुख्य रूप से निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-01-001-95-प्राथमिक शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी/क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी (क्षेत्रीय अमला) की स्थापना	मूल	14,927.00	12,601.23	12,601.23	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कम्प्यूटर हार्डवेयर और संबद्ध वस्तुओं की कम खरीद, अनुग्रह राशि के दावों की कम प्राप्ति, प्रशिशु प्रशिक्षकों की कम संख्या में नियुक्ति और ऊर्जा प्रभारों की मांग की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2202-01-101-87-11 और 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए राष्ट्रीय/राज्य/जिला स्तरीय रक्षुल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन	मूल	300.00	170.77	170.77	..	मुख्यतः सामग्री एवं आपूर्ति की कम मांग पर मितव्यिता के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
2202-01-101-95-कक्षा छठी से आठवीं तक सुविधायें बढ़ाना (पूर्ण कालिक)	मूल	2,000.00	..	..	..	सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.लेखे/अनु.सं. 12/पुनर्वि.आदेश/2025-26/171-72 दिनांक 15.05.2025)।
2202-01-101-97-कक्षा पहली से पाँचवीं तक सुविधाएं बढ़ाना (पूर्णकालिक)	मूल	700.00	60.00	60.00	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि. लेखे/ अनु.सं. 12/पुनर्वि. आदेश/2025-26/171-72 दिनांक 15.05.2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-01-102-92-अराजकीय प्राथमिक सरकारी स्कूलों को सहायता अनुदान देने बारे	मूल	50.00	..	..	..	सम्पूर्ण प्रावधान के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (पि.लेख/अनु.सं. 12/पुनर्वि.आदेश/2025-26/171-72 दिनांक 15.05.2025)।
2202-01-108-99-पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन एवं पठन सामग्री तैयार करना	मूल	108.00	70.06	70.06	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, महंगाई भत्ते का कम भुगतान तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश यात्रा रियायत दावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2202-01-109-83-मुख्यमंत्री सक्षम मैरिट आधारित सरकारी स्कूलों में छठी से आठवीं कक्ष में पढ़ने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना	मूल	160.00	40.83	40.83	..	सरकारी स्कूलों से मेरिट सूची प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2202-01-112-99-प्राइमरी स्कूलों के बच्चों के लिए मध्य दिवस भोजन	मूल	60,804.54	43,766.08	43,766.08	..	भारत सरकार से केन्द्रांश की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2202-01-199-99-पीएम श्री (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) योजना	मूल	6,465.00	..	..	..	संपूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण, पीएम श्री स्कूल्स फार राइजिंग इंडिया स्कूलों के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों को सामान्य अनुदान सहायता और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान में शामिल न किये जाने के कारण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-01-789-93-पीएमश्री (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना)	मूल	750.00	..	..	..	संपूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण, पीएम श्री स्कूल्स फार राइजिंग इंडिया स्कूलों के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों को सामान्य अनुदान सहायता और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान में शामिल न किये जाने के कारण किया गया था।
2202-01-789-98- अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 8 वीं के विद्यार्थियों के लिए नकद इनाम योजना	मूल	5,800.00	5,133.06	5,133.06	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.लेखे/अनु.सं. 12/पुनर्वि.आदेश/2025-26/ 171-72 दिनांक 15.05.2025)।
2202-01-789-99-अनुसूचित जाति के छठी कक्षा के छात्रों को मुक्त सार्विक विद्यालय प्रदान करना	मूल	200.00	149.83	149.83	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.लेखे/अनु.सं. 12/पुनर्वि.आदेश/2025-26/ 171-72 दिनांक 15.05.2025)।
2202-01-792-51-एन.ए.	मूल	200.00	127.40	127.40	..	ऋण/हानि दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
2202-01-800-91-स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम (96-छात्रों का संस्कृति कार्यक्रम)	मूल	400.00	142.25	142.25	..	अन्य प्रभारों के अंतर्गत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-01-800-91-स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम (99-स्वच्छ प्रांगण)	मूल	700.00	419.83	419.83	..	अन्य प्रभारों के अंतर्गत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
2202-01-800-93-शिक्षा का अधिकार अधिनियम	मूल	17,000.00	9,533.40	9,533.40	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.लेखे/अनु.सं. 12/पुनर्वि.आदेश/2025-26/ 171-72 दिनांक 15.05.2025)।
2202-02-001-99-प्रशासनिक अमला (99-मुख्यालय स्थापना)	पुनर्वि.	-7,466.60				
2202-02-004-99-राज्य अनुसंधान तथा प्रशिक्षण कौसिल गुरुग्राम की स्थापना	मूल	6,443.00	5,170.61	5,170.61	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूति दावों की कम प्राप्ति, संविदा सेवाओं की मांग की कम प्राप्ति, अवकाश यात्रा रियायत और मोटर वाहन दावों की कम प्राप्ति, महंगाई भत्ते का कम भुगतान, प्रशिक्षण प्रशिक्षियों की कम नियुक्ति और पेट्रोल, तेल और स्नेहक दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,272.39				
	मूल	2,851.00	1,670.21	1,670.21	..	मुख्यतः प्रशिक्षण कम्प्यूटरीकरण और अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, रिक्त पदों का न भरने, ऊजा प्रभारों के अंतर्गत दावों की कम प्राप्ति और महंगाई भत्ते के कम भुगतान के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था जो कि क्षेत्रीय कार्यालयों से अनुग्रह राशि की मांग की अधिक प्राप्ति के कारण समायोजित कर लिया गया।
	पुनर्वि.	-1,180.79				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-02-053-99-सरकारी स्कूलों में विस्तार तथा बदलाव	मूल	10,500.00	994.16	994.16	..	छोटे कार्यों से संबंधित बिलों का भुगतान न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण कर दिया गया ।
2202-02-105-92-जिला स्तर पर शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना (डाईटस)	मूल	6,000.00	2,110.76	2,110.76	..	मुख्यतः भारत सरकार से अनुदान देरी से और कम प्राप्ति तथा रिक्त पदों का न भरने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
2202-02-107-84-माध्यमिक स्तर पर हरियाणा राज्य के छात्रों को मैरिट छात्रवृत्ति देने वारे	मूल	145.00	44.66	44.66	..	मुख्यतः छात्रवृत्ति एवं वजीफे के विभागीय प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
2202-02-107-89-राष्ट्रीय मैरिट छात्रवृत्ति	मूल	30.00	..	..	..	सम्पूर्ण प्रावधान के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.लेखे/अनु.सं. 12/पुनर्वि.आदेश/2025-26/ 171-72 दिनांक 15.05.2025) ।
2202-02-107-99-छात्रवृत्तिया (माध्यमिक स्कूल)	मूल	160.00	96.69	96.69	..	पात्र विद्यार्थियों की कम संख्या के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
2202-02-109-83-स्तर और व्यापक मूल्यांकन	मूल	500.00	354.65	354.65	..	अन्य प्रभारों के अंतर्गत मांग की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-02-110-94-समान शिक्षा राहत के लिए मुख्यमंत्री नीति	मूल	500.00	99.00	99.00	..	अन्य शुल्कों के अंतर्गत पात्र छात्रों की कम संख्या के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2202-02-110-95-गुरुकुल/संस्कृत पाठशाला को सहायता अनुदान	मूल	60.00	..	..	..	सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.लेखे/अनु.सं. 12/पुनर्वि.आदेश/2025-26/ 171-72 दिनांक 15.05.2025)।
2202-02-110-96-अराजकीय सहायता प्राप्त सैकेंडरी स्कूलों के लिए पेंशन लागू करना	मूल	10,000.00	7,344.16	7,344.16	..	निधियों का अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.लेखे/अनु.सं. 12/पुनर्वि.आदेश/2025-26/ 171-72 दिनांक 15.05.2025)।
2202-02-110-98-गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता अनुदान (वेतन अनुदान)	मूल	300.00	..	..	..	सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण विभागीय प्रस्ताव की मंजूरी न मिलने के कारण हुआ।
2202-02-789-99- अनुसूचित जाति के कक्षा 9 से 11 तक के विद्यार्थियों को मुफ्त साईकिल प्रदान करना	मूल	1,000.00	100.00	100.00	..	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत पात्र छात्रों की कम संख्या के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
2202-02-792-99-अपूरणीय ऋण बट्टे खाते में डालना	मूल	500.00	24.18	24.18	..	ऋण/हानि दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-401.00				
	पुनर्वि.	-60.00				
	पुनर्वि.	-2,655.84				
	पुनर्वि.	-300.00				
	पुनर्वि.	-900.00				
	पुनर्वि.	-475.82				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-02-800-97-स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम (96-छात्रों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम)	मूल	700.00	450.00	450.00	..	क्षेत्रीय कार्यालयों से अन्य प्रभारों की मांग की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2202-02-800-97-स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम (97-सु संस्कार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीवीपी))	मूल	700.00	411.95	411.95	..	क्षेत्रीय कार्यालयों से अन्य प्रभारों की मांग की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2202-02-800-97-स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम (97-स्वच्छ प्रांगण)	मूल	400.00	12.00	12.00		निधियों का अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.लेख/अनु.सं. 12/पुनर्वि.आदेश/2025-26/ 171-72 दिनांक 15.05.2025)।
2202-03-001-99-प्रशासकीय अमला (98-राजकीय विद्यालय प्रशासकीय अमला) (क्षेत्रीय अमला)	मूल	15,085.00	13248.81	13248.81	..	मुख्यतः सरकारी कॉलेजों से वेतन की मांग की कम प्राप्ति, अनुग्रह राशि की मांग की कम प्राप्ति, सरकारी कॉलेजों में संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, ऊर्जा और अवकाश यात्रा रियायत बिलों का भुगतान न होना, कार्यालय व्यय, छात्रवृत्ति और वजीफा, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, महंगाई भत्ते की मांग की कम प्राप्ति और आउटसोर्सिंग नीति भाग-1 में व्यक्तियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2202-03-105-90-राजकीय महाविद्यालयों में खेलकूद क्रिया कलाप	मूल	150.00	112.45	112.45	..	अन्य शुल्क बिलों का भुगतान न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03-105-92-राजकीय महाविद्यालयों तथा मुख्यालयों पर शिक्षकों तथा शिक्षार्थियों के लिए मानव संसाधन विकास	मूल	350.00	216.00	216.00	..	मुख्यतः मानदेय, सामग्री एवं आपूर्ति तथा प्रशिक्षण बिलों का भुगतान न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
2202-03-105-99-निदेशालय स्तर तथा महाविद्यालय स्तर पर महिला सैल की स्थापना	मूल	70.00	48.01	48.01	..	मुख्यतः अन्य प्रभारों मानदेय और सामग्री एवं आपूर्ति बिलों का भुगतान न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
2202-03-107-98-छात्रवृत्तियां (महाविद्यालय)	मूल	234.00	180.30	180.30	..	छात्रवृत्ति एवं वजीफ बिलों का भुगतान न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
2202-03-107-99-छात्रवृत्ति एवं वजीफे	मूल	50.00	35.00	35.00	..	छात्रवृत्ति एवं वजीफ बिलों का भुगतान न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2202-03-188-99-प्रारम्भ राज्य शिक्षक शिक्षा में उन्नत अध्ययन संरक्षण झज्जर	मूल	2,500.00	625.00	625.00	..	पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन तथा सामान्य सहायता अनुदान के लिए अनुदान की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
2202-03-792-99-कर्ज/हानियों को बट्टे खाते डालना	मूल	1,000.00	..	..	..	संपूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण /हानि दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
	पुनर्वि.	-134.00				
	पुनर्वि.	-21.99				
	पुनर्वि.	-53.70				
	पुनर्वि.	-15.00				
	पुनर्वि.	-1,875.00				
	पुनर्वि.	-1,000.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-04-200-97- साक्षर भारत स्कीम/नाम बदलकर पढ़ना लिखना अभियान नाम बदलकर नया भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी)	मूल	1,000.00	..	..	..	संपूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.लेख/अनु.सं. 12/पुनर्वि.आदेश/2025-26/ 171-72 दिनांक 15.05.2025)।
2203-51-105-55- बहुतकनीकियों का सामुदायिक विकास	मूल	120.00	..	..	..	सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण किया गया।
2203-51-105-82-वर्तमान बहुतकनीकियों का आधुनिकीकरण	मूल	100.00	..	..	..	सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण किया गया।
2203-51-105-89-राज्य में नए राजकीय बहुतकनीकी की स्थापना	मूल	200.00	..	..	..	सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति न होने के कारण किया गया।
2203-51-112-90-राजकीय इन्जीनियरिंग कॉलेज निलोखेडी जिला करनाल की स्थापना	मूल	1,000.00	544.61	544.61	..	मुख्यतः कर्मचारियों की नियुक्ति न होने, रिक्त पदों को न भरने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति तथा महंगाई भत्ते के कम भुगतान के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2203-51-112-91-भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), किलोहद, सोनीपत की स्थापना	मूल	700.00	350.00	350.00	..	निधियों का अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.लेख/अनु.सं. 12/पुनर्वि.आदेश/2025-26/ 171-72 दिनांक 15.05.2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2203-51-112-92-राष्ट्रीय फैशन टैक्नोलॉजी संस्थान पंचकुला की स्थापना	मूल	1,000.00	..	..	..	संपूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.लेख/अनु.सं. 12/पुनर्वि.आदेश/2025-26/ 171-72 दिनांक 15.05.2025)।
2203-51-112-93-चौ. देवीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना	मूल	1,097.00	856.41	856.41	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, ऊर्जा प्रभार दावों की कम प्राप्ति, महंगाई भत्ते के कम भुगतान और संविदा आधार पर कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था जो कि अवकाश यात्रा रियायत दावों की अधिक प्राप्ति के द्वारा समायोजित कर लिया गया था।
2203-51-112-94-राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय रेवाड़ी की स्थापना	मूल	800.00	486.45	486.45	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, भवन निर्माण कार्यों की मरम्मत न होने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति तथा महंगाई भत्ते के कम भुगतान के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो कि अतिथि शिक्षकों के अधिक नियुक्ति के द्वारा समायोजित किया गया।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2203-51-112-95-राजकीय इंजीनियरिंग कालेज झज्जर की स्थापना	मूल	800.00	432.01	432.01	..	मुख्यतः वेतन के अंतर्गत अतिथि संकाय की नियुक्ति न होने, रिक्त पदों को न भरने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, ऊर्जा प्रभार के अन्तर्गत बिजली की कम खपत और रिक्त पदों को न भरने के कारण महंगाई भत्ते के कम भुगतान के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया जो कि कर्मचारियों से यात्रा भत्ते के दावों की अधिक प्राप्ति और छात्रों से छात्रवृत्ति और वजीफे के दावों की अधिक प्राप्ति के द्वारा समायोजित कर लिया गया ।
2203-51-789-92-अनुसूचित जाति के छात्रों को साज्य परिवहन सुविधा/रेल पास की प्रतिपूर्ति नाम बदल कर अनुसूचित जाति के छात्रों को शुल्क की प्रतिपूर्ति और परिवहन सुविधा	मूल	30.00	5.58	5.58	..	निधियों का अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.लेख/अनु.सं. 12/पुनर्विभाग/2025-26/171-72 दिनांक 15.05.2025) ।
2203-51-789-93-प्रत्येक सरकारी सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक और सरकार में एस.सी छात्रों के लिए विशेष रूप से कंप्यूटर लैब की स्थापना के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय	मूल	50.00	..	..	..	संपूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.लेख/अनु.सं. 12/पुनर्विभाग/2025-26/171-72 दिनांक 15.05.2025) ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-02-001-95-संचार एवं प्रचार	मूल	35.00	15.95	15.95	..	निधियों का अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.लेख/अनु.सं. 12/पुनर्वि.आदेश/2025-26/ 171-72 दिनांक 15.05.2025)   दिनांक 15.05.2025)
2235-02-102-63-मिशन वात्सल्य के तहत ही स्वच्छता एवशन प्लान (एसएपी)	मूल	220.00	15.18	15.18	..	भारत सरकार से अनुदान की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2235-02-102-64-गैर संस्थागत/देखभाल प्रायोजन/पालक देखभाल/पश्चात देखभाल	मूल	500.00	154.32	154.32	..	भारत सरकार से अनुदान की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2235-02-102-65-हरियाणा राज्य क्रेच योजना	मूल	3,215.00	956.01	956.01	..	राज्य सरकार द्वारा नई योजना शुरू करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
2235-02-102-69- राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रैच योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय क्रैच योजना	मूल	2,000.00	..	..	..	संपूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.लेख/अनु.सं. 12/ पुनर्वि.आदेश/2025-26/ 171-72 दिनांक 15.05.2025)
2235-02-102-73-समेकित शिशु सुरक्षा योजना का नाम बदलकर मिशन वात्सल्य	मूल	5,500.00	..	..	..	संपूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.लेख/अनु.सं. 12/ पुनर्वि.आदेश/2025-26/ 171-72 दिनांक 15.05.2025)

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-02-102-76- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/ सहायिका के लिए भविष्य सुरक्षा बीमा योजना	मूल	300.00	118.83	118.83	..	जिला स्तर पर कम नामांकन और रिक्त पदों के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2235-02-102-78-अपनी बेटियां अपना धन नया नाम आपकी बेटी हमारी बेटी (लाडली)	मूल	9,500.00	7,731.09	7,731.09	..	मुख्यतः अन्य प्रभारों के अंतर्गत लाभार्थियों की कम संख्या, रिक्त पदों का न भरने तथा महंगाई भत्ते के कम भुगतान के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2235-02-102-80-शिशुओं व छोटे बच्चों की खुराक में सुधार	मूल	16.00	3.53	3.53	..	अन्य प्रभारों के अंतर्गत कम लाभार्थियों के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
2235-02-102-98-बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता अनुदान (95-राज्य निराश्रित गृह)	मूल	50.00	27.88	27.88	..	स्वैच्छिक संगठनों से सामान्य अनुदान की मांग की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
2235-02-102-98-बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता अनुदान (98-जे.जे.एक्ट के अंतर्गत किशोर/निरीक्षण गृह स्थापित करने के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान)	मूल	30.00	8.32	8.32	..	मुख्यतः स्वैच्छिक संगठनों से सामान्य अनुदान की मांग की कम प्राप्ति और अन्य प्रभारों के तहत कुछ वस्तुओं की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
2235-02-103-66-महिला हेल्पलाइन के सार्वभौमिकरण	मूल	129.60	27.60	27.60	..	भारत सरकार से सामान्य अनुदान की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-02-103-69-महिलाओं के लिए संकट बंद करने के लिए एक केन्द्र की स्थापना स्कीम	मूल	780.00	419.06	419.06	..	भारत सरकार से सामान्य अनुदान की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
2235-02-103-73-महिलाओं पर तेजाब फैकने पर उन को राहत और पुनर्वास योजना	मूल	30.00	2.24	2.24	..	अन्य प्रभारों के अंतर्गत कुछ वस्तुओं की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
2235-02-103-74-महिला शक्ति केन्द्र नाम बदलकर महिलाओं के सशक्तिकरण का केन्द्र	मूल	500.00	0.41	0.41	..	भारत सरकार से सामान्य अनुदान की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
2235-02-103-76-घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा (कक्षों की स्थापना)	मूल	220.00	180.05	180.05	..	मुख्यतः संविदा सेवाओं के रिक्त पदों को न भरने, कम भ्रमण तथा कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया जो कि अन्य प्रभारों के तहत कुछ वस्तुओं की अधिक खरीद के द्वारा समायोजित कर लिया गया।
2235-02-103-79-लैंगिक चेतना	मूल	2,000.00	1,359.69	1,359.69	..	सैनिटरी नैपकिन की खरीद को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
	पुनर्वि.	-360.94				
	पुनर्वि.	-27.76				
	पुनर्वि.	-499.59				
	पुनर्वि.	-39.95				
	पुनर्वि.	-640.31				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-02-789-90-अनुसूचित जाति आंगनबाड़ी वर्कर/सहायिका को वित्तीय सहायता	मूल	6,000.00	2,600.56	2,600.56	..	भारत सरकार से मानदेय हेतु अनुदान की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2235-02-789-98-अनुसूचित जाति के परिवारों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायक के भविष्य सुरक्षा बीमा योजना स्कीम के तहत वित्तीय सहायता	मूल	200.00	50.92	50.92	..	जीवन बीमा कंपनी से अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
2235-02-789-99-अनुसूचित जाति के परिवारों को अपनी बेटियाँ अपना धन स्कीम के तहत वित्तीय सहायता नया नाम आपकी बेटी हमारी बेटी (लाडली)	मूल	12,000.00	6,177.32	6,177.32	..	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के लाभार्थियों से दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2235-02-800-81-जे. जे. एक्ट को लागू करना (98-रिमांड/निरीक्षण गृह)	मूल	472.00	270.79	270.79	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, महंगाई भत्ते का कम भुगतान, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2235-02-800-81-जे. जे. एक्ट को लागू करना (99-विशेष गृह/स्कूल)	मूल	57.00	12.58	12.58	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने व महंगाई भत्ते का कम भुगतान के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-02-800-82-हरियाणा राज्य महिला आयोग (98-महिला चेतना एवं प्रबन्धन अकादमी को वित्तीय सहायता) (वामा)	मूल	40.00	..	..	..	अन्य प्रभारों के अंतर्गत मांग प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
2236-02-101-89-किशोर लड़कियों के लिए योजना	मूल	205.20	..	..	..	संपूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.लेख/अनु.सं. 12/ पुनर्वि. आदेश/2025-26/ 171-72 दिनांक 15.05.2025)।
2236-02-101-97-पंजीरी प्लॉट घरौंडा	मूल	205.24	150.67	150.67	..	मुख्यतः संविदा सेवाओं के रिक्त पदों को न भरने, महंगाई भत्ते का कम भुगतान, संविदा सेवाओं के रिक्त पदों को न भरने, कम भ्रमण तथा कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद के के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया जो कि ब्लाक वर्ष 2019-23 के लिए अवकाश यात्रा रियायत दावों की अधिक प्राप्ति के द्वारा समायोजित कर लिया गया।
2236-02-101-99-मुख्यालय अमला	मूल	9,724.76	1,282.01	1,282.01	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा महंगाई भत्ते के कम भुगतान के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2236-02-789-97-किशोर लड़कियों के लिए सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी योजना	मूल	12.00	..	..	..	संपूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.लेखे/अनु.सं. 12/पुनर्वि.आदेश/2025-26/171-72 दिनांक 15.05.2025)।
3425-60-001-97-विज्ञान तथा तकनीकी कौसिल को सहायतानुदान	मूल	3,100.00	930.00	930.00	..	प्रथम तिमाही के लिए अनुदान जारी न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
3425-60-001-99-वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्यक्रम	मूल	400.50	300.42	300.42	..	मुख्यतः अवकाश यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति न होने, कम्प्यूटरीकरण के तहत पेशेवरों की कम नियुक्ति और रिक्त पदों का न भरने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।

(4) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश का निम्नलिखित मामला, जिसमें वास्तविक बचत से कम राशि अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप राशि अनाभ्यर्पित रह गई की चर्चा इसकी चर्चा नीचे की गई है।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03-103-97-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आर यू एस ए)	मूल	6,000.00	0.04	0.03	(-)0.01	निधियों का अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.लेखे/अनु.सं. 12/पुनर्वि.आदेश/2025-26/171-72 दिनांक 15.05.2025)। ₹0.01 लाख की अंतिम बचत के कारण मांगे गए हैं। (सितम्बर 2025)।

(5) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले, जिनमें वारस्तविक बचत से अधिक राशि का अभ्यर्पण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वारस्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-02-105-98-जूनियर बेसिक प्रशिक्षण संस्थाएं	मूल	7,180.00	6,338.95	6,342.59	(+).3.64	मुख्यतः रिक्त पदों की पूर्ति न होने, महंगाई भत्ते का कम भुगतान, यात्रा व्यय और ऊर्जा शुल्क संबंधी दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया जो कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अनुग्रह राशि और अवकाश यात्रा रियायत दावों की अधिक प्राप्ति के द्वारा समायोजित कर लिया गया। ₹3.64 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2202-03-001-99-प्रशासकीय अमला (99-मुख्यालय अमला)	मूल	4,529.50	3,474.46	3,476.03	(+).1.57	मुख्यतः कंप्यूटरीकरण बिलों का भुगतान न होने, संविदा सेवाओं, कार्यालय व्यय और पेट्रोल, तेल एवं स्नेहक की बजट मांग मुख्यालय से कम प्राप्त होने, रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत बिलों का भुगतान न होने, अनुग्रह राशि योजना में वित्तीय सहायता की मांग कम प्राप्त होने, मोटर वाहन दावों की कम प्राप्ति, डाटा एंट्री ऑपरेटरों की कम नियुक्ति, प्रशिक्षण दावों की कम प्राप्ति, व्याज की माँग की प्राप्ति न होने और आतिथ्य/मनोरंजन व्यय के दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया। ₹1.57 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03-105-87-विद्यार्थियों (लड़कों) के लिए शैक्षिक और सरसपाटा यात्रा	मूल	35.00	19.79	20.00	(+)0.21	सामग्री और आपूर्ति बिलों का भुगतान न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया। ₹0.21 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2203-51-001-93-तकनीकी शिक्षा निदेशालय (मुख्यालय अमल)	मूल	1,173.50	966.37	966.99	(+)0.62	मुख्यतः रिक्त पदों की पूर्ति न होने, महंगाई भत्ते और कम्प्यूटरीकरण हेतु निविदा/अनुबंध में देरी के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया जो कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति, दक्षता और विशेष सेवा निधियों की मांग की अधिक प्राप्ति और हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के कार्मिकों की संविदात्मक सेवा की दर में आवर्धन के द्वारा समायोजित कर लिया गया। ₹0.62 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2203-51-105-59-सरकारी बहुतकनिकीयों का विकास (98-स्थापना खर्च)	मूल	36,459.50	30,853.85	30,859.88	(+)6.03	मुख्यतः महंगाई भर्ते के कम भुगतान, रिक्त पदों की पूर्ति न होने, सामान्य अनुदान सहायता में कम नियुक्तियां, कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के कारण वेतन का कम भुगतान, संविदा आधार पर कर्मचारियों की कम नियुक्ति, अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं में प्रशिक्षता की कम नियुक्ति, कार्यालय व्यय और पेट्रोल, तेल एवं स्नेहक दावों की कम प्राप्ति तथा भंडार एवं उपकरणों के लिए निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया। ₹6.03 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2235-02-102-70-बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं के लिए योजना	मूल	500.00	..	1.39	(+)1.39	संपूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.लेख/अनु.सं.12/पुनर्वि.आदेश /2025-26/171-72 दिनांक 15.05.2025)। ₹1.39 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2236-02-101-86-मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता	मूल	3,025.00	1,263.58	1,264.52	(+)0.94	मुख्यतः नई योजना होने के कारण कार्यालय व्यय और भोजन तथा नकद सहायता हेतु माँग की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.94 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2235-02-102-77-किशोर राज्य निधि	मूल	350.00	284.30	315.42	(+)31.12	अन्य शुल्कों के अंतर्गत लाभार्थियों के कम नामांकन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया। ₹31.12 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

- (6) निम्नलिखित मामलों में, अनुपूरक अनुदान आविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया था, बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभर्पित कर दिया गया था, जो दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किये गये थे।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2236-02-101-87-मल्टी सेक्टरोल पोषण कार्यक्रम के लिए इस योजना के तहत-पोषण मातृ एवं शिशु संबोधित करने के लिए	मूल	15,000.00	15,062.71	15,062.71	..	फीडिंग और नकद सहायता के अंतर्गत वीटा, हरियाणा से समझौता ज्ञापन के लंबित रहने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
2236-02-101-95-पूरक पौषाहार कार्यक्रम	पूरक	4,000.00				
	पुनर्वि.	-3,937.29				
	मूल	11,130.00	17,050.28	17,050.28	..	मुख्यतः भारत सरकार से पोषण और नकद सहायता तथा विविध मदों के अंतर्गत अनुदानदारी की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
	पूरक	8,448.00				
	पुनर्वि.	-2,527.72				

- (7) निम्नलिखित मामलों में अनुपूरक अनुदान के माध्यम से किए गए बजट प्रावधान और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से किए सम्पूर्ण बजट प्रावधान और/या अनुपूरक अनुदान के अभ्यर्पण के परिणामस्वरूप बचत हुई, जो यह दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-02-102- 62-चाइल्ड हेल्पलाइन	मूल	..	..	..	..	संपूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.लेखे/अनु.सं. 12/पुनर्वि.आदेश/2025-26/ 171-72 दिनांक 15.05.2025)।
	पूरक	1,488.00				
	पुनर्वि.	-1,488.00				
2236-80-102- 99-पोशन अभियान के लिए योजना	मूल	2,640.00	..	..	..	संपूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.लेखे/अनु.सं. 12/पुनर्वि.आदेश/2025-26/ 171-72 दिनांक 15.05.2025)।
	पूरक	2,702.00				
	पुनर्वि.	-5,342.00				

- (8) निम्नलिखित मामले में, अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया है तथा बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अनुपूरक अनुदान का सम्पूर्ण या आंशिक भाग तथा मूल बजट प्रावधान का आंशिक भाग वास्तविक बचत से अधिक समाप्ति कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जो दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किये गये थे, जिनकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-02-109- 86-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	मूल	50,000.00	33,555.33	42,668.73	(+)9,113.40	मुख्यतः भारत सरकार से केन्द्रांश की कम प्राप्ति और संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया। ₹9,113.40 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पूरक	9,113.40				
	पुनर्वि.	- 25,558.07				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वार्स्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-01-111-99-सर्व शिक्षा अभियान	मूल	55,000.00	47,809.11	59,388.65	(+)11,579.54	भारत सरकार से केन्द्र के हिस्से की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया जो कि भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा के तहत स्कूलों के बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण के लिए अनुदान जारी करने के द्वारा समायोजित कर लिया गया। ₹11,579.54 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2202-01-793-99-सर्व-शिक्षा अभियान	मूल	14,000.00	14,602.96	18,168.00	(+)3,565.04	भारत सरकार से केन्द्रांश की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया। ₹3,565.04 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2202-02-793-98-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए)	मूल	8,924.02	8,920.00	11,357.18	(+)2,437.18	भारत सरकार से केन्द्रांश की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया। ₹2,437.18 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

(9) आधिकता मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वार्स्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-01-109-89-छात्रवृत्ति (मिडल)	मूल	150.00	279.68	279.68	..	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन पिछले वर्ष के छात्रों को छात्रवृत्ति के भुगतान के कारण की गई थी।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-02-004-96-राज्य तथा जिला रस्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी/मेला लगाने हेतु	मूल	60.00	255.51	255.51	..	विभाग द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया।
2202-02-109-80-प्रतिभा खोज योजना	मूल	1,180.00	1,795.28	1,795.28	..	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन मुख्यतः किराये, दरों और करों की मांग की अधिक प्राप्ति तथा यात्रा व्यय दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जो कि खरीद, सामग्री और आपूर्ति, कम्प्यूटरीकरण और अन्य प्रभारों की मांग की प्राप्ति न होने के द्वारा समायोजित कर लिया गया।
2202-02-789-94-पीएमश्री (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना)	मूल	750.00	1,998.98	1,998.98	..	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन भारत सरकार से जारी अतिरिक्त केन्द्रांश के कारण हुई।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-02-001-97- मुख्यालय हेतु अमला (डब्लयू.सी.डी.)	मूल	1,332.60	1,808.96	1,808.96	..	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन मुख्यतः वेतन में आवर्धन और संविदा सेवा में नई भर्ती, कम्प्यूटरीकरण के तहत कार्यालय मदों की अधिक खरीद और बिलों की अधिक प्राप्ति तथा किराए, दरों और करों के तहत भवन को किराये पर लेने के कारण हुआ जिसे कि रिक्त पदों को न भरने, महंगाई भत्ते का कम भुगतान, अवकाश यात्रा रियायत दावों के लिए प्रस्ताव की कम प्राप्ति, छात्रवृत्ति और वजीफे के तहत प्रशिक्षकों के रिक्त पद, पी.ओ.एल. (ऐट्रोल, तेल और स्नेहक) और चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों की कम प्राप्ति के द्वारा समायोजित कर लिया गया।
2235-02-102-61-आंगनबाड़ी कम क्रेच (पालना)	मूल	..	166.55	166.55	..	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन भारत सरकार से अनुदान की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।
2236-02-101-88-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पी.एम.वी.वाई.)	मूल	4,050.00	4,676.74	4,676.74	..	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन भारत सरकार से अनुदान की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।
2236-02-789-96-अनुसूचित जाति महिला (प्रधानमंत्री मत्रिउ वंदना योजना) के लिए वित्तीय सहायता	मूल	800.00	1,034.95	1,034.95	..	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन भारत सरकार से अनुदान की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।
	पुनर्विं.	234.95				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2236-02-789-98-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष पोषाहरक प्रोग्राम	मूल	5,000.00	14,016.26	14,016.26	..	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन भारत सरकार से अनुदान की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ।
	पूरक	1,000.00				
	पुनर्वि.	8,016.26				

- (10) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के तीन मामले जिसमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से वास्तविक व्यय से अधिक राशि बढ़ाई गई, जिसके परिणास्वरूप राशि अनाभ्यर्पित रही, जो दर्शाता है कि बजट अनुमान वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किये गये थे, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-02-001-99-प्रशासनिक अमला (98-क्षेत्रीय अमला)	मूल	8,801.10	12,176.34	12,172.71	(-)3.63	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में संविदात्मक सेवाओं, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति और व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं की अधिक संख्या में नियुक्ति के कारण हुआ, जो कि रिक्त पदों को न भरे जाने, कम्प्यूटरीकरण की माँग की कम प्राप्ति, महंगाई भत्ते के कम भुगतान, अनुग्रह राशि की माँग की कम प्राप्ति, कर्मचारियों से अवकाश यात्रा व्यय ऊर्जा शुल्क और कार्यालय व्यय के दावों की कम प्राप्ति और मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर तकनीकी समस्या के कारण छात्रवृत्ति और वजीफा बिलों का न बनने के द्वारा समायोजित कर लिया गया। ₹3.63 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पुनर्वि.	3,375.24				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-03-103- 99-संस्थान	मूल	97,278.00	97,653.76	96,984.82	(-)668.94	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन मुख्यतः महाविद्यालयों से संविदा सेवा माँग की अधिक प्राप्ति, सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में आवर्धन, अवकाश यात्रा रियायत दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जो कि रिक्त पदों के न भरे जाने, वेतन में कम आवर्धन, सामग्री एवं आपूर्ति बिलों का भुगतान न होने, अनुग्रह राशि योजना में वित्तीय सहायता की मांग की कम प्राप्ति, सरकारी महाविद्यालयों से चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति यात्रा व्यय दावों की कम प्राप्ति और कार्यालय व्यय बिलों का भुगतान न होने के द्वारा समायोजित कर लिया गया। ₹668.94 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पुनर्वि.	375.76				
2202-04-200- 98-अन्य प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम	मूल	36.00	301.73	294.51	(-)7.22	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन, अदालती मामलों में अधिक भुगतान के कारण हुआ जो कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश यात्रा रियायत दावों की प्राप्ति न होने, तथा रिक्त पदों को न भरने के कारण महंगाई भत्ते के कम भुगतान द्वारा समायोजित कर लिया गया। ₹7.22 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पुनर्वि.	265.73				

## अनुदान संख्या 12-जारी

- (11) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला, जिसमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से वास्तविक व्यय से कम राशि बढ़ाई गई, जिसके परिणास्वरूप अधिक व्यय हुआ, जो दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किया गया था, इसकी चर्चा नीचे की गई है।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2202-02-199-99-पीएम श्री (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंपिड्या) योजना	मूल पुनर्वि.	7,150.00 200.83	7,350.83	8,078.01	(+)727.18	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन भारत सरकार से जारी अतिरिक्त केंद्रांश के कारण हुई। ₹727.18 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

- (12) निम्नलिखित प्रकरण में अनुपूरक अनुदान अनावश्यक रूप से प्राप्त किया गया है तथा बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से प्राप्त किया गया है, जिसमें अविवेकपूर्ण रूप से राशि में आवर्धन भी की गई, जो कि अप्रयुक्त रह गई, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-02-102-92-समेकित बाल विकास परियोजना (म.ब.वि.)	मूल पूरक पुनर्वि.	78,000.00 1,500.00 18,642.65	98,142.65	77,478.83	(-)20,663.82	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन मुख्यतः रिक्त पदों की पूर्ति, महंगाई भत्ते के अधिक भुगतान और अवकाश यात्रा रियायत दावों की अधिक प्राप्ति के कारण हुआ जो कि अन्य प्रभारों के अंतर्गत कुछ वस्तुओं की कम खरीद, संविदा सेवाओं के रिक्त पदों की पूर्ति न होने, मानदेय दावों की कम प्राप्ति, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कम संचालन, अनुग्रह राशि दावों की कम प्राप्ति, कार्यालय मदों की कम खरीद और भ्रमण कार्यक्रमों की कम प्राप्ति के द्वारा समायोजित कर लिया गया। ₹20,663.82 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

## पूँजीगत

## दत्तमत

- (13) ₹62,140.51 लाख की उपलब्ध बचत के विस्तृत 31 मार्च 2025 को ₹69,589.60 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ ।
- (14) ₹62,140.51 लाख की समस्त बचत को देखते हुए दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹300.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं आया ।
- (15) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-01-201-98-प्रारंभिक शिक्षा की पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण/क्रय हेतु योजना	मूल	17,863.00	1,191.60	1,191.60	..	निधियों अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.लेखे/अनु.सं. 12/पुनर्वि.आदेश/2025-26/171-72 दिनांक 15.05.2025) ।
4202-01-201-99-विद्यालयों का भवन निर्माण कार्य	मूल	20,000.00	2,490.20	2,490.20	..	पिछली तिमाही तक प्रमुख कार्यों के लिए निधियों की आवश्यकता न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया ।
4202-01-202-95-माध्यमिक शिक्षा की पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन/क्रय हेतु योजना	मूल	3,700.00	3,044.14	3,044.14	..	मोटर वाहन दावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया ।
4202-01-202-97-नाबार्ड के तहत उच्च माध्यमिक और उच्च विद्यालय भवन का निर्माण	मूल	4,000.00	..	..	..	संपूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.लेखे/अनु.सं. 12/पुनर्वि.आदेश/2025-26/171-72 दिनांक 15.05.2025) ।
4202-01-203-96-उच्च शिक्षा की पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण/क्रय हेतु योजना	मूल	33.00	..	..	..	संपूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण मुख्यतः मशीनरी और उपकरणों, प्रमुख कार्यों और मोटर वाहन दावों की प्राप्ति न होने के कारण किया गया ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-02-105-98-तकनीकी शिक्षा की पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण/क्रय हेतु योजना	मूल	22.00	0.72	0.72	..	निधियों अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.लेख/अनु.सं. 12/पुनर्वि.आदेश/2025-26/ 171-72 दिनांक 15.05.2025) ।
4235-02-102-96-जेजेबी और सीडब्ल्यूसी (एसएपी) का निर्माण	मूल	550.00	..	..	..	संपूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.लेख/अनु.सं. 12/पुनर्वि.आदेश/2025-26/ 171-72 दिनांक 15.05.2025) ।
4235-02-102-97-जेजे एकट को लागू करना (99-रिमॉड/ निरीक्षण गृह)	मूल	4,000.00	1,406.36	1,406.36	..	क्षेत्रीय कार्यालयों से पिछले वर्ष का उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया ।
4235-02-102-99-आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण (99-नाबार्ड अंशदान )	मूल	100.00	..	..	..	संपूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.लेख/अनु.सं. 12/पुनर्वि.आदेश/2025-26/ 171-72 दिनांक 15.05.2025) ।
4235-02-103-95-ऑनर किलिंग के लिए सुरक्षा गृहों (सुरक्षा गृह) का निर्माण	मूल	300.00	..	..	..	संपूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण प्रमुख कार्यों के लिए भारत सरकार से अनुदान की कम प्राप्ति के कारण किया गया ।
4235-02-103-96-महिलाओं के लिए बन स्टॉप क्राइसिस केंद्र स्थापित करने के लिए भवन निर्माण हेतु योजना	मूल	102.00	..	..	..	निधियों अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.लेख/अनु.सं. 12/पुनर्वि.आदेश/2025-26/ 171-72 दिनांक 15.05.2025) ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
5425-51-600-98-अम्बाला छावनी में विज्ञान केन्द्र की स्थापना नाम बदलकर अंबाला में आर्थभट्ट विज्ञान केन्द्र की स्थापना	मूल	2,500.00	..	..	..	संपूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण लोक निर्माण विभाग भवन एवं सड़क विभाग, हरियाणा के माध्यम से निर्मित किए जा रहे भवन के निर्माण को रोके रखने के कारण किया गया था, क्योंकि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने भवन की निर्माण गुणवत्ता के संबंध में आपत्ति जताई थी।
5425-51-600-99-सोनीपत विज्ञान शहर की स्थापना नाम बदलकर हरियाणा में राष्ट्रीय विज्ञान शहर की स्थापना	मूल	7,000.00	..	..	..	संपूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण विज्ञान नगरी के लिए भूमि को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण किया गया।
6202-02-105-94-एडेड पालिटेक्निक के विकास के लिए ऋण	मूल	4,000.00	2,685.00	2,685.00	..	सरकारी सहायता प्राप्त पालिटेक्निक से ऋण दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।

(16) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन आदेश के दो मामले, जिनमें वास्तविक बचत से अधिक निधियां अभ्यर्पित की गई, जिनके परिणास्वरूप अधिक व्यय हुआ, जिसकी चर्चा नीचे की गई है :-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-01-202-99-माध्यमिक विद्यालय भवन	मूल	15,000.00	9,229.95	9,369.95	(+)139.58	प्रमुख कार्यों के दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया। ₹139.58 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वारस्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4235-02-103-99-परित्यक्त स्त्रियों, विधवाओं, नवयुवतियों के लिए गृह तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण उत्पादन केन्द्र	मूल	3,100.00	19.37	32.31	(+)12.94	क्षेत्रीय कार्यालयों से पिछले वर्ष का उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया। ₹12.94 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पुनर्वि.	-3,080.63				

- (17) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले, जिनमें सम्पूर्ण मूल बजट प्रावधान पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया तथा पर्याप्त बजट प्रावधान के बिना व्यय किया गया, जिनके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वारस्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-02-105-99-भवन अभियांत्रिक महाविद्यालय	मूल	500.00	..	14.86	(+)14.86	संपूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.लेखे/अनु.सं. 12/पुनर्वि.आदेश/2025-26/171-72 दिनांक 15.05.2025)। ₹14.86 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पुनर्वि.	-500.00				
4202-02-789-99-अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पॉलिटैक्निक में छात्रवासों का निर्माण	मूल	700.00	..	195.75	(+)195.75	संपूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.लेखे/अनु.सं. 12/पुनर्वि.आदेश/2025-26/171-72 दिनांक 15.05.2025)। ₹195.75 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पुनर्वि.	-700.00				

202  
अनुदान संख्या 12-जारी

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4235-02-789-99-आंगनवाड़ी सेन्टर का निर्माण	मूल	800.00	..	104.26	(+) 104.26	संपूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.लेखे/अनु.सं. 12/पुनर्वि.आदेश/2025-26/ 171-72 दिनांक 15.05.2025)। ₹104.26 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4202-01-203-99-महाविद्यालय भवन	मूल	5,000.00	..	4,733.66	(+) 4,733.66	संपूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.लेखे/अनु.सं. 12/पुनर्वि.आदेश/2025-26/ 171-72 दिनांक 15.05.2025)। ₹4,733.66 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4202-02-104-99-बहुतकनीकी भवन	मूल	2,000.00	..	1,255.78	(+) 1,255.78	संपूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.लेखे/अनु.सं. 12/पुनर्वि.आदेश/2025-26/ 171-72 दिनांक 15.05.2025)। ₹1,255.78 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

(18) एक मामले में अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया है। अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इस मामले में वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम रहा। तत्पश्चात्, अनुपूरक अनुदान और मूल बजट के एक भाग को पुनर्विनियोजन के माध्यम से वास्तविक बचत से अधिक समर्पित कर दिया गया, जो यह दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे, जिसकी चर्चा अगले पृष्ठ पर की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4235-02-102-99-आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण (98-राज्य अंशदान)	मूल	3,500.00	6.37	998.61	(+)992.24	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (वि.लेख/ अनु.सं. 12/ पुनर्वि. आदेश/2025-26/ 171-72 दिनांक 15.05.2025)। ₹992.24 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पूरक	300.00				
	पुनर्वि.	-3,793.63				

(19) आधिक्य मुख्यतः निम्नलिखित के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4235-02-102-99-आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण	मूल	100.00	3,631.69	3,631.69	..	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन भारत सरकार से अनुदान की अधिक प्राप्ति के कारण किया गया।
	पुनर्वि.	3,531.69				
6202-01-203-95-भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलाँ (सोनीपत) को ऋण	मूल	4,500.00	6,375.00	6,375.00	..	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए ऋण की अधिक आवश्यकता के कारण किया गया।
	पुनर्वि.	1,875.00				

(मुख्य शीर्ष-2204-खेलकूद तथा युवा सेवाये, 2205-कला एवं संस्कृति, 3452-पर्यटन, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, 5452-पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय, 6202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	5,95,07,95	6,25,42,95	4,18,67,76	(-)2,06,75,19
पूरक	30,35,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2025)

2,13,15,95

पूँजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,98,50,00	5,39,64,00	2,55,95,01	(-)2,83,68,99
पूरक	2,41,14,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2025)

3,89,20,85

टिप्पणियां एवं टीकाएँ:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹20,675.19 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2025 को ₹21,315.95 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹20,675.19 लाख की समग्र बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2024 और मार्च 2025 में प्राप्त ₹3,035.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।

(3) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2204-51-001-95- मोती लाल नेहरू खेलकूद स्कूल, राई तथा कमला नेहरू स्कूल, राई	मूल	4,150.50	2,797.71	2,797.71	..	मुख्यतः अन्य व्ययों की कम आवश्यकता, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, महंगाई भत्ते का कम भुगतान, अवकाश यात्रा रियायत, अनुग्रह राशि और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति कार्यालयों मदों की कम खरीद, मोटर वाहनों की मरम्मत के लिए बिलों की कम प्राप्ति, ऊर्जा शुल्क के लिए दावेदारों की कम संख्या, छात्रवृत्ति और वजीफे के लिए छात्रों की कम संख्या, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था जो कि बिजली बिलों की अधिक प्राप्ति के द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-1,352.79				
2204-51-001-98-खेल-कूद प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	मूल	7,835.50	6,778.40	6,778.40	..	मुख्यतः रिक्त पदों का न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, अन्य प्रभारों के अंतर्गत कोचिंग शिविरों का कम आयोजन, अनुग्रह राशि दावा बिलों की कम प्राप्ति, प्रशिक्षु कर्मचारियों की कम नियुक्ति, क्षेत्रीय कार्यालयों से यात्रा व्यय दावों की कम प्राप्ति तथा हरियाणा लोक प्रशासन संरथान द्वारा प्रशिक्षण का आयोजन न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो कि महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि के द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-1,057.10				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2204-51-001-99-खेल-कूद निदेशालय के लिए अनिवार्य अमलों की नियुक्ति	मूल	1,195.00	983.65	983.65	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, महंगाई भत्ते का कम भुगतान, यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, सत्र के दौरान प्रशिक्षण का न होना, प्रशिक्षु कर्मचारियों की कम नियुक्ति, पर्यटन का कम संचालन, वाहनों के रखरखाव की कम आवश्यकता, ऊर्जा प्रभार दावों की प्राप्ति, अन्य व्ययों की कम आवश्यकता, रखरखाव की कम मांग और पेट्रोल बिलों के कम शुल्क के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2204-51-102-99-राष्ट्रीय कैडेट पर कोर खर्च	मूल	2,012.00	1,781.92	1,781.92	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, किराया, दरों और करों की कम प्राप्ति, राष्ट्रीय कैडेट कोर इकाइयों द्वारा कम कार्यालय व्यय, ऊर्जा प्रभार और पेट्रोल, तेल और स्नेहक की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था जो कि संविदा सेवा मांग की अधिक प्राप्ति और सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि के द्वारा समायोजित किया गया।
2204-51-104-51-राज्य खेल परिषद् योजना	मूल	100.00	..	..	..	संपूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण, सहायतानुदान दावों की प्राप्ति न होने के कारण किया गया था।
	पुनर्वि.	-100.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2204-51-104-53-सूचना तंत्र योजना का आधुनिकीकरण	मूल	70.00	36.29	36.29	..	मुख्यतः संविदा कर्मचारियों के रिक्त पदों तथा कम्यूटरीकरण एवं अन्य शुल्क बिलों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2204-51-188-99-स्पोटर्स एप्ड फिजिकल फिटनेस ऑथरिटी ऑफ हरियाणा	मूल	500.00	..	..	..	संपूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है गई है (विनि.लेखे/ अ.सं. 13/पुनर्वि. आदेश 2025-26/ 161-62 दिनांक 15.05.2025)।
2204-51-190-99-स्पोटर्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, राई सोनीपत	मूल	5,000.00	..	..	..	संपूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/ अ. स.13/पुनर्वि. आदेश 2025-26/161-62 दिनांक 15.05.2025)।
2204-51-789-99-अनुसूचित जातियों के लिए मूलभूत योजना	मूल	500.00	349.86	349.86	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अ.सं.13/पुनर्वि. आदेश 2025-26/161-62 दिनांक 15.05.2025)।
2204-51-800-96-खेल तथा उपकरण की व्यवस्था तथा स्कूल में खेल के मैदान का विकास	मूल	150.00	..	..	..	संपूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/ अ.सं.13/पुनर्वि. आदेश 2025-26/161-62 दिनांक 15.05.2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2204-51-800-97-स्काउटिंग तथा गाइडिंग की सहायता	मूल	200.00	50.00	50.00	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अ.सं.13/पुनर्वि. आदेश 2025-26/161-62 दिनांक 15.05.2025)।
	पुनर्वि.	-150.00				
2204-51-800-98- राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद चैंपियनशिप के लिए सहायता अनुदान	मूल	150.00	105.00	105.00	..	सहायतानुदान दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-45.00				
2205-51-102-93-अभिलेखागार का विकास	मूल	25.00	14.74	14.74	..	मुख्यतः कम्प्यूटरों की खरीद न होने तथा व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं में पेशेवरों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-10.26				
2205-51-102-99-हरियाणा में राज्य अभिलेखागार व क्षेत्रीय संग्रहालयों की स्थापना तथा अभिलेखागार का विकास	मूल	486.40	225.64	225.64	..	मुख्यतः नियमित रिक्त पदों को न भरने, महंगाई भत्ते का कम भुगतान, आउटसोर्स कर्मचारियों की कम नियुक्ति, विकित्सा प्रतिपूर्ति की कम प्राप्ति, कार्यालय व्यय के अंतर्गत कुछ स्टेशनरी वस्तुओं की कम खरीद, नए वाहनों की खरीद न होने, सामग्री और आपूर्ति तथा अन्य शुल्क मांगों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-260.76				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2205-51-103-95-प्राचीन पुरातात्त्विक कलाकृतियों की प्रतिमूर्तियों का निर्माण	मूल	20.00	9.14	9.14	..	मुख्यतः रिक्त पदों का न भरने, सामग्री एवं आपूर्ति के अंतर्गत कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम दौरा तथा महंगाई भत्ते के कम भुगतान के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2205-51-103-99-निर्देशन प्रशासन	मूल	478.01	262.73	262.73	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, महंगाई भत्ते का कम भुगतान, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के अंतर्गत व्यावसायिक कर्मचारियों की कम नियुक्ति, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, अनुग्रह राशि एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति एवं विशेष अधिकारियों/कर्मचारियों का यात्रा भत्ते की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2205-51-105-86-केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास और उन्नयन	मूल	3,000.00	..	..	..	संपूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अ. सं. 13/पुनर्वि. आदेश 2025-26/ 161-62 दिनांक 15.05.2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2205-51-105-99-जिला/ उपमण्डल पुस्तकालयों की स्थापना	मूल	849.60	683.63	683.63	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, महंगाई भत्ते के कम भुगतान तथा जिला/उप-मण्डल पुस्तकालयों और मुख्यालयों द्वारा कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था जो कि संविदा कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति के द्वारा समायोजित कर लिया गया था।
3452-01-101-99-पर्यटन गतिविधियों में विस्तार तथा ऐतिहासिक स्मारकों का प्रकाशीकरण	मूल	700.00	470.00	470.00	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अ. सं. 13/पुनर्वि. आदेश 2025-26/ 161-62 दिनांक 15.05.2025)।
3452-80-104-98-खेल/साहसिक पर्यटन और सम्बंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना	मूल	100.00	25.00	25.00	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/ अ. सं. 13/पुनर्वि. आदेश 2025-26/ 161-62 दिनांक 15.05.2025)।
3452-80-104-99-त्योहारों/मेलों/ शोज अन्य सम्बंधित गतिविधियों जैसे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना	मूल	140.00	2.15	2.15	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अ. सं. 13/पुनर्वि. आदेश 2025-26/161-62 दिनांक 15.05.2025)।
	पुनर्वि.	-165.97				
	पुनर्वि.	-230.00				
	पुनर्वि.	-75.00				
	पुनर्वि.	-137.85				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3452-80-188-96-इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन, रोहतक	मूल पुनर्वि.	100.00 -100.00	..	..	..	संपूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अ. सं. 13/पुनर्वि. आदेश 2025-26/161-62 दिनांक 15.05.2025)।
3452-80-800-96-होम स्टे योजना	मूल पुनर्वि.	25.00 -25.00	..	..	..	संपूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अ. सं. 13/पुनर्वि. आदेश 2025-26/161-62 दिनांक 15.05.2025)।
3452-80-800-99- कैटरिंग संस्थान पानीपत	मूल पुनर्वि.	39.00 -39.00	..	..	..	संपूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अ. सं. 13/पुनर्वि. आदेश 2025-26/161-62 दिनांक 15.05.2025)।

(4) वित्त विभाग द्वारा जारी दिनांक 31 मार्च 2024 को पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित तीन मामले, जिनमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से अभ्यर्पित राशि वास्तविक बचत से अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जो दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किये गये थे।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2205-51-103-96-प्राचीन ऐतिहासिक भवनों तथा ईमारतों का संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास	मूल पुनर्वि.	2,000.00 -1,318.68	681.32	1,302.99	(+) 621.67	मुख्यतः रखरखाव कार्यों के कम निष्पादन, रिक्त पदों को न भरने और संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया। ₹621.67 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2205-51-103-93-जोनल संग्रहालय की स्थापना	मूल	300.00	168.82	186.93	(+) 18.11	मुख्यतः संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, रखरखाव कार्य में कमी, रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण वेतन कम भुगतान, संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति, महंगाई भत्ते का कम भुगतान और अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया। ₹18.11 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2204-51-104-57-मूलभूत योजना	मूल	4,896.00	1,865.70	1,866.48	(+) 0.78	निधियों का अभ्यर्पण मुख्यतः रखरखाव हेतु माँग की कम प्राप्ति, निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने, भंडार एवं उपकरणों के दावों की कम प्राप्ति और संविदात्मक सेवाओं के अंतर्गत रिक्त पदों के कारण हुआ। ₹0.78 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

- (5) निम्नलिखित मामले में, अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया और बाद में वित्त विभाग 31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया। अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इस मामले में वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम रहा। तत्पश्चात्, पुनर्विनियोजन के माध्यम से अनुपूरक अनुदान और मूल बजट का एक भाग वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान अधिक व्यय हुआ, जो यह दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किये गये थे।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3452-80-001- 99-मुख्यालय अमला	मूल	929.00	413.71	413.91	(+) 0.20	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है ₹0.20 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पूरक	35.00				
	पुनर्वि.	-550.29				

- (6) निम्नलिखित मामले में, अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया और बाद में वित्त विभाग 31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया। अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इस मामले में वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम रहा। तत्पश्चात्, अनुपूरक अनुदान और मूल बजट के एक भाग को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया, जो यह दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2204-51-104- 69-खेल नर्सरी	मूल	2,760.00	2,724.47	2,724.47	..	मुख्यतः छात्रवृत्ति और वजीफे के तहत विज्ञाओं को कम पुरस्कार दिए जाने, अन्य शुल्क दावों की कम प्राप्ति, किराए, दरों और करों के कम भुगतान और वर्दी/लिवरी के लिए मांग प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
	पूरक	3,000.00				
	पुनर्वि.	-3,035.53				

(7) आधिकता मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2205-51-103-98-पुरातात्त्विक उत्खनन एवं अन्वेषण कार्यक्रम	मूल	40.00	1,101.07	1,101.07	..	प्रावधान में आवर्धन माननीय उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ के अनुपालन में विश्वमित्र का टीला, पेहोवा के लिए भूमि का मुआवजा प्रदान करने के कारण हुआ जो कि मुख्यतः संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, कुछ वस्तुओं की कम खरीद, कार्यालय वस्तुओं/सहायकों की कम आवश्यकता और अधिकारियों/कर्मचारियों के कम दौरे द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	1,061.07				

पूँजीगत  
दत्तमत

- (8) ₹2,83,68.99 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2025 को ₹3,89,20.85 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (9) ₹2,83,68.99 लाख की समस्त बचत को देखते हुए, दिसंबर 2024 और मार्च 2025 में प्राप्त ₹2,41,14 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं आया।
- (10) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
5452-01-101-83-जिला/उप-विभागीय और अन्य स्थानों पर पर्यटक सुविधाओं का विकास महत्वपूर्ण शहर/स्थान	मूल	6,000.00	4,541.46	4,541.46	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/ अ. सं. 13/पुनर्वि. आदेश 2025-26/ 161-62 दिनांक 15.05.2025)।
	पुनर्वि.	-1,458.54				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
5452-01-101-84-नए पर्यटन परिसर की एयर कंडीशनिंग और फर्निशिंग	मूल	100.00	0.61	0.61	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/ अ. सं. 13/पुनर्वि. आदेश 2025-26/ 161-62 दिनांक 15.05.2025)।
	पुनर्वि.	-99.39				
5452-01-101-85-हरियाणा में मुख्य राजमार्गों के साथ पर्यटक सुविधाओं का विकास	मूल	1,000.00	388.11	388.11	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/अ. सं. 13/ पुनर्वि. आदेश 2025-26/ 161-62 दिनांक 15.05.2025)।
	पुनर्वि.	-611.89				
5452-01-101-87-सूरजकुंड पर सुविधाएं	मूल	800.00	89.59	89.59	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है गई है (विनि. लेखे/अ. सं. 13/पुनर्वि. आदेश 2025-26/ 161-62 दिनांक 15.05.2025)।
	पुनर्वि.	-710.41				
5452-01-102-99-बड़खल झील में अवकाश और मनोरंजन रिजॉर्ट	मूल	500.00	..	..	..	सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है गई है (विनि.लेखे/ अ.सं. 13/पुनर्वि. आदेश 2025-26/161-62 दिनांक 15.05.2025)।
	पुनर्वि.	-500.00				
5452-80-003-99-स्वर्ण जयंती के तहत प्रशिक्षण संस्थान का आधुनिकीकरण/ उन्नयन कार्यक्रम	मूल	200.00	8.27	8.27	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है गई है (विनि.लेखे/अ. सं. 13/पुनर्वि. आदेश 2025-26/ 161-62 दिनांक 15.05.2025)।
	पुनर्वि.	-191.73				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
5452-80-104-97-खेल/साहसिक पर्यटन और सम्बंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्थलों का विकास	मूल	300.00	..	..	..	सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है गई है (विनि.लेखे/अ. सं. 13/पुनर्वि. आदेश 2025-26/ 161-62 दिनांक 15.05.2025)।
5452-80-104-98-त्योहारों/मेलों/शो और अन्य सम्बंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्थनों का विकास	मूल	200.00	..	..	..	सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है गई है (विनि.लेखे/अ. सं. 13/पुनर्वि. आदेश 2025-26/ 161-62 दिनांक 15.05.2025)।
5452-80-104-99-हरियाणा में वन्य जीवन पर्यटन का विकास स्वर्ण जयंती के तहत कार्यक्रम	मूल	5,000.00	..	..	..	संपूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण हरियाणा पर्यटन निगम, स्थापना एवं प्रशासन द्वारा धन की मांग न किए जाने के कारण हुआ।
6202-01-203-98-हरियाणा खेल विश्वविद्यालय राय, हरियाणा सोनीपत को ऋण	मूल	5,000.00	..	..	..	ऋण की मांग प्राप्त न होने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया।

(11) वित्त विभाग द्वारा जारी 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित दो मामले, जिनमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से अभ्यर्पित राशि वास्तविक बचत से अधिक थी, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जो दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किये गये थे।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-03-101-99-भवन (युवा आवास)	मूल	1,200.00	..	408.93	(+) 408.93	सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है गई है (विनि. लेखे/अ. सं. 13/ पुनर्वि. आदेश 2025-26/ 161-62 दिनांक 15.05.2025) । ₹408.93 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।
4202-03-102-99-खेल मूलभूत योजना	मूल	8,000.00	5,783.94	6,375.52	(+) 591.58	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है गई है (विनि. लेखे/अ. सं. 13/ पुनर्वि. आदेश 2025-26/ 161-62 दिनांक 15.05.2025) । ₹591.58 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण मांगे गए हैं सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।

(12) निम्नलिखित प्रकरण में अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया तथा बाद में वित्त विभाग 31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अनुपूरक अनुदान को वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ जो यह दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किये गये थे:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-04-106- 99-भवन (पुरातत्व)	मूल	1,500.00	4,187.92	13,739.28	(+)9,551.36	कम प्रमुख निर्माण कार्यों के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया जो कि अन्य कार्यों से निधियों के सिरसा डिवीजन और वाहनों की अधिक खरीद/ मरम्मत के द्वारा समायोजित कर लिया गया। ₹9,551.36 लाख की अंतिम आविक्य के कारण मांगे गए हैं सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पूरक	24,114.00				
	पुनर्वि.	-21,426.08				

## अनुदान संख्या-14-स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान/आयुष/ खाद्य एवं औषधि प्रशासन

(मुख्य शीर्ष- 2210-चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य, 2211-परिवार कल्याण, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, 4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, 6210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के लिए उधार)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	82,62,52,54	87,45,32,54	72,68,38,14	(-) 14,76,94,40
पूरक	4,82,80,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2025)

15,25,69,18

प्रभारित

मूल	25,00	25,00	11,25	(-) 13,75
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2025)

शून्य

पूँजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	21,75,03,00	27,79,73,00	21,58,18,78	(-) 6,21,54,22
पूरक	6,04,70,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2025)

8,74,59,03

टिप्पणियां एवं टीकाएँ:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹1,47,694.40 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2025 को ₹1,52,569.18 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹1,47,694.40 लाख की समस्त बचत को देखते हुए, दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹48,280.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।

(3) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-01-110-43-कैंसर और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण और बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन	मूल पुनर्वि.	1,500.00 -1,500.00	..	..	..	समर्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/पुनर्वि. आदेश/2025-26 /अनु. सं. 14/173-74 दिनांक 15.05.2025)।
2210-01-110-46-बाह्य साधनों से सहायता सेवायें	मूल पुनर्वि.	40,000.00 -5,172.51	34,827.49	34,827.49	..	कुछ अभ्यर्थियों द्वारा नौकरी से त्यागपत्र देने, कुछ की मृत्यु हो जाने तथा कुछ के डयूटी से अनुपस्थित रहने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2210-01-110-64-हरियाणा रक्त संचालन कॉसिल को अनुदान विभिन्न नाम बदलकर स्वस्थ्य संरक्षणों को सहायता प्रदान करना	मूल पुनर्वि.	591.00 -195.78	395.22	395.22	..	₹195.78 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/पुनर्वि. आदेश/2025-26 /अनु. सं. 14/173-74 दिनांक 15.05.2025)।
2210-01-110-65-देवी स्त्रीक राष्ट्र उत्थान एवं परिवार कल्याण योजना	मूल पुनर्वि.	80.00 -32.50	47.50	47.50	..	योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की कम संख्या के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2210-01-110-70-प्रशासन के मानकों का उन्नयन केन्द्रीय वित्त आयोग	मूल पुनर्वि.	64,276.00 -57,353.63	6,922.37	6,922.37	..	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच और एफडब्ल्यू) भारत सरकार से प्राप्त अनुदान की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-02-102-99-होम्योपैथिक डिस्पैसरीज खोलने/जारी रखने बारे	मूल	100.00	65.90	65.90	..	रिक्त पदों का न भरने, सरकारी सामग्री की कम खरीद तथा अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो बढ़ी हुई महंगाई भत्ते की दरों की अधिक प्राप्ति के द्वारा समायोजित किया गया ।
2210-03-789-97-अनुसूचित जाति के मरीजों के लिए औषधियों की खरीद	मूल	2,700.00	1,890.00	1,890.00	..	दवाईयों की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
2210-03-789-99-अनुसूचित जाति के लिए महिला सुरक्षा योजना	मूल	500.00	372.24	372.24	..	₹127.76 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/पुनर्वि. आदेश/2025-26 /अनु. सं. 14/173-74 दिनांक 15.05.2025) ।
2210-04-101-81-जीआईए नेशनल आयुष मिशन के लिए आयुष सोसायटी, हरियाणा राज्य के लिए	मूल	6,600.00	3,967.94	3,967.94	..	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएच और ईडब्ल्यू) भारत सरकार से प्राप्त अनुदान की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
2210-04-101-94-विभिन्न संस्थाओं/ग्राम पंचायतों को सहायता अनुदान	मूल	300.00	108.52	108.52	..	संबंधित कार्यालयों से सहायतानुदान दावे प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
2210-04-102-97-होम्योपैथिक डिस्पैसरियों को जारी रखना	मूल	408.00	235.81	235.81	..	रिक्त पदों का न भरने, चिकित्सा बिलों तथा अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-05-101- 88-राजकीय आयुर्वैदिक कालेज/राजकीय आयुर्वैदिक फार्मसी/झग टेस्टिंग लैबोरेटरी कुर्सेश्ने तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं अनुसंधान संस्थान, पंचकूला का सुधार/जारी रखना	मूल	1,200.00	1,014.36	1,014.36	..	दवाओं और कार्यालय समग्री की कम खरीद, बिजली बिलों और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति और कार्यालय द्वारा नए आईटीआई कर्मचारियों की भर्ती नहीं किए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो नए कर्मचारियों के कार्यालय में शामिल होने के द्वारा समायोजित किया गया ।
2210-05-101- 89-श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वैदिक कॉलेज कुर्सेश्ने तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं अनुसंधान संस्थान पंचकूला का सुदृढ़ीकरण/ सुधार करना	मूल	92.70	42.10	42.10	..	रिक्त पदों का न भरने तथा अवकाश यात्रा रियायत दावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
2210-05-105- 66-जिला जींद में सरकारी मैडिकल कॉलेज की स्थापना	मूल	1,000.00	8.51	8.51	..	रिक्त पदों का न भरने तथा कॉलेज का संचालन न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
2210-05-105- 67-कोरियावास जिला महेंद्रगढ़ में राजकीय मैडिकल कॉलेज की स्थापना	मूल	1,000.00	8.58	8.58	..	रिक्त पदों का न भरने तथा कॉलेज का संचालन न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
2210-05-105- 68- जिला भिवानी में राजकीय मैडिकल कॉलेज की स्थापना	मूल	1,000.00	13.13	13.13	..	रिक्त पदों का न भरने तथा कॉलेज का संचालन न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-05-105-69-राज्य में फिजियोथेरेपी के राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना (99- साकेत कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, पंचकूला)	मूल पुनर्वि.	500..00 -261.04	238.96	238.96	..	रिक्त पदों को न भरने, वेतन भोगी कर्मचारियों की कम नियुक्ति, कंप्यूटर और प्रिंटर की कम खरीद, कर्मचारियों के प्रशिक्षण का कम संचालन, कम शोध कार्य और फर्नीचर की आवश्यकता न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो पिछले बिजली बिलों के लंबित रहने के द्वारा समायोजित किया गया ।
2210-05-105-71-नसिंग स्कूल/कालेज, एम पी एच डब्ल्यू पुरुष की स्थापना	मूल पुनर्वि.	1,185.10 -379.66	805.44	805.44	..	मुख्यतः नियमित पदों को न भरने, संविदा कमचारियों की कम नियुक्ति तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था
2210-05-105-76- चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान हेतु मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना (98-समक्ष गर्वनमेंट मैडिकल कॉलेज नलहार मेवात)	मूल पुनर्वि.	800.00 -155.29	644.71	644.71	..	₹155.29 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही ब ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/पुनर्वि. आदेश/2025-26 /अनु. सं. 14/173-74 दिनांक 15.05.2025) ।
2210-06-102-99-जन विश्लेषक तथा खाद्य निरीक्षक	मूल पुनर्वि.	1,141.00 -208.10	932.90	932.90	..	मुख्यतः नियमित रिक्त पदों को न भरने, भण्डार वस्तुओं और उपकरणों की कम खरीद तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-80-199-97-आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा प्राधिकरण (एबी-एचएचपीए) द्वारा कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा उपचार	मूल पुनर्वि.	50,000..00 -43,000.00	7,000.00	7,000.00	..	अनुदान दावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2211-51-001-99-राज्य परिवार नियोजन व्यूरो	मूल पुनर्वि.	788.00 -485.95	302.05	302.05	..	रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा अधिक अनुग्रह दावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2211-51-003-95-एम.पी. डब्लयू प्रशिक्षण (पुरुष), स्कूल रोहतक	मूल पुनर्वि.	63.00 -45.17	17.83	17.83	..	₹45.17 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/पुनर्वि. आदेश/2025-26/अनु. सं. 14/173-74 दिनांक 15.05.2025)।
2211-51-003-99-प्रादेशिक परिवार नियोजन प्रशिक्षण केन्द्र रोहतक	मूल पुनर्वि.	221.00 -50.54	170.46	170.46	..	रिक्त पदों को न भरने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2211-51-102-99-शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	मूल पुनर्वि.	946.00 -527.09	418.91	418.91	..	रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

- (4) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के पांच मामले, जिसमें वार्षिक बचत से कम राशि अभ्यर्पित की गई जिसके परिणामस्वरूप राशि अनाभ्यर्पित रह गई, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वार्षिक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-01-001- 99-मुख्यालय अमला स्वास्थ्य निदेशालय का सुधार तथा सुदृढ़ीकरण	मूल	8,679.00	7,245.17	7,234.00	(-)11.17	मुख्यतः अवकाश यात्रा रियायत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और पेट्रोल, तेल, एवं स्नेहक दावों की कम प्राप्ति, सरकारी वस्तुओं की कम खरीद और विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो बढ़े हुए मंहगाई भत्ते के आधिक्य के द्वारा समायोजित किया गया। ₹11.17 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2210-02-101- 92-जिला आयुर्वेदिक कार्यालयों का सृदृढ़ीकरण (98-स्थापना व्यय)	मूल	2,218.15	1,423.48	1,422.90	(-)0.58	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, दवाओं की कम खरीद, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति तथा कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की दरों में वृद्धि के द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.58 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2211-51-003-98-ए.एन.एम. का प्रशिक्षण	मूल	145.00	57.16	56.49	(-)0.67	रिक्त पदों को न भरने तथा अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.67 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2211-51-101-98-उप-केन्द्र	मूल	26,251.00	23,295.23	23,064.57	(-)230.66	रिक्त पदों को न भरने और अनुग्रह राशि के दावे प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹230.66 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

(5) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले जिसमें वास्तविक बचत से कम राशि अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप राशि अनाभ्यर्पित रह गई, जिसकी वर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-01-001-98-जिला अमला सिविल सर्जन स्टाफ को जारी रखना	मूल	9,018.00	7,516.25	7,517.91	(+)1.66	मुख्यतः विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, वाहनों की खरीद और मरम्मत की कम प्राप्ति तथा कम्प्यूटरीकरण के कारण जन्म और मृत्यु रजिस्टर और फार्मों की छपाई की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹1.66 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-01-102- 99-मुख्यालय अमला	मूल	1,278.00	830.37	831.19	(+).0.82	मुख्यतः अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, कार्यालय कार्य के लिए पेशेवर सेवाओं की कम भर्ती तथा कार्यालय मदों की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो डीसी दरों में वृद्धि के द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.82 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2210-01-110- 49-शहरी अस्पताल व औषधालयों का सुदृढ़ीकरण	मूल	1,20,291.00	1,18,740.47	1,22,004.55	(+)3,264.09	मुख्यतः रखरखाव कार्यों के कम मामलों, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह राशि के दावों की कम प्राप्ति, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कम संचालन और कार्यालय उपकरणों की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो रिक्त पदों को भरने के कारण बढ़े हुए महंगाई भर्ते का भुगतान और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के द्वारा समायोजित किया गया। ₹3,264.09 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-01-110-96-अस्पतालों का सुधार तथा विस्तार नाम बदलकर विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों का सुधार और विस्तार	मूल पुनर्वि.	15,000.00 -4,760.15	10,239.85	11,298.50	(+) 1,058.65	दवाओं और उपकरणों की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹1,058.65 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2210-02-101-93-मुख्यालय स्तर पर आयुष निदेशालय का सुदृढ़ीकरण	मूल पुनर्वि.	741.50 -99.32	642.18	642.92	(+) 0.74	मुख्यतः कुछ पर्दों के रिक्त रहने, अवकाश यात्रा रियायत की कम प्राप्ति, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों, सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के कम संचालन तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) में कम नियुक्तियों के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो बढ़े हुए महंगाई भत्ते के अधिक प्राप्ति द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.74 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2210-03-103-84-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को सहायता अनुदान	मूल पुनर्वि.	89,200.00 -17,620.00	71,580.00	72,126.90	(+) 546.90	सहायतानुदान दावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹546.90 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-04-101-86-आयुर्वेदिक/यूनानी होम्योपैथिक औषधालयों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण तथा महिलाओं, बच्चों तथा बुजुर्गों के लिये विशेष औषधियां	मूल पुनर्वि.	19,175.00 -2,060.57	17,114.43	17,117.48	(+)3.05	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और चालू वित्त वर्ष में कोई नई नियुक्ति न होने, दवाओं और स्टोर वस्तुओं की कम खरीद और अनुग्रह राशि के दावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) के माध्यम से संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति में वृद्धि और बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान के द्वारा समायोजित किया गया। ₹3.05 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2210-04-101-90-मेले तथा चिकित्सा शिविर लगा कर भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के सम्बंध में जागरूकता पैदा करना	मूल पुनर्वि.	400.00 -40.24	359.76	359.97	(+)0.21	दवाओं और सरकारी सामग्रियों की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.21 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-06-104- 45-खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की स्थापना	मूल	1,070.00	886.68	886.74	(+).06	मुख्यतः नियमित रिक्त पदों को न भरने, कार्यालय द्वारा सामग्री की कम खरीद, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और पेट्रोल, तेल और स्नेहक दावों की कम प्राप्ति और कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान और हारट्रोन के माध्यम से नियुक्त संविदा कर्मचारियों को दिए गए बकाया के द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.06 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2211-51-001- 97-बाल जीवन रक्षा सुरक्षित मातृत्व	मूल	1,106.00	640.07	846.51	(+)206.44	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा अधिक अनुग्रह राशि प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹206.44 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2211-51-001-98-जिला परिवार नियोजन व्यूरो	मूल	2,285.00	1,573.38	1,595.85	(+22.47	रिक्त पदों को न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा अधिक अनुग्रह दावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹22.47 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सुचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

- (6) निम्नलिखित मामले में, अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया। इस मामले में वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम होने के कारण अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद, अनुपूरक अनुदान और मूल बजट के एक भाग को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया, जो दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-05-105-70-गवर्नर्मेंट मेडिकल कॉलेज छींसा (फरीदाबाद) की स्थापना	मूल	4,689.00	3,973.82	3,973.82	..	मुख्यतः नियमित पदों को न भरने, संविदा कर्मचारियों और पेशेवर कर्मचारियों की कम नियुक्ति, निविदा को अंतिम रूप न देने और पुस्तकालय पुस्तकों और सामान्य की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

(7) अधिकता मुख्यतः के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-06-104-98-झग नियंत्रण प्रोग्राम	मूल	1,357.00	1,518.58	1,518.58	..	मुख्यतः कार्यालय द्वारा सामग्री की कम खरीद, कार्यालय मदों की कम खरीद और कर्मचारियों द्वारा कम भ्रमण के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो औषधि नियंत्रण अधिकारियों और सांच्चिकीय सहायकों की नियमित आधार पर नियुक्ति और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के द्वारा समायोजित किया गया।
2210-06-188-99-भारत कोरोनावायरस रोग (कोविड-19) आपातकालीन प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज	मूल	0.02	241.00	241.00	..	₹240.98 लाख के आवर्धन के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/पुनर्वि. आदेश/2025-26 /अनु. सं. 14/173-74 दिनांक 15.05.2025)।
2211-51-103-99-प्रतिरक्षण कार्यक्रम	मूल	4,500.00	5,484.44	5,484.44	..	वर्ष 2023-24 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त अतिरिक्त आपूर्ति (वैक्सीन और कोल्ड चेन उपकरण आदि) के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से आवर्धन किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2211-51-200-99-परम्परागत गर्भनिरोधक	मूल	50.00	358.32	358.32	..	वर्ष 2023-24 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त अतिरिक्त आपूर्ति (कंडोम, मौखिक गोलियां और कॉपर-टी आदि) के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से आवर्धन किया गया था।
	पुनर्वि.	308.32				

## प्रभारित विनियोग

- (8) अंतिम बचत में से ₹13.75 लाख अनाभ्यर्पित रह गए।  
(9) बचत मुख्यतः निम्नलिखित के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2210-01-001-99-मुख्यालय अमला स्वास्थ्य निदेशालय का सुधार तथा सुदृढ़ीकरण	मूल	25.00	25.00	11.25	(-)13.75	₹13.75 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

## पूंजीगत दत्तमत अनुदान

- (10) ₹62,154.22 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2025 को ₹87,459.03 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।  
(11) ₹62,154.22 लाख की कुल बचत को देखते हुए, दिसंबर 2024 में प्राप्त ₹60,470.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुंचा।  
(12) बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-01-051-63-खाद्य एवं औषधि प्रशासन भवन का निर्माण	मूल	1,000.00	550.00	550.00	..	₹450 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/पुनर्वि. आदेश/2025-26 /अनु. सं. 14/173-74 दिनांक 15.05.2025)।
	पुनर्वि.	-450.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-01-051-65-चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय का निर्माण कार्य हरियाणा (पंचकूला) नाम बदलकर अवसंरचना/ प्रशासनिक व्यय	मूल पुनर्वि.	1,000.00 -800.00	200.00	200.00	..	₹800 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ पुनर्वि. आदेश/2025-26 /अनु. सं. 14/173-74 दिनांक 15.05.2025)।
4210-01-102-98-ईएसआई स्वास्थ्य देखभाल के लिए पूँजीगत संपत्ति के निर्माण की योजना	मूल पुनर्वि.	1,100.00 -1,039.57	60.43	60.43	..	वित्तीय वर्ष 2024-25 के दोसरा कार्यालय वाहनों पर कम व्यय और कार्यालय फर्नीचर की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
4210-03-105-81-केन्द्रीय वित्त आयोग के अन्तर्गत चिकित्सा अवसंरचना की स्थापना/ सुदृढ़ीकरण	मूल पुनर्वि.	7,500.00 -7,500.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ पुनर्वि. आदेश/2025-26 /अनु. सं. 14/173-74 दिनांक 15.05.2025)।
4210-03-105-84-सरकारी मेडिकल कॉलेज, सिरसा का निर्माण	मूल पुनर्वि.	6,000.00 -5,131.25	868.75	868.75	..	₹5,131.25 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ पुनर्वि. आदेश/2025-26 /अनु. सं. 14/173-74 दिनांक 15.05.2025)।
4210-03-105-85-राजकीय मेडिकल कॉलेज छोंसा का निर्माण (फरीदाबाद)	मूल पुनर्वि.	1,000.00 -698.19	301.81	301.81	..	₹698.19 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ पुनर्वि. आदेश/2025-26 /अनु. सं. 14/173-74 दिनांक 15.05.2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-03-105- 90- दन्त महाविद्यालय नलहर का निर्माण कार्य हेतु (99-भवन का निर्माण)	मूल	3,000.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/पुनर्वि. आदेश/2025-26/अनु. सं. 14/173-74 दिनांक 15.05.2025)।
4210-03-105- 96-कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज करनाल का निर्माण	मूल	100.00	181.18	181.18	..	₹418.82 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/पुनर्वि. आदेश/2025-26/अनु. सं. 14/173-74 दिनांक 15.05.2025)।
6210-03-105- 97-स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय करनाल को ऋण	मूल	7,699.00	1,121.00	1,121.00	..	रिक्त पदों का न भरने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

(13) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले जिसमें वास्तविक बचत से अधिक राशि अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-03-101- 91-राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज-अस्पताल के भवन का निर्माण	मूल	1,000.00	162.25	183.81	(+)21.56	₹837.75 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/पुनर्वि. आदेश/2025-26/अनु. सं. 14/173-74 दिनांक 15.05.2025)। ₹21.56 लाख के अंतिम आविक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-03-101-92-राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक डिसपैसरियों के भवन निर्माण तथा मरम्मत करने बारे	मूल पुनर्वि.	2,000.00 -2,000.00	..	365.00	(+)365.00	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/पुनर्वि. आदेश/2025-26/अनु. सं. 14/173-74 दिनांक 15.05.2025)। ₹365.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4210-03-101-98-राजकीय भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं अनुसंधान संस्थान पंचकूला तथा इसी प्रांगण में निदेशालय आयुर्वेद हरियाणा का भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	100.00 -100.00	..	52.33	(+)52.33	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/पुनर्वि. आदेश/2025-26/अनु. सं. 14/173-74 दिनांक 15.05.2025)। ₹52.33 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4210-03-105-88-मोहिन्दरगढ़ में सरकारी मेडिकल कॉलेज और हस्पताल (नारनौल में)	मूल पुनर्वि.	13,000.00 -11,000.00	2,000.00	6,570.00	(+)4,570.00	₹11,000.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/पुनर्वि. आदेश/2025-26/अनु. सं. 14/173-74 दिनांक 15.05.2025)। ₹4,570.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-03-105- 92-स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य, करनाल (99-भवन का निर्माण)	मूल	1.00	2,011.22	2,254.22	243.00	₹7,989.78 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ पुनर्विं. आदेश/2025-26 /अनु. सं. 14/173-74 दिनांक 15.05.2025) । ₹243.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।
	पूरक	10,000.00				
	पुनर्विं.	-7,989.78				

(14) निम्नलिखित मामलों में, जहाँ अत्यधिक अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया था और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अनुपूरक अनुदान और कूल बजट के एक भाग को कम कर दिया गया था । अनुपूरक अनुदान की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम था, जो दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-03-105- 82-सरकारी मेडिकल कॉलेज, यमुनानगर का निर्माण	मूल	25,000.00	22,300.00	22,300.00	..	₹5,200.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ पुनर्विं. आदेश/2025-26 /अनु. सं. 14/173-74 दिनांक 15.05.2025) ।
	पूरक	2,500.00				
	पुनर्विं.	-5,200.00				
4210-03-105- 83-सरकारी मेडिकल कॉलेज, कैथल का निर्माण	मूल	25,000.00	22,287.00	22,287.00	..	₹5,213.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ पुनर्विं. आदेश/2025-26 /अनु. सं. 14/173-74 दिनांक 15.05.2025) ।
	पूरक	2,500.00				
	पुनर्विं.	-5,213.00				
4210-03-105- 89-राज्य में नर्सिंग प्रशिक्षण विद्यालयों/ कॉलेजों के निर्माण कार्य हेतु (99-भवन का निर्माण)	मूल	4,000.00	2,500.00	2,500.00	..	चालू वित्तीय वर्ष में कोई निर्माण कार्य नहीं होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पूरक	2,000.00				
	पुनर्विं.	-3,500.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-03-105- 94-जींद में मेडिकल कॉलेज का निर्माण	मूल	5,000.00	4,788.00	4,788.00	..	₹2,212 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/पुनर्वि. आदेश/2025-26/अनु. सं. 14/173-74 दिनांक 15.05.2025)।
6210-03-105- 98-पंडित बी.डी.शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक	मूल	75,000.00	75,000.00	75,000.00	..	नियमित रिक्त पदों को न भरने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

(15) अधिकता मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-03-105- 80-प्रदेश में फिजियोथेरेपी के राजकीय महाविद्यालयों का निर्माण (99-साकेत कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, पंचकूला)	मूल	1.00	170.57	170.57	..	₹169.57 लाख के आवर्धन के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/पुनर्वि. आदेश/2025-26/अनु. सं. 14/173-74 दिनांक 15.05.2025)।
4210-03-105- 87-निर्माण कार्य, एम्स, मेनेती (रवारी)	मूल	1.00	448.22	448.22	..	₹447.22 लाख के आवर्धन के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/पुनर्वि. आदेश/2025-26/अनु. सं. 14/173-74 दिनांक 15.05.2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-03-105-93-भिवानी में राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण	मूल	1.00	2,398.05	2,398.05	..	₹1,797.05 लाख के आवर्धन के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/पुनर्वि. आदेश/2025-26/अनु. सं. 14/173-74 दिनांक 15.05.2025)।
4210-03-105-97- बीपीएस महिला चिकित्सा महाविद्यालय खानपुर, कांलान (सोनीपत्त) (98-भवन का निर्माण (राज्य अंशदान))	मूल	100.00	9,042.94	9,042.94	..	₹8,442.94 लाख के आवर्धन के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/पुनर्वि. आदेश/2025-26/अनु. सं. 14/173-74 दिनांक 15.05.2025)।

- (16) निम्नलिखित मामले जिनमें, अत्यधिक अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया तथा बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जो यह दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4210-01-110-99-भवन नाम बदलकर अवसंरचना/ प्रशासनिक व्यय	मूल	30,000.00	27,802.56	47,855.48	(+)20,052.92	सम्पूर्ण निधि कार्यकारी एजेंसी को हस्तांतरित कर दिया गया और उनके द्वारा व्यय किया गया था तथा टिप्पण में भूमि की खरीद का मामला प्रक्रियाधीन होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया। ₹20,052.92 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

अनुदान संख्या 15-श्रम/युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण/ रोजगार/युवा मामले)  
 (मुख्य शीर्ष-2204-खेलकूद तथा युवा सेवाये, 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास, 2852-उद्योग, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, 4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, 6202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	11,78,74,36	12,08,74,36	9,42,97,14	(-)2,65,77,22
पूरक	30,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2025)

2,66,14,26

पूँजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	2,65,78,00	2,65,78,00	81,27,56	(-)1,84,50,44
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि  
(मार्च 2025)

1,82,88,15

टिप्पणियाँ एवं टीकाएं

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹26,577.22 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2025 को ₹26,614.26 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹26,577.22 लाख की समस्त बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2024 में प्राप्त ₹3,000 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा।

(3) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2230-01-004- 99-अनुसंधान तथा सांचिकीय कक्ष	मूल	167.70	97.73	97.73	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद और अवकाश यात्रा रियायत एवं अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-69.97				
2230-01-101- 99-औद्योगिक सम्पर्क	मूल	3,574.50	3,191.29	3,191.29	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, आउटसोसिंग नीति के तहत कर्मचारियों की कम नियुक्ति तथा अनुग्रह राशि के दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो चिकित्सा दावों की अधिक प्राप्ति तथा चालू ब्लॉक वर्ष के लिए अवकाश यात्रा रियायत बिलों के लंबित रहने के द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-383.21				
2230-01-102- 93-फैक्टरी में कार्यरत कर्मचारियों के स्वास्थ्य सुधार हेतु मोबाइल वैन प्राप्त करना	मूल	60.00	26.51	26.51	..	कार्यालय वस्तुओं, नए वाहनों की कम खरीद, मरम्मत कार्यों, पेट्रोल, तेल और स्नेहकों की कम प्राप्ति तथा आउटसोसिंग नीति के तहत कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-33.49				
2230-01-102- 96- स्वास्थ्य	मूल	225.50	136.25	136.25	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत एवं अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति तथा किराया विलेख दावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-89.25				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2230-01-103-99-श्रमिक कल्याण केन्द्रों की स्थापना	मूल	159.73	40.59	40.59	..	रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2230-01-113-97-निसहाय तथा विस्थापित बाल श्रमिकों के पुर्नवास हेतु	मूल	200.00	57.42	57.42	..	मुख्यतः 75 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में पेश हुए वकीलों को कानूनी फीस का भुगतान न करने, उक्त बिल के अनुसार बिल और निपटान, कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद, रिक्त पदों को न भरने और किराया विलेख को अंतिम रूप न देने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2230-01-113-99-निदेशन तथा प्रशासन	मूल	44.11	17.30	17.30	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों की कम तैनाती तथा कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2230-01-190-98-(सहायता अनुदान) ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक राष्ट्रीय डेटा बेस	मूल	50.00	..	..	..	समर्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु.सं.15/ 139-40 दिनांक 08.05.2025)।
	पुनर्वि.	-50.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2230-01-800-99-श्रम विभाग के कम्प्यूटरीकरण करने हेतु (98-स्थापना खर्च)	मूल	1,000.00	282.51	282.51	..	मुख्यतः कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद और आउटसोर्सिंग नीति के तहत पेशेवर कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2230-02-004-99-निदेशालय में राज्य रोजगार विपणन सूचना कार्यान्वयन इकाई	मूल	361.45	305.94	305.94	..	रिक्त पदों को न भरने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के कम संचालन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2230-02-101-87-निजी समायोजन परामर्श एवं भर्ती सेवा केन्द्र	मूल	20.00		1.61	1.61	.. कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2230-02-101-97-रोजगार कार्यालयों के कार्यों का कम्प्यूटरीकरण	मूल	200.00	175.31	175.31	..	कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2230-02-800-99-रोजगार कार्यालय में व्यावसायिक निदेशन कैरियर केन्द्र-अन्य खर्च	मूल	396.35		218.56	218.56	.. रिक्त पदों को न भरने, कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद, अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति तथा अनुग्रह राशि दावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2230-03-001-92-हरियाणा कौशल विकास मिशन की स्थापना	मूल	5,000.00	1,154.15	1,154.15	..	हरियाणा में दो बार आदर्श आचार सहित लागू होने तथा दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए उद्योगों की आंतरिक प्रक्रिया में देशी के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-3,845.85				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2230-03-003- 60-मॉडल आईटीआई में आईटीआई का उन्नयन	मूल	100.00	..	..	..	परियोजना के पूरा होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2230-03-003- 61-कौशल औदयोगिक मूल्य संवर्धन के लिए सुदृढ़ीकरण	मूल	2,000.00	..	..	..	परियोजना के पूरा होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, इसलिए भारत सरकार द्वारा कोई धनराशि जारी नहीं की गई।
2230-03-003- 74-अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए विशेष प्रशिक्षण विशेष केन्द्रीय सहायता का आयोजन	मूल	50.00	..	..	..	समर्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/ पुनर्वि./ 2025-26/ अनु.सं.15/ 139-40 दिनांक 08.05.2025)।
2230-03-003- 97-कुशल शिल्पियों का शिक्षुता प्रशिक्षण	मूल	561.00	464.53	464.53	..	मुख्यतः पदों को न भरा जाना, प्रशिक्षुओं की संख्या में कमी, कानून एवं व्यवस्था के लिए निजी वाहनों की कम भर्ती तथा डीएसटी प्रशिक्षुओं के लिए समूह बीमा से प्राप्त दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो अधिक अवकाश यात्रा रियायत दावों के द्वारा समायोजित किया गया।
2230-03-190- 96-ठेकेदार सक्षम युवा योजना	मूल	..	..	..	..	समर्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/ पुनर्वि./ 2025-26/ अनु.सं.15/ 139-40 दिनांक 08.05.2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2230-03-190-97-गुरु शिष्य कौशल सम्मान योजना	मूल	1,000.00		..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु.सं.15/ 139-40 दिनांक 08.05.2025)।
2230-03-190-98-राष्ट्रीय शिक्षिता प्रोत्साहन योजना	मूल	500.00		..	..	भारत सरकार के एनएसडीसी द्वारा डीबीटी के माध्यम से प्रशिक्षितों के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित वजीफे की प्रतिपूर्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2230-03-199-99-आजीविका परियोजना के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (संकल्प)	मूल	1,105.00	45.00	45.00	..	₹1,060 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु.सं.15/ 139-40 दिनांक 08.05.2025)।
2230-03-789-99-अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए निपूर्ण प्रशिक्षण	मूल	2,843.00	2,212.86	2,212.86	..	मुख्यतः आउटसोर्सिंग नीति के तहत कर्मचारियों की कम नियुक्ति, अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, कार्यालय मदों की कम खरीद, रिक्त पदों को न भरने तथा छात्रवृत्तियों और वजीफों के लिए प्रशिक्षितों की कम तैनाती के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2230-03-792-99-अपूरणीय बट्टे खाते में डालना	मूल	20.00		..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु.सं.15/ 139-40 दिनांक 08.05.2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2852-80-789-99-अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए विकास हेतु लाभ कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	44.00 -43.00	1.00	1.00	..	विस्तृत विपणन प्रमाणपत्र (डीएमसी) केन्द्रों द्वारा उद्यमी विकास कार्यक्रम के प्रशिक्षण के संचालन में कमी के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

- (4) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश जिसमें वास्तविक बचत से कम धनराशि अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप राशि अनाभ्यर्पित रह गई, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2230-01-101-98-औद्योगिक ट्रिव्यूनल/लेबर कोर्ट, फरीदाबाद, रोहतक व अम्बाला	मूल पुनर्वि.	1,347.61 -228.09	1,119.52	1,119.50	(-)0.02	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, आउटसोर्सिंग नीति के तहत कर्मचारियों की कम नियुक्ति तथा अनुग्रह राशि के दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अधिक दौरे करने तथा अवकाश यात्रा रियायत दावों की अधिक प्राप्ति के द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.02 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

- (5) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले, जिसमें वास्तविक बचत से अधिक धनराशि अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2204-51-104- 54-युवा विकास योजना	मूल	300.00	232.11	257.06	(+24.95	मुख्यतः निजी वाहनों की कम भर्ती, वित्तीय वर्ष 2024-25 में युवा क्लबों की स्थापना नहीं होने, अर्थात् सहायतानुदान का उपयोग नहीं होने और पुरस्कारों और पुरस्कार दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹24.95 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2230-01-102- 95-निरीक्षण	मूल	1,716.00	1,522.25	1,522.28	(+0.03	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, आउटसोर्सिंग नीति के तहत कर्मचारियों की कम नियुक्ति, सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षकों की कम नियुक्ति तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो अवकाश यात्रा रियायत दावों की अधिक प्राप्ति तथा क्षेत्रिय अधिकारियों के सरकारी वाहनों का आबंटन के द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.03 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2230-02-101-92-रोजगार कार्यालयों तथा बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए अमला	मूल	43,925.00	34,790.26	34,800.36	(+) 10.10	मुख्यतः बेरोजगारी भत्ते के कम दावे प्राप्त होने, रिक्त पदों को न भरने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कम संचालन, अनुग्रह राशि के दावों की कम प्राप्ति और आउटसोर्सिंग नीति के तहत कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹10.10 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पुनर्वि.	-9,134.74				

## पूँजीगत

- (6) ₹18,450.44 लाख की अंतिम बचत में से ₹162.29 लाख की राशि अनाभ्यर्पित रह गई।  
(7) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4250-51-201-96-श्रम न्यायालय परिसर का निर्माण	मूल	15.00	..	..	..	उपकरणों की कम खरीद/मरम्मत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-15.00				
4250-51-800-97- मशीनरी और उपकरणों का आधुनिकीकरण	मूल	1,000.00	410.03	410.03	..	वस्तुओं निर्देशों के अनुसार सरकारी-ई-मार्केटप्लेस पर उपलब्ध नहीं होने एवं फर्नीचर वस्तुओं की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया था, जो मशीनरी और उपकरणों की अधिक खरीद/मरम्मत के कारण अतिरिक्त राशि के द्वारा समायोजित किया गया।
	पुनर्वि.	-589.97				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
6202-02-105-93-ग्राम दुधौला जिला पलवल स्थित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को ऋण	मूल	20,000.00	5,000.00	5,000.00	..	₹15,000 लाख अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु.सं.15/ 139-40 दिनांक 08.05.2025)।
पुनर्वि.	-15,000.00					

(8) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले, जिसमें वास्तविक बचत से कम धनराशि अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप राशि अनाभ्यर्पित रह गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4250-51-201-94-औद्योगिक प्रशिक्षण के विकास के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण	मूल	4,000.00	1,749.97	1,592.69	(-)157.28	उपकरणों की कम खरीद/मरम्मत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹157.28 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
पुनर्वि.	-2,250.03					
4250-51-789-98-अनुसूचित जातियों के लिए प्रशिक्षण भवन	मूल	500.00	85.88	78.54	(-)7.34	उपकरणों की कम खरीद/मरम्मत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹7.34 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
पुनर्वि.	-414.12					

अनुदान संख्या-16-सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण/ अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं अन्तोदय (सेवा)/  
भूतपूर्व सेनिकों का कल्याण

(मुख्य शीर्ष-2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण, 2235-  
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 2250-अन्य सामाजिक सेवाएं, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4225-  
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय, 4235-  
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में )	वास्तविक व्यय (₹ हजार में )	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में )
मूल	1,20,61,97,59	1,31,83,65,59	<b>1,27,02,28,66</b>	(-) 4,81,36,93
पूरक	11,21,68.00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2025)

4,85,44,97

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में )	वास्तविक व्यय (₹ हजार में )	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में )
मूल	49,51,20	49,51,20	<b>7,90,20</b>	(-) 41,61,00
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2025)

41,61,00

टिप्पणियां एवं टीकाएँ:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

(1) ₹48,136.93 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹48,544.97 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक साबित हुआ।

(2) बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2225-01-001-95-विमुक्त जाति के छात्रों के बच्चों के लिए जींद में छात्रावास की स्थापना	मूल	52.13	38.78	38.78	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, कम प्राप्त मामलों, अवकाश यात्रा रियायत दावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो किराये के भवन के लिए किराये की राशि में वृद्धि के द्वारा समायोजित किया गया।
2225-01-001-97-अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र	मूल	147.10	114.02	114.02	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने और घटते कैडर, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो यात्रा भत्ते के दावों की अधिक प्राप्ति के द्वारा समायोजित किया गया।
2225-01-102-96-अत्याचार के शिकार लोगों को मौद्रिक राहत	मूल	2,800.00	1,749.16	1,749.16	..	भारत सरकार से कम अनुदान प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2225-01-190-95-हरियाणा अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना	मूल	300.00	250.00	250.00	..	मांगों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2225-01-190-97-हरियाणा राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना	मूल	100.00	80.00	80.00	..	अंशदान के अंतर्गत मांग प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2225-01-190-98-हरियाणा केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड की स्थापना	मूल पूरक पुनर्वि.	50.00 59.00 -59.00	50.00	50.00	..	मांगों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2225-01-190-99-हरियाणा विमुक्ति घुमंतू जाति विकास बोर्ड	मूल पुनर्वि.	150.00 -65.00	85.00	85.00	..	मांगों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2225-01-277-68-अनुसूचित जाति के छात्रों को योजना के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति नाम बदलकर और अन्य घटक-1	मूल पुनर्वि.	400.00 -400.00	..	..	..	माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण समर्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था। क्योंकि राज्य योजना में केंद्रीय से अधिक लाभकारी है
2225-01-277-80- अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की योग्यता में कोटि उन्नयन	मूल पुनर्वि.	25.00 -25.00	..	..	..	स्कूल शिक्षा विभाग से प्रस्ताव मांगा गया था, लेकिन आज तक प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण समर्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
2225-01-277-88- उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता	मूल पुनर्वि.	400.00 -92.55	307.45	307.45	..	इस योजना में उच्च शिक्षा विभाग और इस विभाग के बीच संशोधन/प्रभार लंबित होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2225-01-283-99- डॉ. बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना	मूल पुनर्वि.	20,000.00 -18,490.80	1,509.20	1,509.20	..	योजना में संशोधन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2225-01-793-77-प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय)	मूल	3,800.00	..	..	..	इस योजना के अंतर्गत तीन उप-योजनाओं में बजट स्थानांतरित किए जाने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
2225-01-800-84-प्रचार योजना	मूल	50.00	..	..	..	भारत सरकार से अनुदान प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
2225-01-800-89-मुख्यमंत्री सामाजिक समरस्ता अन्तर जातीय विवाह शागुन योजना	मूल	5,000.00	4,000.00	4,000.00	..	भारत सरकार से अनुदान की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2225-03-277-92-अन्य पिछड़ी जाति के लड़कों एवं लड़कियों के हौस्टल निर्माण हेतु	मूल	200.00	..	..	..	माध्यमिक शिक्षा विभाग/संस्थानों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
2225-03-277-95-पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति नाम बदलकर ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी, छात्रों के लिए घटक-1	मूल	100.00	..	..	..	माध्यमिक शिक्षा विभाग से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था, क्योंकि राज्य योजना केन्द्रीय योजना से अधिक लाभकारी है।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-02-101-64-हरियाणा में नशों की रोकथाम के लिए नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	200.00 -200.00	..	..	..	नशा मुक्ति केन्द्रों से बजट प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा राज्य पुरस्कारों की मांग के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
2235-02-101-67-जिला पुर्नवास केन्द्र भिवानी नाम बदलकर जिला पुर्नवास केन्द्र	मूल पुनर्वि.	72.45 -10.10	62.35	62.35	.	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने तथा अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो महंगाई भत्ते के लंबित बकाया के भुगतान के द्वारा समायोजित किया गया।
2235-02-101-98-अन्ये छात्रों के लिए राज, संस्था तथा ब्रेल पुस्तकालय पानीपत नाम बदलकर दृष्टिबाधितों के लिए सरकारी संस्थान-सह-ब्रेल लाइब्रेरी	मूल पुनर्वि.	508.01 -163.25	344.76	344.76	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, आउटसोसिंग नीति के तहत संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, अवकाश यात्रा रियायत और अनुग्रह दावों की कम प्राप्ति तथा विविध वस्तुओं की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो पेशेवर कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति के द्वारा समायोजित किया गया।
2235-02-104-94-वृद्ध व्यक्तियों को राज्य पुरस्कार देने के लिए योजना	मूल पुनर्वि.	20.00 -20.00	..	..	..	आवेदकों से राज्य पुरस्कार के लिए आवेदन प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
2235-02-104-97-हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सभी जिलों तथा शहरों में क्लबों की स्थापना	मूल पुनर्वि.	70.00 -52.20	17.80	17.80	..	डीएसडब्ल्यूओ से सहायतानुदान की मांग की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-02-104- 99-वृद्ध एवं अपंग गृह	मूल	40.12	21.97	21.97	..	रिक्त पदों को न भरने तथा संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो कर्मचारियों से अवकाश यात्रा रियायत दावों की अधिक प्राप्ति के द्वारा समायाजित किया गया ।
2235-02-105- 99-नशामुक्ति और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना	मूल	200.00	100.00	100.00	..	भारत सरकार से सहायतानुदान दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
2235-02-190- 97-मुख्यमंत्री अंत्योदान परिवार उत्थान मिशन	मूल	300.00	30.00	30.00		सहायतानुदान दावों की कम प्राप्ति तथा पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान की मांग की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
2235-02-190- 98-हरियाणा राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड में जीआईए 100 प्रतिशत	मूल	430.00	180.00	180.00	..	सहायतानुदान दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
2235-02-199- 97-वरिष्ठ नागरिक कल्याण के लिए एनजीओ /वीओ/द्रस्ट/ सोसायटी/ कॉरपरेट को अनुदान सहायता	मूल	..	..	..	..	डीएसडब्ल्यूओ से मांग की कम प्राप्ति के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पूरक	80.00				
	पुनर्वि.	-80.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-02-199-98-वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना	मूल	100.00	..	..	..	भारत सरकार से सहायतानुदान दावों की कम प्राप्ति के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था ।
2235-60-102-87-चरण 3 और चरण 4 के कैंसर रोगियों के लिए वित्तीय सहायता योजना	मूल	..	197.51	197.51	..	इस योजना के अंतर्गत पेंशन लाभार्थियों के कम नामांकन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
2235-60-200-75-डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना	मूल	30.00	19.00	19.00		अन्य शुल्क दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था /
2235-60-200-76-रक्षा बल कार्मियों की युद्ध विधवाओं के लिए वित्तीय सहायता	मूल	134.00	106.55	106.55	..	रक्षा बलों के कर्मियों की युद्ध विधवाओं के लाभार्थियों की संख्या में कमी के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
2235-60-200-77-केन्द्रीय अर्धसैनिक बल के आश्रितों को आतंकवादियों के साथ वीरतापूर्वक लड़ने पर अनुग्रह अनुदान -	मूल	500.00	74.50	74.50	..	अनुग्रह राशि के दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
2235-60-200-78-सैनिकों के लिए कल्याण परिसर युद्ध स्मारक तथा अन्य सम्बंधित भवनों का निर्माण	मूल	1,140.00	..	..	..	परियोजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-100.00				
	पुनर्वि.	330.00				
	पुनर्वि.	-132.49				
	पुनर्वि.	-11.00				
	पुनर्वि.	-27.45				
	पुनर्वि.	-425.50				
	पुनर्वि.	-1,140.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-60-200-81-सैनिक स्कूल को अनुदान	मूल	1,900.00	1,237.61	1,237.61	..	पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान और अन्य शुल्क मांग की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-662.39				
2235-60-200-82-राष्ट्रीय भारतीय सेना अकादमी को सहायता अनुदान	मूल	300.00	266.89	266.89	..	इस योजना के अंतर्गत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-33.11				
2235-60-200-83-दंगे फसाद से प्रभावित व्यक्तियों को राहत	मूल	50.00	..	..	..	सहायतानुदान दावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-50.00				
2235-60-200-95-कश्मीर आंदोलन में बहादुरी के लिए सैनिकों, नाविकों तथा विमानकों को पुरस्कार	मूल	1,600.00	1,241.20	1,241.20	..	लाभार्थियों की संख्या में कमी के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-358.80				
2235-60-200-96-साठ वर्ष से अधिक आयु वाले भूतपूर्व सैनिकों को वित्तीय सहायता	मूल	1,350.00	1,138.60	1,138.60	..	लाभार्थियों की संख्या में कमी के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-211.40				
2235-60-200-97-भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को, जिन्हें परिवारिक पैशान नहीं मिल रही वित्तीय सहायता	मूल	3,200.00	2,701.68	2,701.68	..	लाभार्थियों की संख्या में कमी के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
	पुनर्वि.	-498.32				
2250-51-102-98-स्वर्ण जयंती के तहत राज्य हरियाणा के बाहर पर्यटन योजना कार्यक्रम (99-सिंधु दर्शन यात्रा)	मूल	60.00	15.40	15.40	..	तीर्थयात्रियों से दावे प्राप्त न होने के कारण धनराशि का समर्पण किया गया ।
	पुनर्वि.	-44.60				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2250-51-103-97-सिक्ख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 के अधीन आयोग	मूल पुनर्वि.	200.01 -200.01	..	..	..	समस्त प्रावधान को अभ्यर्पित करने के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 16/141-42 दिनांक 08.05.2025)।
2250-51-103-98-सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 के अधीन गुरुद्वारा चुनाव	मूल पुनर्वि.	96.50 -41.86	54.64	54.64	..	₹41.86 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 16/141-42 दिनांक 08.05.2025)।

(3) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के एक मामला, जिसमें वास्तविक बचत से कम धन राशि अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ राशि अनाभ्यर्पित रह गई, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-60-102-99-वृद्धों विकलांगों परिव्यय तथा विधवा महिलाओं को पेंशन जिला स्तरीय अलमा (98-स्थापना खर्च)	मूल पुनर्वि.	2,985.30 -508.18	2,477.12	2,475.78	(-)1.34	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत और चिकित्सा बिल दावों की कम प्राप्ति, हारट्रॉन और संविदा कर्मचारियों से पेशेवर और विशेष सेवाओं की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो अन्य शुल्कों की अधिक मांग के द्वारा समायोजित किया गया। ₹1.34 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

(4) 31 मार्च 2025 को वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश के चार मामले, जिसमें वास्तविक बचत से अधिक राशि अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ राशि अनाभ्यर्पित रह गई, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2225-03-001-99-द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग का अमला	मूल पुनर्वि.	355.00 -185.19	169.81	169.83	(+)0.02	मुख्यतः स्टाफ/जनशक्ति की नियुक्ति न होने और सदस्य सचिव के रिक्त पद, नए वाहनों की खरीद न होने, अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति और वाहनों की मरम्मत के लिए प्राप्त बिलों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लंबित किराये का बिल और संविदा कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति के द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.02 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2225-03-277-93-पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति नाम बदलकर ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए घटक-2	मूल पुनर्वि.	7,500.00 -6,727.05	772.95	782.38	(+)9.43	भारत सरकार से कम अनुदान प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, ₹9.43 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-60-200-98-जिला सैनिक नाविक तथा विमानन बोर्ड पर खर्च (98-स्थापना खर्च)	मूल पुनर्वि.	2,757.00 -1,164.08	1,592.92	1,593.67	(+0.75	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, वर्ष के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न करने, अवकाश यात्रा रियायत और किराया दावों की कम प्राप्ति, कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो नए वाहनों की खरीद और संविदा कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति के द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.75 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2250-51-102-97-हरियाणा तीर्थ यात्रा योजना	मूल पुनर्वि.	70.00 -59.78	10.22	58.65	(+)48.43	मानदंडों के अनुसार कम तीर्थ यात्रियों की पहचान के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹48.43 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

- (5) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के चार मामले, जिसमें अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त हुआ और बाद में पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया, जिसमें अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इस मामले में वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम रहा। इसके बाद, अनुपूरक अनुदान और मूल बजट का एक हिस्सा पुनर्विनियोजन के माध्यम से वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पित कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक व्यय हुआ, जो दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे, जिसकी की चर्चा अगले पृष्ठ पर की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2225-01-001-98-जिला अमला	मूल	3,761.00	2,799.51	2,799.58	(+)0.07	मुख्यतः रिक्त पदों, मैनुअल स्कैवेंजिंग से संबंधित मुआवजे के मामलों की कम प्राप्ति, आउटसोर्सिंग नीति के तहत संविदा कर्मचारियों और पेशेवर कर्मचारियों की कम नियुक्ति, अवकाश यात्रा रियायत की कम प्राप्ति और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित न किए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, ₹0.07 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पूरक	530.00				
	पुनर्वि.	-1,491.49				
2225-01-001-99-मुख्यालय अमला (98-स्थापना खर्च)	मूल	886.50	760.98	761.44	(+)0.46	मुख्यतः रिक्त पदों, वकीलों को कानूनी शुल्क की मांग प्राप्त न होने, चिकित्सा और अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति तथा प्रशिक्षुओं के पदों को न भरने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो अनुग्रह दावों की अधिक प्राप्ति के द्वारा समायोजित किया गया, ₹0.46 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पूरक	125.00				
	पुनर्वि.	-250.52				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2225-01-277- 99-अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति	मूल पूरक पुनर्वि.	13,500.00 87.00 -6,000.00	7,587.00	7,650.94	(+)63.94	छात्रवृत्ति और वजीफे के अंतर्गत दावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, ₹63.94 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2235-02-001- 99-मुख्यालयों के लिए अमला (सा.न्या.अ.) (98-स्थापना खर्च)	मूल पूरक पुनर्वि.	1,039.70 70.00 -178.14	931.56	981.43	(+)49.87	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, मुख्यालय के कार्यालय वाहनों की कम मरम्मत, कर्मचारियों से अवकाश यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, मुख्यालय में विभिन्न पेशेन और अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो पेशेवर कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति और किराया दरों में वृद्धि के द्वारा समायोजित किया गया, ₹49.87 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

(6) अधिकता मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2225-01-277-72-शोध एवं शिक्षा	मूल पुनर्वि.	1.00 15.05	16.05	16.05	..	₹15.05 लाख के अभ्यर्ण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/ पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 16/141-42 दिनांक 08.05.2025)।
2225-01-789-93-अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्गों से संबंधित संस्थानों/समितियों को वित्तीय सहायता	मूल पुनर्वि.	30.00 33.00	63.00	63.00	..	मांगों की अधिक प्राप्ति के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया।
2225-01-793-77-प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) (98-अनुसूचित जाति के लिए छात्रावास का निर्माण/घटक)	मूल पूरक पुनर्वि.	.. 1.00 167.00	168.00	168.00	..	पीएम-अजय के अंतर्गत नई उप-योजना और भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होने के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया।
2225-01-793-77-प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) (99-अनुदान सहायता घटक)	मूल पूरक पुनर्वि.	.. 1.00 550.18	551.18	551.18	..	पीएम-अजय के अंतर्गत नई उप-योजना और भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होने के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया।
2225-01-800-82-मुख्यमंत्री विवाह शागुन योजना	मूल पूरक पुनर्वि.	16,000.00 3,000.00 5,931.24	24,931.24	24,931.24	..	अन्य शुल्क दावों की अधिक प्राप्ति के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2235-03-102- 99-परिवार लाभ योजना	मूल	900.00	1,069.65	1,069.65	..	भारत सरकार से अधिक सहायतानुदान दावों की प्राप्ति के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था।
	पुनर्वि.	169.65				
2235-60-102- 88-शुभ्र ज्योत्सना पेशन योजना	मूल	900.00	995.00	995.00	..	इस योजना के अंतर्गत पेशन लाभार्थियों के अधिक नामांकन के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था।
	पुनर्वि.	95.00				

(7) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला, जिसमें संपूर्ण मूल बजट प्रावधान को अभ्यर्पित कर दिया गया तथा बिना बजट प्रावधान के व्यय किया गया, की चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2250-51-800- 99-विभिन्न व्यापारिक मेले	मूल	200.00	..	195.60	(+) 195.60	समस्त प्रावधान को अभ्यर्पित करने के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/ पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 16 /141-42 दिनांक 08.05.2025)। ₹195.60 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पुनर्वि.	-200.00				

पूंजीगत  
दत्तमत अनुदान

(8) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-01-051- 56-भूमि की खरीद/कार्यालय भवन/सैनिक सदन/संग्रहालय/ हॉल का निर्माण	मूल	860.00	375.20	375.20	..	प्रमुख कार्यों के दावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो एचएसवीपी पंचकूला द्वारा सूचित मानचित्रण के बाद प्लॉट के क्षेत्रफल में 884 वर्ग मीटर से 938 वर्ग मीटर तक की वृद्धि होने के द्वारा समायोजित किया गया।
4225-01-800- 99-कल्याण भवन का निर्माण	मूल	400.00	..	..	..	एचएसवीपी, हरियाणा से पुष्टि प्राप्त न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
4225-03-190- 99-हरियाणा पिछड़े वर्ग कल्याण निगम का हिस्सा पूँजी	मूल	490.00	415.00	415.00	..	निवेश मांग की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
4235-02-101- 93-संस्थान के लिए प्लाट व निदेशालय कार्यालयों के लिए भवन का निर्माण (स्वर्ण जयंती)	मूल	2,000.00	..	..	..	समस्त प्रावधान को अभ्यर्पित करने के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/ पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 16/141-42 दिनांक 08.05.2025)।
	पुनर्वि.	-2,000.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4235-02-101-98-राजकीय अंध विद्यालय पानीपत	मूल	200.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पित करने के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/ पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 16/141-42 दिनांक 08.05.2025)।
4235-02-104-99-अनाथ एवं बूढ़ों के लिए कल्याण गृह (स्वर्ण जयंती परियोजना) का नाम बदलकर वृद्धाश्रम	मूल	1,000.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पित करने के कारण ठोस नहीं थे ठोस कारणों की मांग की गई है (वि. व वि. लेखे/अनु. सं. 16/पुनर्वि. /2025-26/ 141-42/दिनांक 08.05.2025)।

(मुख्य शीर्ष-2041-वाहन कर, 2059-लोक निर्माण-कार्य, 2216-आवास, 3053-नागर विमानन, 3054-सड़क तथा सेतु, 3055-सड़क परिवहन, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय, 4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय, 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय, 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय, 7055-सड़क परिवहन के लिए ऋण)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	53,36,16,60	61,23,87,12	57,50,68,56	(-)3,73,18,56
पूरक	7,87,70,52			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2025)

6,34,81,20

प्रभारित

मूल	5,00	5,00	0	(-)5,00
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2025)

5,00

पूंजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	51,91,56,00	52,14,16,20	32,87,61,05*	(-)19,26,55,15
पूरक	22,60,20			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2025)

24,86,50,70

प्रभारित

मूल	80,00,00	80,00,00	72,87,80	(-)7,12,20
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2025)

9,83,26

\*वर्ष 2024-25 के दौरान आकस्मिक निधि से प्राप्त ₹14,893.22 लाख का व्यय इसमें शामिल नहीं है।

## टिप्पणियाँ एवं टीकाएँ:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹37,318.56 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2025 को ₹63,481.20 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹37,318.56 लाख की समस्त बचत के दृष्टिगत, दिसम्बर 2024 और मार्च 2025 में प्राप्त ₹78,770.52 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2059-80-799-उचन्त खाता	मूल	1,100.00	1,100.00	95.75	(-)1,004.25	₹1,004.25 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2216-02-192-99-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी सामान्य)	मूल	15,000.00	104.36	104.36	..	₹14,895.64 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/पुनर्वि. आदेश/2025-26 /अनु. सं. 17/175-76 दिनांक 15.05.2025)।
2216-02-789-99-प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एससी)	पुनर्वि.	-14,895.64		..	..	
2216-05-800-98-पटट प्रभार	मूल	10,000.00	..	..	..	समस्त प्रावधान को अभ्यर्पित करने के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/पुनर्वि. आदेश/2025-26 /अनु. सं. 17/175-76 दिनांक 15.05.2025)।
	पुनर्वि.	-10,000.00		..	..	
	मूल	35.00	12.39	12.39	..	₹22.61 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/पुनर्वि. आदेश/2025-26 /अनु. सं. 17/175-76 दिनांक 15.05.2025)।
	पुनर्वि.	-22.61		..	..	

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3053-01-190-99-विजिबिलिटी गैप फिंग के लिए योजना (आरसीएस उड़ान) (98-एनएसओपी उड़ान (गैर अनुसूचित ऑपरेटर परमिट))	मूल	100.00	..	..	..	समस्त प्रावधान को अभ्यर्पित करने के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ पुनर्वि. आदेश/2025-26 /अनु. सं. 17/175-76 दिनांक 15.05.2025)।
3053-01-190-99-विजिबिलिटी गैप फिंग के लिए योजना (आरसीएस उड़ान) (99-आरसीएस उड़ान (क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना))	मूल	100.00	..	..	..	समस्त प्रावधान को अभ्यर्पित करने के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ पुनर्वि. आदेश/2025-26 /अनु. सं. 17/175-76 दिनांक 15.05.2025)।
3053-80-001-99-मुख्यालय अमला	मूल	312.00	255.38	255.38	..	मुख्यतः चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, अनुग्रह राशि दावों की प्राप्ति न होना, अधिकारियों द्वारा कम दौरा करना तथा कुछ पद रिक्त रहने आदि के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान के द्वारा समायोजित किया गया।
3053-80-003-98-उड्डयन क्लब तथा संस्थाओं को सहायतानुदान	मूल	100.00	45.00	45.00	..	आवश्यकतानुसार अनुदान प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-56.62				
	पुनर्वि.	-55.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3054-01-337-98-हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए टोल शुल्क में राहत के लिए टोल दावों की प्राप्ति न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था, जो इस लेखा शीर्ष के अंतर्गत शून्य व्यय दर्ज किया गया है।	मूल	10.00	..	..	..	राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए टोल शुल्क में राहत के लिए टोल दावों की प्राप्ति न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था, जो इस लेखा शीर्ष के अंतर्गत शून्य व्यय दर्ज किया गया है।
3054-80-001-99-स्थापना प्रभार (यथानुपात) 2059- लोक निर्माण कार्य से अंतरित	मूल	49,500.00	49,500.00	42,477.56	(-)7,022.44	₹7,022.44 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
3054-80-052-99-स्थापना प्रभार (यथानुपात) 2059 लोक निर्माण कार्य से अंतरित	मूल	850.00	850.00	439.36	(-)410.64	₹410.64 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
3055-51-792-51-एन.ए.	मूल	100.00	0.30	0.30	..	ऋण/हानि दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्विं.	-99.70				

(4) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले, जिसमें वास्तविक बचत से कम धनराशि अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप राशि अनाभ्यर्पित रह गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2059-60-053-99-खरखाव एवं सुधार	मूल	1,000.00	609.64	468.16	(-)141.48	इस योजना में महत्वपूर्ण व्यक्तियों वीवीआईपी के संबंध में सरकार/स्थानीय प्रशासन द्वारा कम समारोह/कार्यक्रम आयोजित किए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹141.48 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

(5) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले जिनमें, वास्तविक बचत से अधिक धनराशि अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2041-51-102-98-रेगुलेटरी विंग की सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं कम्पयूटरीकरण	मूल	5,500.00	939.86	944.81	(+)4.95	कानून और व्यवस्था के लिए वाहनों की कम भर्ती और लंबित बिलों के दावे प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹4.95 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
3053-02-001-99-हिसार में एकीकृत विमानन हब के लिए स्थापना व्यय के लिए योजना	मूल	669.00	388.21	388.31	(+)0.10	मुख्यतः संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, अधिकारियों द्वारा कम दौरा, कार्यालय मदों की कम आवश्यकता तथा कार्यालय वाहनों की कम खरीद/मरम्मत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो बिजली बिल दावों की अधिक प्राप्ति के द्वारा समायाजित किया गया। ₹0.10 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
3054-01-337-99-राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों का रखरखाव और मरम्मत	मूल	30.00		2.06	2.10	(+)0.04

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3055-51-201-97-सी मरम्मत तथा रखरखाव	मूल	25,568.60	20,150.97	20,428.05	(+)277.08	रिक्त पदों को न भरने, अनुग्रह राशि, अवकाश यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, कार्यालय वस्तुओं के क्रय आदेश न दिए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति और बेड़े में नई एएमसी बसों को शामिल किए जाने के द्वारा समायोजित किया गया। ₹277.08 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
3055-51-201-99-ए-प्रबन्धन	मूल	18,098.00	15,441.05	15,441.29	(+)0.24	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत, अनुग्रह राशि और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो संविदा कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.24 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3055-51-800-97-सी मरम्मत तथा रखरखाव	मूल	1,114.60	828.19	860.05	(+)31.86	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कार्यालय कार्यों की कम मरम्मत और रखरखाव तथा संविदा कर्मचारियों की कम तैनाती के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो अवकाश यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के द्वारा समायोजित किया गया। ₹31.86 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
3055-51-800-99-ए-प्रबन्धन	मूल	364.30	318.24	318.37	(+)0.13	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति तथा अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम दौरा करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.13 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

- (6) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले जिनमें, अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया और बाद में पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया। इन मामलों में वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम हाने के कारण अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तत्पश्चात, अनुपूरक अनुदान और मूल बजट के एक भाग को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया, जो दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2059-80-001- 94-भूमि अधिग्रहण अधिकारी	मूल	540.00	349.64	349.64	..	मुख्यतः रिक्त पदों का न भरने, अवकाश यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, आउटसर्विसिंग नीति के तहत कर्मचारियों की कम नियुक्ति और अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम दौरे के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान के द्वारा समायोजित किया गया।
2059-80-001- 97-पर्यवेक्षण	मूल	2,826.00	2,466.74	2,466.74	..	मुख्यतः रिक्त पदों का न भरने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति तथा प्रशिक्षुता के लिए व्यक्तियों की कम तैनाती के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो संविदा कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति और महंगाई भत्ते के बकाया भुगतान के द्वारा समायोजित किया गया।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2059-80-001-99-निर्देशन	मूल	4,105.00	3,520.34	3,520.34	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, आउटसोर्सिंग नीति के तहत कर्मचारियों की कम नियुक्ति, तथा अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अनुग्रह राशि के दावों की अधिक प्राप्ति के द्वारा समायोजित किया गया।
	पूरक	12.00				
	पुनर्वि.	-596.66				

- (7) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले जिनमें, अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया है और बाद में पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया है। अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इस मामले में कोई व्यय नहीं हुआ है, जो दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
22216-02-192-98-मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना	मूल	..	..	..	..	समस्त प्रावधान को अभ्यर्पित करने के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ पुनर्वि. आदेश/2025-26 /अनु. सं. 17/175-76 दिनांक 15.05.2025)।
	पूरक	12,704.52				
	पुनर्वि.	-12,704.52				

- (8) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला जिसमें अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया और बाद में पुनर्विनियोजन के माध्यम से अनुपूरक अनुदान का एक हिस्सा वास्तविक बचत से कम अभ्यर्पित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक राशि अनाभ्यर्पित रह गई, जिसकी चर्चा अगले पृष्ठ की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3054-03-337- 51-एनए	मूल	4,000.00	6,932.92	6,775.77	(-)157.15	इस योजना से कुछ नये कार्यों को 5054-मुख्य शीर्ष में स्थानांतरित करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹157.15 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पूरक	5,000.00				
	पुनर्वि.	-2,067.08				

- (9) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश का दो मामले जिसमें अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया और बाद में पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया। अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि इस मामले में वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान से कम रहा। तत्पश्चात्, पुनर्विनियोजन के माध्यम से अनुपूरक अनुदान और मूल बजट का एक हिस्सा वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ, जो दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2041-51-102- 99-निरीक्षण अमला	मूल	5,494.00	4,863.04	4,872.37	(+).9.33	मुख्यतः रिक्त पदों और कुछ कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा स्थान परिवर्तन का प्रस्ताव, जिसके लिए मंजूरी प्रक्रिया में है, चिकित्सा प्रतिपूर्ति ऊर्जा बिल और अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो संविदा कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति के द्वारा समायोजित किया गया। ₹9.33 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पूरक	575.00				
	पुनर्वि.	-1,205.96				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3055-51-201- 98-बी-कार्यान्वयन	मूल	2,31,281.00	2,24,749.94	2,27,877.41	(+)3,127.47	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत, यात्रा व्यय और अनुग्रह राशि के दावों की कम प्राप्ति, तथा कार्यालय मदों की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो संविदा कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति और पिछले लंबित बिजली बिलों के भुगतान के द्वारा समायोजित किया गया। ₹3,127.47 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पूरक	5,770.00				
	पुनर्विं.	-12,301.06				

(10) एक मामला जिसमें अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया और बाद में अनुपूरक अनुदान का एक हिस्सा पुनर्विनियोजन के माध्यम से वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जो दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे, इसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3055-51-001- 99-केन्द्रीय कार्यालय (98-स्थापन खर्च)	मूल	3,458.70	5,254.69	5,271.49	(+)16.80	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, हैप्पी योजना के भुगतान की कम प्राप्ति, छात्रवृत्ति और वजीफे के लिए प्रशिक्षकों की कम तैनाती और प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो ब्लॉक वर्ष 2019-23 के लिए अवकाश यात्रा रियायत के लंबित बिल और अनुग्रह राशि के दावों की अधिक प्राप्ति के द्वारा समायोजित किया गया। ₹16.80 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पूरक	3,000.00				
	पुनर्विं.	-1,204.01				

(11) आधिक्य मुद्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2059-80-104-99-लोक निर्माण विभाग द्वारा किराये पर लिए/अभिग्रहित/पट्टे पर दिये गये गैर-रिहायशी भवन	मूल	50.00	107.77	107.77	..	₹57.77 लाख के आवर्धन के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/पुनर्वि. आदेश/2025-26/अनु. सं. 17/175-76 दिनांक 15.05.2025)।
2216-03-196-99-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	मूल	6,072.00	11,990.27	11,990.27	..	भारत सरकार से सहायतानुदान की मांग की अधिक प्राप्ति के कारण पनुर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था।
2216-03-789-99-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	मूल	4,968.00	11,520.05	11,520.05	..	भारत सरकार से सहायतानुदान की मांग की अधिक प्राप्ति के कारण पनुर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था।
2216-05-001-99-निदेशन तथा प्रशासन 2059-लोक निर्माण को स्थानान्तरित यथानुपात स्थापना खर्च	मूल	2,500.00	2,500.00	12,747.83	(+)10,247.83	₹10,247.83 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2216-05-052-99-2059-लोक निर्माण को स्थानान्तरित मशीनरी तथा उपकरण	मूल	50.00	50.00	131.85	(+)81.85	₹81.85 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2216-80-001-99- निदेशालय कार्यालय की स्थापना	मूल	142.00	184.94	184.94	..	पेशेवर कर्मचारियों के वर्ष 2023-24 के लिए लंबित बिलों के भुगतान और नई खुली योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संविदा कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति के कारण पनुर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3054-80-797-99-सीआरएफ-इंटर खाता स्थानांतरण से स्थानांतरण	मूल	15,000.00	15,000.00	18,900.00	(+)3,900.00	₹3,900.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

- (12) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला जिसमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से सम्पूर्ण बजट प्रावधान अभ्यर्पित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, इसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3055-51-201-96-एफ-अन्य व्यय	मूल	12,550.00	..	12,550.00	(+)12,550.00	समस्त प्रावधान को अभ्यर्पित करने के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ पुनर्वि. आदेश/2025-26 /अनु. सं. 17/175-76 दिनांक 15.05.2025)। ₹12,550.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

- (13) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला जिसमें राशि वास्तविक व्यय से कम आवर्धित की गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जिसकी चर्चा अगले पृष्ठ पर की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2059-80-052-96-मशीनरी	मूल	520.50	538.09	639.19	(+) 101.10	₹17.59 लाख के आवधन के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/पुनर्वि. आदेश/2025-26/अनु. सं. 17/175-76 दिनांक 15.05.2025)। ₹101.10 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पुनर्वि.	17.59				

(14) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले जिनमें अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त रूप से प्राप्त किया गया है जिनमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से बढ़ाई गई राशि वास्तविक व्यय कम था, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2059-80-001-95-वास्तुकला इकाई (98-स्थापना खर्च)	मूल	1,482.90	1,025.92	1,026.20	(+) 0.28	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, खरीद को अंतिम रूप न देने, आउटसोर्सिंग नीति के तहत पेशेवर कर्मचारियों की कम नियुक्ति के कारण निधियों का अभ्यर्ण किया गया था, जो अनुग्रह राशि दावों की अधिक प्राप्ति के द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.28 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पुनर्वि.	-456.98				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
3054-04-337-98-ग्रामीण सड़कें	मूल	40,000.00	81,293.76	84,123.05	(+)2,829.29	इस लेखा शीर्ष के अंतर्गत नए कार्यों की अधिक स्वीकृति के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया। ₹2,829.29 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पूरक	31,000.00				
	पुनर्वि.	10,293.76				
3054-04-337-99-जिला सड़कें	मूल	4,000.00	10,991.66	11,276.41	(+)284.75	इस लेखा शीर्ष के अंतर्गत नए कार्यों की अधिक स्वीकृति तथा सांविधिक कठौती अर्थात् सुरक्षा, माल एवं सेवा कर के बही हस्तांतरण के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया। ₹284.75 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पूरक	6,000.00				
	पुनर्वि.	991.66				

पूंजीगत  
दत्तमत अनुदान

(15) ₹1,92,655.15 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2025 को ₹2,48,650.70 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।

(16) ₹1,92,655.15 लाख की समस्त बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2024 में प्राप्त ₹2,260.20 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट प्रावधान तक भी नहीं पहुंचा।

(17) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-60-051- 61-सैक्टर 27 पिंजौर कालका में प्रशासनिक परिसर और न्यायिक परिसर कालका का निर्माण	मूल	500.00	..	..	..	समस्त प्रावधान को अभ्यर्पित करने के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ पुनर्वि. आदेश/2025-26 /अनु. सं. 17/175-76 दिनांक 15.05.2025)।
4059-60-051- 63-करनाल में वकील चैंबर परिसर का निर्माण	मूल	32.00	..	..	..	समस्त प्रावधान को अभ्यर्पित करने के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ पुनर्वि. आदेश/2025-26 /अनु. सं. 17/175-76 दिनांक 15.05.2025)।
4216-01-106- 99-न्याय प्रशासन	मूल	5,000.00	..	..	..	समस्त प्रावधान को अभ्यर्पित करने के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ पुनर्वि. आदेश/2025-26 /अनु. सं. 17/175-76 दिनांक 15.05.2025)।
5053-60-052- 98-विभिन्न हवाई अड्डों पर वायु उड़डयन नियंत्रण सुविधाये प्रदान करना	मूल	50.00	..	..	..	भंडार और उपकरणों के दावों की प्राप्ति न होने के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।
5053-60-052- 99-स्पेयर पार्टस हवाई जहाज तथा अन्य उपस्करणों की खरीद	मूल	11,000.00	8,101.34	8,101.34	..	मुख्यतः कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद, फर्नीचर वस्तुओं की खरीद न होने तथा कार्यालय वाहनों की कम खरीद/मरम्मत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-2,898.66				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
5054-04-101-84-हरियाणा राज्य में सेतुओं अपरगामी सेतुओं का निर्माण (98-सेतु और रेलवे उपरगामी सेतु का निर्माण हेतु स्कीम राष्ट्रीय स्कीम)	मूल	8,000.00	4,392.76	4,392.76	..	इस योजना के अंतर्गत नए कार्यों की कम स्वीकृति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
5054-04-337-47-राष्ट्रीय आवास बैंक के शहरी बुनियादी ढांचा विकास निधि (यूआईडीएफ) के तहत शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण	मूल	1,000.00	..	..	..	समस्त प्रावधान को अभ्यर्पित करने के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ पुनर्वि. आदेश/2025-26 /अनु. सं. 17/175-76 दिनांक 15.05.2025)।
5054-04-337-49-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कें	मूल	25,200.00	84.56	84.56	..	पीएमजीएसवाई एक केन्द्र प्रायोजित शेयरिंग योजना है, तथा व्यय प्राप्त राशि के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
5054-04-337-98-ग्रामीण सड़कें (98-ग्रामीण सड़कों के निर्माण एवं बाइंडिंग सुदृढीकरण)	मूल	10,000.00	4,998.01	4,998.01	..	इस योजना के अंतर्गत नये कार्यों की स्वीकृति न मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
5054-04-789-99-अनुसूचित जातियों के क्षेत्र में सड़कों का निर्माण चौड़ा पक्का करने एवं विशेष मरम्मत (97-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अंशदान)	मूल	2,500.00	1,356.02	1,356.02	..	इस योजना के अंतर्गत नये कार्यों की स्वीकृति न मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
5054-80-190-99-हरियाणा रेल अवसंरचना विकास (एचआर आईडीसी) के लिए इक्विटी कैपिटल	मूल पुनर्वि.	1,000.00 -1,000.00	..	..	..	समस्त प्रावधान को अभ्यर्पित करने के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ पुनर्वि. आदेश/2025-26 /अनु. सं. 17/175-76 दिनांक 15.05.2025)।
5055-51-050-77-रेगुलेटरी विंग के लिए भूमि की खरीद और भवन निर्माण	मूल पुनर्वि.	2,000.00 -1,669.77	330.23	330.23	..	परियोजना का कार्य शुरू न हो पाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
5055-51-102-77- हरियाणा परिवहन आगार	मूल पुनर्वि.	18,000.00 -16,463.86	1,536.14	1,536.14	..	कार्यालय वस्तुओं की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
7055-51-190-99-हरियाणा रेल अवसंरचना विकास का ऋण (एच आर आई डी सी)	मूल पुनर्वि.	1,00,000.00 -80,300.00	19,700.00	19,700.00	..	रेलवे प्राधिकरण से राज्य का हिस्सा प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

(18) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले, जिसमें वास्तविक बचत से अधिक धनराशि अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4059-60-051-98-न्याय प्रशासन	मूल पुनर्वि.	8,000.00 -5,090.34	2,909.66	2,993.76	(+)84.10	₹5,090.34 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ पुनर्वि. आदेश/2025-26 /अनु. सं. 17/175-76 दिनांक 15.05.2025)। ₹84.10 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4216-01-106-76-स्वर्ण जयंती योजना के अंतर्गत उपमंडल स्तर पर आवासीय परिसर/ट्रांजिट फ्लैटो का निर्माण	मूल	200.00	8.21	8.97	(+)0.76	₹191.79 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/पुनर्वि. आदेश/2025-26 /अनु. सं. 17/175-76 दिनांक 15.05.2025)। ₹0.76 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4216-01-106-96-लोक निर्माण कार्य	मूल	1,500.00	669.87	716.89	(+)47.02	इस योजना के अंतर्गत नये कार्यों की स्वीकृति न मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹47.02 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
5054-04-101-84-हरियाणा राज्य में सेतुओं अपरगामी सेतुओं का निर्माण (99-सेतु और रेलवे उपरगामी हेतु सेतु का निर्माण हेतु स्कीम)	मूल	20,000.00	16,515.02	17,108.58	(+)593.56	चल रहे कार्यों की प्रगति में उपयोगिता परिवर्तन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹593.56 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
5054-04-337-98-ग्रामीण सड़कों (97-नाबाड़ स्कीम के तहत सड़कों के निर्माण एवं बाइंडिंग सुदृढ़ीकरण)	मूल	17,000.00	10,601.63	10,775.74	(+)174.11	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबाड़) से नई परियोजनाओं की मंजूरी में देरी के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹174.11 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
5054-04-337-98- ग्रामीण सड़कों (99-ग्रामीण सड़कों के निर्माण एवं बाईंडिंग सुदृढ़ीकरण)	मूल	1,20,000.00	1,13,159.03	1,15,224.59	(+)2,065.56	वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में कार्य प्रारंभ करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹2,065.56 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
5054-04-337-99-जिला सड़कों (98-जिला सड़कों के निर्माण एवं बाईंडिंग सुदृढ़ीकरण)	मूल	13,000.00	7,320.91	7,829.63	(+)508.72	इस योजना के अंतर्गत नये कार्यों की स्वीकृति न मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹508.72 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
5054-04-789-99-अनुसूचित जातियों के क्षेत्र में सड़कों का निर्माण चौड़ा पक्का करने एवं विशेष मरम्मत (99-राज्य अंशदान)	मूल	7,000.00	1,299.36	1,386.34	(+)86.98	इस योजना के अंतर्गत नई सड़कों/परियोजनाओं को मंजूरी न दिए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹86.98 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
5054-80-800-98-हरियाणा राज्य में नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए राज्य के हिस्से को उपलब्ध कराना	मूल	5,000.00	74.32	127.08	(+)52.76	₹4,925.68 के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/पुनर्वि. आदेश/2025-26/अनु. सं. 17/175-76 दिनांक 15.05.2025)। ₹52.76 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
5055-51-050-78-हरियाणा परिवहन आगार	मूल	20,000.00	1,920.66	11,684.11	(+)9,763.45	क्षेत्रीय कार्यालयों में निर्माण कार्य कम होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹9,763.45 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
5055-51-800-77- चालक प्रशिक्षण स्कूल	मूल	50.00	8.96	9.96	(+)1.00	कानून और व्यवस्था के लिए निजी वाहनों की कम संख्या में भर्ती के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹1.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

(19) वित्त विभाग द्वारा 31 जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले जिनमें, सम्पूर्ण बजट प्रावधान की राशि पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से अभ्यर्पित कर दी गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय है।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
5053-60-102-98-हिसार में स्वर्ण जयंती इंटीग्रेटेड एविएशन हब	मूल	45,000.00	..	41,196.11	(+)41,196.11	समस्त प्रावधान को अभ्यर्पित करने के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ पुनर्वि. आदेश/2025-26 /अनु. सं. 17/175-76 दिनांक 15.05.2025)। ₹41,196.11 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
5053-60-102-99-एयरोड्रोम का रखरखाव	मूल	3,500.00	..	2,075.63	(+)2,075.63	समस्त प्रावधान को अभ्यर्पित करने के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ पुनर्विद्युत आदेश/2025-26 /अनु. सं. 17/175-76 दिनांक 15.05.2025)। ₹2,075.63 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

(20) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले जिनमें, वास्तविक बचत से कम राशि अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप राशि अनाभ्यर्पित रह गई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
5054-03-337-87-आपदा राहत कोष योजना के अन्तर्गत सङ्कोषों का निर्माण-पक्का/चोड़ा और सुधार करना	मूल	15,000.00	11,335.80	10,999.73	(-)336.07	सङ्कोष परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमआओआरटीएच) से कार्यों की कम स्वीकृति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹336.07 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
5054-04-101-84-हरियाणा राज्य में सेतुओं अपरगामी सेतुओं का निर्माण (97-नाबाड़ योजना के अंतर्गत सेतु और रेलवे उपरगामी सेतु का निर्माण हेतु स्कीम)	मूल	1,500.00	124.09	..	(-)124.09	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाड़) से इस योजना के तहत नए कार्यों की कम मंजूरी मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹124.09 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
5054-04-337-99-जिला सड़कें (99-जिला सड़कों के निर्माण एवं बाईंडिंग सुदृढ़ीकरण)	मूल	7,000.00	6,399.87	5,849.29	(-)550.58	अंतिम तिमाही में संशोधित बजट के अनुसार बिल का भुगतान न होने तथा वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में कार्य प्रारंभ न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹550.58 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
5054-04-789-99-अनुसूचित जातियों के क्षेत्र में सड़कों का निर्माण चौड़ा पक्का करने एवं विशेष मरम्मत (98-नाबाड़ अंशदान)	मूल	5,500.00	3,497.90	3,285.99	(-)211.91	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबाड़) से नई परियोजनाओं को मंजूरी न मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹211.91 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
5054-04-337-48-प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूँजी निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता (99-गुरुग्राम और नूँह जिले में किमी 0 से 11.50 मीटर तक मिलिट्री इंजीनियरिंग रोड़ (एमईएस) पर चौड़ीकरण (5:50 मीटर से 7:00 मीटर) सुदृढ़ीकरण और आईपीबी)	मूल	..	472.15	466.87	(-)5.28	इस कार्य के संशोधित अनुमान को मंजूरी न मिलने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹5.28 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पूरक	919.20				
	पुनर्वि.	-447.05				

(21) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले जिनमें, वास्तविक व्यय से कम राशि आवर्धित की गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
5054-03-101-81-हरियाणा राज्य में सेतुओं का निर्माण (99-सेतु एवं रेलवे उपरगामी सेतु का राज्य योजना के अंतर्गत निर्माण)	मूल	5,000.00	9,148.29	9,384.60	(+) 236.31	नए कार्यों की अधिक स्वीकृति तथा करों, श्रम उपकर और सुरक्षा कटौती की राशि के पुस्तक हस्तांतरण के कारण पुनर्वियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था। ₹236.31 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पुनर्वि.	4,148.29				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
5054-03-337-88-हरियाणा राज्य में सड़कों का निर्माण (99-राज्य योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण-पक्का-चौड़ा और सुधार करना)	मूल पुनर्वि.	35,000.00 5,073.51	40,073.51	40,607.57	(+)534.06	नए कार्यों की अधिक स्वीकृति तथा करों, श्रम उपकर और सुरक्षा कटौती की राशि के पुस्तक हस्तांतरण के कारण पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन किया गया था। ₹534.06 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

## प्रभारित विनियोग

- (22) ₹712.20 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2025 को ₹983.26 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (23) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले, जिनमें वास्तविक बचत से अधिक धनराशि अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
5054-80-800-99-खोज	मूल पुनर्वि.	8,000.00 -983.25	7,016.75	7,287.80	(+)271.05	₹983.25 लाख के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/पुनर्वि. आदेश/2025-26 /अनु. सं. 17/175-76 दिनांक 15.05.2025)। ₹271.05 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

- (24) लोक निर्माण विभाग, भवन एवं सड़कें में निर्देशन एवं प्रशासन/मशीनरी एवं उपकरण प्रभार की समीक्षा, मुख्य शीर्ष-2059-लोक निर्माण, 2216-आवास, 3054-सड़के तथा सेतु, 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय और 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय ।

वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान कार्य परिव्यय के लिए दिशा और प्रशासन/मशीनरी और उपकरण शुल्क का प्रतिशत नीचे सारणीबद्ध है:-

वर्ष	कार्य परिव्यय	निर्देशन एवं प्रशासन शुल्क	मशीनरी और उपकरण शुल्क	कार्य परिव्यय के लिए दिशा और प्रशासन	कार्य परिव्यय के लिए मशीनरी और उपकरण शुल्क
				प्रतिशत	
(रुलाख में)					
2022-23	4,71,367.80	85,383.94	8,967.39	18.11	1.90
2023-24	4,46,210.66	84,657.96	7,564.90	18.97	1.70
2024-25	3,52,174.01	82,146.89	4,709.03	23.33	1.34

- (25) उचंत लेनदेन:-अनुदान के तहत व्यय में ‘‘उचंत’’ मद के तहत ₹10,929.88 लाख शामिल है । शीर्ष उचंत लेखा का अंतिम शीर्ष नहीं है। यह अंतरिम लेन-देन को समायोजित करता है जिनके लिए लेन-देन को पूरा माने जाने और अंतिम रूप से हिसाब लगाने से पहल आगे भुगतान या मूल्य का समायोजन आवश्यक है । तदानुसार, इस शीर्ष के अंतर्गत लेनदेन, यदि खातों के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किया जाता है, तो साल-दर-साल आगे बढ़ाया जाता है । ‘सर्पेंस’ प्रमुख के चार उप-विभाजन हैं जैसे

- (i) खरीद
- (ii) स्टॉक
- (iii) विविध लोक निर्माण अग्रिम और
- (iv) वर्कशॉप सर्पेंस

इनमें से प्रत्येक उप-विभाजन के तहत लेनदेन की प्रकृति और लेखांकन को नीचे समझाया गया है ।

- (i) खरीदारी:-इस उपशीर्ष को अब बकाया वस्तुओं को समायोजित करने के अलावा संचालित नहीं किया जा रहा है और शेष राशि पूरी तरह से समायोजित होने तक अलग से दिखाई जाती रहेगी। इस शीर्ष के अंतर्गत क्रेडिट शेष प्राप्त भंडार के मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन भुगतान नहीं किया गया है।
- (ii) स्टाक:-इस उपशीर्ष पर स्टॉक सामग्री की मांग और विनिर्माण कार्यों से जुड़े सभी खर्चों का भार डाला जाता है । इस कार्यों के लिए जारी की गई या बेची गई या अन्यथा निपटाई गई सामग्री के मूल्य और स्टॉक में सामग्री के मूल्य के साथ-साथ निर्माण से जुड़े असमायोजित शुल्क आदि, यदि कोई हो, के साथ जमा किया जाता है ।
- (iii) विविध लोक निर्माण अग्रिम:-यह उपशीर्ष रिकॉर्ड करता है:-
- (ए) क्रेडिट पर सामग्री की बिक्री:-
  - (बी) योगदान की प्राप्ति से पहले किए गए जमा कार्यों पर व्यय या प्राप्त योगदान से अधिक:-
  - (सी) हानि और छंटनी और
  - (डी) समायोजन की प्रतीक्षा में अन्य वस्तुएं।

इसलिए, इस शीर्ष के अंतर्गत डेबिट शेष सामान्यतः वसूली योग्य राशि का प्रतिनिधित्व करेगा ।

- (iv) वर्कशॉप उचंत:-विभागी वर्कशॉप में संचालन के लिए निष्पादित कार्यों के शुल्क उनकी वसूली या समायोजन तक इस उप-शीर्ष में डेबिट किए जाते हैं। इसलिए, “वर्कशॉप उचंत” के तहत शेष राशि, सार्वजनिक निर्माण कार्यशालाओं में वर्ष के अंत में प्रगति पर कार्यों पर व्यय का प्रतिनिधित्व करती हैं ।

वर्ष 2024-25 के दौरान अनुदान में ‘‘उचंत’’ के तहत लेनदेन का विवरण प्रारंभिक और समाप्त शेष के साथ इस प्रकार था ।

उच्चत के उप-शीर्ष	आदि शेष डेबिट (+) क्रेडिट (-)	डेबिट	क्रेडिट	अन्तः शेष डेबिट (+) क्रेडिट (-)
(₹लाख में)				
क्रय	(-)21.18*	0	0	(-)21.18*
स्टाक	(+)14,329.19	(+)1,324.31	(-)1,473.39	(+)14,180.11
विविध लोक निर्माण-कार्य				
पेशगियां	(+)5,226.23	(+)991.29	(-)746.45	(+)5,471.07
वर्कशाप उच्चत	(-)8,700.12	0	0	(-)8,700.12
जोड़	(+)10,834.12	(+)2,315.60	(-)2,219.84	(+)10,929.88

\* मुख्य शीर्ष '2059-लोक निर्माण के लघु शीर्ष 'उंचत' के अंतर्गत उप-शीर्ष 'खरीद' का संचालन वित्तीय वर्ष 1982-83 से समाप्त कर दिया गया है।

(26) केन्द्रीय सङ्क निधि से अनुदान:-

मोटर स्पिरिट पर उत्पाद शुल्क और आयात शुल्क में वृद्धि से प्राप्त अतिरिक्त राजस्व को भारत सरकार द्वारा गठित 'केन्द्रीय सङ्क निधि' में जमा किया जाता है। इस निधि में जमा किया जाता है। इस निधि से भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सङ्क विकास की योजनाओं पर व्यय के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अनुदान दिया जाता है। अनुदान के स्वयं में प्राप्त राशि को भारत सरकार से अनुदान के स्वयं में जमा किया जाता है। इस अनुदान (अनुदान संख्या "17 लोक निर्माण (भवन तथा सङ्कों)/परिवहन/नागर विमानन") के तहत किए गए प्रावधानों के विरुद्ध एक समान राशि जमा खाते "केन्द्रीय सङ्क निधि से अनुदान" में स्थानांतरित की जाती है। योजना पर वास्तविक व्यय शुरू में इस अनुदान के तहत दर्ज किया जाता है और बाद में जमा खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

वर्ष 2024-25 के दौरान ₹18,900.00 लाख अनुदान राशि प्राप्त हुई और वर्ष 2023-24 के अन्त में ₹20,072.85 लाख का असमायोजित क्रेडिट शेष था। ₹38,972.85 लाख की कुल राशि के मुकाबले, वर्ष 2024-25 के दौरान ₹10,999.73 लाख की राशि व्यय की गई, जिससे 31 मार्च 2025 को शीर्ष 8449-अन्य जमा लेखे के तहत क्रेडिट में ₹27,973.12 लाख की शेष राशि बची।

निधि के लेनदेन का विवरण वित्त लेखा 2024-25 के विवरण संख्या 21 में दिया गया है।

(27) अनुदान के अंतर्गत व्यय में अंशदित किए ₹5,000.00 लाख और आरक्षित निधि में से लिए गए ₹7,500.00 लाख शामिल हैं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:-

आरक्षित निधि तथा प्रयोजन	01.04.2024 के दौरान आदिशेष	वर्ष 2024-25 के दौरान अंशदान	वर्ष 2024-25 के दौरान निधि के अंतर्गत व्याज का संचय	वर्ष 2024-25 के दौरान निधि में जमा की गई कुल राशि	2024-25 के दौरान व्यय	31 मार्च 2025 को शेष
1	2	3	4	5	6	7
(₹लाख में)						
(1) 8115 - मूल्य ह्यस/आरक्षित/ निधि नवीनीकरण 103 - मूल्य ह्यस/ आरक्षित/निधि (मोटर वाहन) बसों, मशीनरी, फर्नीचर आदि के नवीनीकरण और प्रतिस्थापना की लागत को पूरा करने के लिए	58,158.85	5,000.00	6,397.47	11,397.47	7,500.00	62,056.32

आरक्षित निधि तथा प्रयोजन	01.04.2024 के दौरान आदिशेष	वर्ष 2024-25 के दौरान अंशदान	वर्ष 2024-25 के दौरान निधि के अन्तर्गत ब्याज का संचय	वर्ष 2024-25 के दौरान निधि में जमा की गई कुल राशि	2024-25 के दौरान व्यय	31 मार्च 2025 को शेष
1	2	3	4	5	6	7
(रुलाख में)						
(2) 8121- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि 101- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि सरकार व्यावसायिक विभाग सेवारत गाड़ियों को दुर्घटनाओं के कारण तीसरी पार्टी के दावों और भारी मरम्मत की लागत को पूरा करने के लिए	572.21	25.00	62.94	87.94	25.00	635.15

मूल्य ह्यस आरक्षित निधि (मोटर परिवहन) में अंशदान प्रत्येक वर्ष स्थायी परिस्मृति के अंकित मूल्य पर निर्दिष्ट दरों से किए जाते हैं। निधि में संचित राशि पर ब्याज को भी मोटर परिवहन (दुर्घटना) में जमा किया जाता है।

निधियों में से वास्तविक व्यय को पहले इस अनुदान के नामें डाला जाता है। बाद में, वर्ष के लेखे बन्द करने से पहले व्यय निधियों को अन्तरित कर दिया जाता है।

निधियों के लेन देन का लेखा वर्ष 2024-25 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या 21 एवं 22 में दिया गया है।

अनुदान संख्या-18-सूचना, लोक संपर्क, भाषा एवं संस्कृति/मुद्रण तथा लेखन सामग्री

(मुख्य शीर्ष-2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण, 2205-कला एवं संस्कृति, 2220-सूचना तथा प्रचार, 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय, 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, 4220-सूचना तथा प्रचार पर पूँजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	4,58,51,52	4,58,51,52	4,04,29,37	(-) 54,22,15
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2025)

75,21,90

प्रभारित

मूल	87,46	87,46	56,06	(-) 31,40
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2025)

31,40

पूँजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,52,00,00	1,52,00,00	90,00,00	(-) 62,00,00
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2025)

62,00,00

टिप्पणियां एवं टीकाएँ:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹5,422.15 लाख की अंतिम बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2025 को ₹7,521.90 लाख की राशि का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।

(2) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2058-51-103-99-स्थापना तथा मुद्रण प्रभार	मूल	2,412.46	1,961.75	1,961.75	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, कागजों और प्रेस सामग्री की कम खरीद, महंगाई भत्ते का कम भुगतान, अनुग्रह राशि चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, कंप्यूटर/उपकरणों की कम खरीद और कार्यालय वस्तुओं/उपकरणों की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो कि अधिक रखरखाव कार्यों के द्वारा समायोजित किया गया ।
2220-01-105-99-फिल्मों का निर्माण	मूल	1,735.00	1,421.51	1,421.51	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/ अ. सं. 18/पुनर्वि. आदेश 25-26/ 177-78 दिनांक 15.05.2025) ।
2220-60-188-99-महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शिख्ययत की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने में लगे सरकारी/गैर सरकारी धर्मार्थ द्रस्टों/संगठनों को वित्तीय सहायता	मूल	800.00		..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/ अ. सं. 18/पुनर्वि. आदेश 25-26/ 177-78 दिनांक 15.05.2025) ।
2220-60-199-99-सम्वाद सोसाइटी को अनुदान सहायता	मूल	500.00	350.00	350.00	..	सावधि जमा में बैंक बैलेंस की उपलब्धता के कारण अनुदान जारी न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2220-60-800-91- आधुनिक भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना (95-हरियाणा साहित्य एवं इतिहास की स्थापना)	मूल पुनर्वि.	500.00 -500.00	..	..	..	समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण सावधि जमा में बैंक बैलेंस उपलब्ध होने के कारण अनुदान जारी न किये जाने के कारण हुआ।
2220-60-800-97-सांस्कृतिक क्रियाकलापों का विकास	मूल पुनर्वि.	5,000.00 -3,648.50	1,351.50	1,351.50	..	मुख्यतः सावधि जमा में बैंक बैलेंस की उपलब्धता के कारण अनुदान जारी न होने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, महंगाई भत्ते का कम भुगतान, आतिथ्य/मनोरंजन कार्यों का कम आयोजन, कंप्यूटर/सहायक उपकरणों की कम खरीद, प्रशिक्षण कायक्रमों का कम संचालन, व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के तहत संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति बिजली की कम खपत के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया जो वाहनों की अधिक खरीद/मरम्मत के द्वारा समायोजित कर लिया गया।

(3) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित दो मामले, जिसमें वास्तविक बचत से अधिक धनराशि अभ्यर्पित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ, जो यह दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किए गए हैं जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2205-51-102-92- हरियाणा सरस्वती विरासत विकास बोर्ड की स्थापना	मूल पुनर्वि.	600.00 -450.00	150.00	297.74	(+)147.74	सावधि जमा में बैंक शेष राशि उपलब्ध होने के कारण अनुदान जारी न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹147.74 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2220-60-003-99-अनुसंधान तथा ऐफरेंस अनुभाग	मूल पुनर्वि.	5,000.00 -3,089.76	1,910.24	2,888.22	(+)977.98	मुख्यतः स्टोर आइटम और सार्वजनिक संबोधन उपकरणों की कम खरीद, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, कार्यक्रमों के कम आयोजन के कारण कलाकारों की कम भर्ती, पेशनभोगियों की मृत्यु के मामले में कम व्यय और कार्यालय वस्तुओं/सहायक उपकरणों की कम आवश्यकता के कारण हुआ। ₹977.98 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

(4) आधिकता मुख्यतः निम्नलिखित के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2058-51-001-99-नियंत्रक, लेखन सामग्री तथा मुद्रण और उसका अमला	मूल पुनर्वि.	599.05 152.05	751.10	751.10	..	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में आवधन मुख्यतः राजकीय पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय, पंचकुला से लिपिकीय स्टाफ को मुख्य शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा के अंतर्गत स्थानांतरित करने के कारण हुई, जो कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कम संचालन, प्रोत्साहनों मदों/सहायक उपकरणों की कम आवश्यकता के द्वारा समायोजित किया गया।
2058-51-104-99-निजी मुद्रणालय	मूल पुनर्वि.	120.00 41.34	161.34	161.34	..	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में आवधन सार्वजनिक प्रेस में किए गए चुनाव कार्य के कारण हुआ।

(5) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश का निम्नलिखित मामला, जिसमें बजट प्रावधान को वास्तविक व्यय से कम बढ़ाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अतिरिक्त व्यय हुआ जिसकी चर्चा अगले पृष्ठ पर की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2220-60-101-97-दर्शनी	मूल	3,000.00	3,572.97	4,496.92	(+)923.95	पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में आवर्धन, सरकार के प्रचार कार्य पर अधिक व्यय के कारण हुआ, जो कि मुख्यतः कार्यालय मदों की कम खरीद और वाहनों की कम खरीद/मरम्मत के द्वारा समायोजित किया गया। ₹923.95 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पुनर्वि.	572.97				

## प्रभारित विनियोग

(6) बचत मुख्यतः निम्नलिखित के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2058-51-104-98- अन्य सरकारी मुद्रालय	मूल	87.46	56.06	56.06	..	निधियों का अभ्यर्पण माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में कम अदालती मामलों के कारण किया गया।
	पुनर्वि.	-31.40				

## पूंजीगत

## दत्तमत अनुदान

(7) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4058-51-103-98-मुद्रण एवं लेखन सामग्री	मूल	600.00	..	..	..	सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण प्रक्रिया पूरी न होने के कारण किया गया, क्योंकि मशीनरी प्रक्रिया के विनिर्देश को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका तथा मशीनरी को संचालित करने के लिए विशेषज्ञ स्टाफ की अनुपलब्धता थी।
	पुनर्वि.	-600.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4202-04-101-98-सांस्कृतिक विरासत केंद्र, क्षेत्रीय केंद्र आदि के लिए भूमि की खरीद और भवन का निर्माण	मूल पुनर्वि.	200.00 -200.00	..	..	..	मुख्यतः भवनों का निर्माण कार्य न होने, हरियाणा सांस्कृतिक विरासत केन्द्र, क्षेत्रीय केन्द्र द्वारा निधियों की मांग न करने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया।
4220-60-101-97-पंचकूला में सूचना भवन के निर्माण के लिए आवंटित भूखंड का भुगतान	मूल पुनर्वि.	1,000.00 -1,000.00	..	..	..	सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण प्रमुख कार्यों के लिए विभागीय प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण किया गया था।
4220-60-101-98-अम्बाला छावनी में युद्ध स्मारक का निर्माण नाम बदलकर अम्बाला छावनी में आजादी की प्रथम लड़ाई का शहीद स्मारक का निर्माण	मूल पुनर्वि.	12,800.00 -3,800.00	9,000.00	9,000.00	..	कम निर्माण कार्यों के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
4220-60-101-99-कुरुक्षेत्र में स्वर्गीय श्री गुलजारी लाल नंदा के स्मारक का निर्माण	मूल पुनर्वि.	600.00 -600.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/अ. सं. 18/पुनर्वि. आदेश 25-26/ 177-78 दिनांक 15.05.2025)।

## (8) मूल्यहास आरक्षित निधि सरकारी मुद्रणालयों से किया गया व्यय-

वर्ष 2024-25 के दौरान मूल्यहास आरक्षित निधियों में अंशदान अनुदान के अन्तर्गत व्यय में ₹10.28 लाख शामिल है। 31 मार्च 2025 को इस कोष में जमा शेष राशि नीचे दर्शाई गई है:-

आरक्षित निधि तथा प्रयोजन	01.04.2024 के दौरान आदिशेष	वर्ष 2024-25 के दौरान अंशदान	वर्ष 2024-25 के दौरान निधि के अन्तर्गत व्याज का संचय	वर्ष 2024-25 के दौरान निधि में जमा (क्रेडिट) की कुल राशि	2024-25 के दौरान व्यय	31 मार्च 2025 को शेष
1	2	3	4	5	6	7
(₹लाख में)						
8115-104 (1) (1) मूल्यहास/ आरक्षित निधियों (सरकारी मुद्रणालय) में मशीनरी और फर्नीचर के नवीनीकरण और प्रतिस्थापना की लागत को पूरा करने के लिए	2,114.68	10.28	152.72	163.00	-	2,277.68

मूल्यहास आरक्षित निधियों (सरकारी मुद्रणालयों) को अंशदान प्रत्येक वर्ष स्थायी परिसम्पत्तियों के अंकित मूल्य पर निश्चित दरों के हिसाब से किए जाते हैं। मूल्यहास आरक्षित निधि में संचित व्याज भी निधियों में जमा (क्रेडिट) किया जाता है।

निधियों के लेन-देन का लेखा वर्ष 2024-25 के वित्त लेखे की विवरणी संख्या 21 तथा 22 में दिया गया है।

अनुदान संख्या 19-ऊर्जा विभाग (विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/उद्योग एवं वाणिज्य/एमएसएमई/ सिंचाई एवं जल संसाधन  
 (मुख्य शीर्ष- 2700-मुख्य सिंचाई, 2701-मध्यम सिंचाई, 2702-लघु सिंचाई, 2705-कमान क्षेत्र विकास, 2801-विजली, 2810-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, 2851-ग्रामीण तथा लघु उद्योग, 2852-उद्योग, 3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान, 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं, 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 4810-नई और नवीकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय, 4851-ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय, 4885-उद्योग तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	1,07,05,13,10	1,20,64,59,10	1,18,14,22,54	(-) 2,50,36,56
पूरक	13,59,46,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि 12,02,32,75  
 (मार्च 2025)

पूंजीगत

दत्तमत

		अनुदान या विनियोग (₹ हजार में)	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ हजार में)
मूल	34,99,52,00	35,49,52,00	30,61,43,80	(-) 4,88,08,20
पूरक	50,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि 7,88,87,74  
 (मार्च 2025)

प्रभारित

मूल	20,00,00	20,00,00	10,99,70	(-) 9,00,30
पूरक	..			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि 9,67,29  
 (मार्च 2025)

## टिप्पणियां एवं टीकाएँ:-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹25,036.56 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2025 को ₹1,20,232.75 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (2) ₹25,036.56 लाख की समस्त बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2024 और मार्च 2025 में प्राप्त ₹1,35,946.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (3) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2700-01-001-89-विशेष राजस्व	मूल	3,079.00	2,549.88	2,549.87	(-)0.01	मुख्यतः कोषागार में अवकाश यात्रा रियायत बिलों का निपटान न होने, रिक्त पदों की पूर्ति न होने, क्षेत्रीय कार्यालयों से अन्य प्रभारों की माँग प्राप्त न होने, मनरेगा के माध्यम से गाद निकालने/निराई कार्य के कारण मजदूरी का कम भुगतान और क्षेत्रीय कार्यालयों से ऋण/घाटे की माफी की माँग प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2700-01-001-92-अधिक्षक इंजीनियर	मूल	417.50	325.69	325.69	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/अनु.सं.19/ पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)।
2700-01-101-98-अन्य रखरखाव व्यय	मूल	50.00	..	..	..	समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण, बाहरहासी चैनल पर बंद करने के आवंटन न होने, रखरखाव की मांग प्राप्त न होने के कारण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2700-02-001-87-प्रो राटा पर स्थापना शुल्क का कटौती हस्तांतरण 4700,4701, 4711	मूल	70,040.00	70,040.00	..	(-)70,040.00	₹70,040.00 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2700-15-800-99-ब्याज	मूल	15,500.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19/ पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)।
2700-18-001-91-कार्यकारी अभियन्ता	मूल	7,885.00	5,715.41	5,715.41	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)।
2700-18-001-92-अधीक्षण अभियंता	मूल	653.00	554.53	554.53	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)।
2700-18-001-93-मुख्य अभियंता	मूल	703.00	457.84	457.84	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2700-80-190-94-जारी यमुना बोर्ड के लिए राज्य राजस्व हिस्सेदारी का योगदान (यूवाइआरबी)	मूल	200.00	..	..	..	समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण 2024-25 के दौरान रखरखाव की मांग प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2700-80-190-95-हरियाणा जल संसाधन को अनुदान सहायता	मूल	1,000.00	688.00	688.00	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)।
2700-80-190-98-हिरमी को अनुदान सहायता	मूल	800.00	548.94	548.94	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)।
2700-80-792-अशोध्य कर्ज बट्टे खाते डालना (51-एन.ए.)	मूल	15.00	15.00	..	(-)15.00	₹15.00 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2700-80-800-96-नहर के उल्लंघन के कारण उनकी फसल के नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा	मूल	50.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)।
2701-08-101-97-ऊर्जा	मूल	1,600.00	782.44	782.44	..	अनुमानित मांग की तुलना में विद्युत विभाग से वास्तविक बिलों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2701-10-101-97-ऊर्जा प्रभार	मूल	2,000.00	1,635.77	1,635.77	..	अनुमानित मांग की तुलना में विद्युत विभाग से वास्तविक बिलों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2702-03-103-96-भूजल के विकास के लिए विभिन्न बुनियादी ढांचे का संचालन और रखरखाव	मूल	25.00	..	..	..	समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण, परिसंपत्तियों के हस्तांतरण हेतु प्रशासनिक औपचारिकताओं में व्यतीत हुए समय के कारण किया गया था।
2702-80-001-99-भूजल प्रकोष्ठ की साझा स्थापना	मूल	817.00	662.58	662.58	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)।
2705-51-188-97-“पीडीएमसी-आरकेवी वाई” योजना के तहत सूक्ष्म सिचाई के तहत अधिकतम क्षेत्र को कवर करने के लिए सभी श्रेणियों के किसानों को अतिरिक्त टॉप-अप सब्सिडी राज्य का हिस्सा	मूल	15,000.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)।
2801-05-190-99-उत्तर हरियाणा विजली वितरण निगम लिमिटेड	मूल	15,100.00	3,775.00	3,775.00	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2810-51-101-99-ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप एसपीवी पावर स्लांट प्रोग्राम	मूल पुनर्वि.	1,240.00 -1,117.65	122.35	122.35	..	दर अनुबंध को अंतिम रूप देने में देरी के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2810-51-104-99-अक्षय ऊर्जा में अनुसंधान डिजाइन और विकास	मूल पुनर्वि.	100.00 -70.10	29.90	29.90	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)।
2810-51-190-98-ऊर्जा कुशल निर्माण कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	120.00 -32.25	87.75	87.75	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)।
2810-51-190-99-नई और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सहायक कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	250.00 -75.00	175.00	175.00	..	रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2851-51-001-97-हैडलूम अधिनियम 1985 को लागू करना	मूल पुनर्वि.	15.00 -15.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)।
2851-51-101-95-नई उद्यम प्रोत्साहन नीति 2015 के तहत बुनियादी ढांचे के विकास के रूप में निर्मित, सृजन और औद्योगिक अवसंरचना का रखरखाव (एमएसएमई)	मूल पुनर्वि.	4,000.00 -3,632.67	367.33	367.33	..	पात्रता मानदंड पूरा न होने तथा स्टार्टअप वेयरहाउसिंग/ इन्क्यूबेशन केन्द्रों और मोबाइल ऐप के दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2851-51-101-97-हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 के तहत बुनियादी ढांचे का विकास	मूल	14,500.00	6,777.15	6,777.15	..	कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात् हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण, निगम, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम और नगर निगम द्वारा साइट पर निष्पादित कार्य के लिए निधियां जारी करने के संबंध में प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2851-51-102-60-स्वच्छ ईंधन पर उद्योगों के संचालन में वैट सहायता	मूल	2,500.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)।
2851-51-102-61-इलैक्ट्रिक वाहनों के लिए प्रोत्साहन	मूल	3,000.00	682.27	682.27	..	विभाग के वेब पोर्टल पर आवेदनों की बहुत कम प्राप्ति तथा जिन योजनाओं के तहत आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, उनमें आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2851-51-102-62-हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना	मूल	200.00	9.01	9.01	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, मरम्मत और रखरखाव के लिए सरकारी वाहनों के कम दावों, महंगाई भते का कम भुगतान, यात्रा भत्ता दावों की कम प्राप्ति, अनुबंध कर्मचारियों को वेतन का कम भुगतान, कार्यालयों द्वारा 15 अगस्त और 26 जनवरी के लिए कम झांकी प्रदर्शन और अन्य विविध मदों, हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड (एचटीडब्ल्यूबी) से छुट्टी यात्रा रियायत दावों की प्राप्ति न होने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति न होने, बिजली बिलों का कम भुगतान, सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल का कम भुगतान और आईटी और कम्यूटर उपकरणों की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2851-51-102-63-सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उदयम (पीएमएफएमई) का प्रधानमंत्री औपचारिकरण	मूल	5,000.00	4,166.67	4,166.67	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं. 19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)।
2851-51-102-69-औद्योगिक भूखण्डों की खरीद के लिए निश्चक्त उद्यमियों को ब्याज पर छूट	मूल	125.00	..	..	..	संपूर्ण प्रावधान का समर्पण एचएसआई आइडीसी से जून 2024 तक तथा बिल विभाग द्वारा जारी करने के लिए अनुमोदित नहीं करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2851-51-102-71-एम.एस. एम.ई. कलस्टर विकास प्रोग्राम	मूल	500.00	134.83	134.83	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025) ।
2851-51-102-74-हथकरघा, हस्तशिल्प और निर्यात को बढ़ावा देना	मूल	60.00	4.82	4.82	..	राज्य हस्तशिल्प एवं निर्यात पुरस्कार तथा छात्रों के वजीफे को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
2851-51-102-76-लघु उद्योगों की स्थापना तथा प्रशासन (क्युटीसी, एचटीसी, आईडीसी)	मूल	1,213.50	482.63	482.63	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025) ।
2851-51-102-78-औद्योगिक नीति और संवर्धन ब्यूरो (बी आई पी पी)	मूल	400.00	280.00	280.00	..	निधियों का अभ्यर्पण बिलों के विलंब से प्रस्तुतिकरण तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में नई परामर्श एजेंसी की नियुक्ति में देरी के कारण हुआ ।
2851-51-103-89-व्यापक हथकरघा विकास योजना	मूल	55.00	..	..	..	समर्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025) ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2851-51-105-96-हरियाणा मिट्टी कला बोर्ड को सहायता अनुदान देने बारे	मूल	200.00	50.00	50.00	..	अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों के कार्यकाल के अनुमोदन में देशी के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2851-51-105-99-खादी तथा ग्राम उद्योग मण्डल को सहायता अनुदान	मूल	1,500.00	974.00	974.00	..	हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को आवंटित निधियों का उपयोग न किए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2851-51-190-98-एमईएनएस परिषद को अनुदान सहायता	मूल	500.00	118.75	118.75	..	सभी जिलों में सेमिनारों/कार्यशालाओं/ एमएसएमई सम्मेलनों/ प्रचार गतिविधियों और व्यापार मेलों के कम आयोजन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2851-51-190-99-हरियाणा उद्यम संवर्धन केंद्र को अनुदान सहायता (एचईपीसी)	मूल	1,350.00	1,069.00	1,069.00	..	हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड और अन्सर्ट और यंग कंपनी द्वारा बिल प्रस्तुत न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2852-07-202-87-हरियाणा स्टार्टअप, डाटा सेंटर और आईटी और इंसडीएम नीति के तहत स्थापित इकाइयों के लिए ससिडी/ प्रोत्साहन	मूल	6,779.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)।
2852-07-202-98-यूएनडीपी के अंतर्गत अम्बाला में यंत्रों के डिजाइन के विकास एवं सुविधा केन्द्र की स्थापना	मूल	200.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2852-80-001-84-योजना के लिए आवंटित एमएसएमई विभाग की स्थापना	मूल	400.00	60.91	60.91	..	ऑटो अपील प्रणाली के वेब पोर्टल, क्लस्टर, कम्प्यूटर, प्रिंटर और अन्य आईटी वस्तुओं की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2852-80-001-85-एमएसएमई फील्ड कार्यालय की स्थापना और प्रशासन	मूल	1,119.00	899.46	899.46	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, बिजली बिलों के कम भुगतान और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जो कि सभी जिला नगर निगम में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के भुगतान द्वारा समायोजित किया गया।
2852-80-001-86- एमएसएमई (मुख्यालय) की स्थापना और प्रशासन	मूल	854.00	637.20	637.20	..	मुख्यतः नए विभाग होने के कारण कर्मचारियों के रिक्त पदों को न भरने व महंगाई भत्ते के कम भुगतान के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया जो कि हरियाणा राज्य इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से नियुक्त आईटी पेशेवरों के संशोधित परिश्रमिक के द्वारा समायोजित किया गया।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2852-80-001-89-योजनागत स्कीमों के अन्तर्गत उद्योग विभाग के अमले की स्थापना	मूल पुनर्वि.	1,085.00 -320.97	764.03	764.03	..	मुख्यतः बजट में कटौती के कारण कोषागार द्वारा कम्प्यूटरीकरण के बिलों को अस्वीकार करने, कुछ संविदा कर्मचारियों को एमएसएमई विभाग में स्थानांतरित करने, महंगाई भत्ते का कम भुगतान और कार्यालय व्यय शीर्ष के तहत गैर-व्यय के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2852-80-104-99-“स्वच्छ ईंधन पर परिचालन उद्योगों (बड़ी और मेगा इकाइयों) में वैट सहायता”	मूल पुनर्वि.	5,000.00 -4,846.30	153.70	153.70	..	इकाइयों द्वारा संस्कृती के लिए अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
3425-60-001-87-ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम	मूल पुनर्वि.	880.00 -200.14	679.86	679.86	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, अनुग्रह राशि के बिलों की प्राप्ति न होने, अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, कम्प्यूटरीकरण खरीद को अंतिम रूप न देने, महंगाई भत्ते का कम भुगतान, कानून और व्यवस्था के लिए निजी वाहनों को अधिक किराये पर लेने, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कम दौरा करने और संविदात्मक सेवाओं के दावों की कम प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

- (4) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश के मामले, जिनमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से अभ्यर्पित की गई राशि वास्तविक बचत से कम थी जिसके परिणामस्वरूप एक राशि अनाभ्यर्पित रह गई थी जो यह दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया पुनर्विनियोजन आदेश उचित ढंग से तैयार नहीं किया गया था जिसकी चर्चा अगले पृष्ठ पर की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2700-01-101-98-अन्य रखरखाव व्यय	मूल	750.00	682.90	669.76	(-)13.14	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025) । ₹13.14 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।
2700-02-001-89-विशेष राजस्व	मूल	4,404.00	3,465.43	3,452.05	(-)13.38	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025) । ₹13.38 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।
2700-02-001-91-कार्यकारी अभियन्ता	मूल	55,030.00	48,103.61	47,955.09	(-)148.52	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025) । ₹148.52 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2700-02-001-92-अधिक्षक अभियन्ता	मूल	3,485.00	3,079.67	3,072.69	(-)6.98	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025) । ₹6.98 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।
	पुनर्वि.	-405.33				
2700-02-101-97-ऊर्जा प्रभार	मूल	9,000.00	5,400.63	5,398.97	(-)1.66	2023-24 की तुलना में वर्षा जल निकासी के कम कार्य किए गए, जिससे बिजली की खपत कम होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था । ₹1.66 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।
	पुनर्वि.	-3,599.37				
2700-03-101-98-अन्य संधारण कार्य	मूल	100.00	51.00	50.74	(-)0.26	इस वर्ष नहरों की निराई-गुडाई और गाद निकालने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रदान किए जा रहे रखरखाब हेतु मनरेगा श्रमिकों द्वारा अतिरिक्त श्रम सहायता के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था । ₹0.26 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।
	पुनर्वि.	-49.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2700-80-800-95-नहर और नालियों पर पुलों और संरचना का संचालन और रखरखाव	मूल पुनर्वि.	250.00 -97.10	152.90	144.83	(-)8.07	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025) । ₹8.07 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।
2700-80-800-98-सुधार, उन्नयन, संचालन और रखरखाव	मूल पुनर्वि.	6,000.00 -282.90	5,717.10	4,948.89	(-)768.21	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025) ₹768.21 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।
2705-51-190-94-प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना कार्यान्वयन, प्रति बूंद अधिक फसल	मूल पुनर्वि.	23,700.00 -13,949.26	9,750.74	9,750.72	(-)0.02	निधियों का अभ्यर्पण छोटे कार्यों के लिए केंद्रांश की अपर्याप्ति के कारण हुआ था । ₹0.02 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।

- (5) वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले जिनमें वास्तविक बचत से अधिक निधियां अभ्यर्पित की गई जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जिसकी चर्चा अगले पृष्ठ पर की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2700-01-001-91-कार्यकारी अभियंता	मूल	14,705.00	12,477.27	12,477.34	(+0.07	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025) । ₹0.07 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।
2700-02-101-98-अन्य संधारण खर्च	मूल	3,500.00	3,310.10	3,387.24	(+77.14	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025) । ₹77.14 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।
2700-80-001-93- मुख्य अभियंता	मूल	11,100.00	8,421.85	8,422.35	(+0.50	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025) । ₹0.50 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2701-10-101-98-अन्य संधारण कार्य	मूल पुनर्वि.	250.00 -49.30	200.70	208.75	(+).8.05	मार्च के अंतिम पखवाडे में बिलों का भुगतान न होने और रखरखाव की तिमाही सीमा के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹8.05 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2705-51-188-99-सूक्ष्म सिंचाई कोष (एमआईएफ) के तहत सूक्ष्म सिंचाई के विस्तार के लिए संसाधन जुटाना	मूल पुनर्वि.	10,000.00 -8,139.00	1,861.00	2,500.00	(+)639.00	भारत सरकार द्वारा पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान की पहली किस्त जारी करने में देशी के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹639 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2705-51-789-97-प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना "प्रति बूंद अधिक फसल" का कार्यान्वयन	मूल पुनर्वि.	4,500.00 -4,080.41	419.59	419.60	(+)0.01	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के किसानों के आवेदन अनुपलब्ध होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.01 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2810-51-001-99-नई और नवीकरणीय ऊर्जा के प्रशासनिक सेटअप	मूल पुनर्वि.	405.00 -110.43	294.57	294.73	(+0.16	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, महंगाई भत्ते का कम भुगतान, संविदा सेवाओं पर अनुग्रह राशि दावों की प्राप्ति न होने, अवकाश यात्रा रियायत और प्रशिक्षण दावों की कम प्राप्ति, कम्प्यूटरीकरण खरीद को अंतिम रूप न दिए जाने और वित्तीय वर्ष 2024-25 में अधिकारियों द्वारा कम भ्रमण किए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.16 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2852-80-001-98-रथापना एवं प्रशासन (क्षेत्रीय कार्यालय)	मूल पुनर्वि.	1,490.00 -208.90	1,281.10	1,282.76	(+1.66	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, महंगाई भत्ते के कम भुगतान, अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था जो कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों में वृद्धि तथा आईटी पेशेवरों के वेतन में वृद्धि के द्वारा समायोजित कर लिया गया। ₹1.66 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

(6) आधिकता मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) वचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2700-01-001-93-मुख्य इंजीनियर	मूल	..	..	25.90	(+)25.90	₹25.90 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2700-02-001-93-मुख्य इंजीनियर	मूल	..	..	104.03	(+)104.03	₹104.03 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2700-02-800-99-ब्याज	मूल	56,800.00	56,800.00	75,901.08	(+)19,101.08	₹19,101.08 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2700-03-001-91-कार्यकारी अभियंता	मूल	..	..	13.28	(+)13.28	₹13.28 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2700-04-001-91-कार्यकारी अभियन्ता	मूल	..	..	69.32	(+)69.32	₹69.32 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2700-05-001-91-कार्यकारी अभियन्ता	मूल	..	..	71.61	(+)71.61	₹71.61 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2700-18-001-89-विशेष राजस्व	मूल	..	..	175.22	(+)175.22	₹175.22 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2700-80-001-89-विशेष राजस्व	मूल	..	..	190.97	(+)190.97	₹190.97 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2700-80-001-91-कार्यकारी अभियन्ता	मूल	..	..	5,161.60	(+)5,161.60	₹5,161.60 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2700-80-001-92-अभियंता अधीक्षक	मूल	..	..	520.07	(+)520.07	₹520.07 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2801-05-190-90-रुक टाप सोलर सब्सिडी (डीएचबीवीएनएल)	मूल	..	75.00	75.00	..	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)।
	पूरक	15.00				
	पुनर्वि.	60.00				
2801-05-190-91-रुक टॉप सोलर सब्सिडी (यूएनबीवीएनएल)	मूल	..	125.00	125.00	..	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)।
	पूरक	25.00				
	पुनर्वि.	100.00				
2810-51-101-98-राज्य में सौर जल पंपिंग प्रणाली की स्थापना	मूल	40,000.00	1,25,750.21	1,25,750.21	..	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)।
	पूरक	60,000.00				
	पुनर्वि.	25,750.21				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2851-51-102-59-हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल नीति	मूल	5,000.00	9,972.88	9,972.88	..	पुनर्विनियोजन के माध्यम से आवर्धन पुर्णमूल्याकन के माध्यम से एलएलसी-टेक्सटाइल्स द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के अनुमोदन के कारण हुआ।
2851-51-102-65-हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति 2020 के तहत उद्योगों के विकास के लिए प्रोत्साहन	मूल	10,000.00	26,146.11	26,146.11	..	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति 2020 (वित्त वर्ष 2024-25) के अंतर्गत प्रोत्साहन सभिती के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित राज्य में औद्योगिक इकाइयों द्वारा किए गए अतिरिक्त दावों की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्षण किया गया था।

(7) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश का निम्नलिखित मामला, जिसमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से संबंधित राशि वास्तविक व्यय से कम थी, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जो यह दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश समुचित रूप से तैयार नहीं किये गये थे, जिसकी चर्चा अगले पृष्ठ पर की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2852-80-001-99- स्थापना एवं प्रशासन (मुख्यालय)	मूल पुनर्वि.	968.00 502.25	1,470.25	1,470.49	(+)0.24	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन माननीय न्यायालय के आदेशानुसार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मानदेय के भुगतान, विभाग में नई कार्यालय कारों की अधिक खरीद और हरियाणा व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा लंबित बकाया/मांगों के भुगतान के कारण हुआ, जो कि रिक्त पदों को न भरे जाने, महंगाई भत्ते के कम भुगतान और अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति द्वारा समायोजित किया गया। ₹0.24 लाख के अंतिम अधिकता के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

**पूँजीगत  
दत्तमत अनुदान**

- (8) ₹48,808.20 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2025 को ₹78,887.74 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (9) ₹48,808.20 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, दिसम्बर 2024 और मार्च 2025 में प्राप्त ₹5,000.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुंचा।
- (10) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4700-11-800-97-भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड के लिए बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डी.आर.आई.पी.)	मूल पुनर्वि.	500.00 -500.00	..	..	..	परियोजना में 6 महीने की देरी के कारण समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4700-15-001-91-अधिशाषी अभियंता	मूल	27.00	27.00	..	(-)27.00	₹27 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4700-15-800-97-बीएमएल हांसी ब्रांच-भूटाना लिंक	मूल	100.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष 2024-25 में पंजाब से मांग प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
4700-15-800-98-बी.एम.एल. रिस्टोरेशन	पुनर्वि.	-100.00				
4700-26-001-91-अधिशाषी अभियंता	मूल	500.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)।
4700-26-001-91-अधिशाषी अभियंता	पुनर्वि.	-500.00				
4700-26-800-99-सरस्वती नदी विरासत विकास परियोजना	मूल	80.00	80.00	..	(-)80.00	₹80.00 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4701-06-001-88-पेंशन संबंधी प्रभार	मूल	38.10	38.10	2.40	(-)35.70	₹35.70 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4701-06-001-89-विशेष राजस्व	मूल	1,308.00	1,308.00	63.87	(-)1,244.13	₹1,244.13 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4701-06-001-91-कार्यकारी अभियंता	मूल	13,459.00	13,459.00	655.92	(-)12,803.08	₹12,803.08 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4701-06-001-92-अधिक्षण अभियंता	मूल	653.40	653.40	40.11	(-)613.29	₹613.29 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4701-06-001-93-मुख्य अभियंता	मूल	1,584.50	1,584.50	86.14	(-)1,498.36	₹1,498.36 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4701-80-001-89-विशेष राजस्व	मूल	75.00	75.00	57.51	(-)17.49	₹17.49 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4701-80-001-91-कार्यकारी अभियन्ता	मूल	850.00	850.00	590.60	(-)259.40	₹259.40 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4701-80-001-92-अधिक्षण अभियंता	मूल	47.00	47.00	36.12	(-)10.88	₹10.88 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4701-80-001-93-मुख्य इंजीनियर	मूल	108.00	108.00	77.57	(-)30.43	₹30.43 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4701-80-800-95-मौजूदा नहर नेटवर्क का पुनर्वास जल स्रोतों का पुनर्निर्माण और पुनर्वास	मूल	8,750.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अध्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/अनु.सं.19 /पुनर्वि./2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)।
	पुनर्वि.	-8,750.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4801-05-190-98-एच. पी. जी. सी. एल. को हिस्सा पूंजी	मूल	27,235.00	12,255.75	12,255.75	..	परियोजना में देरी के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
4810-51-101-99-सौर पैनल एवं सहयोगी उपकरणों की खरीद और स्थापना	मूल	500.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)।
4851-51-102-92-लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना	मूल	1,500.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)।
4851-51-102-93-एमएसएमई के कार्यालय परिसर के क्षेत्र अधिकारी/निदेशालय का आधुनिकीकरण	मूल	300.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)।
4851-51-102-95-निदेशालय भवन व क्षेत्रीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण करना	मूल	1,000.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)।

(11) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले, जिनमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से अभ्यर्पित की गई राशि वास्तविक बचत से कम थी जिसके परिणामस्वरूप एक राशि अनाभ्यर्पित रह गई थी जो यह दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया पुनर्विनियोजन आदेश उचित स्पष्ट से तैयार नहीं किया गया था, जिसकी चर्चा अगले पृष्ठ पर की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4700-05-800-98-नहर का निर्माण	मूल पुनर्वि.	5,000.00 -3,185.70	1,814.30	1,378.81	(-)435.49	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)। ₹435.49 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4701-06-789-99-अनुसूचित जाति वाले क्षेत्र में जल वितरण के लिए नई मार्झिनर सुधार हेतु योजना	मूल पुनर्वि.	800.00 -34.30	765.70	622.07	(-)143.63	मार्च 2025 की अंतिम तिथियों में कोषागार द्वारा बिलों का निपटान न किए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹143.63 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4701-07-789-99-अनुसूचित जाति वाले क्षेत्रों में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अंतर्गत पुराने चैनलों के सुधार हेतु योजना	मूल पुनर्वि.	20,000.00 -240.20	19,759.80	17,980.67	(-)1,779.13	नहर की प्रमुख परियोजनाओं के विस्तार और समानांतर लाइनिंग चैनल तथा समानांतर दिल्ली शाखा के निर्माणाधीन कार्यों के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹1,779.13 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4701-07-800-97-नाबार्ड के तहत सिंचाई दक्षता योजना के तहत माइक्रो सिंचाई	मूल	10,000.00	3,935.00	3,856.89	(-)78.11	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025) । ₹78.11 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।
4701-80-002-99-सिंचाई परियोजना हेतु आंकड़ा संग्रहण	मूल	3,000.00	2,134.90	2,106.47	(-)28.43	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025) । ₹28.43 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।
4702-51-102-98-भूजल और अन्य संबद्ध गतिविधियों के विकास के लिए योजना	मूल	3,000.00	495.50	476.39	(-)19.11	संबंधित मुख्य अभियन्ता द्वारा बोरवेल के संशोधित डिजाइन/ड्राइंग के अनुमोदन हेतु लंबित रहने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था । ₹19.11 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।

(12) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 जारी पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले, जिनमें वास्तविक बचत से अधिक धनराशि अभ्यर्पित की गई जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4700-07-800-98-नहर का निर्माण (एस वाई एल)	मूल पुनर्वि.	10,000.00 -9,996.97	3.03	3.48	(+).45	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय न सुनाए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹0.45 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4700-13-800-97-पश्चिमी जमुना नहर व जवाहर लाल नेहरू प्रणाली की क्षमता बढ़ाने लिए परियोजना	मूल पुनर्वि.	500.00 -372.60	127.40	140.62	(+)13.22	मुख्य परियोजना में कानूनी मुद्दों के कारण सहायक कार्य नहीं किये जा सके इसलिए हुई देरी के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹13.22 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4700-13-800-98-नहर का निर्माण-नहर नेटवर्क का पुनर्वास	मूल पुनर्वि.	30,000.00 -1,011.60	28,988.40	29,085.62	(+)97.22	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)। ₹97.22 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4700-80-190-97-जारी यमुना नदी बोर्ड के लिए राज्य पूंजी हिस्सेदारी का योगदान (यूवाइआरबी)	मूल	17,500.00	0.07	7,438.00	(+)7,437.93	लखवार बांध की किस्त की मांग प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹7,437.93 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4700-80-800-97-पुनर्निर्माण और नवीकरण/प्रतिरक्षण और नहरें और नालियों पर पुलों और संरचना का निर्माण	मूल	20,000.00	0.12	12,290.74	(+)12,290.62	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)। ₹12,290.62 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4701-06-800-97-भूमि की वार्षिकी	मूल	1,000.00	855.32	856.46	(+)1.14	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ₹1.14 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4701-06-800-98-नहर का निर्माण-नए माइनर का निर्माण	मूल	1,000.00	988.80	1,108.33	(+)119.53	मार्च 2025 की अंतिम तिथियों में कोषागार द्वारा बिलों का निपटान न किए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹119.53 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4701-07-800-98-नहर का निर्माण	मूल	20,000.00	1,980.60	21,492.43	(+)19,511.83	नहर की प्रमुख परियोजनाओं के विस्तार और समानांतर लाइनिंग चैनल तथा समानांतर दिल्ली शाखा के निर्माणाधीन कार्यों के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹19,511.83 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4701-19-800-98-नहर का निर्माण-कौशल्या डैम	मूल	2,000.00	248.83	269.32	(+)20.49	कौशल्या बांध पर स्पिलवे के स्टिलिंग बेसिन के डाउनस्ट्रीमिंग में अस्थायी सुरक्षा कार्यों के प्रगतिहीन होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था। ₹20.49 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4701-22-800-98-नहरों का निर्माण (मेवात)	मूल	5,000.00	124.52	136.05	(+)11.53	इस परियोजना के लिए जल उपलब्धता संबंधी मुद्दे पर विचार-विमर्श के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया और इस उद्देश्य के लिए मुख्य अभियंताओं की एक समिति गठित की गई है। ₹11.53 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4701-80-052-99-संस्थागत सुदृढीकरण डाटा संग्रह आदि	मूल पुनर्वि.	425.00 -187.88	237.12	237.15	(+)0.03	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)। ₹0.03 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

(13) वित्त विभाग द्वारा दिनांक 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश का निम्नलिखित मामला, जिसमें सम्पूर्ण बजट प्रावधान को अभ्यर्पित कर दिया गया तथा पर्याप्त बजट प्रावधान के बिना व्यय किया गया, जो यह दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किये गये थे, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4700-16-001-91-अधिशाषी अभियंता	मूल पुनर्वि.	715.00 -715.00	..	1,896.02	(+)1,896.02	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)। ₹1,896.02 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4700-16-001-92-अधीक्षण अभियंता	मूल	32.00	..	109.64	(+) 109.64	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)। ₹109.64 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4700-16-001-93-मुख्य अभियंता	मूल	82.00	..	244.13	(+) 244.13	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)। ₹244.13 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4700-16-789-99-अनुसूचित जाति जनसंख्या में राज्य के कार्य और मरम्मत	मूल	1,000.00	..	1,048.06	(+) 1,048.06	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)। ₹1,048.06 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

(14) निम्नलिखित मामले में, जिसमें अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया और बाद में अनुपूरक अनुदान बजट सहित सम्पूर्ण बजट प्रावधान को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अभ्यर्पित कर दिया गया तथा पर्याप्त बजट प्रावधान की उपलब्धता के बिना व्यय किया गया, जो यह दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4700-16-800-98-नहर का निर्माण-जल पाठ्यक्रम का पुनर्वास	मूल	1,000.00	..	5,341.27	(+)5,341.27	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)। ₹5,341.27 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

(15) अधिकता मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4700-05-001-89-विशेष राजस्व	मूल	..	..	41.46	(+)41.46	₹41.46 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4700-05-001-91-अधिशाषी अभियंता	मूल	..	..	409.16	(+)409.16	₹409.16 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4700-05-001-92-अधिक्षण अभियंता	मूल	..	..	23.66	(+)23.66	₹23.66 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4700-16-001-93-मुख्य अभियंता	मूल	..	..	52.68	(+)52.68	₹52.68 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4700-13-001-92-अधीक्षण अभियंता	मूल	670.00	670.00	787.57	(+)117.57	₹117.57 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4700-16-001-89-विशेष राजस्व	मूल	70.00	70.00	192.10	(+)122.10	₹122.10 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4700-16-799-99-उचंत	मूल	..	..	24.76	(+)24.76	₹24.76 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4700-80-001-88-पेंशन शुल्क	मूल	..	..	19.09	(+)19.09	₹19.09 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4700-80-001-89-विशेष राजस्व	मूल	..	..	593.31	(+)593.31	₹593.31 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4700-80-001-91-अधिशासी अभियंता	मूल	..	..	5,855.78	(+)5,855.78	₹5,855.78 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4700-80-001-92-अधीक्षण अभियंता	मूल	..	..	338.61	(+)338.61	₹338.61 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4700-80-001-93-मुख्य अभियंता	मूल	..	..	753.99	(+)753.99	₹753.99 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4701-19-001-91-कार्यकारी अभियंता	मूल	..	..	68.40	(+)68.40	₹68.40 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4701-22-001-91- कार्यकारी अभियंता	मूल	..	..	34.55	(+)34.55	₹34.55 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4701-23-001-89-विशेष राजस्व	मूल	45.00	45.00	70.37	(+)25.37	₹25.37 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4701-23-001-91-कार्यकारी अभियन्ता	मूल	500.00	500.00	722.70	(+)222.70	₹222.70 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4701-23-001-92-अधीक्षण अभियंता	मूल	28.00	28.00	44.20	(+)16.20	₹16.20 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4701-23-001-93-मुख्य अभियंता	मूल	65.00	65.00	94.92	(+)29.92	₹29.92 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4701-25-001-88-पेंशन शुल्क	मूल	..	..	14.93	(+)14.93	₹14.93 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4701-25-001-89-विशेष राजस्व	मूल	..	..	397.38	(+)397.38	₹397.38 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4701-25-001-91-कार्यकारी अभियंता	मूल	..	..	4,080.82	(+)4,080.82	₹4,080.82 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4701-25-001-92-अधीक्षक अभियंता	मूल	..	..	249.57	(+)249.57	₹249.57 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4701-25-001-93-मुख्य अभियंता	मूल	..	..	535.95	(+)535.95	₹535.95 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4702-51-001-91-कार्यकारी अभियंता	मूल	..	..	152.10	(+)152.10	₹152.10 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4702-51-001-93- मुख्य अभियंता	मूल	..	..	18.50	(+)18.50	₹18.50 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4711-01-001-88-पेंशन संबंधी प्रभार	मूल	35.00	35.00	71.05	(+)36.05	₹36.05 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4711-01-001-89-विशेष राजस्व	मूल	1,425.00	1,425.00	1,638.00	(+)213.00	₹213.00 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4711-01-001-91-कार्यकारी अभियंता	मूल	14,200.00	14,200.00	18,764.59	(+)4,564.59	₹4,564.59 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4711-01-001-92-अधिक्षक अभियंता	मूल	640.00	640.00	952.65	(+)312.65	₹312.65 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4711-01-001-93-मुख्य अभियन्ता	मूल	1,450.00	1,450.00	2,171.95	(+)721.95	₹721.95 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

(16) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला, जिसमें वास्तविक व्यय से अधिक निधियों की प्राप्ति की गयी, जिसके परिणामस्वरूप बचत हुई, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4711-01-789-99-अनुसूचित जाति आबादी क्षेत्र में बाढ़ रोकथाम तथा विपत्ति निवारण हेतु योजना	मूल	7,000.00	7,632.30	7,290.86	(-)341.44	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)। ₹341.44 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

(17) वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश के मामले, जिनमें बजट प्रावधान वास्तविक व्यय से कम बढ़ाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जिसकी चर्चा अगले पृष्ठ पर की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4700-13-052-99-मशीनरी तथा उपकरण	मूल पुनर्वि.	5,000.00 819.00	5,819.00	5,886.98	(+)67.98	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)। ₹67.98 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4701-23-800-98- जल निकाय नहर का निर्माण	मूल पुनर्वि.	2,000.00 749.80	2,749.80	2,845.64	(+)95.84	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)। ₹95.84 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4711-01-201-99-बाढ़ रोकथाम तथा विपत्ति	मूल पुनर्वि.	48,000.00 22,695.50	70,695.50	70,724.68	(+)29.18	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)। ₹29.18 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

- (18) निम्नलिखित प्रकरण में अनुपूरक अनुदान अर्पणात् रूप से प्राप्त किया गया है तथा तत्पश्चात् वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश जिसमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से राशि बढ़ाई गई थी, वास्तविक व्यय से कम था जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4701-25-800-99-शाखाएँ-सिंचाई प्रयोजनों के लिए उपचारित अपशिष्ट जल की आपूर्ति	मूल पूरक पुनर्वि.	10,000.00 3,000.00 2,953.10	15,953.10	16,068.28	(+)115.18	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से विशेष सहायता प्राप्त होने के कारण किया गया था। ₹115.18 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

#### प्रभारित विनियोग

- (19) ₹900.30 लाख की उपलब्ध बचत के सापेक्ष 31 मार्च 2025 को ₹967.29 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ।
- (20) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-
- (21) वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश का निम्नलिखित मामला जिसमें वास्तविक बचत से अधिक धनराशि अभ्यर्पित की गई जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल विनियोग (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4701-80-800-98-न्यायालय आदेशों के अधीन बढ़े भू मुआवजे की अदायगी	मूल पुनर्वि.	2,000.00 -967.29	1,032.71	1,099.70	(+)66.99	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि. लेखे/ अनु.सं.19 /पुनर्वि./ 2025-26/ 179-80 दिनांक 15.05.2025)। ₹66.99 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

- (22) लोक निर्माण विभाग-सिंचाई शाखा में निदेशन और प्रशासन तथा मशीनरी और उपकरण शुल्क की समीक्षा- सिंचाई शाखा शीर्ष-''2700-मुख्य सिंचाई'', ''2701-मध्यम सिंचाई'', ''4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय'' और ''4701-माध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय'' ।

निम्न तालिका वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान निदेशन तथा प्रशासन और मशीनरी तथा उपकरण प्रभारों के आंकड़े तथा निर्माण कार्य परिव्यय पर उनकी प्रतिशतता दर्शाती हैं:-

क्रम सं.	परियोजना का नाम	वर्ष	(₹ लाख में)			प्रतिशतता	
			निर्माण-कार्य	निदेशन और प्रशासन प्रभार	मशीनरी तथा उपकरण	निर्माण कार्य परिव्यय पर निदेशन तथा प्रशासन प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर मशीनरी तथा उपकरण प्रभार
1.	गुडगांव नहर परियोजना	2022-23	62.79	41.24	0	65.68	0
		2023-24	66.91	33.14	0	49.53	0
		2024-25	50.74	16.62	0	32.76	0
2.	लोहारू नहर परियोजना	2022-23	162.47	106.71	0	65.68	0
		2023-24	254.36	99.42	0	39.09	0
		2024-25	264.84	86.74	0	32.75	0
3.	जे.एल.एन. नहर परियोजना	2022-23	297.42	195.34	0	65.68	0
		2023-24	283.17	115.99	0	40.96	0
		2024-25	273.60	89.60	0	32.75	0
4.	एस.वाई.एल नहर परियोजना	2022-23	6.95	3.96	0	56.98	0
		2023-24	7.83	2.92	0	37.29	0
		2024-25	3.48	1.33	0	38.22	0
5.	दाटुपुर नलवी परियोजना	2022-23	0	0	0	0	0
		2023-24	0	0	0	0	0
		2024-25	0	0	0	0	0
6.	पुराने/वर्तमान चैनलों का सुधार (नाबाड़) परियोजना	2022-23	37,800.56	14,293.38	0	37.81	0
		2023-24	40,810.91	13,947.65	0	34.18	0
		2024-25	43,329.99	14,194.23	0	32.76	0
7.	पुनः स्थापना परियोजना	2022-23	1,580.76	899.79	0	56.92	0
		2023-24	1,153.61	430.10	0	37.28	0
		2024-25	6,389.33	2,441.89	0	38.22	0
8.	नवीन लघु परियोजना	2022-23	1,628.50	615.78	0	37.81	0
		2023-24	2,173.56	742.84	0	34.18	0
		2024-25	2,586.86	846.05	0	32.76	0
9.	डब्ल्यू.जे.सी. नहर विस्तार परियोजना	2022-23	2,684.96	1,763.46	0	65.68	0
		2023-24	3,405.15	1,408.48	0	41.36	0
		2024-25	3,387.24	1,110.68	0	32.79	0

क्रम सं.	परियोजना का नाम	वर्ष	(₹ लाख में)			प्रतिशतता	
			निर्माण-कार्य	निदेशन और प्रशासन प्रभार	मशीनरी तथा उपकरण प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर निदेशन तथा प्रशासन प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर मशीनरी तथा उपकरण प्रभार
10.	जुई नहर परियोजना	2022-23	186.19	0	0	0	0
		2023-24	201.42	0	0	0	0
		2024-25	259.62	0	0	0	0
11.	सिवानी नहर परियोजना	2022-23	257.81	0	0	0	0
		2023-24	254.39	0	0	0	0
		2024-25	208.75	0	0	0	0
12.	टी.एफ.सी. परियोजना	2022-23	0	0	0	0	0
		2023-24	0	0	0	0	0
		2024-25	0	0	0	0	0
13.	नंगल लिफ्ट सिंचाई परियोजना	2022-23	0	0	0	0	0
		2023-24	0	0	0	0	0
		2024-25	0	0	0	0	0
14.	डाटा संग्रहण जैसे संस्थागत सुदृढ़ीकरण	2022-23	2,859.58	1,081.28	0	37.81	0
		2023-24	2,421.56	827.60	0	34.18	0
		2024-25	2,343.62	761.80	237.15	32.76	10.12
15.	जल विकास सर्वेक्षण और जांच	2022-23	0	0	0	0	0
		2023-24	0	0	0	0	0
		2024-25	0	0	0	0	0
16.	चैनलों की लाइनिंग	2022-23	60.00	34.15	0	56.92	0
		2023-24	1,195.17	445.58	0	37.28	0
		2024-25	0	0	0	0	0
17.	एन.सी.आर. परियोजना	2022-23	0	0	0	0	0
		2023-24	0	0	0	0	0
		2024-25	0	0	0	0	0
18.	नहर का आधुनिकीकरण और लाइनिंग	2022-23	31,904.89	18,160.69	0	56.92	0
		2023-24	39,668.44	14,789.37	4,120.91	37.28	10.39
		2024-25	45,897.56	17,541.24	5,886.98	38.22	12.83
19.	मेवात फीडर	2022-23	92.87	35.12	0	37.82	0
		2023-24	79.65	27.22	0	34.17	0
		2024-25	136.05	44.57	0	32.76	0
20.	एम एंड ई बांध अपार्टमेंट परियोजना	2022-23	0	0	0	0	0
		2023-24	0	0	0	0	0
		2024-25	0	0	0	0	0

क्रम सं.	परियोजना का नाम	वर्ष	(₹ लाख में)			प्रतिशतता	
			निर्माण-कार्य	निदेशन और प्रशासन प्रभार	मशीनरी तथा उपकरण प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर निदेशन तथा प्रशासन प्रभार	निर्माण कार्य परिव्यय पर मशीनरी तथा उपकरण प्रभार
21.	मुनिक नहर परियोजना	2022-23	0	0	0	0	0
		2023-24	0	0	0	0	0
		2024-25	0	0	0	0	0
22.	कौशल्या बांध	2022-23	0	0	0	0	0
		2023-24	0	0	0	0	0
		2024-25	269.32	88.22	0	32.76	0
23.	सरस्वती विरासत परियोजना	2022-23	175.60	99.96	0	56.92	0
		2023-24	13.10	4.88	0	37.25	0
		2024-25	0	0	0	0	0
24.	जल निकायों का विकास	2022-23	1,701.10	643.23	0	37.81	0
		2023-24	1,985.38	678.53	0	34.18	0
		2024-25	2,845.64	932.19	0	32.76	0
25.	नहर पर पुलों का पुर्णनिर्माण	2022-23	21,693.55	12,348.26	0	56.92	0
		2023-24	31,680.25	11,811.18	0	37.28	0
		2024-25	19,728.74	7,541.69	0	38.23	0
26.	जवाहरलाल नेहरू नहर परियोजना	2022-23	41.09	23.39	0	56.92	0
		2023-24	38.92	14.51	0	37.28	0
		2024-25	1,378.81	526.95	0	38.22	0
27.	उपचारित उपशिष्ट जल की आपूर्ति	2022-23	10,321.80	3,902.94	0	37.81	0
		2023-24	8,683.93	2,967.84	0	34.18	0
		2024-25	16,068.28	5,263.72	0	32.76	0
28.	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	2022-23	194.95	79.09	0	40.57	0
		2023-24	1,053.44	537.60	0	51.03	0
		2024-25	476.39	177.30	0	37.22	0

## (23) उचन्त लेन-देन:-

शीर्ष 'उचन्त' अन्तिम लेखा शीर्ष नहीं हैं। इसमें अन्तरिम अस्थाई लेन-देन शामिल किए जाते हैं, जिसके लिए लेन-देन को पूर्ण तथा अन्तिम रूप से लेखांकित किया हुआ समझने से पहले आगे भुगतान अथवा मूल्य का समायोजन आवश्यक है। तदानुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन, यदि अन्तिम लेखा शीर्ष में समायोजित नहीं किए गए हों, तो वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाए जाते हैं। शीर्ष 'उचन्त' के तीन उपभाग हैं, अर्थात्

- (i) स्टॉक,
- (ii) विविध लोक निर्माण-कार्य पेशगियां और,
- (iii) वर्कशाप उचन्त

इन उप-भागों में से प्रत्येक के अन्तर्गत लेन-देनों का स्वरूप और लेखांकन आगे स्पष्ट किया गया हैः-

- (1) **स्टॉकः**- यह उप-शीर्ष भण्डार सामग्रियों की अधिप्राप्ति और विनिर्माण संक्रियाओं से संबंधित सकल व्यय से प्रभारित किया जाता है। इसमें निर्माण-कार्य को जारी की गई अथवा बेची गई अथवा अन्य रूप से निपटाई गई सामग्रियों का मूल्य और उत्पादन का मूल्य जमा (क्रेडिट) किया जाता है और लेखाओं में शेष स्टॉक में सामग्रियों के खाता मूल्य जमा विनिर्माण से संबंधित असमायोजित प्रभारों आदि, यदि कोई हो तो, का द्योतक है।
- (2) **विविध लोक निर्माण-कार्य पेशगियां**:- यह उप-शीर्ष अभिलिखित करता हैः-
  - (क) सामग्रियों का उधार विक्रय,
  - (ख) जमा निर्माण-कार्यों पर अंशदान की प्राप्ति से पहले या प्राप्त अंशदान से अधिक किया गया व्यय।
  - (ग) हानियां तथा कटौतियों, और
  - (घ) अन्य मद्दें जिनका समायोजन प्रतीक्षित हैं।

इस शीर्ष के अंतर्गत नामें शेष प्रायः वसूली योग्य राशि का द्योतक होता है इसलिए इन शीर्षों के तहत डेबिट बैलेंस सामान्य रूप से वसूली योग्य राशि का प्रतिनिधित्व करेगा।

## (3) वर्कशाप उचन्तः-

विभागीय वर्कशापों में अन्य संक्रियाओं के लिए निष्पादित कार्यों के प्रभार, उनकी वसूली या समायोजन अनिर्णित होने पर इस उप शीर्ष को नामें (डेबिट) किए जाते हैं। इसलिए 'वर्कशाप उचन्त' के अन्तर्गत शेष लोक निर्माण-कार्य वर्कशापों में वर्ष के अन्त में चल रहे कार्यों पर व्यय का द्योतक हैं।

## उचन्त लेन-देनः-

'बहुउद्देशीय नदी परियोजना' के लेखे पर मुख्य शीर्ष '2700- मुख्य सिंचाई' के अन्तर्गत व्यय में शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत ₹327.85 लाख की राशि शामिल हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान मुख्य शीर्ष में उचन्त के अन्तर्गत आदि और अन्त शेष निम्न प्रकार से थे:-

(₹ लाख में)

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष	नामें	जमा	अन्तः शेष
स्टॉक	535.60	327.85	583.76	279.69
विविध पेशगियां	(-)52.90	0	0.13	(-)53.03
<b>जोड़</b>	<b>482.70</b>	<b>327.85</b>	<b>583.89</b>	<b>226.66</b>

- (24) 'सिंचाई' के लेखे पर मुख्य शीर्ष '2700-मुख्य सिंचाई' के अन्तर्गत व्यय में शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत ₹3.2 लाख की राशि शामिल है। वर्ष 2024-25 के दौरान इस मुख्य शीर्ष में 'उचन्त' के अन्तर्गत आदि और अंत शेष निम्न प्रकार से थे:-

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष	नामें	जमा	(₹ लाख में) अन्तः शेष
स्टॉक	(-)88.63	(-)3.20	19.86	(-)111.69
विविध पेशगियां	(-)2,411.82	0	0	(-)2,411.82
जोड़	<b>(-)2,500.45</b>	<b>(-)3.20</b>	<b>19.86</b>	<b>(-)2,523.51</b>

- (25) 'सिंचाई' के कारण मुख्य शीर्ष '2701-मध्यम सिंचाई' के अन्तर्गत व्यय में शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत कोई भी राशि शामिल नहीं हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान इस मुख्य शीर्ष में उचन्त के अन्तर्गत आदि और अंत शेष निम्न प्रकार से थे:-

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष	नामें	जमा	(₹ लाख में) अन्तः शेष
स्टॉक	(-)77.02	0	0	(-)77.02
विविध पेशगियां	43.53	0	0	43.53
जोड़	<b>(-)33.49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(-)33.49</b>

- (26) भाखड़ा व्यास प्रबन्धन बोर्ड के कारण मुख्य शीर्ष '4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय' के अन्तर्गत व्यय में शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत ₹130.59 लाख व्यय लेखाबद्ध किया गया। वर्ष 2024-25 के दौरान इस मुख्य शीर्ष में शीर्ष उचन्त के अन्तर्गत आदि और अंत शेष निम्न प्रकार से थे:-

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष	नामें	जमा	(₹ लाख में) अन्तः शेष
स्टॉक	180.18	47.91	49.07	179.02
खरीद	226.73	2.99	0.05	229.67
विविध लोक निर्माण पेशगियां	45.95	50.74	48.23	48.46
कार्यशाला उचन्त	(-)10.32	28.95	28.95	(-)10.32
जोड़	<b>442.54</b>	<b>130.59</b>	<b>126.30</b>	<b>446.83</b>

- (27) सिंचाई के कारण मुख्य शीर्ष '4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय' के अन्तर्गत व्यय में शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत लेखाबद्ध ₹105.09 लाख शामिल हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान इस मुख्य शीर्ष में 'उचन्त' के अन्तर्गत लेन-देनों आदि और अन्त शेष सहित निम्न प्रकार से थे:-

(₹ लाख में)

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष	नामें	जमा	अन्तः शेष
स्टॉक	855.24	88.34	60.99	882.59
विविध पेशगियां	(-)9,053.27	16.76	19.35	(-)9,055.86
जोड़	<b>(-)8,198.03</b>	<b>105.10</b>	<b>80.34</b>	<b>(-)8,173.27</b>

- (28) भाखड़ा व्यास प्रबन्धन बोर्ड के कारण मुख्य शीर्ष '4701-विद्युत परियोजनाओं सिचाई पर पूँजीगत परिव्यय' के अन्तर्गत व्यय में शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत ₹0.03 लाख व्यय लेखाबद्ध किया गया। वर्ष 2024-25 के दौरान इस मुख्य शीर्ष में शीर्ष उचन्त के अन्तर्गत आदि और अंत शेष निम्न प्रकार से थे:-

(₹ लाख में)

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष	नामें	जमा	अन्तः शेष
स्टॉक	(-)1,094.77	0	0	(-)1,094.77
विविध लोक निर्माण पेशगियां	(-)579.29	0.03	0	(-)579.26
जोड़	<b>(-)1,674.06</b>	<b>0.03</b>	<b>0</b>	<b>(-)1,674.03</b>

- (29) मुख्य शीर्ष '4701-मध्यम सिचाई पर पूँजीगत परिव्यय' के अन्तर्गत व्यय में शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत कोई व्यय लेखाबद्ध नहीं किया गया। वर्ष 2024-25 के दौरान इस मुख्य शीर्ष में उचन्त के अन्तर्गत आदि और अंत शेष निम्न प्रकार से थे।

(₹ लाख में)

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष	नामें	जमा	अन्तः शेष
स्टॉक	2,573.82	0	0	2,573.82
विविध पेशगियां	10,483.90	0	0	10,483.90
जोड़	<b>13,057.72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,057.72</b>

- (30) मुख्य शीर्ष '4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय' के अन्तर्गत शीर्ष 'उचन्त' के अन्तर्गत कोई व्यय लेखाबद्ध नहीं किया गया। इस मुख्य शीर्ष में 'उचन्त' शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 के दौरान आदि और अंत शेष निम्न प्रकार से थे:-

(₹ लाख में)

उचन्त के उप-शीर्ष	आदि शेष	नामें	जमा	अन्तः शेष
स्टॉक	(-)180.70	0	0	(-)180.70
विविध पेशगिया	(-)27.54	0	0	(-)27.54
जोड़	<b>(-)208.24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(-)208.24</b>

अनुदान संख्या-20- नगर तथा ग्राम आयोजना/शहरी सम्पदा(शहरी विकास)/शहरी रथानीय निकाय (रथानीय सरकार)/ विकास और पंचायत (ग्रामीण विकास)/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी

(मुख्य शीर्ष-2215-जलपूर्ति तथा सफाई, 2217-शहरी विकास, 2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम, 2505-ग्राम रोजगार, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 2553-संसद सदस्य रथानीय क्षेत्र विकास योजना, 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय, 4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय, 4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय, 4711-वाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, 6217-शहरी विकास के लिए कर्ज)

राजस्व

दत्तमत

		कुल अनुदान या विनियोग (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	1,43,94,74,58	1,47,08,76,58	1,01,71,21,47	(-)45,37,55,11
पूरक	3,14,02,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2025)

51,82,20,20

प्रभारित

मूल	30,00	50,00	49,39	(-)61
पूरक	20,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2025)

61

पूँजीगत

दत्तमत

		कुल अनुदान (₹हजार में)	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹हजार में)
मूल	36,79,10,00	45,68,10,00	35,95,14,72	(-)9,72,95,28
पूरक	8,89,00,00			

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

(मार्च 2025)

8,11,18,14

टिप्पणियां एवं टीकाएः-

राजस्व

दत्तमत अनुदान

- (1) ₹4,53,755.11 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2025 को ₹5,18,220.20 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुआ ।
- (2) ₹4,53,755.11 लाख की उपलब्ध बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2024 में प्राप्त ₹31,402.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं पहुँचा ।

(3) बचत मुख्यतः निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2215-01-001- 88-हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल	मूल	200.00	125.55	125.55	..	हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के अंतर्गत कर्मचारियों की कम भागीदारी तथा आर्थिक उपायों को अपनाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया ।
2215-01-001- 98-अधीक्षक इंजीनियर तथा उसकी स्थापना	मूल	2,792.00	2,117.66	2,117.66	..	मुख्यतः स्थित पदों को न भरने, महंगाई भत्ते का कम भुगतान, प्रशिक्षण कायक्रमों का कम संचालन/अनुसूचीकरण, आउटसोर्सिंग नीति के तहत पेशेवरों की कम नियुक्ति, कम्प्यूटरीकरण खरीद को अंतिम रूप न देने, नए वाहनों की कम खरीद, मरम्मत कार्यों में कमी तथा - ऋण/घाटे के दावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
2215-01-792- कर्ज/हानियों को बट्टे खाते डालना (51-एन.ए.)	मूल	50.00	15.07	15.07	..	ऋण/हानि दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।
2215-01-799- उचन्त	मूल	..	..	862.05	(-)862.05	₹862.05 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।
2215-02-792- अपूरणीय ऋण बट्टे खाते में डालना (51-एन.ए.)	मूल	50.00	..	..	..	ऋण/हानि दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2217-03-191-99-मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना	मूल	70,000.00	19,985.38	19,985.38	..	योजना के दिशा निर्देश के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
2217-80-001-89-राज्य में जिला नगर आयुक्तों की नई स्थापना का निर्माण	मूल	641.28	152.78	152.78	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, महंगाई भत्ते का कम भुगतान, मोटर वाहन और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, प्रशिक्षण का संचालन न करने, किराया बिलों की प्राप्ति न होने और कर्मचारियों द्वारा कम दौरा करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2217-80-001-96-स्थानीय निकाय निदेशालय	मूल	1,880.88	1,329.22	1,329.22	..	मुख्यतः कम्प्यूटरों की कम खरीद, रिक्त पदों को न भरने, महंगाई भत्ते का कम भुगतान, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, प्रशिक्षण की नियुक्ति न होने तथा कार्यालय में व्यय के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था जो कि प्रशिक्षु कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति तथा यात्रा व्यय दावों की अधिक प्राप्ति के कारण समायोजित किया गया था।
2217-80-001-97-स्थानीय निकाय (चुनाव)	मूल	78.51	52.92	52.92	..	मुख्यतः कार्यालय में कम व्यय, रिक्त पदों का न भरने तथा महंगाई भत्ते के कम भुगतान के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2217-80-001-98-नगर सम्पदा स्थापना भूमि-अभिग्रहण तथा विकास स्कीम (मुख्यालय अमला)	मूल पुनर्वि.	309.00 -103.05	205.95	205.95	..	मुख्यतः रिक्त पदों का न भरने, महंगाई भत्ते का कम भुगतान, अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति, संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति न करने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2217-80-190-99-फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	मूल पुनर्वि.	10,000.00 -10,000.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेख/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025)।
2217-80-191-94-दिल्ली के चारों ओर एनसीआर उपग्रह के लिए हरियाणा सहायता विकास प्राधिकरण के लिए सहायता अनुदान	मूल पुनर्वि.	8,000.00 -4,315.21	3,684.79	3,684.79	..	अवसंरचना विकास निधि से व्यय के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
2217-80-191-95-नगर निगम में सीवेज पानी की आपूर्ति और ड्रेनेज की सेवाएं	मूल पुनर्वि.	15,000.00 -7,162.75	7,837.25	7,837.25	..	नगरपालिकाओं से मांग की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
2217-80-191-97-नगर निगमों को केन्द्रीय वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर सहायतानुदान	मूल पुनर्वि.	31,358.01 -24,861.29	6,496.72	6,496.72	..	भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2217-80-192- 83-राज्य वित्त आयोग के तहत शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए योजना	मूल	69,400.00	25,000.00	25,000.00	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025) ।
	पुनर्वि.	-44,400.00				
2217-80-192- 84-दिव्य नगर योजना	मूल	20,000.00	14,197.94	14,197.94	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025) ।
	पुनर्वि.	-5,802.06				
2217-80-192- 85-पीएम-स्ट्रीट विक्रेता आत्मनिर्भर पीएम-एसवीए (निधि)	मूल	200.00	..	..	..	सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण नगरपालिकाओं से मांग प्राप्त न होने के कारण किया गया था।
	पुनर्वि.	-200.00				
2217-80-192- 86-नई शहरी नवीकरण मिशन (ए.एम.आर.गू. टी.)	मूल	5,948.00	3,591.50	3,591.50	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025) ।
	पुनर्वि.	-2,356.50				
2217-80-192- 88-स्वच्छ भारत मिशन (95-स्वच्छ भारत मिशन (क्षमता निर्माण कौशल विकास एवं ज्ञान प्रबंधन))	मूल	1,000.00	133.61	133.61	..	भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
	पुनर्वि.	-866.39				
2217-80-192- 88-स्वच्छ भारत मिशन (96-आईईसी एवं व्यवहार परिवर्तन (आईईसी एवं बीसी)	मूल	1,000.00	153.16	153.16	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025) ।
	पुनर्वि.	-846.84				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2217-80-192- 88-स्वच्छ भारत मिशन (97- स्वच्छ भारत मिशन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम)	मूल	14,000.00	166.00	166.00	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025)।
2217-80-192- 88-स्वच्छ भारत मिशन (98- स्वच्छ भारत मिशन में प्रयुक्त जल प्रबंधन (यूडब्ल्यूएम)	मूल	14,000.00	82.50	82.50	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025)।
2217-80-192- 88-स्वच्छ भारत मिशन (99- स्वच्छ भारत मिशन (आईएचएलएल/ सीटी/पीटी/ आंकाशी शौचालय)	मूल	1,000.00	15.00	15.00	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025)।
2217-80-192- 89-राष्ट्रीय शहरी आजिका अभियान	मूल	4,125.00	100.00	100.00	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025)।
2217-80-192- 90-किसी भी आपदा के कारण छोटे दुकानदारों की वाणिज्यिक संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति की योजना	मूल	1,000.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2217-80-192-92-स्टांप शुल्क की आय से पालिकाओं/नगर परिषदों के लिए स्थानीय निकायों के लिए योगदान	मूल	10,000.00	6,406.53	6,406.53	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025) ।
2217-80-192-93-पालिकाओं/नगर परिषदों को केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर सहायतानुदान	मूल	22,041.99	7,439.63	7,439.63	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025) ।
2217-80-789-90-अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका अभियान	मूल	1,375.00	..	..	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025) ।
2217-80-789-92-राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर नगरपालिकाओं को अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	मूल	48,511.00	39,999.70	39,999.70	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025) ।
2217-80-789-94-दीन दयाल उपाध्याय सेवा बरस्ती उत्थान	मूल	3,000.00	..	..	..	समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण नगरपालिकाओं से मांग प्राप्त न होने के कारण किया गया।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2217-80-800-99-कुर्सेत्र विकास बोर्ड को सहायता अनुदान	मूल	4,771.50	1,270.00	1,270.00	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.ले.खे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025)।
2501-03-001-99-ग्रामीण विकास स्थापना योजना के लिए योजना हेड क्वार्टर	मूल	511.30	385.67	385.67	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, महंगाई भत्ते का कम भुगतान, अवकाश यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति, संविदा कमचारियों की कम नियुक्ति, छात्रवृत्ति और वजीफे के लिए पात्र उम्मीदवारों की अनुपलब्धता, विभाग द्वारा प्रशिक्षण का आयोजन न करने, अनुग्रह राशि और किराए, दरों और करों के लिए दावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2501-05-101-99-प्रधान मंत्री सिंचाई योजना के वाटरशेड घटक के तहत एकीकृत बंजर भूमि विकास/प्रबंधन परियोजना के तहत बैच VI परियोजनाएं	मूल	1,680.00	980.00	980.00	..	भारत सरकार से कम निधियों की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2501-05-190-99-एकीकृत बंजर भूमि के तहत बैच VI परियोजनाएं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड घटक के तहत विकास/प्रबंधन परियोजना	मूल	1,600.00	400.00	400.00	..	मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय को अतिम स्तर न दिए जाने तथा सामान्य अनुदान सहायता दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2501-05-789-99-समेकित बंजर भूमि विकास/ प्रबन्धन परियोजना	मूल	720.00	200.00	200.00	..	भारत सरकार से कम निधियों की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2501-06-101-96-स्टार्ट-आप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एनआरएलएम, एसवीईपी)	मूल	1,000.00	..	..	..	समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण भारत सरकार से कम धनराशि प्राप्त होने के कारण किया गया था।
2501-06-101-97-दीन दयाल उपाध्याय, ग्रामीण कौशल योजना (एनआरएलएम, डी डीयू-जीकेवाई) (परियोजना प्रशासन)	मूल	2,500.00	1,900.06	1,900.06	..	भारत सरकार से कम निधियों की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2501-06-101-99-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन आर एल एम/आजीविका)	मूल	10,780.00	3,752.97	3,752.97	..	भारत सरकार से कम निधियों की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2501-06-102-99-दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रचारित स्वयं सहायता समूहों को समर्थन देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा ब्याज छूट प्रदान करने की योजना	मूल	500.00	..	..	..	समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण भारत सरकार से कम धनराशि प्राप्त होने के कारण किया गया था।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2501-06-789-98-दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (एनआरएलएम, डी डीयू-जीकेवाई) (परियोजना प्रशासन) एससीएसपी	मूल पुनर्वि.	1,000.00 - 216.74	783.26	783.26	..	भारत सरकार से कम निधियों की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2501-06-789-99-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम/आजीविका)	मूल पुनर्वि.	4,620.00 -3,505.94	1,114.06	1,114.06	..	भारत सरकार से कम निधियों की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2501-06-800-97-डी.आर.डी.ए. प्रशासन	मूल पुनर्वि.	2,700.00 -810.00	1,890.00	1,890.00	..	सहायतानुदान दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
2501-06-800-98-ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान व्यय क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए योजना	मूल पुनर्वि.	73.00 -43.78	29.22	29.22	..	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, महंगाई भत्ते का कम भुगतान, अवकाश यात्रा रियायत, यात्रा भत्ता और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति न होने तथा पेंशनभोगियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2505-01-702-88-स्वर्ण जयंती खंड उत्थान योजना	मूल पुनर्वि.	5,000.00 -5,000.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2505-01-789- 99-स्वर्ण जयन्ती खंड उत्थान योजना	मूल	1,000.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025) ।
2505-02-101- 95-सामाजिक लेखा परीक्षा (मनरेगा) सामान्य	मूल	500.00	194.55	194.55	..	भारत सरकार से कम निधियों की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2505-02-101- 96-परियोजना उन्नति (मनरेगा) सामान्य	मूल	20.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025) ।
2505-02-101- 97-कलस्टर सुविधा परियोजना (मनरेगा)-सामान्य	मूल	100.00	24.63	24.63	..	भारत सरकार से कम निधियों की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2505-02-101- 98-प्रशासनिक आकस्मिकता योजना (मनरेगा) सामान्य	मूल	4,000.00	2,473.57	2,473.57	..	भारत सरकार से कम निधियों की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2505-02-101- 99-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गरंटी स्कीम नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गरंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत सामग्री घटक- सामान्य	मूल	40,000.00	22,380.20	22,380.20	..	भारत सरकार से कम निधियों की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
	पुनर्वि.	-1,000.00				
	पुनर्वि.	-305.45				
	पुनर्वि.	-20.00				
	पुनर्वि.	-75.37				
	पुनर्वि.	-1,526.43				
	पुनर्वि.	-17,619.80				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2515-51-001-99-पंचायत विभाग	मूल	1,974.00	1,490.47	1,490.47	..	मुख्यतः रिक्त पदों का न भरने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति, अवकाश यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की कम प्राप्ति तथा कम्प्यूटरों की कम खरीद के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
2515-51-003-98-सामुदायिक विकास	मूल	100.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेख/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025)।
2515-51-101-81-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर जी एस ए)	मूल	5,000.00	1,097.06	1,097.06	..	भारत सरकार से कम निधियों की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था।
2515-51-101-89-राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के तहत पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	मूल	2,17,400.00	1,48,223.17	1,48,223.17	..	मुख्यतः पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन तथा सामान्य सहायता अनुदान के लिए अनुदान की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
2515-51-101-93-विकास कार्यों के लिए लोगों को समानुपातिक सहायता अनुदान (राज्य अंश)	मूल	500.00	135.00	135.00	..	निधियों का अभ्यर्पण सहायतानुदान दावों की कम प्राप्ति के कारण किया गया।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2515-51-102- 80-स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत राज्य स्तरीय टार्स्क फोर्स की योजना	मूल	100.00	53.41	53.41	..	निधियों का अभ्यर्पण संविदा सेवाओं और मानदेय दावों की कम प्राप्ति के कारण हुआ।
2515-51-102- 82-हरियाणा राज्य ग्रामीण स्वच्छता पुरस्कार योजना	मूल	100.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025)।
2515-51-102- 83-ग्रामीण विकास के लिए गांव युवा स्वयंसेवकों में जागरूकता	मूल	135.00	18.90	18.90	..	मुख्यतः आउटसोर्सिंग नीति के तहत कर्मचारियों की नियुक्ति न करने, अन्य प्रभारों के बिलों का कम भुगतान, रिक्त पदों का न भरने, महंगाई भत्ते का कम भुगतान, कार्यालय मदों की खरीद न करने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
2515-51-102- 90-हरियाणा ग्रामीण विकास प्रौद्योगिकरण को सहायता	मूल	3,000.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025)।
2515-51-102- 94-हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (एचजीवीवाई)	मूल	10,000.00	4,500.00	4,500.00	..	पूंजीगत परिस्मृतियों के सृजन के लिए अनुदान की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2515-51-102-96-स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीवाई) के लिए योजना	मूल	1,000.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025) ।
2515-51-102-97-पंचायत/जिला परिषद और राज्य पंचायत भवन, निदेशालय कार्यालय और ग्राम सचिवालय सहित ब्लाक कार्यालय भवनों की नई निर्माण/नवीनीकरण/मरम्मत	मूल	7,000.00	2,500.00	2,500.00	..	पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
2515-51-102-98-राज्य तथा जिला स्तर पर गैर सरकारी व्यक्तियों के लिए सम्मेलनों का आयोजन	मूल	30.00	11.73	11.73	..	पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
2515-51-106-96-प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत अल्पसंख्यक के विकास के लिए योजना (पीएमजेवीके)	मूल	6,000.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025) ।
2515-51-190-99-प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण योजना हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान निलोखेड़ी	मूल	400.00	200.00	200.00	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025) ।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2515-51-198- 96-राज्य वित्त आयोग के तहत ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास (एसएफसी)	मूल	84,800.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025)।
2515-51-789- 87-राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के लिए पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	मूल	79,400.00	49,892.85	49,892.85	..	निधियों का अभ्यर्पण सामान्य सहायता अनुदान और पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए अनुदान की कम प्राप्ति के कारण हुआ।
2515-51-789- 88-महात्मा गांधी ग्रामीण बरसी योजना	मूल	3,000.00	1,345.78	1,345.78	..	पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन तथा सामान्य सहायता अनुदान के लिए अनुदान की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
2515-51-789- 91-हरियाणा ग्रामीण विकास प्रोटोटाइपिकरण को सहायता	मूल	1,000.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025)।
2515-51-789- 98-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत अनुसूचित जातियों के लिए स्वच्छता योजना	मूल	4,000.00	2,401.93	2,401.93	..	भारत सरकार से पूँजीगत परिसंपत्ति के सृजन के लिए अनुदान की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2515-51-789-99-अनुसूचित जातियों के लिए स्वर्ण जयंती महा ग्राम विकास योजना (एसएमएजीआई) के लिए योजना	मूल	1,000.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025) ।
2553-51-101-98-सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)	मूल	100.00	..	..	..	समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण भारत सरकार से विवेकाधीन अनुदान से भुगतान की धनराशि प्राप्त न होने के कारण किया गया ।

- (4) वित्त आयोग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी बजट पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला, जिनमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से वास्तविक बचत से कम राशि का अभ्यर्पण किया गया, जिसके परिणामस्व रूप एक राशि अनाभ्यर्पित रह गई, जो यह दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश उचित ढंग से तैयार नहीं किया गया था जिसकी चर्चा अगले पृष्ठ पर की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2515-01-001-97-कार्यकारी इंजीनियर तथा उनकी स्थापना	मूल	23,516.00	17,530.68	17,510.75	(-) 19.93	मुख्यतः रिक्त पदों को न भरने, छात्रवृत्ति एवं वजीफे के अंतर्गत कम प्रशिक्षिता, आउटसर्विसिंग नीति के अंतर्गत कम कर्मचारी नियुक्ति होना, अनुग्रह राशि के दावों की कम प्राप्ति, नए वाहनों की कम खरीद और कम मरम्मत कार्य पेशेवर कर्मचारियों की कम नियुक्ति होना, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होना और कम्प्यूटर खरीद का अंतिम स्पष्ट न दिए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया जो कि महंगाई भत्ते की किस्त/बकाया के भुगतान के कारण व अवकाश यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिक प्राप्ति के द्वारा समायोजित कर लिया गया। ₹19.93 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

- (5) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी बजट पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित चार मामले, जिनमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से वास्तविक बचत से अधिक निधियों को समर्पित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जो यह दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश उचित ढंग से तैयार नहीं किया गया था जिसकी चर्चा अगले पृष्ठ पर की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2215-01-001- 96-कार्यकारी इंजीनियर तथा उनकी स्थापना नियमित/स्थाई किया गया मकैनिकल अमला	मूल	1,18,403.00	95,513.23	95,549.88	(+) 36.65	मुख्यतः रिक्त पदों की पूर्ति न होने, आउटसोर्सिंग नीति और अपनाए गए आर्थिक उपायों के अंतर्गत कर्मचारियों की कम तैनाती, अनुग्रह राशि के दावों की कम प्राप्ति, अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा कम भ्रमण, ऋण/घाटे के दावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया जो कि महंगाई भत्ते की किस्त/बकाया के भुगतान, अवकाश यात्रा रियायत और चिकित्सा प्रतिपूर्ति समायोजित कर लिया गया। ₹36.65 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2215-01-001-99-मुख्यालय अमला-मुख्य इंजीनियर तथा उसकी स्थापना	मूल पुनर्वि.	3,377.00 -986.61	2,390.39	2,391.90	(+) 1.51	मुख्यतः रिक्त पदों की पूर्ति न होने, अवकाश यात्रा रियायत, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अनुग्रह राशि और ऋण/घाटे के दावों की कम प्राप्ति, आउटसोर्सिंग नीति के अंतर्गत कर्मचारियों की कम नियुक्ति, महंगाई भत्ते का कम भुगमान, नए वाहनों की कम खरीद और कम मरम्मत कार्य, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा विदेश दौरे न करने और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कम संचालन के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया। ₹1.51 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2515-51-102-93-स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत स्वच्छता योजना (ग्रामीण)	मूल पुनर्वि.	10,000.00 -8,216.76	1,783.24	1,783.25	(+)0.01	भारत सरकार से कम निधियों की प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया। ₹0.01 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2217-80-001-99-नगर तथा ग्राम आयोजन (मुख्यालय अमला)	मूल पुनर्वि.	2,268.00 -462.29	1,805.71	1,805.95	(+)0.24	मुख्यतः रिक्त पदों की पूर्ति न होने, संविदा कर्मचारियों की कम नियुक्ति और अवकाश यात्रा रियायत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया जो कि महंगाई भत्ते की अधिक मांग के द्वारा समायोजित कर लिया गया। ₹0.24 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

- (6) पुनर्विनियोजन के निम्नलिखित दो मामले, जिनमें अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया और तत्पश्चात वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेशों के माध्यम से अनुपूरक अनुदान का एक भाग वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जो यह दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2215-01-003-99-सूचना शिक्षा संचार गतिविधियां	मूल	0.10	174.37	176.29	(+)1.92	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025)। ₹1.92 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
2215-01-101-99-शहरी जल सप्लाई तथा मल निकास का रखरखाव	मूल	300.00	881.68	1,425.74	(+)544.06	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025)। ₹544.06 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

- (7) पुनर्विनियोजन के निम्नलिखित मामला जिनमें अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया और तत्पश्चात वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेशों के माध्यम से अनुपूरक अनुदान और मूल बजट का हिस्सा वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पित कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जो यह दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे, जिसकी चर्चा अगले पृष्ठ पर की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2215-01-102- 97-ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम	मूल	70,460.00	25,077.46	89,327.88	(+)64,250.42	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025) । ₹64,250.42 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।
	पूरक	16,000.00				
	पुनर्वि.	-61,382.54				

(8) आधिकता मुख्यतः निम्नलिखित के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2515-51-196- 99-पीआरआई के निर्वाचित सदस्यों और जिला परिषद कर्मचारियों के वेतन के लिए मानदेय के भुगतान की योजना नाम बदलकर जिला परिषद में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के वेतन की योजना	मूल	3,226.00	3,568.13	3,568.13	..	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन नए कर्मचारियों के शामिल होने के कारण वेतन और महंगाई भत्ते में आवर्धन के कारण हुई जो कि आउटसोर्सिंग नीति के तहत कम कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन न करने और मानदेय दावों की प्राप्ति न होने के द्वारा समायोजित कर लिया गया ।
	पुनर्वि.	342.13				
2515-51-198- 98-केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों पर ग्राम पंचायतों को बंधित अनुदान	मूल	62,160.00	1,17,254.51	1,17,254.51	..	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन भारत सरकार से अधिक निधियां प्राप्त होने के कारण किया गया ।
	पुनर्वि.	55,094.51				

(9) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश का एक मामला जिसमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से वास्तविक व्यय से कम राशि बढ़ाई गई, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जो यह दर्शाता है कि वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश उचित रूप से तैयार नहीं किया गया था, जिसकी चर्चा अगले पृष्ठ पर की गई है-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2215-01-101-94-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के संस्थागत भवनों/अधिकारियों आवासों का रखरखाव	मूल	0.01	568.32	575.96	(+)7.64	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन, रखरखाव के अंतर्गत लंबित देनदारियों के निपटान हेतु बजट विस्तार के कारण हुआ। ₹7.64 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पुनर्वि.	568.31				

- (10) एक मामला जिनमें अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया तथा तत्पश्चात् वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन आदेश जारी किया गया, जिसमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से बढ़ाई गई राशि वास्तविक व्यय से कम थी जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2215-01-101-99-शहरी जल सप्लाई तथा मल निकास का रखरखाव (98-रखरखाव प्रभार)	मूल	10,000.00	16,295.98	16,976.91	(+)680.93	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025)। ₹680.93 लाख की अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पूरक	2,000.00				
	पुनर्वि.	4,295.98				

- (11) एक मामला जिसमें अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया था तथा तत्पश्चात् वित्त विभाग द्वारा 31मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन आदेश जारी किया गया, जिसमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से आवर्धित की गई राशि वास्तविक व्यय से अधिक थी जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त बचत हुई, जिसकी चर्चा अगले पृष्ठ पर की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
2215-01-101- 99-शहरी जल सप्लाई तथा मल निकास का रखरखाव (99-ऊर्जा प्रभार)	मूल	15,000.00	27,684.55	27,482.91	(-) 201.64	प्रावधान में आवर्धन के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025)।  ₹201.64 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पूरक	10,000.00				
	पुनर्वि.	2,684.55				

पूँजीगत  
दत्तमत अनुदान

- (12) ₹97,295.28 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध ₹16,177.14 लाख की राशि अनाभ्यर्पित रह गई।
- (13) ₹97,295.28 लाख की समस्त बचत को देखते हुए, दिसम्बर 2024 में प्राप्त ₹88,900 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान तक भी नहीं आया।
- (14) बचत मुख्यतः जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
4215-01-102- 84-15वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप ग्रामीण पेयजल आपूर्ति	मूल	10,000.00	10,000.00	..	(-)10,000.00	₹10,000 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4215-01-102- 98-तवरित ग्रामीण जल पूर्ति (91-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (राष्ट्रीय जल गुणवत्ता आसन्निक व फ्लोराइड पर उप मिशन))	मूल	100.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025)।
	पुनर्वि.	-100.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4215-01-102-98-त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति योजना (93-एनआरडीडब्ल्यूपी (जल गुणवत्ता निगरानी) नाम बदलकर जल जीवन मिशन (जेजेएम)-डब्ल्यूक्यूएमएस)	मूल	1,200.00	480.00	480.00	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025) ।
4215-01-102-98-त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति योजना (94-राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल योजना-अधिकृति (केन्द्रीय) सहायक गतिविधियां) नाम बदलकर जल जीवन मिशन) (जेजेएम) सहायता गतिविधियां)	मूल	3,000.00	1,200.00	1,200.00	..	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025) ।
4215-02-101-88-राष्ट्रीय आवास बैंक के शहरी बुनियादी ढांचा विकास निधि (यूआईडीएफ) के तहत शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण	मूल	5,000.00	..	..	..	समस्त प्रावधान के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025) ।
4217-60-789-99-राज्य वित्त आयोग के हस्तांतरण के लिए अनुसूचित जाति घटक के लिए नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान	मूल	18,192.00	15,000.00	15,000.00	..	नगरपालिकाओं से मांग प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
	पुनर्वि.	-3,192.00				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4215-51-101-99-दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना	मूल पुनर्वि.	10,000.00 -9,439.97	560.03	560.03	..	प्रमुख कार्यों से मांग प्राप्त न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
4515-51-103-99-विधायक आदर्श नगर एवं ग्राम योजना (एसएजीवाई)	मूल पुनर्वि.	20,000.00 -3,500.00	16,500.00	16,500.00	..	प्रमुख कार्यों के अंतर्गत दावों की कम प्राप्ति के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
6217-60-191-97-कर्मचारियों के वेतन/वेतन के बकाया की अदायगी हेतु नगर निगम को कर्ज	मूल पुनर्वि.	500.00 -500.00	..	..	..	समस्त प्रावधान का अभ्यर्पण भारत सरकार से कम निधियां प्राप्त होने के कारण किया गया।

(15) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखित मामले, जिनमें बजट प्रावधान वास्तविक बचत से कम अभ्यर्पित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप राशि अभ्यर्पित नहीं की गई, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4215-01-101-93-जल आपूर्ति के लिए अमृत-द्वितीय का कार्यान्वयन	मूल पुनर्वि.	65,600.00 -39,786.77	25,813.23	17,208.85	(-)8,604.38	राज्य सरकार द्वारा योजना में आनुपातिक राज्यांश जारी किए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया। ₹8,604.38 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4215-01-102- 98-त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति योजना	मूल	52,600.00	26,300.00	21,326.66	(-)4,973.34	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्विं./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025) । ₹4,973.34 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।
4215-01-789- 99-शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति का प्रभुत्व बरती को पानी की आपूर्ति	मूल	300.00	289.40	220.87	(-)68.53	परियोजना का शीर्ष समिति के समक्ष विचाराधीन के कारण, जिसकी बैठक वर्ष 2024-25 के दोरान नहीं हो सकी, इसलिए भूमि क्रय नहीं करे जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया । ₹68.53 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।
4215-02-101- 89-सीवरेज का कार्यान्वयन अमृत के लिए	मूल	14,400.00	7,144.78	5,358.72	(-)1,786.06	राज्य सरकार द्वारा योजना में आनुपातिक राज्यांश जारी किए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया। ₹1,786.06 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।

(16) वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन आदेश के निम्नलिखत मामले, जिनमें बजट प्रावधान वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जिसकी चर्चा अगले पृष्ठ पर की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4215-01-101- 94-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	मूल	1,500.00	490.07	523.10	(+) 33.03	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025)। ₹33.03 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पुनर्वि.	-1,009.93				
4215-01-102- 86-ग्रामीण के लिए अधिग्रहित भूमि और शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज कार्यों के लिए मुआवजा	मूल	5,000.00	305.48	306.80	(+) 1.32	माननीय न्यायालय द्वारा मुआवजे के सम्बंध में कम आदेश पारित किए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया। ₹1.32 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पुनर्वि.	-4,694.52				
4215-01-789- 98-ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति का प्रभुत्व बरस्ती को पानी की आपूर्ति	मूल	300.00	10.00	10.56	(+) 0.56	उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत चल रहे कार्यों हेतु कोई और लंबित मांग न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया। ₹0.56 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पुनर्वि.	-290.00				
4215-01-800- 98-पीएचई विभाग द्वारा अधिग्रहित भूमि की वार्षिकी	मूल	500.00	388.97	395.12	(+) 6.15	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025)। ₹6.15 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पुनर्वि.	-111.03				

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4215-02-102-98-ग्रामीण सफाई (97-गांव में सीवरेज सिस्टम प्रदान करने के लिए महा ग्राम योजना)	मूल पुनर्वि.	5,000.00 -31.63	4,968.37	5,285.84	(+) 317.47	मार्च माह में प्रमुख कार्यों के बिलों का भुगतान न हो पाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया। ₹317.47 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4215-02-789-99-शहरी क्षेत्रों की अनुसूचित जातियों से बहुतायत आबादी में मल व्यवस्था	मूल पुनर्वि.	2,000.00 -60.54	1,939.46	2,155.41	(+) 215.95	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत कार्यों की प्रगति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया था, जिस पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय किया जाएगा। ₹215.95 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4515-51-102-99-विकास एवं पंचायतों/ग्रामीण विकास विभाग के लिए पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन/खरीद की योजना	मूल पुनर्वि.	633.00 -423.99	209.01	209.41	(+) 0.40	मुख्यतः प्रमुख कार्य योजना और भूमि को अंतिम रूप न दिए जाने, फनीचर और उपकरणों की खरीद न होने और मोटर वाहन दावों की प्राप्ति न होने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया। ₹0.40 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

- (17) निम्नलिखित मामला जिसमें अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया और तत्पश्चात, वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेशों के माध्यम से अनुपूरक अनुदान का एक हिस्सा वास्तविक बचत से कम अभ्यर्पित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एक राशि अप्रयुक्त रह गई, जो यह दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे, जिसकी चर्चा अगले पृष्ठ पर की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4215-01-101- 99-शहरी जल आपूर्ति (99-बढ़ोतरी जल पूर्ति)	मूल	6,000.00	8,897.50	8,396.86	(-)500.64	शीर्ष समिति की परियोजना विचाराधीन होने के कारण भूमि क्रय नहीं की जा सकने से निधियों का अभ्यर्पण किया गया। ₹500.64 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पूरक	5,000.00				
	पुनर्वि.	-2,102.50				

- (18) निम्नलिखित मामले में अनुपूरक अनुदान अविवेकपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया और तत्पश्चात, वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेशों के माध्यम से अनुपूरक अनुदान का एक हिस्सा वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक व्यय हुआ, जो यह दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4215-02-101- 94-मल व्यवस्था तथा सफाई	मूल	20,000.00	22,357.82	22,858.79	(+) 500.97	निधियों के अभ्यर्पण के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025)। ₹500.97 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
	पूरक	2,500.00				
	पुनर्वि.	-142.18				

- (19) निम्नलिखित मामले में जहां अत्यधिक अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया था और बाद में वित्त विभाग द्वारा 31 मार्च 2025 को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अनुपूरक अनुदान का एक हिस्सा कम कर दिया गया गया था, जो यह दर्शाता है कि बजट अनुमान उचित रूप से तैयार नहीं किए गए थे, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4515-51-101- 97-हरियाणा ग्रामीण विकास योजना(एचजीवी वाई)	मूल	40,000.00	49,992.59	49,992.59	..	प्रमुख कार्यों के अंतर्गत कुछ परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण निधियों का अभ्यर्पण किया गया।
	पूरक	22,400.00				
	पुनर्वि.	- 12,407.41				

(20) आधिकता मुख्यतः निम्नलिखित के अंतर्गत हुई:-

(21) वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनियोजन आदेश के दो मामले, जिनमें बजट प्रावधान वास्तविक व्यय से कम बढ़ाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अत्यधिक व्यय हुआ, जिसकी चर्चा नीचे की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4215-01-101-92-जल आपूर्ति के लिए अमृत-॥ का कार्यान्वयन-सीडब्ल्यूबीपी, पीएमयू डीपीआर, पीआईयू, पीडीएमसी, आईआरएमए क्षमता निर्माण की लागत को पूरा करने के लिए योग भाग-॥।- केन्द्रीय आयोजित स्कीमें 100	मूल पुनर्वि.	1.00 359.65	360.65	429.33	(+)68.68	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन के कारण सही व ठोस नहीं थे । ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025) । ₹68.68 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।
4215-01-789-97-नाबार्ड के तहत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	मूल पुनर्वि.	5,000.00 2,204.02	7,204.02	8,744.99	(+)1,540.97	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत कई परियोजनाओं के शुभारंभ के कारण हुई, जिनकी नाबार्ड द्वारा भी गहन निगरानी की गई । ₹1,540.97 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025) ।

(22) निम्नलिखित प्रकरण में अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त रूप से प्राप्त किया गया तथा तत्पश्चात वित्त विभाग 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश जिसमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से राशि तृद्वि की गई थी, वास्तविक व्यय से अधिक होने के कारण राशि अनाभ्यर्पित रह गई, जिसकी चर्चा अगले पृष्ठ पर की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4215-01-102-93-ग्रामीण जलापूर्ति (एस.पी.) (90-गाँव में पेयजल आपूर्ति के नवीनीकरण के लिए महा ग्राम योजना)	मूल	2,500.00	4,271.08	3,193.70	(-)1,077.38	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन 2024-25 में प्रमुख कार्यों की गति में तेजी लाने के कारण हुआ। ₹1,077.38 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4215-01-102-93-ग्रामीण जलापूर्ति (एस.पी.) (93-नाबाड़)	मूल	12,000.00	25,000.29	21,131.57	(-)3,868.72	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन 2024-25 में प्रमुख कार्यों की गति में तेजी लाने के कारण हुआ। ₹3,868.72 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4215-01-800-99-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का सांख्यानिक सुदृढ़ीकरण	मूल	130.00	985.21	910.11	(-)75.10	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025)। ₹75.10 लाख की अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

(23) निम्नलिखित प्रकरण जिनमें अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त रूप से प्राप्त किया गया तथा तत्पश्चात वित्त विभाग 31 मार्च 2025 को जारी पुनर्विनियोजन आदेश, जिसमें पुनर्विनियोजन आदेश के माध्यम से सम्बंधित राशि वास्तविक व्यय से कम थी, जिसके परिणामस्वरूप अधिक व्यय हुआ, जिसकी चर्चा अगले पृष्ठ पर की गई है:-

शीर्ष			कुल अनुदान (₹ लाख में)	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	अधिकता (+) बचत (-) (₹ लाख में)	टिप्पणी
4215-01-102- 93-ग्रामीण जलापूर्ति (एस.पी.) (94-बढ़ोतरी जल पूर्ति)	मूल	16,000.00	51,732.52	60,815.86	(+)9,083.34	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में वृद्धि समयबद्ध कार्यान्वयन हेतु योजनाओं की शीघ्र तैयारी हेतु प्रमुख कार्यों के अंतर्गत मांग में वृद्धि के कारण हुआ। ₹9,083.34 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4215-01-789- 96-ग्रामीण जलापूर्ति में वृद्धि के तहत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	मूल	4,000.00	12,609.75	14,707.25	(+)2,097.50	पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में आवर्धन अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के अंतर्गत समयबद्ध कार्यान्वयन हेतु योजनाओं की शीघ्र तैयारी हेतु मांग में आवर्धन के कारण किया गया। ₹2,097.50 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।
4711-01-201- 98-शहरी बरसाती पानी निकासी नालों के कार्य	मूल	4,000.00	12,485.28	13,395.94	(+)910.66	प्रावधान में आवर्धन के कारण सही व ठोस नहीं थे। ठोस कारणों की मांग की गई है (विनि.लेखे/पुनर्वि./ 2025-26/अनु. सं. 20/ 181-82 दिनांक 15.05.2025)। ₹910.66 लाख के अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (सितम्बर 2025)।

**परिशिष्ट**

(पृष्ठ ix पर सन्दर्भित)

अनुमानों और वसूलियों के वास्तविक आंकड़ों के अनुदानवार ब्यौरे, जिन्हें व्यय में कमी के रूप में लेखाओं में समायोजित किया गया है।

अनुदानों की संख्या और नाम	बजट अनुमान		वास्तविक आंकड़े		बजट की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिकता (+)/बचत (-)	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
1	2	3	4	5	6	7
(₹हजार में)						
03- सामान्य प्रशासन/ निर्वाचन	1,00,00	0	70,00,00	0	(+)69,00,00	0
04- राजस्व और आपदा प्रबन्धन/अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं)/ आबकारी एवं कराधान	6,82,20,00	0	71,88,41	0	(-)6,10,31,59	0
05- गृह (गृह रक्षी एवं नागरिक सुरक्षा/जेल (कारागार)/ न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/ अभियोजन/ एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)	1,00,00	0	0	0	(-)1,00,00	0
10- कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/पशुपालन और डेयरी विकास/मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान/ पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव	3,29,81,00	0	79,06,28	0	(-)2,50,74,72	0
11- सहकारिता/खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले	5,30,00,00	1,55,00,00,00	1,25,10,91	1,38,03,58,60	(-)4,04,89,09	(-)16,96,41,40
17- लोक निर्माण (भवन व सड़कों)/परिवहन/नागर विमानन	5,31,25,00	2,40,00,00	5,58,21,98	1,84,99,73	(+)26,96,98	(-)55,00,27
19- ऊर्जा विभाग (विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/उद्योग एवं वाणिज्य/ एमएसएमई/सिंचाई एवं जल संसाधन	0	0	8,00,84,22	0	(+)8,00,84,22	0
20- नगर तथा ग्राम आयोजना/शहरी सम्पदा (शहरी विकास)/शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार)/विकास और पंचायत (ग्रामीण विकास)/ जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	22,00,00	0	12	0	(-)21,99,88	0
<b>जोड़</b>	<b>20,97,26,00</b>	<b>1,57,40,00,00</b>	<b>17,05,11,92</b>	<b>1,39,88,58,33</b>	<b>(-)3,92,14,08</b>	<b>(-)17,51,41,67</b>



© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

<https://cag.gov.in/ae/haryana/en>

